राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

23 मार्च, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

पंचायत समिति बामनवास के ग्रामीण स्वच्छता योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

24. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) द्वारा ग्रामीण स्वच्छता योजनान्तर्गत शौचालय, नहाने का चबूतरा एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु दिनांक 9 अक्टूबर, 1998 को स्वीकृतियां जारी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन लोगों को कितनी-कितनी राशि की और निर्धारित समय सीमा में किन-किन व्यक्तियों ने निर्माण करवा लिया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित शौचालयों के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी लोगों के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है? यदि हां, तो प्रत्येक की मतदाता सूची मय राशन कार्ड के सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी, हां। पंचायत समिति, बामनवास के पत्र क्रमांक 1719-20 दिनांक 9.10.98 द्वारा ग्रामीण स्वच्छता योजनान्तर्गत शौचालय, नहाने का चबूतरा एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु कुल 56 व्यक्तियों को रुपये 2250/- राशि प्रति व्यक्ति की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से 17 व्यक्तियों ने निर्धारित समय सीमा में स्वच्छता इकाइयों का निर्माण करवा लिया है। 56 व्यक्तियों के स्वीकृति आदेश व 17 व्यक्तियों, जिन्होंने स्वच्छता इकाइयों का निर्माण करवा लिया है, की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(श्री सी. पी. जोशी)

(3) जी, नहीं।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि 9.10.98 को 56 लोगों को स्वीकृतियां जारी की गयीं, क्या उन सबका भुगतान उन 56 व्यक्तियों द्वारा उठा लिया गया है? नम्बर एक। दूसरा, जिन 17 लोगों का भौतिक सत्यापन होना बताया गया है, क्या वहां पर एक भी शौचालय नहीं बना है? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे? तीसरा, अशोक, घनश्याम, ब्रजमोहन, कमलेश, रेबड़्या, बोड़्या और मोहन जिनको बामनवास, पट्टीकलां और पट्टीखुर्द का बताया गया है, वे वहां के रहने वाले नहीं हैं और क्या उन सबको भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल मात्र 17 व्यक्तियों को ही भुगतान किया गया है। 56 व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया गया है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सभी को कर दिया गया? केवल मात्र 56 में से 17 व्यक्तियों को ही भुगतान किया गया है। 17 व्यक्ति जिनको भुगतान किया गया है उसकी सत्यापन कापी रख दी गयी है जिसमें वहां के सरपंच, वहां के जे. ईएन., उन सबके दस्तखत हैं बी. एल. डब्ल्यू. के, कि वह काम वहां पर कम्पलीट हुआ है। फिर भी यदि आप कह रहे हैं कि काम कम्पलीट नहीं हुआ है, तो आप मुझे सूचना कर दें। मैं दुबारा जांच करवा लूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, मौके पर किसी प्रकार का निर्माण ही नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय किरोड़ी लाल जी, आप जो कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट है वह आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आप मुझे राइटिंग में लिखकर दे दें, मैं दुबारा जांच करवा लूंगा। उसके खिलाफ कार्यवाही कर लूंगा। आप जो कह रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच का तरीका यही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के नाम और गांव अलग-अलग थे, जो वहां के रहने वाले थे, उनके नाम से स्वीकृतियां जारी हुई हैं। 56 व्यक्तियों में से 17 आदमियों का तो भौतिक सत्यापन हो गया परन्तु महज सवाल यह है कि जिनकी स्वीकृति जारी हुई है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ?

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रश्न अलग है। 17 व्यक्तियों को निर्माण के लिए धनराशि दी है। 17 में से जो भी आप नाम गिना रहे थे, वे 17 वहां के रहने वाले नहीं हैं। आप कह रहे थे कि 56 में से ही हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 17 में से जो 6 नाम मैंने गिनाये हैं, वे ग्राम पंचायत के रहने वाले नहीं हैं, कहीं और जगह के हैं।

श्री अध्यक्ष : 17 में से?

डा. किरोड़ी लाल : हां। भौतिक सत्यापन में यह आया है कि वहां निर्माण कर लिये गये हैं। जबकि वहां के रहने वाले नहीं हैं और उनको भुगतान कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो स्वीकृति निकली, जब स्वयं अधिकारियों ने स्वीकृति निकाली वह स्वीकृति कल जारी हुई है। उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : 17 का सत्यापन हो चुका है वह सदन की मेज पर रख दिया है। इन्होंने सत्यापन कर लिया है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 17 में से 6 आदमी ऐसे हैं जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं।, अता-पता नहीं है, उनको भुगतान कर दिया गया है। निर्माण भी नहीं हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि आपने सत्यापन कराया, वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, उनका प्रश्न व खड़ा रेलेवेन्ट है। उनका जवाब आ जाए, तब आप पूरक प्रश्न पूछ लेना।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि वहां की पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक उन सबमें, वह लिस्ट, पिछली सरकार ने मार्गदर्शिका दी है उस मार्गदर्शिका के आधार पर प्रोविजनल लिस्ट वहां लगायी गयी, आपत्तियां मांगी गयीं। आपत्तियां मांगने के बाद सूची फाइनल हुई। यदि किसी स्टेज पर वहां के सरपंच साहब, प्रधान साहब, सांसद और एम. एल. ए. किसी ने इस चीज को पाइन्ट आउट किया हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और आप अभी पाइन्ट आउट कर रहे हैं, तो मैं अभी भी तैयार हूं इस बात को करने के लिए, कि आप जो बात कह रहे हैं, आप लिखकर दे दें मैं जांच करवा दूंगा। नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें लिखकर देने की कौनसी बात है?....(व्यवधान) मैं नाम बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्न लगाने की जरूरत ही नहीं है, लिखकर दे देंगे तो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य राठौड़ साहब मंत्री रहे हैं। यह मैंने नहीं बनायी है। आपकी जानकारी के लिए वहां के सांसद बी. जे. पी. के थे, वहां के प्रधान बी. जे. पी. के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...और किसने बनायी है? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं कह रहा हूं रिपोर्ट गलत है तो जांच करवा लूंगा। इससे

(श्री सी. पी. जोशी)

बड़ी और क्या बात कर सकते हैं? आपका प्रधान ही गलत बात कर रहा है आपका सांसद गलत बात कर रहा है, तो मुझे इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसीफिक प्रश्न पूछ रहा हूं। (व्यवधान) एक मंत्री शोर मचा रहे हैं। इसमें 6 नाम मैंने ऐसे गिनाये हैं जो उस ग्राम पंचायत, उस कॉलोनी के रहने वाले नहीं हैं। पता नहीं कहां के हैं। उनको, भौतिक सत्यापन में शौचालय निर्माण बता दिया गया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : यह कहां तक सही है, ये जांच करवा देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : हम जांच के लिए ही कह रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं जांच करवा रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं इस बात की भी जांच करवा लूंगा कि आपकी पार्टी का प्रधान और आपकी पार्टी के सांसद को यह जानकारी नहीं है। ग्राम सभा में जो प्रोविजनल लिस्ट बनी हुई है उसमें सही आदमी की जांच हुई कि नहीं हुई? उस पर आप कमेन्ट्स कर रहे हैं। मैं इसकी जांच करवा लूंगा, इसमें क्या तकलीफ है?

डा. किरोड़ी लाल : हां, आप जांच करवा लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सांसद को जानकारी है कि किस ग्राम सभा में किन लोगों का चयन हो। ऐसा सम्भव नहीं है। सांसद के क्षेत्र में दस हजार से ज्यादा गांव हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपके प्रधान को भी नहीं है तो फिर आप काहे को कर रहे हैं? पंचायत समिति के प्रधान को ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :....(व्यवधान) यह ज़रूरी नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो स्वीकृतियां जारी हुईं, उनके खिलाफ आप जांच करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? (व्यवधान) एक ही पाइन्टेड सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय सदस्य, जांच तो करने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। व्यवधान नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 56 व्यक्तियों का चयन किया गया है, उन 56 व्यक्तियों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में ग्राम सभा में लिया गया है। मैं नहीं मानता कि उस ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। मैं मानता हूं कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जो प्रोविजनल लिस्ट लगायी गयी थी, उसमें यदि नाम गलत थे तो आब्जेक्शन था कि उनको अब छूट थी, उस पर जांच हुई। ए. डी. एम. ने जांच करने के बाद प्रोविजनल लिस्ट को एप्रूव किया है। आप फिर भी कह रहे हैं कि इसमें गलत है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है?

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा एक सवाल यह है, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि आप मुझे लिखकर दे दें तब जांच करूंगा। हाउस में अगर कोई बात आती है....

श्री अध्यक्ष : श्री महेश जोशी। प्रश्न ही समाप्त हो गया। श्री महेश जोशी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दो जांच होंगी। एक जांच तो यह होगी कि जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के आधार पर चयन होता है....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : XXX

श्री अध्यक्ष : अप्रासंगिक है। इट इज इर्रिलेवेन्ट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री महेश जोशी। प्रश्न संख्या-25

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जगमाल सिंह यादव।

कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित रिक्त पद

26. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 1/95 में कुल कितने पद किस-किस श्रेणी के विज्ञापित किये गये थे?

(2) उक्त विज्ञापन के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने-कितने एवं कौन-कौनसे पद आरक्षित किये गये थे? क्या उक्त विज्ञापन में पदों का विवरण है? यदि नहीं, तो क्यों? विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) विज्ञापन संख्या 1/95 द्वारा अलग-अलग संकाय के डीन एवं निदेशक (डायरेक्टर) के पद विज्ञापित किये गये थे। विज्ञापन की प्रति एनेक्जर-I संलगन है।

(2) उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत की दर से विद्यमान रोस्टर प्रणाली के अनुसार था।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री का जवाब बड़ी सफाई से आया है। पहला मेरा प्रश्न है, (व्यवधान) इसीलिए मैं चाहता था कि कृषि मंत्री हरियाणा के मंत्री रहे हैं, अनुभव है। वह उलझ लेंगे मेरे से।

श्री हरिसिंह (महुआ) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपके बायें हाथ पर बैठे मंत्री साफ सुथरे हैं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दाईं तरफ देखता ही नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है.... (व्यवधान)...नहीं यहां तो हम अलवर का ही चौधरी मानते हैं इनको, भरतपुर का नहीं।

आपने जो बताया, क्या विज्ञापन संख्या 1/95 में जो रिक्तियां आपने निकाली थीं, आपने जवाब दिया है, क्या उनका चयन कर लिया गया है? यदि नहीं तो विज्ञापन संख्या 2/95 जो जारी हुआ प्रोफेसरों के पद के लिए, 324 पदों के लिए, क्या यह सही है कि यह खुद चयनित नहीं हुए, वैकल्पिक व्यवस्था, टेम्प्रेरी व्यवस्था के तहत यह काम कर रहे हैं और इन्होंने 324 प्रोफेसरों की नियुक्ति दे दी? जब इनका चयन नहीं हुआ है तो कुलपति के अधीन अन्डर प्रेशर क्या इन्होंने सही काम किया होगा?

दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आपकी सरकार के सर्क्यूलर जारी हुए जिसमें यह साफ-साफ कहा, आपने इसमें मुझे जवाब दे दिया कि 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 21 प्रतिशत का हमने विज्ञापन में खोल दिया था। मंत्री महोदय मैं आपके सर्क्यूलर को ही पढ़कर बता रहा हूं कि रिजर्वेशन की जो पोस्ट होती है, वह समस्त विज्ञप्ति में काडर की पोस्ट होती है कि किन काडर के लिए किन-किन व्यक्तियों का चयन किया जाना है। और उसमें कितना-कितना प्रत्येक पद में, प्रत्येक विज्ञप्ति में आपको यह लिखाना पड़ता है कि डायरेक्टर के लिए इतना रिजर्वेशन होगा, डीन के लिए इतना रिजर्वेशन होगा। आपने एकजाई कर दिया। मैं आपका ध्यान सर्क्यूलर नम्बर एफ.15 (24) डी. ओ. पी./ए/II/75 की तरफ आकर्षित कर रहा हूं, जिसमें आपने पैरा नम्बर चार का 'सी', देखिये इस सर्क्यूलर में, बाकायदा यह कहा गया है कि अगर कोई पोस्ट निकलती है तो उन पोस्टों की इकजाई आप रिजर्वेशन के लिए घोषणा विज्ञापन में नहीं निकालेंगे। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग विज्ञापन में आपको निकालना पड़ेगा कि डायरेक्टर की जो वैकेन्सी निकली है इसके लिए इतने पद आरक्षित होंगे। ओ. बी. सी. के लिए, एस. सी. के लिए, एस. टी. के लिए, और डीन की जो वैकेन्सी उन्होंने निकाली, उसके लिए अलग से आपको बताना होगा कि डीन पद के लिए इतना ओ. बी. सी. का चयन होगा, इतना एस. सी. का होगा, इतना प्रतिशत चयन एस. टी. का होगा।

यही नहीं है कृषि मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पालना में आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने एक सर्क्यूलर जारी किया इसको भी मुलाहिजा फरमा लें आप। नम्बर एफ. 15 (24) डी. ओ. पी./ए/II/75 उसका पैरा सुप्रीम कोर्ट की जो आब्जर्वेशन डी. ओ. पी. विभाग ने जो सर्क्यूलर जारी किये हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स को या चयनकर्ता आथोरिटीज को, उसमें पैरा नम्बर तीन का मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें यह साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था, वह कोट किया है। इसमें यह साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वेकेन्सीज डीन की निकाली, जैसे एग्जाम्पल के बतौर आपने डीन की निकाली और डायरेक्टर की निकाली, तो उसमें इकजाई आप 16, 12

(श्री जगमाल सिंह यादव)

और 21 का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जितने डीन के पदो की रिक्तियां हुई थी, खाली स्थान थे, उसमें डीन को आपको बताना चाहिए था कि इतने डीन होंगे। इतना रिजर्वेशन डीन के कोटे में एस. सी, एस. टी. का और ओ. बी. सी. का होगा। मेरे कहने का मतलब है कि हर पद के लिए होना चाहिए था। आपने गोल-माल जवाब दे दिया कि हमने तो विज्ञापन में निकाला था।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी कृषि मन्त्री जी, जो आदमी चयन नहीं हुआ, जो आदमी दिहाड़ी पर काम कर रहा था कृषि विश्वविद्यालय में, उसने 324 प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी। और क्या उससे कुलपति के अन्डर प्रेशर काम नहीं हुआ, क्यों कि उनकी नियुक्तियां बकाया पड़ी थी। आश्चर्य तो यह है कि 15 साल से कृषि विश्वविद्यालय में ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के लोगों को उपेक्षा करने के लिहाज से 15 साल से इन पदों पर आज तक भी नियुक्ति नहीं हुई है। जो 1/95 विज्ञापन निकाला इन पर आज तक कोई चयन नहीं हुआ है तो यह व्यवस्था क्या है? ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. को अपर क्लास के जितने अधिकारी हैं, किसी न किसी रूप में मारना चाहते हैं। आपसे कम से कम उम्मीद करूंगा कि इस पर साफ साफ सदन को अवगत कराएं।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : ओनरेबल स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि जो वेकेन्सी निकली थी, उसके तहत चुनाव और जो सलैक्शन्स है, वह नहीं हुए। मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, उसमें महामहिम चांसलर साहब ही उस काम को देखते हैं और अगर वह चाहें तो मैं एक्ट पढ़ दूं जिसमें लिखा हुआ है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक्ट तो मैं पढ़ लूंगा। मैंने तो जो प्रश्न पूछा है उनका ही आप कर दें।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं जवाब दे रहा हूं, और स्पीकर साहब की मार्फत आपको दे रहा हूं The Chancellor may give any direction, take any action and do anything where may be necessary under the provision of this Act and the Statute. तो यह महामहिम के तहत जो उन्होंने वक्तन-फ-वक्तन, टाइम टू टाइम इन्स्ट्रक्शन जारी किये उसके तहत यूनिवर्सिटी चल रही है। यह मेरा अर्ज करना है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : प्रोफेसरों को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, वाइस चांसलर ही सब कुछ हो जायेंगे तो फिर सरकार काहे के लिए है...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अभी तो अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया कैटेगरी रिवाइज हुई क्या? मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं है और आपकी नोलेज के लिए कृषि मंत्री जी, एक और बात अर्ज

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर देता हूं आपको, यह मैं टेबल कर रहा हूं गवर्नर का लैटर और गवर्नर का लैटर आप कहते हो कि गवर्नर कुलपति.... (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : माननीय कृषि मंत्री जी, गवर्नर के लैटर्स की कृषि विद्यालय में...

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैं टेबल कर रहा हूं गवर्नर का लैटर।

डा. करण सिंह यादव : गवर्नर के लैटर की कृषि विद्यालय में अवहेलना हुई है और यह जगमाल सिंह जी साहब ने गवर्नर का लैटर जो टेबल किया यह बिलकुल सही बात है। जो शख्स खुद सलेक्ट नहीं हुआ है. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैं टेबल कर रहा हूं जो सरकार को, कृषि विश्वविद्यालय को लिखा। इस लैटर के मामले में क्या हुआ ? जब गवर्नर ही इन्चार्ज है और गवर्नर के इन्स्ट्रक्शन से कृषि विश्वविद्यालय चलती है, तो यह मैं टेबल कर रहा हूं। इस लैटर का आप मुआयना करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी टेबल पर नहीं, टेबल पर नहीं।

डा. करण सिंह यादव : मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज टेक ओवर सीट।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब आज तक तो आप उठाते रहे हैं इस मामले में, और हां पक्ष में जाते ही आपको क्या हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : जिस दस्तावेज का उल्लेख कर दें ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप बताइये इस मामले में ...(व्यवधान) आसन पैरों पर है, सिर माथे पर। इसमें कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिस दस्तावेज का उल्लेख करते हैं और सदन की मेज पर रखना चाहते हैं तो पहले आपको आसन से अनुमति लेनी चाहिए। बिना आसन से अनुमति के कोई भी माननीय सदस्य किसी भी....

श्री जगमाल सिंह यादव : सॉरी, मैं एक्सक्यूज करता हूं। मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं वापस नहीं, मुझे दे दीजिये। मैं उनको दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक्सक्यूज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं अब तो आपने रख दिया है। अब हम भिजवा देंगे। लेकिन भविष्य में मेरे से अनुमति ले लीजिए और अगर मैं अनुमति देता हूं तो आप सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं इसके लिए क्षमायाचना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने आज रख दिया है तो कोई बात नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, फिर इधर से कोई सवाल उठेगा, फिर मुझ से कहा जाएगा कि सदन का कीमती वक्त बेकार हो रहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर में मेरा जवाब आ गया है? मुझे सन्तुष्ट कर दिया है क्या, जवाब दे दिया है क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : यह मामला हर विधानसभा में उठाया जाता है और उसके बावजूद भी कुछ भी रिजल्ट हमें यहां पर मिलता नहीं। यहां फिर हम निवेदन करते हैं। यह हमारे हक और हकूक का सवाल है। इसको आप बिलकुल लाइट नहीं लें इस तरीके से। इसलिए इसका हमें सैटिस्फैक्टरी जवाब दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो मंत्री जी ने जवाब दिया, अध्यक्ष महोदय, आप से व्यवस्था चाहूंगा आप सन्तुष्ट हैं क्या मेरे प्रश्नों के जवाब से?

डॉ. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इनको इस मामले में यह जो सारी कार्यवाही हुई थी वह जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई थी....(व्यवधान)...आज की तारीख में तो कहें कि आगे के विज्ञापनों में बराबर जारी किया जाएगा एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन।

डॉ. किरोड़ी लाल : पहले मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का तो जवाब आने दो।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने परमिट कर दिया है क्या डाक्टर साहब को बोलने के लिए। पहले डाक्टर साहब, मेरा जवाब तो आ जाय। फिर सप्लीमेंट्री पूछ लेना आप। जो बात आप कहना चाह रहे हो, मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं। कम से कम मैंने जो सप्लीमेंट्री पूछी, उसका जवाब तो मंत्री जी दे दें। आपने नया पक्ष जोड़ दिया कि गवर्नर के अधीन ही कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय है। मैंने गवर्नर का वह पत्र आपको दे दिया जिसमें गवर्नर ने इस पर एतराज किया, और वही गवर्नर का लैटर मैंने आपको दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़ा मौलिक सवाल खड़ा किया है। यूनिवर्सिटीज के अन्दर चांसलर को सब पावर दी हुई है। उन्होंने बेसिक प्रश्न खड़ा किया है अध्यक्ष महोदय, अकाउण्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है। उन्होंने आज बड़े सपाट तरीके से कह दिया कि साहब, चांसलर महोदय करते हैं। यह सदन इस पर विचार करे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। यूनिवर्सिटी को फोर्स कर सकती है, सिंडीकेट को फोर्स कर सकती है, सिनेट को फोर्स कर सकती है, वाइस चांसलर को फोर्स कर सकती है। इन सब बातों को आप समझिये मैं तो समझता हूं कि मिनिस्टर का जवाब बिल्कुल सही है। इस सदन में फिर विचार करना चाहिये कि अगर आपको वाकई में कोई अकाण्टेबिलिटी लानी है यूनिवर्सिटी में, यह तो सर्वोपरि है। विधान सभा सक्षम है। बाकी मै यह समझता हूं माननीय मंत्रीजी का जवाव बिल्कुल ठीक है.....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि गवर्नर का टोटल प्रभुत्व रहता है। गवर्नर के लिखने के बाद भी कुछ नहीं किया तो यह तो आपने अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया कि केटेगिरी वाइज, पोस्ट वाइज रिजर्वेशन का हमने विज्ञापन नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? जिस अधिकारी ने नहीं निकाला, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से विज्ञापन निकाला, और गलत तरीके से चयन प्रक्रिया अपनाई, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी, यह बता दें आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास :....(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि चान्सलर गवर्नमेंट की एडवाइज से बाउण्ड नहीं है। गवर्नर तो है, लेकिन चान्सलर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, 36 तो प्रोफेसर्स ले लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसलिए परमिट कर रहे हैं साहब इन्होंने सप्लीमैंट्री पूछ लिया प्रश्न इनका नहीं है। इनका स्वरूप जो अन्तिम शब्द है इनके नाम के आगे व्यास, वह इनके सामने आ रहा है। इनका क्वश्चन नहीं है। ओ. बी. सी., एस. सी., एस. टी. के लोगों का जो हक मारा गया, उसको मारने के लिए फिर कौन है। गवर्नर के लैटर की उपेक्षा करते हैं वाइस चान्सलर। कृषि मंत्री के आदेश नहीं चलते। मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार के आदेश नहीं चलते। तो फिर हमको बता दीजिए कि वाइस चान्सलर पर कन्ट्रोलिंग आथोरिटी कौन है। गवर्नर नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है, फिर चान्सलर के ऊपर आथोरिटी कौन है जो कन्ट्रोल करता है।

श्री जगत सिंह दायमा : 36 तो प्रोफेसर्स का सलैक्शन हो चुका है। 50 ऐसोसियेट प्रोफेसर्स चयनित हो गये। अब 223 में से 3 आरक्षित श्रेणी में से कुछ भी हमारे लिये नहीं गये और बार बार यह उठता है फिर उधर से माननीय ममताजी कहेंगी..... (व्यवधान)...माननीय शान्ति पहाड़ियाजी कहेंगी कि वक्त बरबाद हो रहा है।.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई। आप परमिट करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रख दूं। राजस्थान में जो सर्कुलर निकले हैं वह टेबल पर रख दूं। आपकी परमिशन हो तो मैं रख देता हूं। टेबल कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना जो आदमी करे इसका मतलब यह नहीं कि चान्सलर आपका खुदा हो गया।.....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आखिर हम अपने हक हकूक की बात नहीं करें।

डॉ. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गारन्टी क्या है कि आगे तो विज्ञापन ठीक निकलेंगे। जो पीछे हुआ उनको तो सजा दी जाये, लेकिन आज अगर विज्ञापन इसी तरह से निकलते रहेंगे तो...(व्यवधान).....ओ. बी. सी. का हक मारा जायेगा। तो यह सरकार जो ओ.बी.सी. के द्वारा लीड की हुई सरकार है, उसका क्या होगा.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो हमारे आरक्षित पद है, वह तो दिये जायें माननीय अध्यक्ष महोदय। हम हम की बात कर रहे हैं। वह हक तो हमारे मिलने चाहिए अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी का जवाब तो सुनिये आप....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जो रिलेवेंट है. ...(व्यवधान) इस प्रकार बार बार अवाइड किया जाता है और कोई न कोई सहारा लिया जाता है। उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिये। आरक्षित वर्ग को क्या मिलेगा, वह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, आज मिलनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग है एस. सी., एस. टी. और ओबीसी। करणीसिंहजी ने कहा.(व्यवधान) दो-दो पोस्ट निकाल देते हैं, 6 पोस्टें निकालते नहीं हैं। यह क्या घोटाला कर देते हैं, और किसी में क्या घोटाला कर देते हैं....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इस प्रश्न से सम्बन्धित एक सूचना और आपको दे रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलवार : इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उनका जो पद बनता है उनको देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : चान्सलर की ताकत इतनी है, काबिना मंत्री बी. डी. कल्ला साहब चापलूसी करने, जबकि मंत्री आज तक यूनिवर्सिटी की किसी कमेटी का मेम्बर नहीं रहा। पिछले दिनों बी. डी. कल्ला साहब जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की कमेटी में एज ए मैम्बर जाकर बैठे। उनको प्रिजाइड किया चान्सलर ने। केबिनेट मिनिस्टर मैम्बर की हैसियत से कभी बैठा हो तो बता दीजिए। एम. एल. एज. को आप डैप्यूट करते हैं लेकिन इसलिए कि चान्सलर पर कोई नकेल नहीं है। मंत्रीजी राजस्थान विश्वविद्यालय की कमेटी में शामिल हुए और अपने लोगों को चयन कराने की सिफारिश की। यह हालत तो सरकार की बनती जा रही है। मैं माननीय अशोक जी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज आपने मंत्रियों पर छोड़ी है, उनको खुली छूट तो दीजिए लेकिन नकेल, जैसे आपने सारे विभाग छोड़ दिये, नकेल जरूर अपने पास रखो। वरना आपको पता ही नहीं लगे कि होता क्या है।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा चयन होना चाहिए, 115 का, और हमारा चयन हो नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। जो प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी ने उत्तर यह दिया है not as a Governor but as a Chancellor है। आपके कहने का अभिप्राय यह है कि चूंकि यह युनिवर्सिटी का मैटर है, और चान्सलर के वक्त में यह विज्ञप्ति निकली थी। कितने लोगों की निकली, कितने लोगों की नहीं निकली, वह विज्ञप्ति मेरे पास में नहीं है। चूंकि युनिवर्सिटी आटोनोमस बाडी है और सीधा स्टेट गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं कर सकती। प्रश्न यह है। (व्यवधान) इसलिए गवर्नर साहब का....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मनमानी करते रहेंगे अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय फिर यह किस सूची में आता है। हमें यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : महामहिम गवर्नर साहब के बारे में....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कौनसी सूची में आता है यह बता दीजिए....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपके द्वारा यह तय कर दिया गया कि सदन के और गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : फिर तो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य परिवहन मण्डल और आपके ब्रिज कन्स्ट्रक्शन....(व्यवधान) रीको, आर. एफ. सी. किसी के अन्दर....(व्यवधान) सारे ही आटोनोमस बाडी हैं। फिर तो उन पर सरकार का नियन्त्रण ही नहीं है। विधान सभा में....(व्यवधान) कवश्चन और कुछ भी नहीं उठा सकते। नियन्त्रण, बाडी तो ये ही हैं, और हम विधान सभा में भी सवाल नहीं उठा सकते....(व्यवधान) किस सूची के तहत आता है यह सवाल।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। वह अलग है।

डा. किरोड़ी लाल : युनिवर्सिटी हो चाहे कारपोरेशन हो, इसका मतलब यह रिजर्वेशन का हनन करते रहेंगे। आरक्षित वर्ग को कोई फायदा नहीं देंगे। इनकी मनमानी चलती रहेगी तो फिर उनको कन्ट्रोल कौन करेगा?....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : चेयरमैन गवर्नर है, इसका जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में हम यह मानें कि सदन के दो सौ सदस्य ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के हकों की रखवाली या सुरक्षा नहीं कर सकते। अभी इसकी बात छोड़िये, डॉक्टर साहब बैठे हैं। आपका कहा आपके आगे आ रहा है। 108 वैकेन्सीज निकाल दी कनिष्ठ लेखाकार की, और मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी कॉमर्स, फर्स्ट क्लास। ऐसा आई. ए. एस. में भी नहीं होता है। कॉमर्स, बी. ए. रख दें हर जगह रख रहे हैं....(व्यवधान) रिजर्वेशन भी कर दिया उसका।

डॉ. करण सिंह यादव : अध्यक्षजी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। युनिवर्सिटीज के प्रश्न को हम इस तरह कह कर इसलिए छोड़ देंगे कि चूंकि वह गवर्नर का डायरेक्टिव है, चान्सलर का डायरेक्टिव है....(व्यवधान). ...यह मुद्दा नहीं चल सकता। इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को कहना होगा कि हम ओ. बी. सी. के हकों की रक्षा करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा विधान सभा में आने का और नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इस मुद्दे पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पिछड़े वर्ग से हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई न कोई व्यवस्था या आश्वासन देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : जिस प्रकार के अत्याचार....(व्यवधान) यहां चर्चा नहीं की जा सकती....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गवर्नमेंट को कोई न कोई आश्वासन देना चाहिए इसके सम्बन्ध में कि भविष्य में ऐसा करेंगे।.... (व्यवधान) इर्रेगुलरिटी हुई तो पुनः जांच करेंगे। इसको बिल्कुल नहीं टालना चाहिए।

श्री मदन दिलावर :....(व्यवधान) यहां चर्चा नहीं की जा सकती तो....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पिछड़े वर्ग में आना चाहते हैं, और पिछड़े वर्ग को इसमें नहीं मिला रहे। इसका उपाय क्या है?

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को, जो ओ. बी. सी. के लोगों का हक कहते हैं उसके अनुसार नई भर्तियां केवल ओ. बी. सी. के लोगों की की जानी चाहिए....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अगर यह नहीं दी जा सकती तो फिर आपने किस हैसियत से जवाब दिया....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप निर्देशित करें तो मैं बैठ जाऊं। इस क्वश्चन की इतिश्री समझ ली जाये।

श्री जसवंत सिंह : आप बैठ जायेंगे तो कौन ओ. बी. सी. की बात कहता रहेगा कि बैठ जायें साहब, यह क्या मतलब हुआ.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप बैठ जायेंगे तो हम नहीं बैठेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : जगमाल सिंहजी आप बैठ जायेंगे तो हम नहीं बैठने वाले हैं इस मसले पर। ऐसे तो ओ. बी. सी. के लोगों का गला कटता रहेगा। कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। यह कत्ल कब तक होते रहेंगे। इससे बड़ा क्या अत्याचार होगा। हजारों ओ. बी. सी. के लोगों का भविष्य खतम हो गया।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे पास इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह बात कह करके सदन के अन्दर चुप कर दिया जाये बस...

श्री जगत सिंह दायमा : राज्यपाल महोदय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं आप....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चान्सलर के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती, अगर चान्सलर ने कोई अवैधानिक कार्य किया है, तो उसके खिलाफ कौन कार्यवाही कर सकता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 118 पढ़ना चाहता हूं। रूल 118 ए पढ़ना चाहता हूं कि कोई भी रिजोल्यूशन हम मूव करके गवर्नर साहब के पास भेज सकते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : या फिर कांग्रेस यह कहे कि संविधान में संशोधन हम भी कर रहे हैं जैसे बी. जे. पी. कर रही थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रूल मैं पढ़ कर सुना देता हूं। A Minister may with the previous permission of the Speaker....

श्री अध्यक्ष : किसी भी पाइन्ट ऑफ आर्डर को....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है साहब मैं तो खाली इस क्वश्चन के बारे में ही बात कर रहा हूं.... (व्यवधान) I am not raising any point of order.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. I rule out.

डा. किरोड़ी लाल : यह क्या बात कर रहे हो...(व्यवधान) अधिकारों की बात रख रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात के लिये ....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और किस बात पर होगा। फिर आप इस तरह की बात कर रहे हो....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता में बैठे हो आप यह प्रस्ताव पारित कर दो कि रिजर्वेशन खतम किया जा रहा है। आप रिजर्वेशन खतम करने का एक प्रस्ताव ले आइये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई सरकार इस बारे में कैसे जवाब नहीं देगी....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप इस तरह की बात क्या कर दी....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ओ. बी. सी. के हितों की बात हो रही है। भावनाओं से आप उठना चाहते हैं तो यह कह करके आप चुप रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सरकार को आश्वासन देना चाहिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई अपने हितों की बात कहना चाहते हैं तो यह कह कर क्यों चुप करने की कोशिश की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मणसिंह जी.... (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आश्वासन नहीं देना चाहिये हमें हमारा हक मिलना चाहिये। आश्वासन क्या होता है..(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले मैंने उनको इशारा कर दिया था भीम से आने वाले माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंहजी को।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। अभी

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कई वर्षों से अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इनके हकों की अवहेलना की जाती रही है। मैं तो इस वक्त सरकार से दो टूक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच और आठ वर्षों में जो अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अवहेलना हुई है, उनके हक नहीं दिये गये हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, उसके ऊपर क्या वह जांच करवा करके एक श्वेत पत्र जारी करने का विचार रखते हैं?

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा मूल प्रश्न तो गायब ही हो गया....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : कुछ कार्यवाही नहीं करेंगे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे कामों पर श्वेत पत्र जारी कर दो। इनको कह दो सरकार के बस की बात नहीं है तो सारे जितने भी पिछले आठ सालों के काम हैं सब पर श्वेत पत्र जारी कर दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जवाब सुन लो. ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : श्वेत पत्र की लत लग गयी कांग्रेस को तो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को श्वेत पत्र की बीमारी लग गयी है। सफेद लट लग गयी, सफेद लट।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस श्वेत पत्र से आपको क्यों डर लग रहा है। देखो अब आ रहा है श्वेत पत्र....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कल भी आपको लताड़ लगी है।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अत्याचार किये हैं। कम से कम आप तो अत्याचार मत करो। आप यह अत्याचार करने की बात क्यों कर रहे हो। क्यों नहीं विज्ञप्ति निकालते।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो इस तरह के सर्कूलर जारी हुए, शायद उन्हें उसके बाद का जो सरकूलर है वह 8 जुलाई, 1998 का है, उसे भी पढ़ लें जो चान्सलर महोदय ने जारी किया है। महामहिम चांसलर महोदय ने जो पहले जारी किये थे उसके बाद 8 जुलाई, 1998 को दूसरा सरकूलर जारी हो चुका है। उसे भी जरा पढ़ने की कृपा करें। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी हमारे माननीय सदस्यों ने यहां जज्बात जाहिर किये हैं, इनको बिलकुल हूबहू इसी शक्ल में महामहिम चांसलर महोदय को पहुंचा दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप..

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, आप भी इसी वर्ग से हैं तो आप अपना मौन व्रत खोलिये और इसके बारे में....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी सरकार को चलाने का काम....(व्यवधान) ओ बी. सी., एस. सी., दलित वर्ग ने.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, जब आप पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्य मंत्री बना तो हम बहुत खुश हुए थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछड़े वर्ग से हैं, अब हमारे हक हकूक नहीं कटेंगे और आप बैठे-बैठे सुन रहे हैं, धन्य हैं मुख्य मंत्रीजी, फिर हम किससे कहें, किससे बात करें? आप अपना मौन व्रत खोलिये....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : केवल कुर्सी बची रहनी चाहिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये आप।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा चांसलर....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बात को पिछली सरकार का कह करके न टालें। हर बात को, हर सवाल का जवाब....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, मैं आग्रह कर रहा हूं एक बार आप तमाम पोलिटिक्स पार्टीज की एक बैठक करके, मेरा निवेदन रहेगा कि क्वश्चन आवर के अन्दर अगर हम लोग वन बाई वन क्वश्चन आन्सर कराते रहे, तो उससे सदन का समय भी बचेगा, अधिक से अधिक क्वश्चन्स के आन्सर्स प्राप्त हो सकेंगे। अन्यथा तो यह सरकारी बैंच पर सूट करेगा। जिस प्रकार का माहौल सदन में बनेगा, हम एक क्वेश्चन को लेकर आन्सर आने की स्थिति ही नहीं लाने दें मंत्री को, और अगर हम इसी क्वेश्चन को बार-बार पूछते रहेंगे सप्लीमेंटरी के रूप में, एक साथ तीन, चार माननीय सदस्य, मैं खाली इसी प्रश्न के लिये नहीं कह रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया है, मेरा यह निवेदन रहेगा कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि पार्लियामेंट की तरह....(व्यवधान) जवाब नहीं आएंगे तो अध्यक्षजी पाबन्द करेंगे मंत्री को। अध्यक्षजी को जो आपने बैठाया है, तो अध्यक्ष के पास सब पावर हैं। वह चाहेंगे मंत्री को पाबन्द करेंगे। सरकार को पाबन्द करेंगे कि आपके सवाल का आन्सर आना ही चाहिये। यह काम अध्यक्ष महोदय का रहेगा। मेरा आग्रह है कि यह हमें, सरकारी बैंचेज को सूट करेगा, पर आपके कवश्चन पूरे होंगे नहीं, इम्पोर्टेंट क्वश्चन आप लोग पूछते रहेंगे.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो जवाब दे दो, साहब।

श्री मदन दिलावर : इस समय इससे बड़ा सवाल हमारे पास नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : इससे बड़ा सवाल हमारा कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : फिर वही बात रही तो यह आप सवाल का जवाब सुनने के लिये तैयार नहीं हैं....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप सही कह रहे हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं।

श्री अशोक गहलोत : मैं बात पूरी कर दूं। मेरा निवेदन था वह मैंने अध्यक्षजी को कह दिया। इस सवाल के सम्बन्ध में जो आपने भावना प्रकट की है, मैं आपको इतना निवेदन कर दूं कि कृषि मंत्रीजी ने जो जवाब दिये, वह ऐक्चुअल पोजीशन के आधार पर दिये। और गवर्नर साहब ने एक सरकूलर निकाला। उसके बाद नये गवर्नर साहब आए, उन्होंने दूसरा सरकूलर निकाला। इसलिये यह पोजीशन बनी। और यह इस सरकार के वक्त की बात नहीं है, पिछली सरकार के वक्त की बात है। जहां तक सवाल है कि भविष्य में क्या होना चाहिये, डा. करण सिंहजी ने जो बात कही, मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि जो सदन की भावना है, उससे नये गवर्नर साहब को भी अवगत कराया जाएगा और सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे काम हो वह गवर्नर साहब से निवेदन किया जाएगा। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जिसके इन्टरप्रिटेशन की बात है। पिछले वाले गवर्नर साहब ने अपने हिसाब से इन्टरप्रिटेशन किया है। नये वाले गवर्नर साहब ने अपने हिसाब से इन्टरप्रिटेशन किया था। तो इन्टरप्रिटेशन की बात है वह भी उनके सामने रखी जाएगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा तब मैं आपको, सदन को अवगत कराऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गवर्नर साहब ने जो सरकूलर जारी किया वह गलत किया। आपने महामहिम राज्यपाल की कार्य प्रणाली पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने सदन को यह बताया कि नये गवर्नर साहब ने गलत सरकूलर जारी करके ओ. बी. सी. के लोगों के हक को मारा है....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट हैं....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो हकीकत है वह बयान की है....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इन्टरप्रिटेशन, कब किया इन्टरप्रिटेशन....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्टरप्रिटेशन कहां है इसमें....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्रीजी, यह सारे के सारे काले कारनामे इनके थे, आप सुधार लोगे मैं आपको साधुवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने....(व्यवधान) आर्डर प्लीज। मुख्य मंत्रीजी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में यहां कोई आरोप नहीं लगाया है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : कोई आरोप नहीं लगाया. ...(व्यवधान) मैं खड़ा हूं....(व्यवधान) आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को ताड़ना दीजिये, इनको सामान्य ज्ञान ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है..... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी धमकी मार रहे हैं। आपके गृह मंत्रीजी धमकी मार रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको असत्य बोलने पर चेतावनी....(व्यवधान) आप असत्य बोल रहे हैं (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आसन पैरों पर है, गृह मंत्रीजी धमकी मार रहे हैं, सदन में धमकी मार रहे हैं, गृह मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी धमकी मत दीजिये....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यहां आपको धमकी ही मिलेगी....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल :....धौलपुरी धमकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के इन्टरप्रिटेशन के बारे में बात की, उस जजमेंट को लेकर। वह चांसलर हैं इसलिए कि वह राज्यपाल हैं। और महामहिम राज्यपाल के कंडक्ट को हम यहां सदन में डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि इन्टरप्रिटेशन हुआ है।

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि रिलेवेंट यूनिवर्सिटीज के विधेयक, उसके अन्तर्गत बने हुए नियम, आर्डिनेंशेज और स्टेट्यूट्स, कुछ स्टेट्यूट्स युनिवर्सिटीज में सिंडीकेट को लगाने का अधिकार है। कहीं गवर्नमेंट को भी उसमें अधिकार है। अगर उन विधेयकों के सम्बन्ध में कोई संशोधन लाने की आवश्यकता हो इस रिजर्वेशन के मामले को लेकर के, तो उसमें आपको भी लीगली एग्जामिन कर लेना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान।

राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन प्रकरण

27. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन होता है? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या उक्त बसों के संचालन के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं?

(2) क्या राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बस मालिकों को बसें चलाने के लिए अनुज्ञा-पत्र देने के कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बिना अनुज्ञा-पत्र के उक्त मार्गों पर बसें चल रही हैं? यदि हां, तो अवैध संचालन को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) राज्य सरकार ने ऐसे मार्गों पर निजी बसें चलाने के लिए कितने अनुज्ञा-पत्र जारी किये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि गत दिनों निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकतर बसें

(श्री हीरासिंह-चौहान)

बन्द हो गई थीं? यदि हां, तो क्यों और अब पुनः चालू होने के क्या कारण हैं?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जी हां। राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) व 88(9) के अन्तर्गत क्रमशः स्पेशल अस्थाई अनुज्ञा-पत्र एवं पर्यटक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। निजी बसों के संचालन के लिए सरकार द्वारा उक्तानुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत निजी वाहन स्वामियों को बस संचालन के लिए अनुज्ञा-पत्र देने का प्रावधान किया हुआ है। सम्बन्धित नियम परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) यह सही है कि चैकिंग के दौरान बिना अनुज्ञा-पत्र के एवं अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के उल्लंघन करते हुए उक्त मार्गों पर बसें संचालित पायी गयीं हैं। इस प्रकार के संचालन को रोकने के लिए समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान आयोजित किये जाते रहे हैं।

(4) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस संचालन के लिए जारी अनुज्ञा-पत्र का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) निरीक्षण अभियान के दौरान बिना परमिट अथवा परमिट की शर्तों के उल्लंघन करने वाली बसों के संचालन की संख्या में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के संचालन को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है।

(नियम की प्रति एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एक तो आपने जो सूची दी है, उसमें स्थायी और अस्थायी, दोनों प्रकार की निजी बसें शामिल हैं। जिससे यह मालूम नहीं पड़ता है कि किसको आपने टेम्परेरी लाइसेन्स दे रखा है और किसको परमानेन्ट लाइसेन्स दे रखा है।

दूसरा, आपने प्रश्न संख्या 4 में यह स्वीकार किया है कि बहुत सारी निजी बसें बिना अनुज्ञा-पत्र के चलती हैं। यह जो बिना अनुज्ञा-प्रत्र के बसें चल रही हैं, यह कितने समय से रोड पर चल रही हैं। इस प्रकार से बसें चलना, कोई न कोई मिलीभगत के बिना बसें नहीं चल सकती। इस प्रकार से बसें क्यों चलती हैं? तीसरा, यह जो निजी बसों को आप परमिट जारी करते हैं, क्या उनके रूट चार्ट, स्टोपेज, यहां से जो बसें चलती हैं हमने कई जगह देखा है कि जगह-जगह पर वह बिना स्टोपेज के चलती हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके राज में किया था।

श्री हीरासिंह चौहान :...ऐसा किया होगा। पहले वालों ने कुछ कर दिया। हम

(श्री हीरासिंह चौहान)

तो आपसे मांग कर रहे हैं। उस बात को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : पहले वालों ने तो खत्म कर दिया रोडवेज को,खा गये।

श्री जसवन्त सिंह यादव : मैं आपके माध्यम से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अगर कोई गलत किया तो क्या वह परिपाटी जारी रखी जायेगी? क्या इस परिपाटी को जारी रखना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकर की यही जवाबदेही होती है कि पिछली सरकार ने गलत कर दिया इसलिए हम भी गलती करते रहेंगे। इस गलती को क्या सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है या इसका भी कोई मापदण्ड है?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, क्या इन प्राइवेट बसों की जगह, जो भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं क्या उन पर रोडवेज की बसें संचालित करने के लिए सरकार सोच रही है, क्या विचार कर रही है और अन्त में मेरा आपसे सवाल है ब्यावर से भीलवाड़ा, रायपुर से जोधपुर, सोजत से बिलाड़ा इत्यादि यह जो मार्ग हैं क्या इनको भी सरकार राष्ट्रीयकृत घोषित करेगी?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सटीक जवाब है कि छाज तो बोलता है लेकिन छलनी कभी नहीं बोला करती है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से परिशिष्ट "ख" के ऊपर जो इन्फार्मेशन दी है उसे वह समझ नहीं पाये हैं। अस्थायी स्पेशल अनुज्ञा-पत्र 88(8) के अन्दर जो दिये गये हैं, उनमें केवल मात्र एक या दो दिन के लिए कुछ मैरिजेज के लिए, कुछ स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए आदि-आदि इस तरह से जो मांग करते हैं उनको टेम्परेरी अनुज्ञा-पत्र दिये जाते हैं। उनके नम्बर्स हैं। जो परमानेन्ट दे रखे हैं, वह ट्यूरिस्ट अनुज्ञा-पत्र 88(9) के अन्तर्गत दिये गये हैं। जिनकी संख्याएं दी जा चुकी हैं और टोटल 710 नम्बर हैं।

माननीय सदस्य ने जो अवैध वाहनों को रोकने के लिए जिक्र किया, जिस तरह की सारे माननीय सदस्यों की भावनाएं भी हैं। पूर्व सरकार के टाइम में कम्पोजिट चैकिंग दो बार की गयी। वह 15 तारीख से 30.4.98 तक उनमें उन्होंने शास्ति के रूप में 50.91 लाख का किया। दूसरा 25 से 31.5.98 तक जिसमें 20 लाख की शास्ति लगायी गयी है। टोटल भाजपा के राज में 70.92 लाख की शास्ति लगायी गयी है। हमने जब से सरकार संभाली है, इन तीन महीने में 17 से 26.12.98 को हमने स्पेशल चैकिंग की, जिसके माध्यम से 184.94 लाख तो पहले-पहले ही और दूसरे कम्पोजिट चैकिंग में जो 2 फरवरी से 12.2.99 तक की, जिसके अन्दर 169 लाख 20 हजार की हमने शास्ति लगायी। दोनों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 94 लाख 74 हजार की हमने शास्ति लगायी। इससे अपने आपमें लगता है कि चार गुना हमने जो शास्ति लगायी, जो कार्य किया है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान :....मेरा सवाल है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मंत्री जी का जो जवाब था कि हमने जो चैकिंग की, उसमें हमें आमदनी अधिक प्राप्त हुई। इसका मतलब दूसरा पक्ष यह बनता है कि इन दिनों में अवैध वाहनों के चालन में और ज्यादा गति बढ़ी है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? अगर चैकिंग करने में....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सारा डिपार्टमेंट तो खा गये, फिर आप ऐसी बात करते हो। इनको क्यों नहीं कहूं मैं इस बात के लिए, पहले बेइमानी थी पूरी की पूरी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने केवल थोड़े से समय में चैकिंग की और उसमें आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी हुई। यह फीगर इस बात को बता रहा है कि अवैध वाहनों का जो प्रचलन है वह बहुत बड़ी संख्या में है। यदि आप इसको नियमित रूप से चैक करेंगे तो ही इसका कोई न कोई हल निकलेगा। यह इस बात को इंगित कर रहा है कि अवैध वाहनों के चालन का जो क्रम है, वह बहुत अधिक है और हम और आप सब इस बारे में चिन्तित हैं कि हम इसको किस प्रकार से रोकें। या तो सरकार कोई कानून में तरमीम करे जिसके कारण से चलने वाली विडियो कोचों को उनसे विधिवत् रूप से टैक्स लेकर अलाऊ कर सकें या हमारा यह जो पकड़ने का....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : रबड़ी तो खा ली, सारी रबड़ी तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इससे यह बात इंगित हो रही है कि....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रबड़ी तो सारी जगमाल सिंह खा गये थे....(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिसका हम प्रयोग करें तो यह पाते हैं कि अवैध वाहनों की गति बढ़ी है....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जगमाल सिंह जब यातायात मंत्री था....(व्यवधान) 14 करोड़....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जगमाल सिंह यादव के समय में जितना भ्रष्टाचार था, दुनिया में आज तक नहीं बढ़ा....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जगमाल सिंह यादव प्रोफिट में छोड़कर के गया था।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने तो 14 करोड़ मुनाफे में छोड़ा था, जब छोड़कर के गया था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रोडवेज को खा गया, पूरी की पूरी (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय जगमाल सिंह जी के समय में....(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैंने जवाब दिया और आप समझ नहीं पाये हैं। माननीय

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब कटारिया साहब बिलकुल नहीं समझ पाये हैं। हमने जब से सरकार संभाली है, आपसे चार गुना पैसा शास्ति का वसूल करके अवैध वाहनों को रोका है जबकि आप भ्रष्टाचार करके उसको रोक नहीं पाये थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा सवाल यह है कि जो अवैध वाहन चल रहे हैं इनको परमानेंट रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह पकड़ा-धकड़ी तो टेम्परेरी है, कल और चल जाएंगे। यह कोई तरीका नहीं है। There must be a permanent solution. कोई न कोई तरीका होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल परमिट दिये जा रहे हैं और जो दिये गये हैं, उनका बहुत भयंकर दुरूपयोग हो रहा है। आज प्रश्न यह है कि जैसलमेर से लेकर अहमदाबाद का नेशनल परमिट दिया गया है और भी इस प्रकार के नेशनल परमिट दिये गये हैं, परन्तु वे उसका दुरूपयोग कर रहे हैं। वे बीच में जो भी सवारी आती है, उनको लेते हैं। वे ट्यूरिस्ट परपज के लिए करते हैं, लेकिन वह ट्यूरिस्ट परपज के लिए काम नहीं आता है। इस प्रकार बहुत सी गाड़ियां नेशनल ट्यूरिस्ट परमिट से चल रही है और उनका दुरूपयोग हो रहा है। गवर्नमेंट किस प्रकार उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भाणजी भाई।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो आप कह रहे थे बैकवर्ड को, शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। इनका प्रश्न है भाणजी भाई का। प्रश्न संख्या 28, भाणजी भाई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : महत्पवूर्ण प्रश्न है। मंत्रीजी सीधे अवैध संचालन को कैसे रोकेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-28

दानपुर विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण

28. श्री भाणजी भाई (दानपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कहां-कहां वृक्षारोपण हेतु खड्ढे खोदे गये और अभी कितने वृक्ष उन पर खड़े हैं? किस-किस ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण किया गया? पंचायतवार सूची मय खड्ढों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(श्री भाणजी भाई)

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग की भूमि पर माइन्स वालों के अवैध कब्जे हैं? क्या सरकार उक्त भूमि पर से अनाधिकृत कब्जे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वन विभाग द्वारा 1350 हैक्टेयर क्षेत्र में कुल 9.80 लाख खड्ढे खोदकर वृक्षारोपण किया गया। रोपित पौधों में से 9.21 लाख पौधे जीवित हैं। पौधारोपण का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) वन भूमि पर खान विभाग द्वारा जारी खनन लीज के अन्तर्गत खनन कार्य किया जा रहा था। उक्त खनन कार्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 12.12.96 की अनुपालना में बन्द कराया गया। 94 खनन पट्टों के अनारक्षण प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत तैयार किये जाकर केन्द्र सरकार को, वास्ते स्वीकृति अग्रेषित किये गये थे, जिनकी प्रथम स्तरीय स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो जाने के कारण इन खनन आवंटियों को खनन कार्य से रोका जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है और हटाया जाना भी नहीं हो रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री भाणजी भाई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वृक्षारोपण का सवाल है, जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मौके पर 100 खड्ढे बताओ वहां 25 भी नहीं हैं। और 500 बताओ वहां 200 भी नहीं है। और एक वृक्ष खड़ा नहीं है। क्या मौके पर सही पाया जाएगा, आप दुबारा जांच कराइए।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक वर्ष में खड्ढे खोदे जाकर करीबन 10 लाख की तादाद में पौधारोपण करने का कार्यक्रम निश्चय ही मुझे भी थोड़ा संशयात्मक लग रहा है। मैं इस सम्बन्ध में स्वयं भी जांच कराने को तैयार हो रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं पूरे राजस्थान में यही हालत है। आप पूरे राजस्थान में जांच कराइए।

एक माननीय सदस्य : ऐसा है, दलवाड़ा में खानतलाई में वन विभाग की भूमि पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपलानी जी, माननीय सदस्य का है।

एक माननीय सदस्य : सरकार ने स्वीकृति दी उसके बारे में जवाब दीजिए।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में सन् 1996, 1997, 1998 में तीन वर्ष तक जितने भी खड्ढे खोदने का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलता आ रहा है, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा जब भी खड्ढे खोदने का काम शुरू होता है, वही पुराने खड्ढे नये सिरे से रिपेयर कर दिये जाते हैं और सरकार का बजट कर्मचारियों

(श्री जीतमल)

द्वारा खा लिया जाता है। जितना भी वृक्षारोपण बांसवाड़ा जिले के अन्दर 1996, 1997, 1998 में हुआ, जितनी भी राशि आई वह सारी राशि बड़े उच्चाधिकारी मिलीभगत से डकार गये और बांसवाड़ा जिले की सारी धरती नंगी पहाड़ी की तरह आज भी पड़ी हुई है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का हाल यही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1996 से 98 के अन्दर जितना भी इस तरह का दुरूपयोग हुआ है, चाहे वह खड्ढे खोदने के नाम पर हो, चाहे वह वृक्षारोपण के नाम पर हो, उनकी एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकारी धन का जिस तरह से दुरूपयोग हुआ है, उसके लिए उस तरीके के लोगों को दण्ड देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आप प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या प्रतिवर्ष अभियान चलाने से पहले खड्ढे जो पूर्व में खोदे गये, उनका सत्यापन होता है या प्रतिवर्ष जो वृक्षारोपण का अभियान चलता है, उसके पहले के वर्ष में कितने खड्डे खोदे गये, कितने वृक्ष लगाये गये और कितने वृक्ष मृत रहे और कितने वृक्ष जिन्दा हैं, इसका कोई सत्यापन होता है या सत्यापन के बिना ही वृक्षारोपण का आर्डर दिया जाता है? इसी वजह से भ्रष्टाचार होता है। इसके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय फोरेस्ट मंत्रीजी ने जवाब दिया यह केवल मात्र डूंगरपुर-बांसवाड़ा का मसला नहीं है, यह सही मायने में पूरे राजस्थान का मसला है। मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर इस प्रकार की भयंकर समस्या है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के हालात यह बन चुके हैं कि फोरेस्ट के नाम पर जो रिजर्व एरिया भारत सरकार के एक्ट के तहत हुआ, आज हालत यह है कि उस एरिया में खनन कार्य बन्द करने का फैसला तो हो गया। लेकिन इतना खनन कार्य हो रहा है, भ्रष्टाचार अगर कोई पनप रहा है, फोरेस्ट की चौकियां लागू हो गई हैं, रेवेन्यू वसूल करने के लिए नाजायज पैसा फोरेस्ट डिपार्टमेंट वसूल कर रहा है। ठेके हो रहे हैं एरिया में। तातपुर इलाके के अन्दर, करौली इलाके में सारे फोरेस्ट के लोग ठेके ले-लेकर चोरी से निकालने को तैयार है। तो गवर्नमेंट की जो मंशा है वह पूरी नहीं हुई। राज्य सरकार व मंत्री जी इस बारे में क्या गम्भीर निर्णय लेने जा रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल सामने आया, मंत्रीजी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

ने यह स्वीकार किया कि मुझे भी जो 10 लाख पौधे लगे इनमें संशय है कि ये जिन्दा हैं या नहीं हैं। फिर इस सवाल का जवाब क्यों पेश कर दिया सदन में? यानि अधिकारियों ने लिख कर दे दिया और मंत्रीजी ने यहां पढ़ दिया और सदन में खड़े होकर कह दिया कि मुझे भी संशय है, मुझें भी शंका है। यानि अधिकारियों द्वारा जो असत्य नोट बनाकर दिया गया, अधिकारियों ने मंत्रीजी को बताया उसको एडमिट कर लिया आपने। आपने क्वेश्चन एडजर्न क्यों नहीं करा दिया? यानि असत्य सूचना देने के आप दोषी नहीं बने क्या?

श्री भगराज चौधरी : देखिए, मेरे पास में प्रश्न का जवाब कल आया है और चूंकि आज प्रश्न लग गया और प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए इसमें जो उत्तर दिया गया, मैं स्वयं आपकी बात को स्वीकार करता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने लायक मामला बनता है और इसकी जांच मैं कराने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले से ही मंत्रीजी को यह कहना चाहिए था, मुझे शंका है इसकी सत्यता पर, इसलिए इस प्रश्न को एडजर्न कर दीजिए और इसकी जांच करा ली जाए। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहूंगा। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो खनन कार्य क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनको रोकने के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दरखत फोरेस्ट में लगाये जाते हैं, उनके जीवित रखने के कोई साधन, परमानेंट उपाय किये जा रहे हैं या नहीं....(व्यवधान) उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। अगर उनको जीवित रखने की परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए तो फोरेस्ट में जो वृक्ष लगाये जाते हैं, ये प्रतिवर्ष उस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में लगाने का प्रोसिजर चालू किया जा सकता है, लेकिन केवल दरखत लगाकर उनको पानी देने की, उनकी सुरक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और प्रतिवर्ष हजारों रुपये का बजट राज्य सरकार का खर्च होता है। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है, सारे राजस्थान की जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) खनन की जो मिलीभगत है, चौकियां स्थापित हो जाए, अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार खनन नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह डिपार्टमेंट ही ऐसा है। खड्ढे खोद दें....(व्यवधान) वह तो जांच की आवश्यकता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री महोदय, जवाब नहीं देना चाहिए था। प्रश्न तो स्थगित कर लेते और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जनार्दन गहलोत : मंत्री महोदय से स्पेसिफिकेशन क्वश्चन पूछा है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जिस प्रकार खनन क्षेत्र के अन्दर फोरेस्ट वाले भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक योजना बना रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कहां है? आप तो गलत प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुन लिया है। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न और उसका उत्तर

राज्य के निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को देय निःशुल्क सुविधाएं

25. **श्री महेश जोशी** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निजी अस्पताल खोलने वालों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त अस्पतालों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु यह शर्त निर्धारित कर रखी है कि वे 30 प्रतिशत गरीब मरीजों का निःशुल्क उपचार करेंगे?

(3) क्या उक्त निजी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदण्ड को पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1996 में घोषित नीति के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन के साथ-साथ चिकित्सालय में काम आने वाले उपकरणों पर वाणिज्य कर में छूट प्रदान की जाती है। (घोषित नीति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है)

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर में भूमि पैमाइश के लम्बित प्रकरण

42. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा), **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) एवं **श्री हरीशचन्द** (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(1) वर्ष 1998 में अलवर जिले में कुल कितने प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पैमाइश हेतु भू-प्रबन्ध विभाग को प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रार्थना पत्र अभी तक लम्बित हैं तथा उनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

(2) नियमानुसार विभाग द्वारा पैमाइश के क्या-क्या तरीके, रीति-प्रणाली काम में लिये जाते हैं? नक्शों में अंकित कुंओं से की गई पैमाइश और चौमेडी (जहां चार मेड़ मिलती है) से की गई पैमाइश में यदि अन्तर आता हो तो कौन सी पैमाइश किस तरह सही मानी जाती है?

(3) क्या जिन खेतों की पैमाइश करनी हो वही नक्शों में अंकित एवं मौके पर स्थित दो-दो कुंए हो तो पैमाइश के नियमानुसार पैमाइश कुंओं से करनी चाहिये या खेतों के चौमेड़ों से?

(4) पैमाइश बिलकुल सही हो इसके लिये पैमाइश कहां से आरम्भ की जावे जबकि सीमा पर कोई सीमा पत्थर न होकर पुराने कुएं ही हों?

(5) यदि नक्शे में बने खेत और हाल स्थिति में बने खेत बिलकुल एक से ही हों लेकिन मुसाफी के गठ्ठों से नक्शे के गठ्ठे मेल नहीं खाते हों तो कौनसी नाप सही मानी जाती है, जबकि नक्शे व हाल खेत की नाप बिलकुल सही बैठती हो?

(6) पैमाइश के नियमों की प्रति सहित ग्राम हुलमाना खुर्द व हुलमाना कलां, तहसील मुण्डावर, जिला-अलवर के समस्त नक्शे की मुसाफी (जिसमें खेतों की नाप गठ्ठों में लिखी होती है) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्ष, 1998 में कृषि भूमि की पैमाइश हेतु कुल 9 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। जिनमें से 7 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। दो प्रकरणों में फसल खड़ी होने के कारण सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका है। फसल कटने पर नियमानुसार सीमाज्ञान कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा III के तहत सीमा विवाद सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। सर्वे के व्यवहारिक अनुभव से चौमेड़ों से सर्वे कार्य सम्पादित करना ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। यदि नक्शे में अंकित कुंओं से की गई पैमाइश व चौमेड़ों से की गई पैमाइश में अन्तर आता है तो चौमेड़ों से की गई पैमाइश को सही माना जाता है।

(3) खेतों की पैमाइश व्यवहारिक रूप से कुंऐ की अपेक्षा चौमेड़ों से करवाया जाना ज्यादा उचित है। लेकिन पैमाइश प्रारम्भ करने से पूर्व चौमेड़ों की नाप की जाकर संतुष्टि करना जरूरी है।

(4) उस विश्वसनीय मुस्तकिल मुकाम से जो नक्शे के अनुसार मौके पर वर्तमान में भी उसी स्थान पर विद्यमान है, पैमाइश प्रारम्भ की जाती है।

(राजस्व मंत्री)

(5) असल नक्शा (सजरा) के अक्स (ट्रैस) किये गये नक्शों को मसाबी कहते हैं, असल नक्शा (सजरा) में अंकित गठ्ठों को सही माना जाता है। अन्तर होने की स्थिति में निराकरण फील्ड बुक से अथवा मौके की स्थिति की पुनः पैमाइश की जाकर किया जा सकता है।

(6) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा III के एवं राज्य निर्देश क्रमांक : प. 13(25) राज-1/92 दिनांक 7.8.92 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीमा विवादों की पैमाइश करवाई जाती है।

ग्राम हुलमाना खुर्द एवं हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के नक्शों की मसाबी जिनमें खेतों का नाप गठ्ठों में लिखा है की छाया प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अटरू के न्यायालय में लम्बित प्रकरण

43. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक कितने प्रकरणों का निस्तारण हुआ?

(2) क्या मानदण्डों के अनुसार निस्तारित प्रकरणों की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या सरकार प्रकरणों के निस्तारण की सीमा, मामलों की प्रकृति के अनुसार तय करेगी? यदि हां, तो किस प्रकार?

(4) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने प्रकरण लम्बित हैं? 15, 10, 5, 3 व 1 वर्ष के पूर्व के मामलों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक कलक्टर न्यायालय, अटरू में वर्ष 1995 से अभी तक निम्न प्रकार प्रकरणों का निस्तारण हुआ है :–

किस्म	**निर्णय**
दावे	643
प्रार्थना पत्र	381
सीलिंग केस	3
इजराय	38
145 सी. आर. पी. सी.	15
कुल =	1080

(2) आलौच्य अवधि में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव तथा राजस्व अभियान एवं पद रिक्त रहने जैसे कारणों से निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं हुआ है। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा राजस्व

(राजस्व मंत्री)

न्यायालयों के वादों के निस्तारण की समीक्षा कर निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान किये जाते हैं।

(3) निस्तारण के सम्बन्ध में वाद एवं प्रार्थना पत्रों की सीमा पूर्व में निर्धारित की हुई है।

(4) इस न्यायालय क्षेत्र में वर्तमान में वर्ष 1985 से 1.3.99 तक कुल 898 प्रकरण विचाराधीन हैं। वर्षवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम छबर का बास तहसील आमेर (जयपुर) का भूमि अवाप्ति प्रकरण

44. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम छबर का बास पंचायत नांगल पुरोहितान तहसील आमेर जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो सूची निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :–

1. खातेदार का नाम
2. भूमि का रकबा
3. खसरा नम्बर

(2) क्या यह सही है कि जिन खातेदारों की भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई है, खुदकाश्त के लिये भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो सूची निम्न प्रकार से सदन की मेज पर रखें :–

1. खातेदार का नाम
2. आवंटित भूमि
3. स्थान का नाम

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम छबर का बास, पंचायत नांगल पुरोहितान तहसील आमेर जिला जयपुर में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अतः सूची संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी खातेदार की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। इसलिये खुदकाश्त के लिये भूमि आवंटन भी नहीं हुआ है।

इटावा (कोटा) में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

45. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इटावा जिला कोटा में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इटावा जिला कोटा में उक्त न्यायालय कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कस्बा इटावा में सहायक कलक्टर का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर, कोटा से दिनांक 30.9.98 को प्राप्त हुआ है।

(2) यह प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) प्रकरण विचाराधीन है। निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

जिला अलवर के राजस्व गांव

46. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कितनी ढाणियों/मजरों को राजस्व गांव बनाए गए? जिला अलवर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व गांव घोषित करने के मानदण्ड क्या हैं और इस हेतु सरकार की नीति क्या है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों में कुल 290 मजरें/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 4.10.96 के अनुसार जिस मजरे/ढाणी की जनसंख्या 250 या इससे अधिक है उसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता है। मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर का बीज प्रकरण

47. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बारानी जमीन में खरीफ की खेती में शंकर बीज वितरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अगले वर्ष में बीज वितरण करने का विचार रखती है?

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सामान्य/विशेष आवंटी को क्या-क्या रियायतें दी जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बाड़मेर तथा जैसलमेर में क्रमशः 852 तथा 90 क्वि. शंकर बाजरे का बीज वितरण 1998-99 में

(कृषि मंत्री)

हुआ। विभाग द्वारा प्रयास है कि अधिक से अधिक कृषक लाभान्वित हों।

(2) जी हां।

(3) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम पंचायत रूणिया बड़ा बास व बास सरेरा में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

48. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरण-सर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र रूणिया बड़ा बास व रूणिया बास सरेरा (बीकानेर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों पंचायत क्षेत्र बीकानेर से 55 से 70 कि. मी. के बीच में बसे हुए हैं? यदि हां, तो अब उक्त पंचायतों के लिये कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां, भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार रेगिस्तानी क्षेत्र में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाता है।

पंचायत समिति, बीकानेर की 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 2.32 लाख है। जिसके अनुसार 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। समुचित वित्तीय प्रावधान, उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य स्थानों के साथ इस पर भी विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्टाफ नर्स का पदोन्नति प्रकरण

49. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थगम्मा एम. पी. सिस्टर को पोस्ट ग्रेड प्रथम की प्रथम नियुक्ति हेतु दिनांक 5 सितम्बर, 1973 को वेतन सहित जी. एन. एम. प्रशिक्षण दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें दिनांक 17 जनवरी, 1977 को स्टाफ नर्स पर पदोन्नति दे दी गई थी?

(3) क्या यह सही है कि इन्हें अभी तक 9, 18, व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ नहीं दिया है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। थगम्मा एम. पी. का सही नाम निदेशालय के रिकार्ड के अनुसार थनकम्मा एम. पी. है। वर्तमान में नर्स श्रेणी

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

प्रथम को प्रथम नियुक्ति हेतु वेतन सहित जी. एन. एम. प्रशिक्षण दिनांक 1.9.73 से 31.8.76 तक दिया गया।

(2) जी नहीं। श्रीमती थनकम्पा एम. पी. को स्टाफ नर्स के पद पर जी. एन. एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 17.2.77 को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक-31/स्टाफ नर्स/नियुक्ति/77/41-42 दिनांक 15.2.77 के द्वारा दी गई।

(3) जी नहीं। स्टाफ नर्स के पद पर 9, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अन्य कर्मचारियों की भांति चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सालय में एक्सरे मशीन

50. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मारवाड़ जंक्शन के गिरधारी लाल मायाराम ओझा चिकित्सालय में एक्सरे मशीन लगाई है? यदि हां, तो इसका उपयोग अब तक नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में एम्बुलेंस की व्यवस्था है? यदि हां, तो उसके नहीं चलने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची/मारवाड़ जंक्शन में एक्सरे मशीन वर्ष 1994 में स्थापित की गई। उक्त मशीन का लगातार संचालन प्रशिक्षित तकनीशियन के नहीं होने से नहीं हो सका परन्तु मशीन को उपयोग में लाने हेतु अन्यत्र संस्थान से रेडियोग्राफर को सप्ताह में एक बार मारवाड़ जंक्शन में कार्य हेतु लगाया गया। तत्पश्चात स्थानीय मेल नर्स द्वितीय को प्रशिक्षण देकर मशीन को 13.6.96 से 16.10.97 तक उपयोग में लाया गया परन्तु प्रशिक्षित नर्स के स्थानान्तरण पश्चात् मशीन का उपयोग पुनः सप्ताह में दो दिन अन्यत्र संस्थान से रेडियोग्राफर को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। माह नवम्बर, 98 से रेडियोग्राफर का पदस्थापन होने के पश्चात् मशीन का उपयोग निरन्तर हो रहा है।

(2) जी हां। उक्त चिकित्सालय की एम्बुलेन्स जुलाई, 1996 में खराब हो गई थी जिसको ठीक करवा दिया गया था परन्तु 5-7 दिन बाद ही गाड़ी का इंजन खराब हो गया। वाहन को पुनः ठीक करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम बूसी (पाली) का सड़क निर्माण प्रकरण

51. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के बूसी गांव में बस स्टेण्ड नं. 1 से 2 तक

(श्री आत्माराम मेघवाल)

वाया ट्रस्ट, सहकारी समिति, अस्पताल, पंचायत होते हुए सड़क चोड़ी करने एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय तक सड़क की पटरी व दीवार नाली आदि बनाने का तकमीना बनाकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सरकार को स्वीकृति हेतु वर्ष 1996 में भेजा गया था? यदि हां, तो आज तक स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय तक सड़क चौड़ी करने हेतु, भूमि आवाप्त कर सड़क का सीमांकन करने हेतु सरपंच लम्बे समय से मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो भूमि अवाप्ति की क्या कोई कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि बस स्टेण्ड नं. 1 से सोमेसर जाने वाली सड़क का एस कर्व हटाने हेतु सरपंच द्वारा मांग की गई थी? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बूसी ग्राम में बस स्टेण्ड संख्या 1 से 2 तक वाया ट्रस्ट, सहकारी समिति, अस्पताल पंचायत होते हुए सड़क चौड़ी करने तथा नाली निर्माण हेतु कुल राशि 6.72 लाख तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय तक सड़क की पटरी व दीवार नाली आदि बनाने का तकमीना कुल राशि 1.42 लाख का केवल मात्र तकमीना तैयार किया गया था। सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य कार्यों की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत इन कार्यों को स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका।

(2) जी हां। सीमित संसाधनों एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए भूमि अवाप्ति का कार्य प्रस्तावित नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के दृष्टिगत यह कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

फतेहनगर-ईण्टाली (जिला उदयपुर) का सड़क निर्माण प्रकरण

52. श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में फतेहनगर-ईण्टाली मार्ग पर स्थित पुलिया नं. 9/1 से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोयड़ा बावजी हेतु लगभग आधा किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जिससे उक्त प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर आने वाले लाखों दर्शनार्थियों को असुविधा होती है ?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि फतेहनगर-ईण्टाली मार्ग पर स्थित पुलिया 9/1 से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोयड़ा बावजी हेतु लगभग 1 किमी. कच्चा रास्ता है जिसको पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा रहा है तथा पुलिया से लगभग 500 मीटर पहले से विभाग द्वारा जोयड़ा बावजी तक ग्रेवल सड़क (निलोद जोयड़ा सड़क) 1 किलोमीटर अकाल राहत में बनवायी जा रही है व अप्रेल 99 तक इस ग्रेवल सड़क का पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(2) विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित सड़क को डामरीकृत करने की लागत 4.50 लाख रुपये आयेगी। सड़क नीति में आने के कारण इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर करवाया जाना सम्भव होगा।

तहसील चौहटन (बाड़मेर) की स्वीकृत सड़कें

53. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में तहसील चौहटन (बाड़मेर) में कुल कितनी डामर की सड़कों की स्वीकृति हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई मंजूरशुदा सड़कों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो अब यह काम कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि दो वर्ष पूर्व स्वीकृत कार्य अभी तक ठेकेदारों द्वारा पूरे नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील चौहटन (बाड़मेर) में गत पांच वर्षों में कुल 42 डामर की सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मंजूरशुदा 42 सड़कों में से 30 सड़कों के कार्य पूर्ण हो गये हैं। शेष 12 कार्यों में से 7 कार्यों को मई, 99 तक, तीन कार्यों को दिसम्बर, 99 तक एवं दो कार्य आवंटन की प्रक्रिया में हैं जिन्हें भी अगले वित्तीय वर्ष (3/2000) तक पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। उपरोक्त सड़कों में 8 कार्यों को अभी तक ठेकेदारों द्वारा समय पर पूरा नहीं किया गया है। ठेकेदारों द्वारा कार्यों की प्रगति धीमी रखने एवं कार्य न करने की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबन्ध के प्रावधानों के तहत अन्तरिम शास्ति लगाई गई है, व अब ये 8 सड़क कार्य प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

बीजवाड़ चौहान (अलवर) का सड़क मरम्मत प्रकरण

54. श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरीशचन्द)

(1) क्या यह सही है कि बीजवाड़ चौहान जिला अलवर से शाहजहांपुर वाया मिर्जापुर सड़क का मरम्मत कार्य निर्माण के पश्चात् कभी भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने, साइडों के कट जाने एवं भारी खड्डे हो जाने से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं?

(3) अब उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीजवाड़ चौहान से शाहजहांपुर वाया मिर्जापुर सड़क में वर्ष 1991-92 में 137710.00 रु. वर्ष 1992-93 में 85,972.00 रु. वर्ष 1993-94 में 132478.00 रु., वर्ष 1994-95 में 385635.00 रु. व वर्ष 1995-96 में 82509.00 रु. साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों पर खर्च किये गये हैं।

(2) उक्त सड़क की कुल लम्बाई 10 कि.मी. है जिसमें से कि.मी. 0/0 से 4/0 एवं 6/0 से 10/0 सड़क भाग पर कहीं-कहीं सामान्य पोट होल्स हैं। सड़क भाग कि.मी. 4/0 से 6/0 में कुछ अधिक पोट होल्स हैं एवं कि.मी. 5 में करीब 150 मीटर लम्बाई में दो जगह सड़क की साइड्स कट गई हैं। उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त सड़क पर मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका है। सड़क की खराब स्थिति के कारण उक्त सड़क पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(3) उक्त सड़क की मरम्मत आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों अनुसार मरम्मत का कार्य करवा दिया जायेगा।

उच्च न्यायालय में मा. न्यायाधीशों के रिक्त पद

55. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) सरकार माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में उच्च न्यायालय में मा. न्यायाधीशों के 32 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 22 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इस प्रकार 10 पद रिक्त हैं।

(2) गत वर्ष 1998 में उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही कार्यरत रहे। इस कारण न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। अब स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जनवरी, 1999 में हो गई है। राज्य सरकार ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च न्यायालय को निवेदन कर दिया है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया उच्च

(विधि मंत्री)

न्यायालय के स्तर पर जारी है तथा प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए केन्द्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर भेज दिया जायेगा।

जिला अलवर का छात्रावास प्रकरण

56. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में कुल कितने छात्रावास संचालित/बंद हैं? क्या सरकार बन्द छात्रावासों को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त छात्रावासों में छात्रवृत्ति नियमित रूप से दी जा रही है? यदि नहीं, तो इसे कब तक नियमित रूप से चालू किया जायेगा?

(3) क्या उक्त छात्रावासों के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 18 छात्रावास संचालित हैं। चालू सत्र में स्वीकृत 2 छात्रावासों को प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिन्हें छात्रावास भवन उपलब्ध होते ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। वर्तमान में कोई छात्रावास बन्द नहीं है।

(2) छात्रावासों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, उन्हें मैस भत्ता स्वीकृत किया जाता है, जो संचालित 18 छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को नियमानुसार दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला पाली में अनुसूचित विकास निगम द्वारा स्वीकृत राशि

57. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला पाली में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक अनुसूचित जाति के परिवारों को राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस-किस परिवार को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा पाली जिले में वर्ष 95 से फरवरी, 99 तक अनुसूचित जाति के परिवारों को निगम की विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत राशि का विवरण मय लाभार्थी वर्षवार परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-58

(स्थगित)

सरपंच ग्राम पंचायत कोडियाई (सवाईमाधोपुर) द्वारा अवैध निर्माण कार्य प्रकरण

59. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में पंचायत समिति बौंली (सवाई माधोपुर) के कोडियाई गांव में एक आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन तथा एक नवीन तालाब स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो उक्त कार्य कितनी-कितनी राशि के थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार बौंली का स्थगन आदेश होने के बाद भी आंगनबाड़ी केन्द्र देवस्थान की भूमि खसरा नम्बर 2218 एवं 2219 में बनाया गया तथा नवीन तालाब को सरपंच ने स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1998, 1999, 183 एवं 184 में निर्मित किया है? यदि हां, तो सरपंच, ग्राम पंचायत कोडियाई के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 में पंचायत समिति, बौंली के ग्राम कोडियाई में एक आंगनबाड़ी केन्द्र तथा एक नवीन तालाब का निर्माण क्रमशः रुपये 1,29,000/– एवं 54,000/– रुपये की लागत के स्वीकृत किये गये थे।

(2) तहसीलदार, बौंली का स्थगन आदेश प्राप्त होने के बाद कोई कार्य नहीं कराया गया।

ग्राम कोडियाई में सरपंच द्वारा तालाब निर्माण कार्य के तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

ग्राम पंचायत सेवा (जयपुर) के प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण का जांच प्रकरण

60. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सेवा, पंचायत समिति दूदू (जयपुर) के ग्राम नौरंगपुरा में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो किसके आदेश से? उक्त जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच आदेश की प्रति सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर द्वारा दोषी सरपंच से मिलकर बदला गया और राज्य सरकार को गलत रिपोर्ट भेजी है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत सेवा द्वारा अपने पद का

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों में गबन एवं घोटाले किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्य में एवं कितनी-कितनी राशि के?

(4) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में फुलेरा पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज हुआ था? यदि हां, तो उसकी जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर द्वारा जांच की गई। जांच आदेश एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला परिषद् टोंक का वाहन प्रकरण

61. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला परिषद् टोंक को आवंटित कार नम्बर 2626 कब से खराब है और अभी तक ठीक नहीं कराने के क्या कारण हैं?

(2) क्या जिला परिषद् को आवंटित कार आर. एन. बी. 7753 अत्यधिक पुरानी होने के कारण अधिकांशतः खराब रहती है?

(3) जिला प्रमुख टोंक को गत तीन वर्षों में राजकीय दौरे के लिये कौन-कौन से वाहन यथा कार, जीप उपलब्ध कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वाहन उपलब्ध नहीं होने से पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 35 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से जिला प्रमुख की शक्ति कृत एवं कर्तव्यों से वंचित रहना पड़ा है? यदि नहीं, तो किये गये दौरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद् टोंक को आवंटित कार नम्बर आर. जे. 2626 दिनांक 27.6.95 से खराब है। स्टेट मोटर गैरेज ने कार्य की अधिकता के कारण कार की मरम्मत करने में असमर्थता प्रकट की। मरम्मत का एस्टीमेट अधिक होने के कारण गाड़ी की मरम्मत मोटर गैरेज में करवाना ही उचित माना गया। मरम्मत हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कार को स्टेट मोटर गैरेज भिजवाया जा रहा है।

(2) जिला परिषद् को आवंटित कार नम्बर आर. एन. वी. 7753 पुरानी होने के

(पंचायती राज मंत्री)

कारण नियमानुसार कण्डम घोषित कर दी गई है एवं दिनांक 23.1.98 को स्टेट मोटर गैरेज जयपुर में जमा करा दी गई है।

(3) जिला प्रमुख टोंक को गत तीन वर्षों में राजकीय दौरे के लिए उपलब्ध कराये गये वाहनों का तारीखवार विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। जिला प्रमुख टोंक को समय-समय पर राजकीय दौरे हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये। प्रमुख द्वारा किये गये दौरों का विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-62

(स्थगित)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित जल निकासी प्रकरण

63. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से पूर्व प्रदूषित वायु जल निकासी के सम्बन्ध में क्या हिदायतें दी जाती हैं तथा उनका अक्षरशः पालन करने हेतु क्या-क्या नियम/प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदूषित वायु/जल निकासी के लिये निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने पर क्या दण्ड दिया जाता है?

(3) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर से निकलने वाले प्रदूषित जल जो पापड़ के हनुमान के पास से तथा विद्याधर नगर, सेक्टर 8, 9, 10 व ब्लॉक सी के पास से अमानीशाह नाला जो आगे तक निकलता है, के सम्बन्ध में विभाग ने प्रश्न के भाग (1) व (2) के क्रम में क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कॉलोनीज से प्रदूषित जल/वायु की निकासी के कारण स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं पीने के पानी के स्त्रोत को भी खराब कर रहा है?

(5) क्या राज्य सरकार दोषी इकाइयों का सर्वे कराकर वांछित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल अथवा वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों को स्थापना से पूर्व मण्डल से स्थापना हेतु सम्मति लेना अनिवार्य है तथा उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व संचालन सम्बन्धी सम्मति लेना अनिवार्य है। इस प्रकार की सम्मति प्रदान करते समय राज्य मण्डल उद्योग में प्रदूषण की प्रकृति

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

के अनुसार तत्सम्बन्धी नियंत्रण हेतु शर्तें अधिरोपित करते हुए सम्मति प्रदान करता है। इन शर्तों की पालना नहीं होने पर उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

(2) प्रदूषित जल/वायु निकासी के लिये निर्धारित नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43-44 सहपठित धारा 24, 24 एवं 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31 सहपठित 21-22 के अन्तर्गत दोषी करार दिये जाने पर कारावास तथा अर्थ दण्ड का प्रावधान है जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष छः माह है तथा अधिकतम छः वर्ष तक की हो सकती है।

(3) 1. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के निर्माणाधीन उद्योग जिन्हें उद्योग लगाने की सम्मति दी गई है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

2. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के उद्योग जिनसे निकलने वाला प्रदूषित जल जो कि अमानीशाह नाले में आकर मिलता है, और जिन उद्योगों को निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) उक्त आवासीय कॉलोनीज से प्रदूषित जल/वायु की निकासी के कारण स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। पीने के स्त्रोतों के लिये गये पेयजल नमूने की निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

(5) मण्डल द्वारा उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और किसी भी प्रकार के प्रदूषण सम्बन्धी संभावना होने पर कानूनी नोटिस देकर सम्मति निरस्त करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत दोषी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

(विवरण एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-64

(स्थगित)

भीलवाड़ा में अवैध वाहनों के संचालन पर रोक

65. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं?

(2) गत पांच वर्षों में निगम ने कितनी नई बसें क्रय की तथा इनको कहां-कहां पर लगाया गया?

(डा. रतनलाल)

(3) भीलवाड़ा आगार में वर्तमान में कितनी बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित हैं? क्या निगम भीलवाड़ा से करेड़ा वाया गंगापुर-रायपुर बसें चलाने का विचार रखती है?

(4) क्या भीलवाड़ा से गंगापुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम की बसों के अलावा प्राइवेट बसें व जीपें अवैध रूप से चल रही हैं जिससे निगम को राजस्व घाटा हो रहा है? क्या सरकार इन अवैध वाहनों की रोकथाम हेतु कोई कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में राज्य में विभिन्न मार्गों पर 5011 बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) गत पांच वर्षों में (1993-94 से 97-98 तक) निगम द्वारा 3563 नई बसें क्रय की गई हैं। तथा इनको निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रायः सभी आगारों को आवंटित किया गया है जिनका आगारवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा आगार में वर्तमान में 102 बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित है। निगम द्वारा भीलवाड़ा से करेडा वाया गंगापुर-रायपुर मोटर यान अधिनियम, 1988 के पंचम अध्याय के मार्ग पर वाहन संचालन हेतु 2 स्थाई अनुज्ञा-पत्र दिनांक 18.2.99 को लिए गए हैं तथा दिनांक 26.2.99 से वाहन संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन परिचालकों की कमी के कारण दिनांक 7.3.99 से कुछ समय के लिए इस मार्ग पर निगम बसों का संचालन स्थगित रखा गया है। इसे नियमित संचालित शीघ्र कर दिया जायेगा।

(4) वाहनों के अवैध रूप से चलते पाये जाने पर नियमानुसार चालान बनाये जाते हैं। वर्ष 1997-98 में भीलवाड़ा से गंगापुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर 47 अवैध वाहनों के चालान बनाकर 1,67,600 रु. प्रशमन राशि वसूल की गयी। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में 159 वाहनों के चालान बनाकर 6,62,020 रु. प्रशमन राशि वसूल की गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जयपुर से करौली बस सेवा

66. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम की जयपुर से करौली के लिये कुल कितनी बसें चलती हैं ?

(2) उक्त बसों में कितनी एक्सप्रेस व कितनी लोकल हैं?

(3) जयपुर से करौली एवं करौली से जयपुर के लिये निगम की एक्सप्रेस व लोकल बसें किस-किस समय व किस-किस स्टेशन से चलती हैं?

(4) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों की बसें भी जयपुर से वाया करौली व वाया करौली से जयपुर होती हुई जाती हैं? यदि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हां, तो किस-किस राज्य की व किस-किस समय?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कुछ प्राइवेट बसों को भी करौली से जयपुर व जयपुर से करौली का परमिट दिया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस समय का व कितनी बसों को किस रूट से?

(6) क्या यह सही है कि निगम की बस जयपुर से करौली-जयपुर सांय 5.00 एवं 5.30 बजे बाद है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त समय के बाद कोई बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा जयपुर से करौली के लिए 12 बसों द्वारा कुल 24 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं।

(2) उक्त सेवाएं साधारण बस सेवा के रूप में संचालित हैं।

(3) जयपुर से करौली व करौली से जयपुर के बीच संचालित साधारण बस सेवाओं की समय सारणी का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में जयपुर से करौली व करौली से जयपुर मार्ग पर किसी अन्य राज्य के परिवहन निगम की बस सेवाएं संचालित नहीं है।

(5) चार मार्ग जयपुर-लालसोट, लालसोट-गंगापुर, गंगापुर-गेरई एवं गेरई-करौली मिलाकर जयपुर-करौली मार्ग पर 16 निजी वाहनों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत हैं। अनुज्ञा-पत्रधारी बसों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर है तथा समय सारणी का विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(6) जयपुर से करौली के बीच सांयकाल 5.30 बजे एवं करौली से जयपुर के बीच भी सायंकाल 5.30 बजे के पश्चात कोई बस सेवा संचालित नहीं है। सायंकाल 5.30 बजे के पश्चात जयपुर से करौली-जयपुर के लिए पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण संचालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस मार्ग पर सांयकाल 5.30 बजे के पश्चात् बस संचालन का कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जन सम्पर्क निदेशालय का विज्ञापन प्रकरण

67. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा राजस्थान एवं दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों को विभिन्न वर्षो में कितना विज्ञापन दिया गया ? विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :–

(श्री ललित भाटी)

विभिन्न वर्षों में जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

अखबार का नाम	1998 कुल कॉलम सेमी, राशि	1997-98 कुल कॉलम सेमी, राशि	1996-97 कुल कॉलम सेमी, राशि	1995-96 कुल कॉलम सेमी, राशि
राजस्थान पत्रिका				
जयपुर/उदयपुर				
जयपुर/कोटा				
जयपुर/बीकानेर				
जयपुर/जोधपुर				
कोटा/जोधपुर				
जोधपुर/बीकानेर				
जोधपुर/उदयपुर				
जयपुर/जोधपुर/कोटा				
जोधपुर/उदयपुर/कोटा				
जयपुर/बीकानेर/उदयपुर				
जयपुर/कोटा/उदयपुर				
जयपुर/बीकानेर/जोधपुर				
बीकानेर/जोधपुर/कोटा				
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर				
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा				
जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/बीकानेर				
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर				

अखबार का नाम	1998 कुल कॉलम सेमी, राशि	1997-98 कुल कॉलम सेमी, राशि	1996-97 कुल कॉलम सेमी, राशि	1995-96 कुल कॉलम सेमी, राशि
दैनिक नवज्योति				
जयपुर				
जयपुर/अजमेर				
जयपुर/कोटा				
अजमेर				
अजमेर/जयपुर				
अजमेर/कोटा				
कोटा				
कोटा/अजमेर				
कोटा/जयपुर				
जयपुर/अजमेर/कोटा				
दैनिक भास्कर				
जयपुर				
जयपुर/अजमेर				
जयपुर/जोधपुर/अजमेर				
जयपुर/जोधपुर				
पंजाब केसरी				
दिल्ली				
जालंधर				
जागरण				
दिल्ली				
कानपुर				
आब्जवर				
अंग्रेजी				

(राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क)

उत्तर

डी. ए. वी. पी. नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1994-95 तक ही प्रश्नानुसार समाचार पत्रों के पृथक-पृथक संस्करणों को सम्मलित करके संयुक्त संस्करणों की विज्ञापन दरें जारी की जाती थी। परन्तु वर्ष 1995-96 से संयुक्त सस्करणों की विज्ञापन दरे जारी करने की प्रकिया समाप्त की गई एवं प्रत्येक संस्करणवार दरें जारी की जाती हैं। राजस्थान विज्ञापन नियम, 1962 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा डी. ए. वी. पी. की अनुमोदित दरों पर विज्ञापन जारी किये जाते हैं। अतः प्रश्न में दर्शायी गई अवधि में संयुक्त संस्करणों की दरें स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्तानुसार विज्ञापन जारी नहीं किंये गये। शेष समाचार पत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों का वांछित विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा बड़ा में प्रस्तावित जनजाति छात्रावास

68. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ क्षेत्र जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है? क्या उक्त क्षेत्र के आदिवासी छात्रों के रहने के लिए कोई छात्रावास की सुविधा नहीं है?

(2) क्या सरकार टिमेड़ा बड़ा में आश्रम छात्रावास खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जी नहीं। उक्त क्षेत्र के आदिवासी छात्रों के रहने के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में निम्न छात्रावास वर्तमान में संचालित है।

		क्षमता
1.	रामगढ़(बालक)	100 उ. प्रा. स्तर।
2.	हिमलावाड़ा(बालक)	50 मा. स्तर।
3.	कुशलगढ़(कन्या)	100 उ. मा. स्तर तक।

(2) वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में स्वीकृत कार्यों पर व्यय

69. श्री गोपीराम मेघवाल (सिवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम मेघवाल)

(2) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये एवं कितने अभी तक अपूर्ण हैं ?

(3) उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई? योजनावार कार्यों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिवाना विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकितानुसार स्थानों पर कार्य स्वीकृत किये गये। इनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य
1.	जवाहर रोजगार योजना	318
2.	आश्वास्ति रोजगार योजना	129
3.	निर्बन्ध राशि	17
4.	बत्तीस जिला बत्तीस काम	12
5.	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4
6.	मरू विकास कार्यक्रम	9
7.	अपना गांव अपना काम	32
8.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10
9.	आई. पी. पी. 9	1
10.	जवाहर रोजगार योजना-11	99
	योग	831

(2) स्वीकृत 631 कार्यों में से 583 कार्य पूर्ण कर दिये गये एवं 48 कार्य अपूर्ण हैं। इनका ब्यौरा परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) इन कार्यों पर स्वीकृत राशि एवं खर्च की गई राशि का कार्यवार ब्यौरा परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(4) योजनावार कार्यों की सूची परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(ब्यौरा एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-70

(स्थगित)

परियोजना निदेशक का विशेष वेतन प्रकरण

71. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विशिष्ट योजना संगठन विभाग में कार्यरत परियोजना निदेशक जो मुख्यालय में कार्यरत हैं उन्होंने वित्त विभाग की बिना अनुमति के विशेष वेतन उठाया? यदि हां, तो किन-किन ने कब से कब तक कितनी-कितनी राशि किस आधार पर उठाई?

(2) क्या अभी भी उक्त अधिकारी विशेष वेतन उठा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि उक्त वेतन नियम विरुद्ध उठाया गया तो किस प्रकार से कब तक उनसे

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वसूल किया जायेगा? नियम विरुद्ध राशि उठाने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

छत्तरगढ़ (बीकानेर) के किसानों को भू-आवंटन

72. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निम्न किसानों ने विशेष आवंटन में कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु रुपये 500-500 जमा कराकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुख्यालय बीकानेर को आवेदन किया था :–

1. श्रीमती जमना पत्नी श्री रामेश्वर लाल सा. चक 33 के. वाई. डी.
2. श्रीमती मनोहरी पत्नी श्री मूलाराम सा. चक 33 के. वाई. डी.
3. श्री जेठाराम पुत्र श्री राजूराम सा. लाडेरा सा. चक 33 के. वाई. डी.
4. श्री फूसाराम पुत्र श्री नारायण राम सा. मूंडसर

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारों ने विशेष आवंटन में कृषि भूमि प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक 500 रुपये के चालान की प्रति सहित जमा करवा दिये थे ? यदि हां, तो उक्त काश्तकारों के आवेदन-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विशेष आवंटन नियम 13 (ए) के तहत भूमि का आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.88 तक आमंत्रित किये गये थे। इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत इन किसानों ने पांच पांच सौ रुपये जमा कराकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं किये गये हैं, इसकी जानकारी सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर को नहीं हो रही है, क्योंकि दि. 24.12.88 से जो प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे उनका दायरा रजिस्टर जी ए-55 की रसीद बुकें भूतपूर्व आवंटन अधिकारी श्री वृद्धिचंद (आर. ए. एस.) की जांच में विभाग के पत्र क्रमांक पीए/93/10606 दि. 2.9.93 द्वारा आयुक्त, विभागीय जांच राज. जयपुर को भेजे गये हैं। दायरा रजिस्टर उपलब्ध होने से ही तथ्य सामने आ सकेगा कि इन विज्ञप्ति के अन्तर्गत कितने प्रार्थना पत्र किस-किस के जमा किये गये थे।

(2) यह सही नहीं है कि विशेष आवंटन नियम 13 (ए) के तहत उक्त काश्तकारों ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 31-12-88 तक पांच सौ रुपये के चालान की प्रति सहित जमा करा दिये गये थे। आवंटन अधिकारी के द्वारा दि. 24-12-88 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की गई

(उपनिवेशन मंत्री)

थी। इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत इन काश्तकारों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, अथवा नहीं किये गये है, की जानकारी विभाग को रिकार्ड के अभाव में उपलब्ध नहीं हो रही है।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने के कारण श्री अब्दुल अजीज सदस्य विधान सभा ने दिनांक 22.3.99 से सत्रान्त तक श्रीमती जकिया इनाम, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 21.3.99 से 9.4.99 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इनको सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री राजेन्द्र राठौड़ (140) एवं 17 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के 20 जिलों के 18,700 गांवों को राज्य सरकार द्वारा कथित अकालग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (20) सदस्य विधान सभा की ओर से जिला अलवर के खेड़लीगंज में एक विवाहिता के अपहरण की घटना तथा इस सम्बन्ध में आन्दोलित व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेन्द्र व्यास (183) सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के पास पठाई खेड़ा और बमवाद के बीच एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों द्वारा पीट-पीट कर मार दिये जाने की कथित घटना का एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। मैं सदन की ओर से खास कर एस. टी., एस. सी., ओ. बी. सी. के माननीय सदस्यों की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से मुख्य मंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं कि अम्बेडकर जयंती पर आपने 14 अप्रेल की छुट्टी घोषित की है। इससे यह प्रतीत होता है कि एस. सी. एस. टी. और ओ. बी. सी. और दलितों, पिछड़ों और शोषित, आपमें अपनी तस्वीर देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है उससे पूरे राजस्थान का माहौल गरमा रहा है और वो महिला जिसकी बेटी अपहृत हुई है, वह जयपुर में दर-दर भटक रही है। आपने आज भी अखबार में पढ़ा होगा, वह मामला बहुत गम्भीर है। इसमें आप हमको आज ही बोलने की इजाजत दें। गोलिया चल गई, पुलिस ने कई निहत्थे लोगों को मार डाला और कई लोगों पर मुकदमें लगा डाले। पुलिस का वहां पर आतंक है, लीडर आफ़ दी अपोजिशन वहां पर हो आए, दर्जनो एम. एल. एज. वहां पर होकर आ गए। आपकी सरकार के दो-दो, तीन-तीन मंत्री सारी स्थिति का जायजा ले आये। वहां पर स्थिति बड़ी गम्भीर बनी हुई है। इस गम्भीर महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह प्रस्ताव आपने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। एक प्रस्ताव अभी मैंने 11 बजे से पहले विधान सभा में पेश किया लेकिन उस प्रस्ताव का महत्व जाता रहेगा। कल एक इंटरनेशनल मैच इण्डिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। खबर यह है कि एक फर्जी टिकट का बहुत बड़ा रैकिट पुलिस ने पकड़ा है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। जब इतना सा तो कन्फर्म करदे होम मिनिस्टर कि अगर वाकई में नहीं पकड़ा जब तो इश्यू बनता नहीं है और अगर पकड़ा है अध्यक्ष महोदय तो....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव समय पर नहीं आया उसके बाद आया है। 11 बजे के बाद आया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उस रूलको रिलेक्स तो आप करते हैं । आपको पावर्स हैं आप उसका थोड़ा सा महत्व समझें। कल अगर मैच हो जाएगा। अब अगर कल इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, भारी पैमाने के ऊपर ब्लैक के अन्दर टिकट बेचे गए तो अलग है। लेकिन भारी पैमाने के ऊपर, भारी तादाद में फर्जी टिकट छापे गये हैं। वह बेचे गये हैं, वह पकड़े गये हैं। अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जायेगी, लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रोब्लम खड़ी हो जाएगी। भारतवर्ष की छवि का सवाल है विशेषकर हमारे राजस्थान प्रदेश की छवि का भी प्रश्न है। मैं सिर्फ इसलिए जोर दे रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा इश्यू है वो आपकी जानकारी के लिए भेजा है मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका महत्व खतम हो जायेगा। यह तो कल मैच होने वाला है। अगर होम मिनिस्टर इतना बता दें कि कोई गिरोह पकड़ा है, क्या फर्जी टिकट पकड़े हैं क्या, बस इतनी-सी बात है। बहुत बड़ी पैमाने पर...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी जानकारी में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। मैं तुरन्त अभी जानकारी देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मालूम कर लें। अगर यह सही है तो आप स्टैटमेंट दें, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अभी पता लगा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार की एक न्यूज आई थी अखबारों में। इस तरह से जो पासेज हैं बिना नम्बर के जो कहीं पर प्रिंट हो रहे थे, वह पुलिस ने पकड़े हैं, इस क्रिकेट मैच के सम्बन्ध में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेटमेंट दिलवा दे साहब।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आज स्टेटमेंट नहीं होगा क्यों कि आलरेडी एक्शन इसमें ले लिया गया है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि कल कानून एवं व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से बनी रहे और मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में सतर्क भी है और उसने सभी आवश्यक कदम भी उठाये है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनभिज्ञ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सतर्क हैं कि सरकार सतर्क है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आप सतर्क हैं या सरकार सतर्क हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार तो अनभिज्ञ है अध्यक्ष महोदय। सरकार को पता ही नहीं है। हां, आसन सतर्क है।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा समझकर चलता हूं सरकार सतर्क है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर सरकार सतर्क है तो बात ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय दिवस के ऊपर कुछ बम वगैरह वहां पर रख दिये गये थे। आपकी सतर्कता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब भी उन लोगों ने इस तरह से यह गैर कानूनी कार्यवाही की। अब ज्यादा भीड़ नहीं हो जाये वहां, अनमैनेजेबल न हो जाए। करीबन 16000, मैंने तो अखबार में पढ़े थे, 16000 बिना नम्बर के थे, पुलिस ने उन्हें सीज कर दिया है और उतनी ही सीटें है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है, आसन तक को इसकी जानकारी है लेकिन होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है, वाह साहब। सबने अखबार पढ़ा है लेकिन गृह मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना जानकारी प्राप्त किए इस वक्त मेरे लिए कुछ कहना, मैं तुरन्त इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरन्त प्राप्त कर लेता हूं इसकी जानकारी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आपने एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की है, उस सम्बन्ध में मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खेड़ली में किस प्रकार की स्थिति है, मैं चाहूंगा कि सरकार उस सम्बन्ध में आज वक्तव्य दें। उसके दो कारण हैं। एक तो जिस लड़की का अपहरण किया गया है, उस लड़की की मां परसो मुझसे मिली। मैंने उसको बताया कि जितनी भी क़ोशिश करनी है वो सरकार से हम कोशिश करायेंगे कि लड़की बरामद हो जाए लेकिन वो इतनी उग्र थी कि अगर लड़की नहीं बरामद हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा कि शायद ही इस बात की आवश्यकता नहीं रहे। मैंने काफी समझाया लेकिन आज अखबारों में पढ़कर मुझे फिर इस बात की चिन्ता हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़की तो गयी और लड़की की मां लड़की की बरामदगी नहीं होने के कारण से आत्महत्या कर ले। यह प्रश्न बहुत आवश्यक है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब विधान सभा 30 को मीट करेगी या 31 तारीख को विधान सभा का अधिवेशन होगा। यह सात दिन का गैप है। और इस सात दिन के गैप में कोई भी दुर्घटना वहां हो सकती है। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि गृह मंत्रीजी आज़ ही वक्तव्य दे दें, और इस विषय पर थोड़ी चर्चा हो जाए। इस मामले को आगे के लिए नहीं छोड़ा जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न खड़ा किया है, और वे चाहते हैं कि आज ही इस प्रकार का स्टेटमेंट हो। यह आपका एडजोर्नमेंट मोशन है। और एडजोर्नमेंट मोशनके सम्बन्ध में बिना जानकारी लिये हुए मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता और जब मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता तो फिर मंत्रीजी स्टेटमेंट कैसे देंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आप अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : उनको मैं अनुमति दे दूं, सम्मति दे दूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को, आप नियम 50 से 56 की स्टडी कर लीजिये, हालांकि दोनों प्रकार की यहां परम्पराएं रही हैं और अगर मंत्रीजी तैयार हैं आज स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि आज वित्तीय कार्य बहुत महत्व का है वह लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद में वह एडजोर्नमेंट मोशन इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो जाए, कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इन्फ्रक्चुअस कराने के लिए तैयार हैं तो आज अपने पास जो वित्तीय कार्य हैं उसको सम्पन्न कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो 26 तारीख को बजट पेश नहीं हो सकता। तो मैं 26 तारीख इस के लिए मुकर्रर कर देता हूं कि 26 तारीख को ये स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 26 तारीख को बजट है। बजट के बाद में सेशन होगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं। फिर 31 तारीख को होगा या शायद एक तारीख को होगा। इस बीच में सात दिन निकल जाएंगे। इसलिए उनके पास तैयार है तो वह दे दें स्टेटमेंट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में विधान सभा सचिवालय से आज प्रातः 7.45 बजे यह सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैंने इसके तुरन्त बाद इसकी जानकारी अपने विभाग से ली। उनको भी देर रात तक आपके यहां का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। आप मुझे थोड़ा समय दे दें श्रीमान्। जैसा आपका आदेश होगा, आज यह विधायी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे निपटा लें। तब तक मैं तैयारी भी कर लेता हूं और उसके उपरान्त अगर आसन चाहेगा तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उसका पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य समाप्ति के बाद....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कार्य तो सम्पन्न होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं और जल्दी खतम कर देंगे। ज्यादा अच्छा हो कि यह पहले स्टेटमेंट दे दें और वित्तीय कार्य तो जिस समय भी आप कहें, सम्पन्न हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं इसमें समय लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः मुझे मिला और कुछ समय तो आसन मुझे देगा ही इसके लिए। At least you will give me sometime, अध्यक्ष महोदय, to get ready. Otherwise it will not be possible for me, अगर मैं पूरे फैक्ट्स थोड़े और गैदर कर लूं। मुझे कुछ तो मालूम है। आपने मुझे अभी तो दिया है, आज सुबह ही तो मुझे मिला है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि हरेक पर मोशन दिये जाएं ? गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। इतना सक्षम गृह मंत्री हैं, इतना बर्निंग इश्यू है। रोजाना अखबारों में आ रहा है। फायरिंग हो गयी, तो आप इसमें क्या इन्फार्मेशन इकट्ठी करेंगे ? इसका मतलब आपका आज तक कोई सुपरविजन ही नहीं है, आपका कांटेक्ट ही नहीं है। पूरे फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए होम मिनिस्टर को। इतनी बड़ी वारदात हो जाए और आप जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाये हैं। (व्यवधान) आप अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी है। लेकिन इस नोटिस में कुछ नये तथ्यों को उजागर किया है, उनके बारे में तो मुझे जानकारी लेनी ही पड़ेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नोटिस तो आज ही मिला है लेकिन गवर्नमेंट को, खुद को कहना चाहिए था स्टेटमेंट के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन के बाहर तो मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण पर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

प्रकाश डाल चुके हैं और 21 तारीख को अपने विधायक दल की मीटिंग के बाद प्रेस कार्फ्रेंस में खेड़ली प्रकरण पर उन्होंने पूर्व विस्तृत रिपोर्ट प्रेस को ब्रीफ भी की है। तो फिर तथ्य तो आपके सामने 21 तारीख को ही थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल :....हमारा मामला पैण्डिंग है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अपनी बात कह रहा हूं। (व्यवधान) क्या +++ रहे हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : क्या बात कर रहे हो ? चुपचाप....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको अपना अधिकार है, मुझे मेरा अधिकार है। आप ऐसे कैसे धमका सकते हो? आप अध्यक्ष को कहिए। मैं अध्यक्ष जी को इंगित करके अपनी बात कह रहा हूं। You are not a class monitor, Keep yourself within limits. (व्यवधान) नहीं, आप भी नहीं कर सकते मुझको। You should Keep yourself within limits. आप कैसे कर सकते हो ? मैं अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी हाउस में मौजूद हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ....

श्री रतनाराम चौधरी : यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी, वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गयीं। और यह जानकारी में आया है कि पेपर आउट हो गये। क्या कारण हुआ, क्यों परीक्षाएं स्थगित की गयीं, पेपर कैसे आउट हुए, कौन लोग इसके लिए दोषी हैं, क्या कार्यवाही सरकार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सदन चल रहा है तो शिक्षा मंत्रीजी सदन को अवगत करायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह मैच के विषय में भी मंत्रीजी जानकारी प्राप्त कर लें। कल के क्रिकेट मैच के फर्जी टिकट का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है। मंत्री जी जब बात करके आयें, तो मैच के विषय में भी बात करके आयें।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी कुछ नहीं है, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपका निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : इतनी सारी बातें गृह मंत्रीजी कैसे बतायेंगे। आप भी कैसी बात कर रहे हो।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उन्होंने ये बताया नहीं वापस।

श्री जगत सिंह दायमा : ये आदमी हैं, मशीन थोड़े ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब तक खेड़ली प्रकरण उठा दिया विपक्ष के नेता महोदय ने। इसलिए उनकी बात सुनकर मैं यहां कह रहा था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक दिन में एक ही काम करते हो क्या? क्या गृह मंत्री हो, दो स्टेटमेंट भी दे सकते हो एक दिन में। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने तो सबसे काबिल आदमी समझकर के गृह मंत्री बनाया है और आप एक दिन में एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद ने जो प्रश्न उठाया है, इस तरह के प्रश्न रोज कोई न कोई विधायक, जब तक विधान सभा का अधिवेशन चलेगा, उठायेगा। अब उन प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करने का, इमीजिएट जो क्वेश्चन हैं, उनमें तरीका है एडजोर्नमेंट मोशन का। और यह बात बिल्कुल सही है कि आपके पास एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना आती है। आप सरकार से सूचना प्राप्त करते हो। मैं यह चाहूंगा कि ऐसे बर्निंग टापिक्स के ऊपर कोई एडजोर्नमेंट मोशन की आवश्यकता नहीं हो, सरकार अपनी तरफ से ही सदन में स्टेटमेंट दे दे। हमने दिये हैं, खूब स्टेटमेंट दिये हैं। आप यह मत कहें। इसलिए अपने आप ही स्टेटमेंट दे दे और उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को पहले से ही मिल जाए। अब आज परीक्षाएं स्थगित हो गयी तो जो भी परीक्षा देने वाले हैं, उनके सामने एक चिन्ता का विषय खड़ा हो गया। एक एग्जामिनेशन का पेपर तो आउट हो गया। उसके कारण से वह स्थगित हो गयी। आगे एग्जामिनेशन की क्या व्यवस्था है, इसके कारण से सब के दिमाग मे चिन्ता रहेगी कि आगे कही पेपर आउट नहीं हो जाएं और हमारी मेहनत बेकार नहीं चली जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के बर्निंग टापिक्स के ऊपर सरकार सुओ-मोटो एक स्टेटमेंट देने की व्यवस्था करे ताकि किसी प्रकार का विवाद भी नहीं हो और सार्थक चर्चा भी हो।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है उससे मैं सहमति व्यक्त करता हूं और कोशिश करेंगे कि सुओ मोटो स्टेटमेंट आ जाए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो अखबार में आया है, जो फैक्चुअल मैटर है जिससे जनहित प्रभावित हुआ है। बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मिनिस्टर चाहते हैं सुओ मोटो स्टेटमेंट देना, तो मैं उनको, नहीं, वह मेरी अनुमति से ही दे सकते हैं, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता महोदय, नियम 290 होगा शायद ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम कोई भी हो।

श्री अध्यक्ष : नियम 290 के अन्तर्गत (व्यवधान) मैं ठीक कह रहा हूं। नियम 290 के अन्तर्गत आज मैं, मुझसे उन्होंने अनुमति चाही थी और बिजनस में कोई उसका उल्लेख नहीं है। तो भी मैंने सिंचाई मंत्रीजी को आज वक्तव्य देने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पानी के विषय में है।

श्री अध्यक्ष : पानी के विषय में है। वह बहुत इम्पोर्टेन्ट मैटर है और दूसरा, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में भी अगर स्वंय भी सरकार वक्तव्य देना चाहे तो मैं अपनी तरफ से निश्चित रूप से उनको अनुमति दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आप समय निश्चित करेंगे, वक्तव्य दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने क्या कार्यवाही की, वह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं होगा। ठहरिये। एक प्रश्न चल रहा है। नहीं नहीं, यह एडजोर्नमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडजोर्नमेंट ही होना चाहिए। नहीं, आज अगर शिक्षा मंत्रीजी देना चाहें, क्योंकि कल तो ये वक्तव्य देंगे नहीं, 26 को होगा नहीं, परीक्षाएं चलती रहेंगी, अनिश्चितता नहीं रहे, इस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता महोदय को बताना चाहूंगा कि कल ही यह निर्णय ले लिया गया था कि परीक्षाएं आगामी 22 अप्रेल से तय कर दी गई हैं। पूर्व में भी 1994 में भरतपुर में पीपला में पेपर चोरी हो गये थे और आपकी सरकार थी, 28 दिन पेपर आगे किये गये थे। और आइन्दा इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। तीन व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफ. आई. आर. वगैरह सब लोज कर दी गई है। चूंकि परीक्षा एक ऐसा विषय है, इसकी सेंक्टिटी बनी रहे, इसके लिए जैसे ही कल पता लगा, हमने कल ही डिसीजन लेकर टेलीविजन के माध्यम से, अखबारो के माध्यम से सब जगह यह प्रसारित कर दिया कि ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। और हमारी यह कोशिश रहेगा कि जो समय, जितना कम समय लग सकता था, उस समय को वर्क आउट करके आगामी तिथि डिक्लेयर कर दी गई है और आगे जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाये और उसको समय पर इवेल्युएशन हो जाये, इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है और राज्य सरकार से उनको, जो भी सहयोग बोर्ड को चाहिए, वह मैं दूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई बात रह जाये तो कोई पूछ ही नहीं सकता क्या? मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर यह वक्तव्य के रूप में ले लिया जायेगा, यह फिर अलग से नहीं लेंगे इसको।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सवाल तो पूछ ही सकता हूं। स्टेटमेंट के बाद कोई चीज समझ में नहीं आये, मैं देहाती इलाके का आदमी हूं, कम बुद्धि हैं। आप पूछ लेने दीजिये भाई, इसमें आपको क्या आपत्ति है? और स्टेटमेंट के बाद में मैं क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं कोई भी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो सदन के प्रतिपक्ष के नेता की मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप तैयारी नहीं होते हुए भी शिक्षा मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी। और जो आपने महत्वपूर्ण विषय बतलाया था, जो मुद्दा बताया था, उसमें माननीय शिक्षा मंत्रीजी का जवाब आ गया। विद्यार्थियों को, अधिकारियों को, आपको और हमको, सबको चिन्ता से मुक्ति दिला दी। अब क्यों इसको आगे बहस का मुद्दा बना रहे हैं?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट मंत्रीजी ने दिया है, उसमें हमें कोई चीज नहीं समझ में आये तो मैं पूछ सकता हूं, यह मुझे अधिकार है, क्या दिक्कत है आपको।

माननीय सचेतक महोदय, मैं एक तो यह जानना चाहता हूं अध्यक्षजी के माध्यम से कि जिन तीन अध्यापकों को आपने निलम्बित किया, उनके क्या नाम है? क्या आपने उनके खिलाफ पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज कराई है? यदि कराई है तो उसका नम्बर क्या है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : फिर आप चैम्बर में जाकर के कर लेना, सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं, चैम्बर में जाकर पूछ लेना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं नहीं, यह नहीं कहा था। पूछ रहा हूं तो क्या दिक्कत हो गई आपको? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अब स्टेटमेंट के रूप में लिया जाये क्योंकि यह सारा वक्तव्य भी मेरा आ गया है।

एक तो कल 10वीं और प्रवेशिका की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, बाकी सब परीक्षाएं विधिवत रूप से चलेंगी। जिन अध्यापकों को निलम्बित किया गया है, उनके नाम हैं :– (1) श्री चन्द्रभान भाटिया, वरिष्ठ अध्यापक, (2) श्री राजेश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर में कार्यरत थे और ये (3) श्री मूलचन्द वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एफ. आई. आर., एफ. आई. आर.।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एफ. आई. आर. लोज करा दी गई है और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतनी ही जानकारी चाहिए कि एफ. आई.आर. दर्ज हुई तो कौन-कौनसी धाराएं इसमें लगी हैं। कौन-कौनसी धाराओं में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने एफ. आई. आर. दर्ज की और इसमें शिक्षा बोर्ड पर कितना वित्तीय भार पड़ा? वित्तीय भार कितना पड़ गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूर्व में मंत्रीजी ने यह कोई सूचना नहीं थी कि वे इस प्रकार का कोई वक्तव्य देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर भी दे दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष : और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आई. पी. सी. के किस-किस सेक्शन के अन्दर आफेंस वहां कमिट हुआ है, और उसकी एफ. आई. आर. में क्या-क्या धाराएं लगी हैं, वह मंत्रीजी से, इस वक्तव्य के सन्दर्भ में उनसे कोई आशा, उपेक्षा रखना भी अनुचित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो अपेक्षा रख सकते हैं कि पेपर आउट किस तरह से हुआ?

श्री अध्यक्ष : पेपर कैस आउट हुआ, यह मंत्रीजी.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्रीजी को जानकारी थी, ये रात से ही चिंतित हैं, रात से ही अफसरों से सम्पर्क कर रहे हैं। कम से कम यह तो बता दें कि किस प्रकार से पेपर आउट हुआ?

श्री अध्यक्ष : हां, वह फैक्ट्स आपके पास...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अलग से वक्तव्य की जरूरत नहीं रहेगी अध्यक्ष महोदय, सारी चीज तो आ गई।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है। बाद में आपको कोई वक्तव्य नहीं देना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को जयपुर के महावीर स्कूल से केन्द्र संख्या....(व्यवधान) वह वहां कार्यरत था। एक मिनट, आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से इतना ही चाहूंगा कि ये परीक्षाएं आप अप्रेल से शुरू करेंगे, क्या इनके रिजल्ट्स समय पर आ जायेंगे और एडमिशन हो जायेंगे, यह व्यवस्था भी क्या मंत्रीजी करवाने में सक्षम हैं?

एक माननीय सदस्य : परीक्षा तो होने ही नहीं दी और पहले से रिजल्ट की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 20 मार्च, 99 को एक जीप में निम्नांकित नौ परीक्षा केन्द्रों की पेटी जीप द्वारा रवाना की गई। केन्द्र संख्या 458, 450, 518, 574, 514, 576 और 449। यह 12 बजे अपने गन्तव्य स्थान के लिए रवाना हो गई। रास्ते में अचरोल से पहले गुणावता को जाने वाली पुलिया पर बीछवाड़ी के पास केन्द्र संख्या 458 धोला की पेटी गिर गई, ऐसा उन्होंने बताया है और उनके ध्यान में नहीं रहा। 458 धोला केन्द्र पर पहुंचने पर जब यह पेटी नहीं मिली तो उन्होंने रास्ते में तलाशी की और देर रात होने के कारण जयपुर लौटकर, अगले दिन जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दी एवं 21 मार्च, 99 को भी नहीं मिलने पर आज बोर्ड को सूचना यानी 22 तारीख को बोर्ड को सूचना मिली। हमें जैसे ही यह सूचना मिली, हमने तत्परता से कार्यवाही की है और परीक्षा की सेंक्टिटी को बनाने के लिए ही परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जब मुख्य मंत्री थे, उस समय भरतपुर में पीपला में पेपर चोरी हुए थे और उस समय भी परीक्षाएं 28 दिन स्थगित की गई थी। इसमें मैं समझता हूं कि हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और आइंदा ऐसा फूलप्रूफ सिस्टम बनाया जायेगा ताकि इस बारे में कोई गुंजाइश नहीं रहे कि प्रश्न पत्र चोरी हो जायें या बीच में से गायब हो जायें।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये तीनों अध्यापक कौन से संघ से संबंधित थे? क्या इन्होंने जान बूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए षड़यंत्र तो नहीं किया है? इसलिए मैं चाहूंगा कि इन तीनों अध्यापकों के क्या पद हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो जांच का विषय है, जांच आने के बाद बता देंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरू के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के संबंध में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरण-सर की जनता के जीवन स्तर में सुधार हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आर. डी. 400 या आर.डी. 507 हैड से नहर निकाल कर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

(3) श्री अमीन खा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर के गडरारोड में इन्दिरा गांधी नहर योजना का पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री आर. पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना चिरसाना क्षेत्र के अन्तर्गत डा. भीमसिंह के कथित अपहरण की घटना पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में।

(5) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में जल विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति देता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जीरो आवर में एक सवाल उठाया था कि कल 22.3.99 को मत्स्य विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित किए गए थे और 22.3.99 को टेण्डर वहां पर दे दिये गये। जितनी भी अर्नेस्ट मनी थी वह भी दे दी गई और इसके बाद में टेण्डर खोल भी दिये गये। अब इन टेण्डरों को निरस्त किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधिवत मत्स्य विभाग ने टेण्डर काल किये पूरे ही राजस्थान में और काल करके जितने टेण्डर देने थे, वहां पर दे दिये गये। अर्नेस्ट मनी ले ली गई। और उसके बाद में उन टेण्डरों को निरस्त किया जा रहा है। सारे ही टेण्डर विधिवत थें और अब जान बूझकर के, क्या कारण है कि विभाग द्वारा, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि उन टेण्डरों को निरस्त किया जा रहा है। करोड़ो रूपयों के टेण्डर हैं और बिल्कुल नियमानुसार दिये हैं। मेरा निवेदन है कि टेण्डर जो विधिवत काल किये गये हैं उनको एज इट इज रखा जाय....(व्यवधान) खैर, कम्पीटीशन हुआ उनमें। जितने थे सब ने फेयर कम्पीटीशन दिया है। अर्नेस्ट मनी दी है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तुरन्त काग्नीजेंस लेकर जो टेण्डर हुए हैं, जिनमें सब में ही बराबर तीन से ज्यादा टेण्डर आये हैं, सभी प्रकार....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आप किस टेण्डर की बात कर रहे हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : मत्स्य विभाग, फिशरीज, मछली का। मछली विभाग के टेण्डर हुए थे।

श्री अध्यक्ष : मत्स्य डिपार्टमेंट का है तो बात यह है कि आपका न कोई....

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मेरा दिया हुआ है शून्यकाल में। इस पर मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है..

श्री अध्यक्ष : मेरा बहुत विनम्र निवेदन है....

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, वह कल का था साहब। टेण्डर खुल गये कल। उसको विधिवत स्वीकार किया जाना चाहिए। (व्यवधान) ऐसे मसले को कहां उठायेंगे साहब? मेरा निवेदन है साहब, मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं..

श्री अध्यक्ष : मेरा बहुत नम्रतापूर्वक आपको निवेदन है....

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार ने काल किये, हमने काल नहीं किये, हम तो ठेकेदार थे, जो लोग भी जिन्होंने दिये...

श्री अध्यक्ष : आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, एक बात। दूसरी बात, आपकी मेरे पास आज कोई सूचना नहीं है...

श्री हीरासिंह चौहान : मैं तो सरकार के नोटिस में ला रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : और बिना सूचना के, आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : सूचना दी है साहब, सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, आपको नियमों की पूरी जानकारी है...

श्री हीरासिंह चौहान : सही है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए इमीजियेटली यंह मसला यों उठाने से तो अब कौन जवाब देगा, उसका मतलब हीं नहीं है। बाकी लोगों को बोलने के लिए मैं कह रहा था। 295 वाले, पहले इनको बोलेने का अवसर दिया जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, वह तो बोलेंगे ही साहब, लेकिन यह विषय छूट रहा था, मंत्री जी तो बैठे हैं, सम्माननीय कमलाजी के पास इसका चार्ज भी है।

श्री खेतसिह राठौड़ (विधि मंत्री) : आप उपाध्यक्ष रहे हैं, नियमों का तो ध्यान रखिये।

श्री हीरासिंह चौहान : रहे हैं तो उसको उठायेंगे कब?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अटरू विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या

श्री मदन दिलवार (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू विधान सभा क्षेत्र ही नहीं वरन् पूरा हाड़ौती क्षेत्र जल संकट से जूझ रहा है। हजारों गांवों में पेयजल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु सरकार आंख बंद कर कानों में रूई डालकर कुम्भकर्णी निद्रा में सो रही है। गांवों के लगभग 80 प्रतिशत हैण्ड पम्प सूख चुके हैं। 28 प्रतिशत में कुछ पानी है तथा वह भी पाइप लाइन मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह के अन्दर एक पंचायत समिति में केवल तीस-तीस पाइप दी जा रही हैं और उसके कारण से तीस पाइप एक दिन में डालकर पूरे सप्ताह कर्मचारी बैठे रहते हैं। परन्तु उनमें पाइप पाइन नहीं डाली जा रही है। उदाहरणार्थ अटरू विधान सभा क्षेत्र के गांव फल्तूखेड़ी, रामपुरिया की झोंपड़िया कुण्डी, दातामोतीपुरा, बरावरी, हानीहेडा, कालामाल की टापरिया, चर्डाना, मोतीपुरा, बहादुरगंज, अरनिया, ढाबड़िया, छैलाबेल, हरनावदा, उग्रपुरा, कासमपुरा, काचरा, काचरी, डडवाड़ा, मोटूका, चांदव्यास खेड़ी, देवपुरिया, सरसोदिया, चोरतलाई, धूमेन, कराडिया गुलजी, कराडिया हाडा, कंवरपुरा, आमली, भोरा मिसनपुरा तहसील अटरू व करनाहेड़ा, बामनहेड़ा, कोटड़ा, कोटड़ी, फूसरा, ठूसरा, श्यामपुरा, वैंगना, बैंगनी, रटावर, बैराली, तूमडा, बोरदा, चोकी, तुलसरा, कोटड़ी, उन्डा, जगन्नाथपुरा, शंकरपुरा तहसील सांगोद, ढोबडा, डोबडी, कुदैत, विजयपुरा, तरकस्या, बोदिया खुर्द, मुरायता, आकोदिया, कीसनपुरा, गादरवाडा, वामडस्या, कोई खुर्द, चतरपुरा, हरिपुरा, लटूरा ऐसे अनेक गांवों में पानी नहीं है। हैण्ड पम्प बिलकुल सूख गये हैं। कुछ हैण्ड पम्पों में पानी है उनमें पाइप लाइन की आवश्यकता है परन्तु पाइप लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण से पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें ताकि इन गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी ।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जवाब दे दूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने 19-20 तारीख को कोटा सम्भाग की मीटिंग ली थी और माननीय सदस्य स्वंय वहां पर उपस्थित थे। मैंने समस्त अधिकारियों और माननीय जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी और जो भी हैण्डपम्प खराब हैं या पानी नीचे चला गया है, सूख गये हैं या पाइप की वजह से कोई डिफेक्ट आ गया है या नये लगाने हैं, सारे डाइरेक्शन इनके सामने ही दिये थे। मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि 15-20 दिन के अन्दर सारे हैण्डपम्प, जो खराब हैं, उनको ठीक कर दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में तीन-चार गाड़ियां भी लगा दी गई हैं और मेरी तरफ से, और विभाग की तरफ से समस्त कार्यवाही कर दी जायेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं आप जहां तक हो सके, सही बात ही का वर्णन करें तो ठीक रहेगा। इन्होंने ख्वामख्वाह हजारों हैण्डपम्पों की बात बता दी है जो इनके कार्यकाल में ही बनाये गये थे। अब मैं चाहता हूं वह सहयोग करें तो इनके यहां व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकती है। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यह कहकर आये थे कि पाइप लाइन उपलब्ध करवा दी जायेगी। मैंने कल मालूम किया है वहां गांवों में पाइप लाइन नहीं पहुंची है, लोग पानी बिना मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत...

श्री मदन दिलावर : पर माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है। इसलिए इस प्रकार के असत्य जवाब विधान सभा में न दें ....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को मैं बाध्य भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने सुओ मोटो जवाब दिया है।

श्री मदन दिलावर : उन्होंने माना है कि हां पाइप लाइन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, नहीं दी जा रही है। लोग पानी बिना मर रहे हैं। आपने भी अधिकारियों को लताड़ा है और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अधिकारियों को लताड़ा है। परंतु आपने पाइप लाइन उपलब्ध नहीं करवाई आज तक, और आपने चार गाड़ी, तीन गाड़ी की बात कही है, यह भी असत्य है केवल दो गाड़ी काम कर रही है। और गाड़ियां भी ऐसी हैं जो मुर्दा-मवेशी ढोती है। ऐसी गाड़ियां है (व्यवधान) साढ़े तीन सौ रूपये में कौन गाड़ी उपलब्ध करवाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इस प्रकार से कैसे काम होगा। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अच्छी गाड़ियां जो पांच सौ, छह सौ रूपये प्रति दिन में मिलती है, उन अच्छी गाड़ियों को लें ताकि ठीक समय पर हैण्डपम्प ठीक करने के लिए पहुंच जाए। पर्याप्त मात्रा में पाइप लाइन उपलब्ध करवायें तो आपकी कृपा होगी इस राजस्थान की जनता पर।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आर. डी. 400 या आर. डी. 507 हैड से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई क्षेत्र के विस्तार हेतु सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं :–

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें 2.96 लाख मतदाता हैं और 14 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल है। इस विधान सभा क्षेत्र में सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं। बारानी क्षेत्रों में महादेव वाली, केला, राणासर भटियान, अजीतमाना, मंकड़ासर, सोढवाली, खियेरा, खोखराना व धीरेरा ग्राम पंचायतों के क्षेत्र हैं जहां आम तौर पर अकाल पड़ते रहते हैं। लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। क्षेत्र में टी. बी. का प्रकोप सबसे बड़ी मात्रा में पौष्टिक भोजन के अभाव में है। जनता के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार के पास कोई विशेष योजना नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु इंदिरा गांधी नहर के आर. डी. 400 या आर. डी. 507 हैड से नहर निकाल कर सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार के जियोलोजिकल सर्वे शीट के आधार पर लगभग 100 फीट से 120 फीट की लिफ्ट नहर की योजना बनानी होगी। इस क्षेत्र की कृषि भूमि बहुत उपजाऊ है। अतः इस क्षेत्र के लिए उपरोक्त योजना के निर्माण क्षेत्र का सर्वे कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार कंवरसेन नहर की आर. डी. 301 (लेफ्ट) बाईं तरफ 40 से 50 फीट की लिफ्ट नहर प्रस्ताव करके लूणकरणसर के आस पास की बस्तियों कालवास व नाटावाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसनासर, राजपुरा, मनाफरसर तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। अतः सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करके इन क्षेत्रों के लिए सर्वे कराकर योजना तैयार करने हेतु निवेदन कर रहा हूं ताकि आगामी पंचवर्षीय योजना में इसको क्रियान्वित किया जा सके।

गडरारोड में इंदिरा गांधी नहर योजना का पानी पहुंचाना

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : नियम 295 के तहत निवेदन है कि जिला बाड़मेर का सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का भंयकर संकट है। और इस बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र में जमीन के अन्दर भी पानी नहीं है जिससे शासन, जनता के सामने बहुत बड़ा संकट है। इस संकट का उपाय केवल इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड शाखाओं का युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर शीघ्र पानी पंहुचाना चाहिए। पिछली सरकार ने गडरा रोड शाखा का कार्य करीब-करीब ठप्प कर दिया है और अभी तक वहीं हालत बरकरार है।

(श्री अमीन खां)

अतः मैं अध्यक्ष महोदय, की मार्फत इन्दिरा गांधी नहर मंत्री से चाहूंगा कि गडरा रोड शाखा का कार्य दोनों तरफ चालू कर दो सालों में पानी गडरा रोड पहुंचाकर लाखों लोगों व पशुओं को राहत दिलाएं।

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के नादौती तहसील में जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोलना

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती जिसमें मेरा माड एरिया आता है। सम्पूर्ण इलाके के पीने का पानी इन्सान एवं जानवरों को एक मात्र नल स्कीमों के माध्यम से ही मिलता है। 40 वर्ष से यहां पर स्कीमें चल रही है। गुढ़ाचन्द्र जी से सारे स्त्रोत पानी ले रहे हैं। नादौती तहसील जहां पर पूर्व में हिण्डौन बैठने वाले सहायक अभियंता कार्य कर रहे थे। हिण्डौन के सहायक अभियंता के पास हिण्डौन का बहुत लोड था और वह इस नादौती तहसील को नहीं सम्भाल सकता था। फिर इसे टोडाभीम में नादौती भी लगा दिया जब कि टोडाभीम के सहायक अभियंता के पास भी इतनी स्कीम है कि वहां के कार्य को भी वह ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समय में मैंने लगातार इस मांग को उठाया पर सरकार के खिलाफ होने के कारण मेरी इस उचित माग को नहीं माना जब कि अन्य तहसील हैडक्वार्टर्स पर इसी सदन में उपखण्ड खोलने की घोषणा हुई थी और मैं सुनता रहा। धर्म रखा कि जब मेरी सरकार आवेगी तब काम हो जावेगा। इस नादौती तहसील जिले में कोई भी कुएं वगैरह नहीं है। पानी मिलता है वह भी खारा। हैण्डपम्प भी सफल नहीं है। 46 लाख की स्कीम मंजूर हो गई पर अभी तक एक ग्राम को भी पानी नहीं मिल पाया क्यों कि अफसर समय पर देख नहीं पाते हैं। जो स्कीमें चल रही हैं वे ज्यादातर अफसर के अभाव में बन्द पडी हैं। आये दिन आंदोलन होते रहते हैं।

अतः श्रीमान जी से मैं इस प्रक्रिया के विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब सरकार तहसील स्तर पर उपखण्ड खोलकर सहायक अभियंता बैठा रही है तो मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है जब कि पानी का सहारा एक मात्र नादौती तहसील में यह नल स्कीम है, जिस पर सहायक अभियंता कार्य नहीं कर रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय खोलकर समस्या का समाधान करें।

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ रहे हैं आप? आप बैठिये आप तो बहुत बातें पढ़ गये हैं जिनका उल्लेख ही नहीं है इसमें वे भी पढ़ गये हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन

(श्री रामस्वरूप मीणा)

करूंगा कि वे कृपया एक शब्द तो कहें इसके बारे में। पिछले वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे अब आप देंगे या नहीं देंगे कुछ तो आश्वासन दें साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं यहां पर मेरे साथ इतने कठोर क्यों हो रहे हैं साहब? पानी की समस्या है। भयंकर समस्या चल रही है मेरे यहां पीने के पानी की। अफसर कोई बैठता नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के नोर्म्स बने हुए है। कितनी आबादी है, कितने गांव हैं, कितने उसमें जे. ई. एन. लगे हुए हैं ये सारी बाते देख करके अगर वाकई में आपका हक बनता है तो वह पूरा किया जाएगा।

थाना चिरसाना (भरतपुर) में डा. भीमसिंह का अपहरण

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के द्वारा अपने क्षेत्र के डा. भीमसिंह शर्मा के अपहरण के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिंनाक 21.11.98 को डॉ. भीम सिंह का अपहरण हुआ जिसके बारे में गुमशुदा रिपोर्ट दिंनाक 22.11.98 थाना चिरसाना में दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की एवं डाक्टर के घर वालों द्वारा अपने प्रयासों से इस संबंध में तहकीकात करने पर सही अपहरणकर्ताओं का पता लगा दिया तथा दिंनाक 23.2.99 को एक एफ. आई. आर. थाना चिरसाना में दर्ज कराई गई। सभी व्यक्तियों के नाम जो इस अपहरण में लिप्त हैं, उनकी बाई नेम रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन आज तक भी डा. भीम सिंह का पुलिस द्वारा कोई पता नहीं लगाया गया है, तथा संबंधित अपराधियों को भी पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है।

अतः गृहमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की इस समस्या को शीघ्र समाधान कर अपहृत डॉ. भीम सिंह को अपराधियों से मुक्त कराकर समस्या का समाधान करेंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष : पर्ची पद्धति से आज चार माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाती है। श्री मदन दिलावर। नागौर जिले के सम्बन्ध में

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी को नागौर जिले के खजवाना गांव में एक नसबन्दी कैम्प लगा था और उसका उद्देश्य था कि जनसंख्या की कमी हो और अधिक संतानें पैदा करने पर रोक लगे। यह बहुत अच्छा कैंप था और उद्देश्य भी बहुत अच्छा था। पर एक ऐसी लड़की, जो चार-पांच महीने पहले ही महिला बनी थी, शादी होकर के इस गांव में आयी, और उसका दुर्भाग्य देखिये आप। उसके थोड़ी सी जुकाम हो

(श्री मदन दिलावर)

गई। जुकाम की दवा लेने के लिए वह अस्पताल में जाती है। अस्पताल में जाते ही वहां के डॉक्टर्स लोग उसको पकड़कर और जबरदस्ती उसको लिटाकर, दवा सुंघा कर उसका आपरेशन कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी शर्मनाक घटना इस प्रकार से ऐसी घटना होने से, इस जनसंख्या पर पाबंदी जब हम लगाना चाहते हैं, तो फिर कितना बुरा असर पड़ेगा। लोग अस्पताल के आस-पास जाने से घबरायेगें। कोई यदि उसके साथ अटेंडेंट जाएगा तो वह भी घबरायेगा कि कहीं पकड़कर मेरी नसबन्दी नहीं कर दी जाए। उस 18 वर्षीया संतूरी नाम की श्री केशूराम प्रजापत की पत्नी है, और ओ. बी. सी. की है। गरीब है, अत्यंत गरीब है। अनपढ़ थी। उसकी जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गई। सरकार ने केवल एक डॉक्टर को निलम्बित करके अपनी इतिश्री समझ ली। वहां की व्यवस्थाएं क्या थी? आखिर चिकित्साधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? निदेशक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने क्या नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देने की बात की?

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्टेटमेंट मत दीजिये। आप ध्यानमें लाये क्योंकि पर्ची पद्धति में दो मिनट का समय दिया जाता है। आप इसको बहुत लम्बा कर रहे है।

श्री मदन दिलावर : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उसको क्या रिलीफ दी गई? क्या उसकी नसबन्दी वापस जोड़ दी गई जो सक्सेस रहेगी इसकी गारंटी है? उसके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मैं समझता हूं कि आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। यह इमरजेंसी की पुनरावृति हो रही है। जब बसों में भर-भरकर जबरदस्ती ले जाकर नसबन्दी कराई जा रही थी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें। आपने तो चर्चा प्रारम्भ कर दी। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। श्री कन्हैया लाल। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हाल ही में ग्राम मोहनपुरा और गावड़ी के अन्तर्गत गरीब किसान जिसने अपनी मेहनत की कमाई से सरसो की फसल को पैदा किया था उसको बड़ी मुश्किल से लाकर खलिहान में रखा था। लेकिन बड़े दुख की बात है उसी खलिहान में आग लगी और आठ-दस किसान जिनके एक ही जगह सरसो के खलिहान थे वे जलकर राख हो गये और आज उनमे हाहाकार मचा हुआ है। सारे किसान रो रहे हैं। एक दाना भी सरसों का नहीं बचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों के साथ यह जो अन्याय हुआ है, यह घटना घटी है जिसके कारण आज उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं, उनकी साल भर की कमाई चली गई, जिस प्रकार एक जवान बेटे की मौत हो जाये उससे उसके परिजनों को जितना दुःख होता है इतना दुःख उन किसानों को हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जिन लोगों की फसल नष्ट हुई है, कृपया आप मेहरबानी करके उनको सहायता राशि स्वीकृत करें और साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि किसानों के साथ आये दिन यह घटना होती रहती है। इसलिए आप फसल बीमा योजना के लिए इस सदन में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव लांये, इस प्रकार की योजना मंजूर करें, इसके लिये चाहे सेंट्रल सरकार को लिखना पड़े तो उसकी भी कार्यवाही करें। क्योंकि किसानों की आये दिन इसी प्रकार फसलें जलती रहती हैं। इसलिए मेरे क्षेत्र मे किसानों के साथ यह जो अग्निकाण्ड हुआ है, मेहरबानी करके उनको सहायता दिलवायें और उसकी जांच करवा कर आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो उसके बारे में भी कार्यवाही करें। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। अब आगे लंबी मत कीजिए। आपने उठा तो दिया पहले।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, पहले वो इर्रेगुलर हो गया था इसलिए पुनः निवेदन कर रहा हूं। कल 22 मार्च को राजस्थान फिशरीज डिपार्टमेंट में जितने भी जलाशय हैं, उनके टेंडर इन्वाइट किये थे और टेंडर इन्वाइट करने के बाद में लोगों ने नियमानुसार टेंडर भर भी दिये और देने के बाद ओपन भी हो गये और ओपन होने के बाद कोई भी टेंडर ऐसा नहीं था किसी भी जलाशय का, किसी भी टैंक का, कि वहां पर तीन से ज्यादा काम्पीटिशन में नहीं आये हो। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिली है कि नियमानुसार जो टेंडर खोले गये, उनको स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और कुछ बड़े ठेकेदार, जिनके टेंडर में नाम नहीं थे या टेंडर कुछ समयाभाव के कारण वो दे नहीं सके ...

श्री अध्यक्ष : यही सब बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि इसमें मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण देवें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जावे।

श्री अध्यक्ष : देना चाहेंगी ?

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जितनी जानकारी मैं ले चुकी हूं उसके मुताबिक जो टेंडर खुले हैं उसमें पूरा काम्पीटिशन नहीं आ पाया। ऐसी कुछ स्थिति बनी। क्योंकि कुछ ठेकेदारों ने रेट्स के मामले में एतराज करके टेंडर देने का बायकाट कर दिया और उन्होंने टेंडर्स नहीं भरे। इसलिए कुछ सलेक्टेड लोगों ने ही टेंडर्स भरे और जो ठेकेदार थे, उन्होंने एतराज करके, बायकाट करके टेंडर्स नहीं भरे, जिससे सरकार को जितनी आमदनी हो सकती थी, वह आमदनी उतनी नहीं हो पा रही है। ऐसा सोचकर उनको

(श्रीमती कमला)

अभी रोका गया है। उसकी पूरी तरह से जांच करके एज इट इज इसको रखा जाये, न घोषित किया जाये और न कैंसिल किया जाये, इस तरह के मैंने आदेश दे दिये हैं और उसकी जांच करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री चन्दनमल बैद प्रभारी मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा), सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को उपस्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिवेदन को उपस्थापन करने की अनुमति प्रदान की गई।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंजाब द्वारा राजस्थान तथा सरहिन्द फीडर में बन्दी के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री द्वारा वक्तव्य

शासकीय वक्तव्य

पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर में बंदी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर के बंदी लेने के लिये सूचनाएं घोषित की जा चुकी हैं जिसके तहत राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो कार्यवाही की, जो व्यवस्थाएं की उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहती हूं।

राजस्थान का रावी, सतलज और व्यास नदियों के जल में एक बड़ा हिस्सा है। इन नदियों से आजादी से पूर्व में हमें 1.11 एम. ए. एफ., 1955 के रावी-व्यास समझौते से 8.00 एम. ए. एफ. एवं 1981 के रावी-व्यास के दूसरे समझौते से 8 एम. ए. एफ. के विरुद्ध 8.60 एम. ए. एफ. तथा भाखड़ा नांगल अनुबन्ध 1959 के अन्तर्गत 1.41 एम. ए. एफ. अर्थात इन नदियों से 11.12 एम. ए. एफ. जल राजस्थान के हिस्से में आता है। यह जल बीकानेर नहर, भाखड़ा मुख्य नहर, सरहिन्द फीडर एवं राजस्थान फीडर के माध्यम से राजस्थान पहुंचता है। पानी का मुख्य स्रोत सरहिन्द फीडर तथा राजस्थान फीडर है।

ये दोनों फीडर पंजाब में स्थित हरिके हैडवर्क्स से निकलती है। पंजाब सरकार ने दिनांक 15.2.99 को दो अधिसूचनाएं जारी की जिनके अनुसार सरहिन्द फीडर में दिनांक 20.3.99 से 4.4.99 तक एवं राजस्थान फीडर में 27.3.99 से 10.4.99 तक बन्दी सूचित की गई। यह अधिसूचनाएं उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 63 के अन्तर्गत निकाली गई है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार पंजाब सरकार साल में एक बार किसी भी नहर में बंदी ले सकती है।

यह अधिसूचनाएं पंजाब सरकार ने एक तरफा जारी की है। राजस्थान सरकार से न तो विचार-विमर्श किया गया और न ही राजस्थान सरकार से राय ली गई है। पंजाब सरकार सरहिन्द व राजस्थान फीडर के नीचे से एक साइफन नहर निकालना चाहती है। इससे उनके सेमग्रस्त गांवों से पानी निकासी की जाएगी।

इस प्रस्तावित बन्दी के बारे में राजस्थान को अनौपचारिक स्तर पर दिनांक 29.1.99 को पता चला। सरकार ने तत्काल पंजाब सरकार से सम्पर्क कर इस बन्दी को रोकने का तकाजा किया। राजस्थान का अभिगत था कि प्रथमतः नहरों में बन्दी न लेकर

(श्रीमती कमला)

पंजाब सरकार डाइवर्सन चैनल का निर्माण किया जाए। यदि यह सम्भव नहीं है तो माह जनवरी, 2000 में ही नहर बन्दी ली जाए।

(13.00 बजे)

पंजाब सरकार को सहमत करने के लिए बार-बार प्रयास किये गये। अधिकारी स्तर पर कई बैठकें हुईं एवं स्वयं मुख्य मंत्री जी ने तीन बार दूरभाष पर, व पत्र लिखकर पंजाब के मुख्य मंत्री से इस बन्दी को टालने हेतु आग्रह किया। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधान मंत्री एवं जल संसाधन राज्य मंत्री को भी हस्तक्षेप करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अनुरोध किया। राजस्थान सरकार व मुख्य मंत्री राजस्थान ने बार-बार इसी बात को दोहराया है कि नहर बन्दी माह जनवरी, 2000 में ही ली जाए।

राजस्थान सरकार के प्रयासों के बावजूद पंजाब सरकार इस बन्दी को जनवरी तक टालने के लिए राजी नहीं हुई है। हाल ही में दो संशोधित अधिसूचनाओं के जरिये नहर बन्दी की नयी तिथि घोषित की गयी है। संशोधित तिथि निम्नानुसार है :–

अ. सरहिन्द फीडर 27.03.99 से 10.04.99

ब. राजस्थान फीडर 04.04.99 से 18.04.99

राजस्थान का आंकलन है कि प्रस्तावित कार्य, अधिसूचना में दी गयी समयावधि में पूर्ण नहीं हो सकेंगे। परिणामस्वरूप पंजाब सरकार को बन्दी, 4-5 दिवस और बढ़ानी होगी। यद्यपि पंजाब सरकार ने मुख्य अभियन्ता एवं प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर आश्वस्त किया है कि बन्दी की अवधि नहीं बढ़ायी जाएगी, फिर भी राजस्थान सरकार 20 दिन की बन्दी के लिए तैयारी कर रही है।

रबी फसल के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की रोटेशन प्रणाली दिनांक 04.04.99 को पूर्ण हो जाएगी तथा गेहूं एवं कपास की खड़ी फसलों को पूरा पानी मिल जाएगा। पूर्व तिथियों के अनुसार आखिरी पानी उपलब्ध नहीं होता जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता था।

राजस्थान में मुख्य समस्या पेयजल आपूर्ति की होगी। राजस्थान व सरहिन्द फीडर से प्राप्त पानी से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। इन सभी जिलों में कमोबेश असुविधा का सामना करना होगा। जिलेवार स्थिति का जायजा लिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा सिंचाई विभाग युद्ध स्तर पर जल आपूर्ति की व्यवस्था में लगे हुए हैं।

सरहिन्द फीडर के दिनांक 04.04.99 तक बन्द रहने की स्थिति में भाखड़ा क्षेत्र को पूर्व में निर्मित लिंक चैनल द्वारा, राजस्थान फीडर से 04.04.99 तक जलापूर्ति की जा सकेगी। इससे बन्दी का प्रभाव सिर्फ 6 दिन ही रह पाएगा और समस्या से निपटा जा सकेगा।

(श्रीमती कमला)

गंगानगर जिले में समस्या अपेक्षाकृत कम रहेगी। इस जिले में मुख्यतः पेयजल आपूर्ति गंग नहर से होती है, जिसमें बन्दी नहीं ली जा रही है। केवल सादुलशहर तहसील क्षेत्र में सरहिन्द फीडर से आपूर्ति होती है। सरहिन्द फीडर/भाखड़ा प्रणाली में बन्दी केवल 6-7 दिन की ही रहने का अनुमान है। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त जल भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों को राजस्थान फीडर से पेयजल आपूर्ति की जाती है। जलदाय विभाग के अनुसार सभी जिलों में 21 दिन तक की जलाशय/भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध है। इन जिलों में आपूर्ति का समय घटाकर एवं अत्यन्त आवश्यकता महसूस करने पर हर दूसरे दिन पानी वितरित करने से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

चूरू जिले के तारानगर तथा राजगढ़ कस्बों तथा 301 ग्राम, जो गन्धेली-साहवा योजना से लाभान्वित होते हैं, समस्या आयेगी। इस योजना में वर्तमान में सिर्फ 4 दिवस का भण्डारण उपलब्ध है तथा 16 दिन की अतिरिक्त भण्डारण व्यवस्था तत्परता से बनानी है। नीचे लिखे अनुसार तत्काल कार्यवाही की जा रही है :–

मसीतावाली हैड तक इन्दिरा गांधी मुख्य नहर को पूरी भरकर अतिरिक्त जल भण्डारण किया जाएगा। इसी प्रकार रावतसर शाखा को दिनांक 04.04.99 को पूर्ण रूप से भर लिया जाएगा। इस पानी को जरूरत के अनुसार पेयजल व्यवस्था हेतु काम में लिया जाएगा। इस व्यवस्था से कम से कम इस योजना को अतिरिक्त 10 दिवस तक पानी मिल सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो कतिपय दिनों में दो दिन में एक बार पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में टांके, कुण्ड, जोहड़ तथा जी. एल. आर. एवं अन्य जल भण्डारण इकाइयों को पूरा भरने की व्यवस्था की जा रही है। इससे अनुमानित 10-12 दिवस का अतिरिक्त जल मिल सकेगा।

नहरों से पम्पिंग करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की जा रही है। मसीतावाली हैड के निकट एक नया पम्प लगाया जा रहा है ताकि नहरों के तल में अधिशेष पानी को भी उपयोग में लिया जा सके। इसी तरह वर्तमान में उपलब्ध भू-जल स्रोतों से अधिक दोहन हेतु भी युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

सूरतगढ़ ताप बिजली घर के लिए 21 दिवस की भण्डारण की व्यवस्था मौजूद है। अन्य उद्योगों को सलाह दी गयी है कि वे उपयुक्त जल भण्डारण कर लें।

सभी जिलों में उपलब्ध जलाशय तथा अन्य जल भण्डारण इकाइयों को बन्दी से पूर्व भरने हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। इस हेतु अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। नहर बन्दी से पूर्व भाखड़ा व पोंग बांधों से अतिरिक्त पानी की मांग की जा रही है जो मिलने की पूरी उम्मीद है। यह अतिरिक्त पानी इस प्रकार के भण्डारण हेतु पर्याप्त होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता माननीय मंत्री जी ने सदन में

(13.07 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

व्यक्त की है, उस चिन्ता में पूरा सदन सम्मिलित है। निश्चित तौर पर जिन तारीखों को बन्दी की जा रही है सरहिन्द फीडर और राजस्थान कैनाल में, सभापति महोदय, ये महीने वैसे भी किसान के लिए, और विशेष तौर पर चूरू जिले के 301 गांवों में जहां गंधेली साहवा का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। सभापति महोदय, वहां वस्तुस्थिति यह है कि आज जो व्यवस्था है, क्लोजर लेने से पहले भी उन गांवों में पीने का पानी नहीं है। और जब क्लोजर हो जायेगा तो उसके बाद इन गांवों में हालत क्या रहेगी, निश्चित तौर पर यह अत्यन्त गम्भीर बात है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदया ने कहा कि मसीतावाली हैड और रावतसर शाखा, क्लोजर होने से पहले इन दोनों को भरकर पानी का भण्डारण किया जायेगा। मंत्री महोदया, आपने निश्चित तौर पर अवलोकन किया होगा, माननीय बैद जी ने देखा है, मसीतावाली और रावतसर से चूरू जिले के छोर में पानी जाय। अगर वहां पानी पूरा हो, उसके पश्चात् भी जिस तरह की व्यवस्था आज वहां है, आप कौन सा नया पम्प लगायेंगे, यह तो मुझे मालूम नहीं, पर उसमें भी बहुत समय लग जाता है। और यह जो भण्डारण है, आप क्षमा करेंगे, आपने कहा 10 दिन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 दिन से ज्यादा इस भण्डारण से पेयजल उपलब्ध नहीं हो सकता। आज चूरू जिले के अन्दर पानी को अगर आप संग्रहित भी करना चाहें तो कोई व्यवस्था नहीं है। कुण्ड हैं, जी. एल. आर. भी इतने छोटे बने हुए हैं, उसमें एक गांव में अगर जी. एल. आर. द्वारा भर भी देंगे तो भी वह जी. एल. आर. से पानी एक दिन से ज्यादा उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सारी स्थिति को देखते हुए आपको चिन्ता व्यक्त करनी पड़ेगी। पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी से आप कोई कार्यकारी योजना बनायेंगे, तब तो वहां लोग बच पायेंगे, वरना पशुधन और पशुधन के साथ-साथ वहां लोगों को भी पलायन करना पड़ सकता है। मंत्री महोदया, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हो कि आप चूरू जिले के अन्दर किसी अधिकारी को यहां से भेजकर पूरा एक ब्ल्यू प्रिन्ट बनवायें कि किन-किन गांवों में किस-किस जोहड़े के अन्दर या डिप्रेशन में, मैं तो मंत्री महोदया, यह निवेदन करूंगा, और कोई भण्डारण की व्यवस्था हो या नहीं हो, क्योंकि अभी इतनी जल्दी वहां कोई आप टांका नहीं बना सकते। वहां कोई और चीज नहीं कर सकते। परन्तु वहां जिस भी हालत में डिप्रेशन जहां भी है, चाहे पुराना कोई जोहड़ा पड़ा हो, आप कृपया उसको भरा दें ताकि पशुओं को तो वहां पानी उपलब्ध हो सके।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रकरण 1901 से चल रहा है। पिछले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन में भी इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी कि अगर क्लोजर इन तारीखों को ले लिया गया तो वहां पानी की समस्या हो जायेगी और किसान तो बरबाद ही हो जायेगा। आपने तो यह कह दिया कि कपास और गेहूं की फसल को अन्तिम पानी मिल गया रोटेशन प्रणाली से, इसलिए किसान को कोई हानि नहीं होगी। क्षमा करेंगे, उसमें कपास की सोईंग चाहे कितनी ही लेट हो जायेगी, बिजाई नहीं होगी और बिजाई लेट होने से किस तरह की बीमारियां पैदा हो जायेंगी, आप अन्दाजा लगायें और उसकी व्यवस्था भी आप करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 29 जनवरी को राज्य सरकार को पता लग गया था और 29 जनवरी के बाद अखबारों में वक्तव्य आते रहे। अच्छा रहता कि पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री से या पंजाब सरकार के दूसरे अधिकारियों से या केन्द्र सरकार से आप स्वयं जाकर मिलतीं। लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। मंत्री महोदया, यह छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप तत्काल प्रभावित जिलों में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को बैठाएं, आपात योजना बनाएं। पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहां से किया जा सकता है उसकी योजना बनाएं। रावतसर फीडर और मसीतावाली हेड में भण्डारण की व्यवस्था की जो बात आपने की है, भण्डारण की व्यवस्था का भी आप एक बार जायजा ले लें। मसीतावाली हैड के अन्दर उतने भण्डारण की क्षमता नहीं है। इन सारी चीजों की व्यवस्था आप करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, नहरों की बंदी को लेकर के हमने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा रखा था। मंत्रीजी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को जानकारी होगी कि सरहिन्द फीडर और आई. जी. एन. पी. जहां से निकलती है, वे दोनों पेरलल चलती हैं और दोनों के बीच में बैंक कॉमन है। आपने दोनों नहरों की अलग-अलग बन्दी की है। जिस नहर की बंदी होगी, उसमें निश्चित तौर पर, जो नहर चल रही होगी उसके प्रेशर से उसमें सीपेज होगा। यह आपके सामने पिछली बंदी के टाइम में हुआ है। आपकी सरहिन्द फीडर चल रही थी, आपने आई. जी. एन. पी. की बंदी की। सरहिन्द फीडर में से आई. जी. एन. पी. के अन्दर जब सीपेज जा रहा था तो आपको बिना सूचना के सरहिन्द को भी बन्द करना पड़ा था। इसलिए आप अलग-अलग बंदी लेंगे तो निश्चित तौर पर उनको दोनों नहरें बन्द करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि जब आप सरहिन्द फीडर को 27 मार्च को बन्द करेंगे, निश्चित तौर पर एक-दो दिन में आपको आई. जी. एन. पी. को बन्द करना पड़ेगा। पिछली दफा ऐसा हो चुका है। इसलिए दोनों की बन्दी को मिलाकर के 27 मार्च से लेकर, जब 18 अप्रेल को इन्दिरा गांधी नहर को आप चलाएंगे तो 22 दिन की बंदी आपकी निश्चित तौर पर बनेगी। यह हमारा ताजा एक्सपीरियेंस है। पिछली दफा जब नवम्बर-दिसम्बर में बंदी ली थी, आप अपने अधिकारियों से पता कर लीजिए। इसलिए 22 दिन की बंदी, प्लस 22 दिन में

(श्री रामप्रताप)

यह पूरा नहीं कर सकेंगे, 4-5 दिन का आप भी कह रही हैं, इसलिए इस एक महीने का इंतजाम क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में किया है? क्योंकि नहर कटिंग के अन्दर है, चारों तरफ से पानी का दबाव रहेगा। एक नहर को आप बंद रखेंगे तो बैक को ले लेगी खींचकर के। यह दो दफा हो चुका है। 1996 में हुआ है, पिछली दफा बन्दी के टाइम में भी हुआ है। इसलिए इस बात को किसी ने ध्यान में नहीं रखा, यह बड़ी अचम्भे की बात है।

आपने दूसरी बात फरमाई, आपने प्रयास किया और नहर की बंदी को आगे ले गये। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो नुकसान हुआ है, अगर आपने पुरानी तारीख में रखा होता तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। 27 मार्च को जब आप बन्दी लेंगे, इन्दिरा गांधी नहर फीडर की बंदी आपने चेन्ज करवायी। 27 मार्च का मतलब 29 या 30 तारीख तक पानी मिलता, तब तक किसान अपना आखिरी पानी गेहूं में लगा चुका होता। अगर उसके बाद में आप बंदी लेते तो कम से कम कॉटन की ग्रोइंग लेट नहीं होती। आपने फरमाया कि इससे किसान गेहूं और कपास की फसल में पानी लगा लेगा। कपास की फसल में कहां से लगा लेगा, कपास तो बोई ही नहीं होगी। आपने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स से इसकी जानकारी की होती। आप कॉटन की ग्रोइंग जितनी लेट करेंगे, उससे दुनिया भर की बीमारियां फैलेंगी। बीमारी की वजह से 3-4 साल से लगातार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसान की कॉटन की फसल बर्बाद हो रही है। वह जो सौ-पचास किलो भी होती थी, उसमें से एक किलो कपास भी पैदा नहीं होगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कम से कम पुरानी बंदी के ऊपर रहते तो हमारा यह नुकसान नहीं होता। इसलिए इसका क्या हल निकलेगा, मेरे ख्याल से इसका कुछ हल निकलने वाला नहीं है। यह बहुत बड़ा नुकसान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसान का होने वाला है।

दूसरी बात पीने के पानी की है। इसी से लगती हुई है। मेरे साथी भाई राजेन्द्र सिंह जी ने जैसा बताया कि आप जिस पानी से पम्प करेंगे, एक महीने तक वहां मसीतावाली हैड में जब पानी होगा ही नहीं तो आप पम्प क्या करेंगे? पीने के पानी की गम्भीरतम समस्या हमारे सामने आने वाली है। इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे, निश्चित तौर पर हमें इसको भी देखना चाहिए क्योंकि यह पहला एक्सपीरियंस है। हमेशा, जब भी बंदी ली जाती थी, निश्चित तौर से एक साल में एक दफा बंदी ली जा सकती है। वे पंजाब वाले अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं, दुरूपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। यह पहली दफा है कि गर्मी के टाइम में बंदी ली जा रही है और भयंकर समस्या हमारे सामने आने वाली है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि, मुख्य मंत्रीजी भी विराजे हैं, इस बात को गम्भीरता से लेते हुए अधिकारियों को नहीं, मंत्रियों को चाहे डेप्युट करें, या किसी अन्य तरीके से

(श्री रामप्रताप)

पीने के पानी की, जिसकी कमी से जनता प्यासी मरेगी, उसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : इनके बाद आप।

श्री गोवर्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गम्भीर समस्या है कि पंजाब सरकार बिना राजस्थान सरकार से सम्पर्क किये बंदी की घोषणा कर दे। मेरा आपसे निवेदन है कि हर दो महीने के बाद, सैकण्ड फेज इन्दिरा गांधी कैनाल में, जिससे जैसलमेर जिला प्रभावित है, वहां के किसान और वहां के ग्रामीण पेयजल से त्रस्त हैं। इस बंदी से हम बड़े प्रभावित हैं। हमने खेती शुरू की है, हमारे किसान ने जोतना शुरू किया है। हर दूसरे महीने में बंदी हो गयी तो हमारा किसान निराश हो जाएगा और भविष्य में खेती करना भी छोड़ देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो यह तय करें कि जब पंजाब सरकार बंदी करना चाहे तो राजस्थान सरकार से निश्चित सम्पर्क करे। यह सुओ-मोटो बंदी की घोषणा बड़ी हानिकारक है। दूसरा, हमने हमारी सारी पेयजल योजनाएं इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ी हैं। यदि इस तरह से हमेशा बंदी हो गयी, और हम भण्डारण की व्यवस्था नहीं कर पाए, हम डिग्गी नहीं बना पाए, उससे हमारा सारा जिला प्रभावित है। कृपया, जो भी व्यवस्था करें, हो सकता है कि हमें टैंकरों से पानी पिलाना पड़े, तो सरकार से विशेष व्यवस्था करने का मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, नहर की बंदी से बड़ी संकट की स्थिति आने वाली है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी 3 दिन से खाजूवाला क्षेत्र में नहरें बंद हैं। क्या कारण है, अभी से पानी बंद है? मेरी 3 नहरें बंद पड़ी हैं, जबकि अभी बंदी तो 4 अप्रैल से शुरू होने वाली है। और 3 दिन से मेरी सी. वाई. डी. कैनाल, कस्ला और बी. एल. डी. कैनाल्स में पानी नहीं है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि अभी पंजाब सरकार से कहकर के एक्स्ट्रा पानी अपने अंतरिम काम के लिए यहां राजस्थान कैनाल के लिए लें, ताकि यहां पर जो हमारे एस्केप बने हुए हैं, उन एस्केप्स को हम पूरा भर लें। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या आएगी ही, सरकार कितना ही प्रयत्न करे। हमारे पास 3 दिन से अधिक की भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस गम्भीर समस्या से हम कैसे निपट पाएंगे इसके लिए हर क्षेत्र का सर्वे कराने की आवश्यकता है। सर्वे करवाकर, हमारी क्या-क्या आवश्याकताएं होंगी उसकी पूर्ति के लिए हमें अभी से प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी आपके पास समय है। नहर से एक्स्ट्रा पानी लेकर जहां-जहां आप पानी के भण्डारण की व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था आप करवाएं। किसान को आप अधिकतम सिंचाई की व्यवस्था दे सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा

(श्री भीमसेन)

अवसर है पानी लेने का। इसलिए मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। पंजाब की हठधर्मिता है, इस कारण से हमारे राजस्थान के किसानों को दो फसलों का नुकसान हो रहा है। सरकार को भी नुकसान होगा। सरकार की आमदनी को भी नुकसान होगा। हमारे सामने यह बड़ी गम्भीर समस्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि पंजाब ने जो बंदी की घोषणा की है, उसके कारण से जो भी हानि होगी या कमी रहेगी, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। मैं समझता हूं कि जिस समय बंदी आएगी, उस समय यह व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से इस कारण से संकटात्मक स्थिति पैदा होगी।

श्री सभापति : यह बंदी तो पहले भी होती आयी है ना?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, होती आयी है। दिसम्बर में।

श्री सभापति : तो उस अनुभव के आधार पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन गर्मी में नहीं होती है। एक बार बंदी लेने का अधिकार तो हमारा दिया हुआ है। इसलिए एक बार वह बंदी ले सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोशिश यह होती है कि बंदी करने के पहले राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में कई बार बातें होती थीं, और बात होने के बाद कोई न कोई तारीख निश्चित की जाती थी।

सभापति महोदया, यहां प्रश्न यह है, मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने पंजाब सरकार से बात की है और प्रधान मंत्रीजी से भी बात की है। क्या आपने उनको कोई पत्र लिखा है, जिसके कारण से यह आभास हो सके कि इस बंदी के कारण और इस समय के कारण, राजस्थान के किसानों के साथ तो यह समस्या उत्पन्न होगी और पीने के पानी का इस प्रकार से संकट उत्पन्न होगा। अगर आपने पत्र लिखा है और उनका कोई उत्तर आया है तो मैं चाहूंगा कि आप सदन को जानकारी दें।

दूसरा, सिंचाई मंत्रीजी से मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार की कौनसी ऐसी विवशता है कि मार्च-अप्रेल में आपके ऊपर बंदी के लिए दबाव डाल रही है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी ऐसी प्रोब्लम है, जिस प्रोब्लम का समाधान इस समय बंदी देने से हो सकता है? इस बंदी को पोस्टपोन करने से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस प्रकार की आपने जानकारी की है? अगर जानकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की है तो आपको, हाउस को यह बताना चाहिये कि पंजाब में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जिसके कारण से वे विवश हैं। और कोई स्थिति नहीं है तो पंजाब सरकार के सामने, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे मुख्य मंत्रीजी इनको कान्फिडेंस में लें या नहीं लें, हम इस मामले में सरकार का साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप सारी स्थिति बतायें। मुझे मालूम है और आपको भी मालूम हो जाएंगा कि बंदी होने से प्रदेश में किस प्रकार का संकट आएगा। आज संकट पानी का है। पानी का संकट है और कपास की बुवाई का संकट है। लोग कहते हैं, और एक्सपर्ट कहते हैं कि बुवाई में यदि विलम्ब हो जाए तो फसल उतनी अच्छी नहीं बनती। दूसरा, पानी का संकट आज भी राजस्थान में है। राजस्थान का यह संकट सरकार का या मैन-मेड संकट नहीं है यह प्राकृतिक संकट है। लगातार पानी नीचे जा रहा है। जहां आपके कुओं में खूब पानी होता था, वहां पर आपके पानी के कुएं सूख गये हैं। जैसलमेर जिले में तो हालत और भी खराब होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मामले में अगर मुख्य मंत्री महोदय उचित समझें, पत्र लिखा हो तो वह बता दें, पंजाब सरकार का कोई उत्तर आया हो तो वह बता दें। पंजाब सरकार इस समय ही यह बंदी करने की क्यों जिद्द कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी जानकारी दे दें। और व्यवस्थाएं, जो कमलाजी ने बतायी हैं, सरकार तो सब व्यवस्था करेगी लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार की समस्या आने वाली है, यह सारी व्यवस्थाएं अपनी चरमरा जाएंगी। हमारे सामने बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिएं आप चाहे तो पंजाब सरकार से और बात की जाए और सारी समस्या उनके सामने रखी जाए। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी जिद्द पंजाब सरकार करेगी जिससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सके।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने इस वक्तव्य में भी उल्लेख किया है कि पंजाब सरकार अपने सेम की परेशानी को खतम करने के लिए एक साइफन बना रही है। और उस साइफन को, हमने उनसे यह भी निवेदन किया कि आप फिलहाल डाइवर्जन बना लें और साइफन बनाते रहें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि डाइवर्जन बनाना न तो हमारे लिए सम्भव है और हमारे लिए बहुत कोस्टली है और इसमें समय भी बहुत लगेगा। इसलिए हमारी समस्या बहुत गम्भीर हो रही है। उनके मुख्य मंत्री महोदय के शायद खुद के गांव में भी और आस-पास के कई गांवों में बहुत भारी सेम की समस्या, काफी समय से उत्पन्न हुई है। इसलिए बहुत तकाजा करने के बावजूद भी इसको अवाइड करने का कोई अवसर वे दे सकें, ऐसी उन्होंने बिल्कुल भी सहमति जाहिर नहीं की है।

दूसरा आपने पूछा कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब को भी चिट्ठी लिखी और माननीय प्रधान मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी और राज्य मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी और दूरभाष से बात भी करी। मैं आपको

(श्रीमती कमला)

पूरा ब्यौरा भी बता सकती हूं। मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ बंदी के बारे में मुख्य अभियन्ता, पंजाब से 29.1.99 को मिले। मुख्य अभियंता, पंजाब के अन्य अधिकारियों से मिलकर चिट्ठी लिखी 29.1.99 को। मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ ने बंदी पर विरोध प्रकट किया तथा पंजाब सरकार से कहा कि डाइवर्जन चैनल बनाये, 1.2.99 को। मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ ने पंजाब-चंडीगढ़ मुलाकात करके राजस्थान सरकार के विचार से फिर उनको अवगत कराया 2.2.99 को। फिर मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ ने सिंचाई सचिव, राजस्थान को सूचित किया 4.2.99 को। सिंचाई सचिव, राजस्थान ने मुख्य अभियन्ता नहर पंजाब को बंदी की अधिसूचना जारी नहीं किये जाने हेतु फैक्स सन्देश भेजा 8.2.99 को। सचिव, सिंचाई राजस्थान ने प्रमुख सचिव, सिंचाई, पंजाब को डाइवर्जन चैनल बनाने हेतु फैक्स दिया 8.2.99 को। राजस्थान सरकार के विरोध के बावजूद पंजाब सरकार ने बंदी जारी की 15.2.99 को। अतिरिक्त विकास आयुक्त, बीकानेर द्वारा जल प्रबन्धन एवं वितरण समिति की बैठक में बंदी जनवरी 2000 में प्रस्तावित की गयी तथा निम्नानुसार वैकल्पिक तिथियां सुझाई गयीं, राजस्थान फीडर फलां-फलां, यह 19.2.99 को। प्रकरण से मुख्य मंत्री, राजस्थान को अवगत कराया गया तथा उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा 25.2.99 को। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने फिर से मुख्य मंत्री, पंजाब को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक के दिन वे इस प्रकरण पर उनसे वार्ता करना चाहेंगे, 25.2.99 को। मुख्य मंत्री पंजाब ने उत्तर दिया कि वे उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने मुख्य मंत्री पंजाब से दूरभाष पर वार्ता की 3.3.99 को। सचिव, सिंचाई, राजस्थान ने चंडीगढ़ में प्रमुख सचिव, सिंचाई, पंजाब से मुलाकात करके जनवरी 2000 में बंदी प्रस्तावित की, जिसको पंजाब ने नहीं माना परन्तु जल प्रबन्धन एवं वितरण समिति की तिथियों पर सहमति व्यक्त की। सचिव, सिंचाई, राजस्थान ने इन तिथियों पर जयपुर लौटने के पश्चात् कन्फर्म किया 4.3.99 को। मुख्य सचिव, राजस्थान ने मुख्य सचिव, पंजाब से वार्ता की 6.3.99 को। राजस्थान के अभियन्ताओं के एक दल ने पंजाब में स्थिति के बारे में जायजा किया। उन्होंने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा काफी अग्रिम तैयारी कर ली गयी है। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने भारत के प्रधान मंत्री एवं केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री को पत्र लिखे 8.3.99 को। सचिव, सिंचाई, राजस्थान ने पंजाब सरकार को सूचित किया कि बंदी की तिथियां उपयुक्त नहीं हैं। बंदी जनवरी, 2000 में ही ली जानी चाहिए 9.3.99 को। राजस्थान के महाधिवक्ता से राय ली गयी, महाधिवक्ता ने उत्साहजनक उत्तर नहीं बताया 10.3.99 को। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने फिर से मुख्य मंत्री, पंजाब को पत्र लिखा 10.3.99 को। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने मुख्य मंत्री, पंजाब से दूरभाष पर वार्ता की, 15.3.99 को। मुख्य मंत्री, राजस्थान ने मुख्य मंत्री, पंजाब को बंदी की अवधि नहीं बढ़ाने हेतु पत्र लिखा 15.3.99 को। मुख्य सचिव, राजस्थान ने समस्या से निपटने के बारे में कार्यक्रम बनाने हेतु बैठक आयोजित की 18.3.99 को।

(श्रीमती कमला)

यह सारी व्यवस्थाएं समय-समय पर बहुत तत्परता के साथ की गयीं लेकिन पंजाब सरकार ने किसी तरह से भी इसको आगे टालने में अपनी रजामंदी नहीं दिखायी। जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने लिखे, उन पत्रों का उत्तर तो नहीं आया लेकिन सिर्फ अभी दो दिन पूर्व मुख्य मंत्री, पंजाब की एक सूचना आयी कि हमने जो तिथियां तय की हैं, उन तिथियों से आगे हम कोई समय नहीं बढ़ायेंगे। तिथियों को टालने का कोई भी मन्तव्य उन्होंने प्रकट नहीं किया।

आपने दूसरा मुद्दा उठाया कि यह कृषि की फसलें हैं और खास तौर से कपास की बुवाई का जो मामला है इसमें एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के निर्णय के मुताबिक उनकी तिथियां तय की जाती हैं। उसमें कृषि विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जो तिथियां जल प्रबन्धन आदि का जो तय किया, उसके अनुसार ही हमने आगे तिथियां लेने का मन बनाया है क्योंकि पहले की तिथियों में अगर रहता, तो जो खड़ी फसलें थीं, उनको आखिरी पानी नहीं मिलता तो उनको नुकसान हो सकता था इसलिए हमने उसकी व्यवस्था की है। यह आपकी आशंका सही है कि हमें इसको बहुत मामूली बात नहीं माननी चाहिए। और साधारण व्यवस्था से इसका काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने बंदी होने से पहले पंजाब से अतिरिक्त जल मांगा है और वे हमें देंगे जिससे कि हम हमारी जितनी भी उपलब्ध भण्डारण व्यवस्थाएं हैं, उनको भरपूर ढंग से तैयार कर लें। पुराने जितने भी टांके थे, वे सारे जिलों के अन्दर युद्ध स्तर पर तैयार करा लिये गये हैं और जितने भी जोहड़ हैं गांवों के, उन सबको भरने की व्यवस्था की जाएगी। और इसी तरह से हमारे जितने भी और सोर्स बन सकते हैं, जी. एल. आर. के या और भी जो टांके हैं, डिग्गियां हैं, उन सबको भरने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ में नहरें भी, और रावतसर ब्रांच है, वह भी भरकर रखी जाएगी और दो-तीन चलने पर तो वह फ्लो से चला जाएगा और उसके बाद में हमें उसको लिफ्ट करके रावतसर ब्रांच को करना पड़ेगा। इसके लिए पम्पसैट भी लगा दिया गया है और बोरिंग वगैरह जो हुई हैं, उनको भी हम और गहरा कर सकें, उसकी भी व्यवस्था की गयी है। तो मुख्य रूप से जो गंधेली-साहवा क्षेत्र का 301 गांवों का जो एरिया है, उनकी सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो फिर भी स्टोरेज की कैपेसिटी बनी हुई है, लेकिन यहां की जो स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है, वह दिसम्बर में जाकर कम्पलीट होगी। अभी तक वह तैयार होने की स्थिति में नहीं है तो वह समस्या हमारे सामने जरूर आ सकती है और उसी के प्रबन्ध के लिये यह सारी कोशिश की जा रही है।

अभी आपने कहा कि विशेषाधिकारी लगाए जाएं। वह भी कायम किये जा रहे हैं। और माननीय जलदाय विभाग के मंत्रीजी, मैं और कमिश्नर वगैरह, सभी मौके पर पहुंचकर इन सारी व्यवस्थाओं को अभी दो-तीन दिन के अन्दर ही देखने और व्यवस्थाओं को कायम करने का प्रयत्न करेंगे।

(श्रीमती कमला)

साथ में यह भी है कि जो पहली बंदी है, इसको हम चार तारीख से लेकर आगे तक जो इनका लिंक चैनल बना हुआ है, उससे भी अगर हम पानी डालेंगे तो इनकी बंदी कुल छह दिन की ही रह पाएगी। पहले की बंदी की पूर्ति हम राजस्थान नहर से कर सकते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त पानी है, हम कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं। या जैसे आप कह रहे हैं, टैंकर से भी पहुंचाएं। टैंकर का उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में नहीं किया है। लेकिन उसकी तैयारी के लिये भी पूरी व्यवस्था करने को विभाग को तैनात कर रखा है। वह अपने आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं यह चाहूंगा कि वहां पर जाकर हमारे जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनसे भी और तमाम प्रमुख व्यक्तियों से और संस्थाओं से सम्पर्क करके और उसमें जो भी सहयोग उनसे प्राप्त हो सकता है, उनको मैनेज करने में इन सबका सहयोग लिया जाए।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जैसा बताया है कि कम से कम एक महीने से ज्यादा समय तक मुख्य अभियन्ता के स्तर पर ही बातचीत चलती रही। इससे ऐसा आभास होता है कि स्थिति की गम्भीरता को सही तरीके से नहीं लिया गया।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आपने देखा है न प्रयत्न तो काफी किये हैं।

श्री रामप्रताप : नहीं, प्रयत्न किये हैं। लेकिन यह ऐसा मामला है....

श्री सभापति : शुरूआत मुख्य अभियन्ता से हुई।

श्री रामप्रताप : यह कोई शुरूआत का सवाल नहीं है, यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। कम से कम 6 जिलों का सवाल है। 6 जिलों का मामला है और मानवीय संवेदनशीलता का मामला है। पीने के पानी की गम्भीर समस्या आयेगी। सवा महीने तक यह मुख्य अभियन्ता स्तर पर इसको डील करते रहे। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया और विशेष तौर से मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह है कि अभी भी इसकी गम्भीरता को समझते हुए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने में कोई बुराई नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को निश्चित तौर से जाकर के पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में विशेष तौर से चर्चा करनी चाहिये और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको एग्जोर्ट करना चाहिये। पूरी कोशिश करनी चाहिये। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे सदन की भावना है, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, आज सारा सदन चिन्तित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी अच्छा यह रहे कि आप प्रतिपक्ष के नेता के साथ स्वयं जाकर पंजाब के मुख्य मंत्री से मिलें। आप उन्हें पूरे सदन की भावनाओं से अवगत करायें। पूरा सदन चिन्तित है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदया ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा कि हम सभी प्रतिनिधियों का और सब संस्थाओं का सहयोग लेंगे। स्वागत योग्य बात है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इन गांवों में और कोई सोर्स नहीं है, आप एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, आपने यह तो कह दिया कि हम पानी को वहां जितने भी जोहड़े टांके हैं, उनमें भरेंगे। परन्तु मंत्री महोदया, वहां तक पानी जाएगा कैसे? टांका गांव से बाहर दूर बना हुआ है। जोहड़ा गांव से दूर बना है। आपको अस्थाई तौर से वहां चैनल बनाना पड़ेगा। एक दिन में चैनल बनेगा नहीं, आपको उसकी रचना करनी पड़ेगी। इसके लिये कम से कम हर तहसील पर एक-एक आई. ए. एस. अधिकारी भेजें और हर जिले में मुख्य मंत्री महोदय आपका तो दौरा हो ही हो परन्तु एक-एक मंत्री स्तर के आदमी को तैनात करें और आप स्वयं प्रतिपक्ष के नेता के साथ जाकर एक बार पंजाब के मुख्य मंत्री से मिलें।

श्री सभापति : सिंचाई मंत्रीजी के वक्तव्य पर....(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन साहब, अभी विपक्ष के नेता ने जो अपनी चिन्ता व्यक्त की, उसको तो मैं एप्रिशिएट करता हूं क्योंकि यह चिन्ता खाली एक पक्ष की नहीं बल्कि तमाम पक्षों की होनी चाहिये। जहां तक अभी कमलाजी ने आपको विस्तार से बताया कि क्या-क्या कदम उठाये, और मैं समझता हूं कि कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखी गयी। और पूरी तरह से पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को भी और उनकी सरकार को भी राजस्थान की चिन्ता से अवगत कराया गया। चूंकि मैंने खुद ने भी करीब एक महीना पहले उनको पत्र भी लिखा और मैंने खुद ने दूरभाष से बात की थी। उनका रेस्पांस भी ठीक था। इसके बाद में दुबारा उनसे बात करने का मुझे अवसर मिला। तब भी उन्होंने कहा मैं अपने स्तर पर इसको दिखवा रहा हूं। तब मुझे मजबूरन प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखना पड़ा और साथ में जो कृषि राज्य मंत्री सोमपाल जी हैं, उनको मैंने प्रधान मंत्रीजी को लिखे हुए पत्र की कापी भी भेजी और साथ में दूरभाष से बात भी की थी। क्योंकि वह लोकसभा के अन्दर व्यस्त थे, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं खुद प्रधान मंत्रीजी से बात करके और चाहूंगा कि प्रधान मंत्रीजी इसमें हस्तक्षेप करें और इस समस्या का समाधान करें। उसके बाद में कल मेरे पास पहली बार चलाकर पंजाब के मुख्य मंत्रीजी का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी अपनी मजबूरी है इसके कारण इस तिथि को बढ़ा नहीं सकते। कुछ चेंज हमें करना था आपके सुझावों पर, उनमें चेंज किया। और मैंने उनको यह कहा कि आप कम से कम इन्श्योर करें। जैसाकि हमारे माननीय मंत्रीजी कह रही थीं कि क्लोजर को आगे बढ़ाने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उसके लिए उन्होंने जरूर कहा कि मैं यह इन्श्योर करना चाहूंगा कि मैं अपने स्तर पर मोनिटरिंग करूंगा और किसी भी तरह यह काम जो क्लोजर का दिया गया है, उसके अन्तर्गत पूरा हो जाए। यह उन्होंने मुझे

(श्री अशोक गहलोत)

आश्वासन दिया। उनकी कल की बात से मुझे ऐसा आभास लगा कि शायद प्रधान मंत्रीजी के स्तर पर भी कुछ हस्तक्षेप हुआ है। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को कहना चाहूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें मुझे खुशी होगी। क्योंकि यह ऐसा मसला है जिसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप विश्वास में लें अथवा नहीं लें। हम तो चाहेंगे कि पूरी तरह से ऐसे मसलों पर आपको विश्वास में लेकर चलें। आपको और हमारे तमाम अन्य साथियों को, जो विपक्ष में बैठे हैं और चूंकि पंजाब सरकार, जो अकाली दल की सरकार है, उनका समर्थन केन्द्र सरकार को है और केन्द्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इश्यू मत लाओ आप।

श्री अशोक गहलोत : इसलिए प्रधान मंत्रीजी को चाहिये कि वह इसमें पूरी तरह राजस्थान की चिन्ता से अवगत कराते हुए इसमें हस्तक्षेप करें और किसी भी ढंग से इस मसले को हल करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें आपके प्रभाव का उपयोग हो सके तो मुझे और भी खुशी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यह बात नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा है कि कौन पार्टी किस सरकार का समर्थन कर रही है।

श्री सभापति : वह सबको पता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सबको पता है। लेकिन यह जो समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिये, जैसा मैंने कहा हम सब आपके साथ हैं। जिस तरह से भी आप चाहें, उसी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। ज्यादा अच्छा हो कि आप नहीं जा सकें तो कमला जी चली जाएं। दो-तीन विधायक और चले जाएं। कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल के सब विधायक जाएं और जाकर के....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : कहां जाएं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब प्रधान मंत्रीजी की बात को पंजाब के मुख्य मंत्री नहीं माने उसके बाद में इनका क्या महत्व रहेगा? पंजाब के मुख्य मंत्री आज तक कभी माने नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपके टाइम भी ऐसा ही हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मेरे टाइम पर। ऐसी बात नहीं है मेरे टाइम पर बिना पूछे करते भी नहीं थे।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : मेरा निवेदन है कि आप ही जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे जाने में मैंने बताया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन मुझे यह कहना है कि कमला जी चली जाएं। चार-पांच विधायकों को साथ में ले जाएं और जाकर के बातचीत करें। नहीं मानेंगे तो कोई अपना नुकसान जो होना है, उस नुकसान में तो कोई कमी होगी नहीं। लेकिन एक बार जाकर कहें तो सही कि इस प्रकार की स्थिति है। शायद उनको राजस्थान में पीने के पानी का कितना संकट है इसका अनुमान हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को मालूम है कि पानी का कितना बड़ा संकट आने वाला है। इसको किस तरह से पोस्टपोन किया जा सकता है। बरसात के बाद में या आगे सितम्बर-अक्टूबर में यह बंदी ले ली जाए। इस प्रकार की बात होगी तो बात चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, कोई सरकार थोप देगी कि हम तो राजस्थान को पानी नहीं देकर राजस्थान की जनता को प्यासी मारना चाहते हैं। इसको कोई भी अलाऊ नहीं करेगा। इसलिए इस पर विचार करें।

श्री सभापति : श्री माथुर साहब।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : एक मिनट, मैं इनका जवाब दे दूं। माननीय सभापति महोदय, जो चिट्ठिया माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब को लिखी गयी हैं, उनमें पूरा विवरण बहुत तकाजे के साथ में दिया गया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो-तीन बार बातें की हैं, उसमें भी उन्होंने भयंकर चिन्ता जताई है कि किसी तरह से आप इसको टालें और जनवरी, 2000 तक ले जाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और न उसके ऊपर कोई अनुपालना की, व्यवस्था की, और इनके पूरे अधिकारियों को पूरी डिटेल के साथ में सारे कागजात, सारा ब्यौरा, अधिकारी भी मौके पर जाकर देखकर आए हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बातों के सन्दर्भ में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई रेस्पांस इस सिलसिले में नहीं मिला। यहां तक कि चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, सरहिन्द फीडर और राजस्थान फीडर को एकदम बन्द करके और साइफन का निर्माण करने की बात पंजाब सरकार ने की है, उसमें जो कुछ भी प्रयास राजस्थान सरकार की तरफ से किये गये, उससे कम से कम मैं बहुत सन्तुष्ट हूं। और मैं समझता हूं उससे सारा सदन भी सन्तुष्ट होगा। यह पहली बार नहीं है। चूंकि वह ऊपर रिचेज पर है और हम रिसिविंग एंड पर हैं। तो पंजाब सरकार पहले भी करती आयी है। मुझे मालूम है एक बार बहुत जबरदस्त बाढ़ आयी थी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन था। सारा हरीके जलमग्न हो गया था। वहां से निकलने वाली जो नहर थी वह उस वक्त टूट गयी थी। हमारी सारी डिग्गियों का पानी एक तरह से सूख गया था। उस वक्त में सिद्धार्थ शंकर रे राज्यपाल थे। मैं स्वयं वहां गया, उनसे कहा कि हमारी समस्या बढ़ी हुई है तो उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा हमारी इतनी चिन्ता है इसलिए हम आपको पैसा भेज देते हैं। यहां से हमने पैसा भेजा उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

की। यह मैं आपको पिछला अनुभव बता रहा हूं। कई बार मैंने प्रधान मंत्रीजी से भी निवेदन किया कि राजस्थान चूंकि रिसिविंग एंड पर है, इस समस्या का कोई न कोई ऐसा स्थायी निदान निकालना चाहिये जिससे कि समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके।

मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो कुछ भी प्रयास किये हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्तिम रूप से पंजाब सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने आपको शायद पत्र लिखा है या दूरभाष पर बात की है....

श्री चन्दनमल बैद : दूरभाष से।

श्री शिवचरण माथुर : दूरभाष पर बात कही है। यह भी अब कितनी कर्टसी है, कितनी डिस्कर्टसी है, यह आप सोच लें। जब उनको एक चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखी, तो उसको कोई न कोई उत्तर एक प्रकार से सही या गलत, पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को देना चाहिये था। इसके बावजूद भी आपको दूरभाष पर कहा है कि हमारी मजबूरी है। उनकी कितनी मजबूरी है उससे हमारी मजबूरी ज्यादा है। अगर दोनों पक्ष इसको समझने की चेष्टा नहीं करें तो मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर कोई हल नहीं निकल सकता।

राजस्थान सरकार की ओर से जो कुछ भी प्रयत्न किये गये उनसे सम्पूर्ण रूप से सहमत होते हुए मेरी कुछ निजी शंकाएं हैं, उनको माननीय सिंचाई मंत्रीजी के सामने पेश करना चाहता हूं।

पानी का भण्डारण करने के लिए आप मसीतावाली हैड वर्क पर पानी को रोकेंगे, वो राजस्थान फीडर में रोकेंगे। राजस्थान फीडर के बाद में हमारी इर्रिगेशन शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि आप वहां के डोर्स क्लोज करेंगी। मैं मेरी पुरानी जानकारी के अनुसार जानता हूं कि हमारी जो कैनाल की बैंक्स हैं, उसकी 18,000 क्यूसेक्स की कैपेसिटी है। कभी भी इस कैनाल को 18,000 क्यूसेक्स की कैपेसिटी पर नहीं भरा गया। और अगर भरा गया तो इस प्रकार के बैंक्स टूटने का खतरा बन गया। आप इसको रोकने के लिए उस मसीतावाली हैड वर्क्स के ऊपर जितना पानी रोकेंगी, उससे नहर का लेवल ऊंचा आयेगा और उसके बाद आपको टेक्निकली उसको एग्जामिन करना चाहिये कि बैंक्स आपके इस प्रकार से असुरक्षित नहीं हो जाएं। और जो आप कार्यवाही करना चाहती हैं, उसमें कोई और बाधा उपस्थित नहीं हो। यह मेरी शंका है। हो सकता है कि निर्मूल शंका हो लेकिन यह मेरी शंका है। इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को आपके इंजीनियर्स से पूछ लें कि वो कहीं पर ऐसे बैंक्स नहीं तोड़ें।

दूसरा, रावतसर की तरफ से खास तौर से गंधेली साहवा की जो समस्या है, वह सही है कि वहां पर आज कोई भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। राजीव गांधी जी द्वारा

(श्री शिवचरण माथुर)

उसका शिलान्यास करने के बावजूद भी आज पिछले आठ-दस साल में कोई माकूल व्यवस्था, वहां पर भण्डारण की नहीं हुई है। और आज भी वहां के 300 से अधिक गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रसित हैं। इसमें एक सुझाव तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। मैं उससे सहमत हूं। यदि कहीं पर भी डिप्रेशंस हो तो मेहरबानी करके उन डिप्रेशंस को भर लीजियेगा। आपके इलाके में अगर डिप्रेशन पानी हो जायेगा तो उसको लिफ्ट करके भी पानी ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि घग्घर के डिप्रेशंस, या दूसरे डिप्रेशंस में आप उस पानी को इकट्ठा कर लें। तो यह जाहिर बात है कि कितनी ही बार पंजाब के मुख्य मंत्री उसको स्वयं मानीटर करें लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि कुछ क्लोजर आधे दिन के लिए बढ़ जाएं और आधे दिन बढ़ने के लिए आपको और अधिक गम्भीर इमरजेंसी एक्शन लेकर पूरी कार्यवाही करनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

मैं हमारे प्रति पक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से वो खुद मिलें और उनके गुड आफिसेज को यूज करके पंजाब के गवर्नर, पंजाब की सरकार पर दबाव डालें। एक तरफा कार्यवाही नहीं करके राजस्थान की समस्या का हल निकालने के लिए चिन्ता करें। यदि हम सब मिल कर सदन की ओर से इसमें कार्यवाही करेंगे तो मेरी मान्यता है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकलेगा। हमारी भी समस्या दूर होगी और उनकी जो कठिनाई है, उसको भी हम पार कर सकेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, इसमें मेरा इतना निवेदन है कि पंजाब की सरकार को मनाने के लिए....

श्री सभापति : बहुत चर्चा हो गयी है, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, पंजाब की सरकार को मनाने का काम इतना आसान नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी का दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट है। अभी आपने चार-पांच दिन पहले पढ़ा होगा कि एस. वाई. एल. सतलुज यमुना लिंक को अकाल दल, मान के कार्यकर्ताओं ने 20 तारीख को फावड़े लेकर हरियाणा को जो लिंक नहर आ रही थी एस. वाई. एल., उसको आंट दिया और पंजाब सरकार मूकदर्शक बन कर बैठी रही। तो यह कहना कि प्रधानमंत्री के स्तर पर हस्तक्षेप करा कर यह पानी अपन ले लेंगे, पंजाब सरकार को झुका लेंगे, पंजाब सरकार न प्रधान मंत्री से झुकने वाली है न आपके सदन की भावनाओं से झुकने वाली है। मैं सिंचाई मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि पंजाब के निर्णय के आधार पर आप यह उम्मीद करें कि हमको हमारे निवेदन के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार पानी दे देंगे, यह कल्पना ही नहीं करनी चाहिये। पहले-पहले आपने इसका परिणाम देख लिया जब-जब मांगा है। जो नहर खुदी हुई थी,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एस. वाई. एल. जो हरियाणा की राजनैतिक तकदीर बदलती है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, हर नेता यह कहता है कि मैं एस. वाई. एल. का पानी हरियाणा में लेकर आऊंगा, उसके आधार पर हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। तो बंसीलालजी की हरियाणा विकास पार्टी जो साझेदार है, जो सपोर्ट है और मिलीजुली कोएलिशन गवर्नमेंट हैं बी. जे. पी. की और हरियाणा विकास पार्टी की हरियाणा में, जब उनकी बनी हुई नहर को आंट दिया तो आप क्या सोचते हो कि आपके और सरकार के सुझाव पर पंजाब सरकार मान जायेगी? खुदी हुई नहर आंट दी। (व्यवधान)

मेरा यह कहना है कि आप इस बहाने नहीं बैठे। आपको जो भी विकल्प पीने के पानी का करना है, सरकार को पंजाब से उम्मीद छोड़ कर विकल्प तैयार करना चाहिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, एक मिनट निवेदन करना है। प्रति पक्ष के नेता इस समस्या से काफी चिन्तित हैं। मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा, बात की, लेकिन जो रेस्पोंस मिलना चाहिये वह पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा। पहले भी हाउस की यह परम्परा रही है, क्यों नहीं इसका सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जाये ताकि एक प्रेशर डले कि भारत सरकार इसमें इण्टरवीन करके इस समस्या का समाधान करे। मैं सोचता हूं ऐसी परम्परा पहले भी सदन में कई बार होती रही है। यही मेरा सुझाव है।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत बोल चुके हो। आपको रह-रह कर याद आ रहा है।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। एक सैकण्ड। माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ने भी यह बात कही कि नहर को पोंड-अप कर लिया जाय, माननीय शिवचरण जी माथुर भी फरमा रहे हैं कि नहर को पोंड-अप कर लिया जाय, यह कोई घड़ा नहीं है जिसको भर कर हम रख लें। ज्यादा से ज्यादा चार-पांच दिन रख सकते हैं उसके बाद में क्या करेंगे? हमारी चिन्ता को आपने गम्भीरता से नहीं लिया है। एक नहर की बंदी है, दूसरी को आप चला रहे हो। आपको मान कर चलना पड़ेगा यह दोनों नहर बन्द रहेंगी। 28 दिन का आपको इन्तजाम करना होगा। इस बात को आप गम्भीरता से लें।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी महुवा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, राजस्थान में पेयजल की समस्या से पंजाब की गवर्नमेंट को अवगत करा दिया गया है और प्रति पक्ष के नेता इस समस्या से भलीभांति परिचित हैं।

सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं, इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय

(श्री हरिसिंह)

सदस्य जानते हैं कि हमारे प्रति पक्ष के नेता महोदय के पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से बहुत ही मधुर सम्बन्ध हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे तो आपके मुख्य मंत्रीजी से भी बहुत मधुर सम्बन्ध हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रति पक्ष के नेता महोदय, हंसी में टालने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान की जनता के हित में मेरा अनुरोध है कि आप अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करें....

श्री सभापति : चीफ व्हिप महोदय का प्रथम भाषण है आज, मेडन स्पीच है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : राजस्थान की जनता यह भी जानती है कि माननीय प्रति पक्ष के नेता की ताजपोशी के लिए पंजाब के मुख्य मंत्रीजी यहां पर पधारे थे और राजस्थान की जनता को क्या-क्या कह कर गये। उससे निश्चित रूप से यह आभास है कि प्रति पक्ष के नेता के उनसे बहुत ही गहरे और मधुर सम्बन्ध हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सदन की भावनाओं से आपको यह जानकारी दे रहा हूं और मेरा अनुरोध है कि राजस्थान की इस समस्या के निराकरण में आप पहल करें, अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करें और राजस्थान की पेयजल की समस्या से उनको अवगत करा कर इस समस्या का निराकरण करें।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी अनुरोध कर रहा हूं कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के प्रस्ताव की बात कही है, अगर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव यहां सदन में लाया जाये तो वह बहुत बेहतरीन होगा। राजस्थान की इस समस्या के निराकरण में बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा और प्रति पक्ष के नेता कारगर ढंग से इस समस्या के निराकरण में राजस्थान की जनता को सहयोग कर सकते हैं, सरकार को सहयोग कर सकते हैं। उनके सहयोग की मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरे ऊपर सारा पानी का बोझ डाल दिया तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : लोगों का मानना है कि आपकी दोस्ती है उनसे, मित्रता है (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमें चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में प्रस्ताव पास करके हम इसको राजनीतिक इश्यु बनायें, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि पंजाब सरकार को मनवाया जाये। मुझे याद है कि इसी विधान सभा के पिछले सत्र में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था। जनवरी में उन्होंने यह मामला उठाया था। जनवरी से लेकर आज तक विधान सभा में काल अटेंशन का नोटिस जाने के बाद में सरकार स्टेटमेंट दे और उसके पहले इस बात की कोई चिन्ता ही नहीं करे कि, जैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कह रहे हैं कि मेरे और उनके मधुर सम्बन्ध हैं, या मैं करवा सकता हूं। करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं, वह तो ईश्वर जाने, लेकिन आज तक यदि सम्पर्क किया होता तो मैं निश्चित रूप से.... (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं मेरे से आज तक सम्पर्क ही नहीं किया। मैं यह समझता था कि मुख्य मंत्रीजी बातचीत कर रहे हैं, अपने आप हो जायेगा। लेकिन मुख्य मंत्रीजी कहते या कमलाजी कहतीं कि इस सम्बन्ध में बैठकर क्या करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से प्रधान मंत्रीजी के पास चलता और पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से मिलता। और आज भी मुख्य मंत्रीजी चाहें तो मुख्य मंत्रीजी चलें। मैं उनके साथ पंजाब और दिल्ली जाने को तैयार हूं। जितनी भी कोशिश इसमें हो सकेगी मैं करूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप तो मन्तर देने में एक्सपर्ट हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप बोल रहे हो कुछ?

श्री रामसिंह विश्नोई : बोल नहीं रहा, इनको बता रहा हूं। आदरणीय भैरोंसिंह जी, आप और हमारे सी. एम. साहब पंजाब के मुख्य मंत्री के पास जाना चाहते हैं। क्या प्रधान मंत्री सक्षम नहीं हैं? जहां हैड वर्क्स के ऊपर पंजाब का कन्ट्रोल है और आप लम्बे समय तक मुख्य मंत्री रहे। आपने कभी चेष्टा नहीं की कि वहां हैड वर्क्स के ऊपर केन्द्र सरकार का कन्ट्रोल होना चाहिए? आज राजस्थान के और हरियाणा वगैरह स्टेट्स हैं, जो पानी ले रहे हैं, उनका कोई कन्ट्रोल नहीं है? जो पंजाब चाहता है वैसा होता है। क्या आप इसको ठीक नहीं समझते? अगर आपके मधुर सम्बन्ध हैं तो प्रधान मंत्रीजी से भी आपके मधुर सम्बन्ध हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सारे राजनीतिकों से पूछकर....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, केन्द्र और पंजाब एक ही चट्टे-बट्टे हैं। वास्तविकता को समझो। जैसे हम लोग यहां बैठे हुए छद्मपूर्ण ढंग से हंसी करते हैं वही वे वैसा कर रहे हैं। अभी तक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किये हैं वे स्वागत योग्य हैं। हमें वास्तविकता से हटकर नहीं देखना चाहिए। वह तो यह चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार इस पेयजल को लेकर असफल हो जाएं। मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी से सविनय निवेदन करता हूं कि जो कुछ आपने किया, अच्छा किया और जो कुछ आप और कर सकते हैं, आपको और करना चाहिए। सारा सदन आपके साथ है। लेकिन भ्रम में न रहें। अपने स्त्रोत खोजें। अपनी ताकत के ऊपर इसकी व्यवस्था करो, तब तो यह व्यवस्था हो जाएगी, और आप यह देखोगे कि प्रधान मंत्रीजी और पंजाब के मुख्य मंत्रीजी आपकी इमदाद करेंगे। वे तो दोनों एक हैं। इस असलियत को समझने की जरूरत है। जैसे बार-बार हमको जो तंग किया जा रहा है,

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य है। इसके अन्तर्गत हमको झांकना पड़ेगा और उसी ढंग से हमको सोचना पड़ेगा। मुख्य मंत्रीजी, आप घबराओं नहीं। राजस्थान की जनता आपके साथ है। हम आपको झुकने के लिए कभी सलाह नहीं देंगे, आप झुकना मत।

एक माननीय सदस्य : पानी नहीं मिलेगा तो वहीं डूब कर मर जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता के मोहताज नहीं हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ऐसी कटु भाषा मत बोलो। मोहताज की बात नहीं है। कटु भाषा मत बोलो। मानसिक रूप से जो व्यक्ति है, उनका अध्ययन करो कि उनके मन में क्या है। हैं-हैं करके हंसते हैं और अन्दर गड्‌ढा भी है। तो उसको समझने की जरूरत है। और हमारी अग्रिम पंक्ति में तीनों जो बैठे हैं वह सब सक्षम हैं, कर सकते हैं। जानबूझकर मौन धारण कर रखा है।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं। गम्भीर मामला है। यहां सदन में जो चर्चा हुई। ऐसा आभास पहले मिला। यह सदन बहुत चिन्तित है इस बात के लिए, पानी की समस्या के लिए। आखिरी क्षणों में जिस प्रकार का वातावरण बना, वह खेदजनक है। सभापतिजी, सत्तापक्ष के माननीय मुख्य सचेतकजी ने कहा और इस प्रकार का एक आभास दिया सदन को और राजस्थान की जनता को, कि हमारी सरकार हमारे मुख्य मंत्रीजी काम करने में इस समस्या के समाधान में सफल नहीं हो पा रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस काम को करवाकर लायें। माननीय सभापतिजी, प्रतिपक्ष के नेता भी सदन के सदस्य हैं। हम उनका सहयोग चाहते हैं। लेकिन सत्तापक्ष की तरफ से इस प्रकार का आभास देना कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, यह बात मुझे खेदजनक लगी।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रतिपक्ष के नेता महोदय का सहयोग चाहते हैं लेकिन आखिरी में जो आपने शब्द कहे, वह भी हमारे लिए पीड़ादायक हैं। आपने कहा कि मैं इन्तजार कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी मेरे से बात करेंगे, कमलाजी मेरे से बात करेंगी। और बात करेंगे तब ही मैं समस्या के समाधान में सहयोग देऊंगा। यह यहां आकर वातावरण जो शुरू से चल रहा था उसमें बिगाड़ आया। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आपके अपने इस अहम को छोड़िये और आपसे मुख्य मंत्रीजी ने बात नहीं की, इस बात को छोड़िये। आज पूरा सदन यह चाहता है कि आप और आप, मुख्य मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य और सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्य इस भावना से चलें ताकि इस समस्या का समाधान हो। और उसी रूप से मैं आपसे निवेदन करूं कि करना चाहिए। लेकिन हमको यह आभास नहीं देना चाहिए कि हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी इस काम को नहीं कर सकते इसलिए

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रतिपक्ष के नेता महोदय के सामने हम हाथ फैला रहे हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी भावना मैंने व्यक्त कर दी।

श्री हरिसिंह (महुवा) :....(व्यवधान) आप अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करें। आप गलत समझ गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, ओनली वन मिनट।

श्री सभापति : कृपा कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सभापति महोदय, यह प्रतिपक्ष का मामला नहीं है। यह पूरे सदन का मामला है।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। मैंने आपको टाइम नहीं दिया, मैंने आपको टाइम् दिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन के लीडर बोल लिये। इसके बाद ज्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता। इधर से ये बोल लिये, सदन के माननीय नेता बोल लिये, फिर इसकी बहस का कोई अन्त नहीं है। मर्यादा तो यही है कि सदन के नेता बोल गये, प्रतिपक्ष के नेता बोल गये, उसके बाद में मामला क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन आप एक के बाद एक बोल रहे हो तो यह अनलिमिटेड हो जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : पानी का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पंजाब द्वारा राजस्थान फीडर तथा सरहिन्द फीडर में बन्दी सिंचाई मंत्रीजी के वक्तव्य पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, जयपुर मेटल लि. कम्पनी के मजदूर बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाइन्ट आफ इन्फारमेशन की बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप। सब बन्द है मामला। आप नियमों को पढ़िये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाइन्ट आफ इन्फारमेशन की बात है, सर।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बहुत भयंकर आक्रोश है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हजारों मजदूर इस सरकार को अपनी बात कहने के लिए विधान सभा के दरवाजे पर खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार इसको बन्द करने जा रही है सभापति महोदय। प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। कृपा करके इस विषय पर सरकार का.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये। नियमों का ख्याल रखियेगा।

मुखबन्द

अतिरेक मांग वर्ष 1991-92 का पारण

अतिरेक मांग वर्ष 1991-92 पर मतदान

आसन की ओर से अतिरेक मांगें मुखबन्द के द्वारा मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,654/– (इकतालीस हजार छह सौ चौवन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,627/– (दस हजार छह सौ सत्ताईस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय कि निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,70,348/– (दो लाख सत्तर हजार तीन सौ अड़तालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(14.00 बजे)

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-19 लोक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,08,00,299/– (चार करोड़ आठ लाख दो सौ निन्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 53,96,630/– (तिरेपन लाख छियानवे हजार छह सौ तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,12,16,184/– (दस करोड़ बारह लाख सोलह हजार एक सौ चौरासी) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,54,296/– (एक करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार दो सौ छियानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय कि निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,82,000/– (बत्तीस लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,34,04,195/– (एक करोड़ चौंतीस लाख चार हजार एक सौ पिचानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,19,05,285/– (पांच करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार दो सौ पिच्यासी) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1998-99 पर मतदान, मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान वर्ष 1998-99 की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,39,61,000 (एक करोड़ उन्तालीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,94,000 (इक्कीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,39,81,000/– (एक करोड़ उन्तालीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,23,88,000/– (पांच करोड़ तेईस लाख अठ्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,92,49,000/– (दो करोड़ बानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,35,20,000/– (तीन करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,32,08,000/– (तेरह करोड़ बत्तीस लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,000/– (तीन लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,06,33,000/– (दो करोड़ छह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के समबन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/– (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,54,000/– (सत्ताइस लाख चौव्वन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,53,30,000/– (पांच करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,63,000/– (एक करोड़ उन्नीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,05,26,000/– (छह करोड़ पांच लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/– (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/– (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 91,06,000/– (इक्यानवे लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,49,21,000/– (चौवन करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,51,01,76,000/– (एक अरब इक्यावन करोड़ एक लाख छियत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/– (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,10,02,08,000/– (दो अरब दस करोड़ दो लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,000/– (ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,000/– (चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000/– (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,05,30,18,000/– (दो अरब पांच करोड़ तीस लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,80,20,000/– (सात करोड़ अस्सी लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,03,44,000/– (बयालीस करोड़ तीन लाख चव्वालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/– (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/– (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री सभापति)

राज्यपाल महोदय को रुपये 3,80,01,000/– (तीन करोड़ अस्सी लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,55,000/– (एक करोड़ उन्नीस लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,54,97,000/– (एक करोड़ चौवन लाख सत्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,45,000/– (एक करोड़ तेईस लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,13,50,000/– (छह करोड़ तेरह लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,85,38,000/– (चौहत्तर करोड़ पिच्चासी लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,32,17,000/– (एक अरब सात करोड़ बत्तीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समुनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,53,43,000/– (तीन करोड़ तिरेपन लाख तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/– (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय चेयरमैन साहब, पहले एक नम्बर वाला पुरःस्थापित होगा। पहले एक पेश करूंगा, फिर दो पेश करूंगा, फिर दोनों का साथ ही डिस्कशन होगा।

श्री सभापति : ठीक है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 की पुरःस्थापना, माननीय श्री चन्दनमलजी बैद।

श्री चन्दलमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, इसके विचारार्थ के लिये पहले प्रस्ताव कर दूं फिर उसके बाद दोनों।

श्री सभापति : यह दोनों साथ में है। ठीक है।

विधेयक पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : दो पुरःस्थापित नहीं किया गया है इसलिये दो को पहले पुरःस्थापित करवाया जाए।

(14.23 बजे)

(श्री परसराम मंदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ ले लिया है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। दोनों को साथ ही विचारार्थ लेना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं अलग-अलग हैं। यहां पर पहले पुरःस्थापित कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। दूसरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अभी राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लेने का आपका प्रस्ताव सदन के सम्मुख है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि एक और दो दोनों को साथ पुरःस्थापित करने के बाद में दोनों में साथ में बहस हो जाएगी। इसलिये आपने एक तो पुरःस्थापित कर दिया, नम्बर दो जो पुरःस्थापित नहीं हुआ उसको पुरःस्थापित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह अलग-अलग है। पहले विनियोग (संख्या-1) है। उसमें पुरःस्थापित भी होगा, विचार भी होगा और पारित भी होगा। उसके बाद में विनियोग (संख्या-2) पुरःस्थापित किया जाएगा, मेरे सामने आज इस तरह का बिजनस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह चर्चा हुई थी, उसमें यह हुआ था कि दोनों विधेयक पुरःस्थापित कर दिये जाएंगे और विचारार्थ एक साथ ले लिये जाएंगे। जब पारण की अवस्था होगी उस समय अलग–अलग रूप से पास हो जाएंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे कोई ऐतराज नहीं है जैसा अध्यक्ष महोदय आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : आपने विनियोग (संख्या-1) को विचारार्थ के लिये ये मूव कर दिया आलरेडी, उसके बाद में जो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ले लें। दूसरा भी विचारार्थ के लिये मूव कर दें यह, दोनों पर चर्चा एक साथ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं पहले पुरःस्थापित करेंगे।

वित्त मंत्रीजी राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन करेंगे।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, अब राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 और विनयोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लेने के लिये माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

सूचना

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों का आन्दोलन

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स के श्रमिक दो हजार के लगभग जुलूस के रूप में आ करके बाहर बैठे हैं। मुख्य मंत्रीजी से मिलने भी आये हैं। मामला बहुत गम्भीर है। कृपा करके जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स के मैटर पर जरूर चर्चा करें। ऐसा निर्देश सरकार को देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स एंड इलैक्ट्रिकल्स, यह राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र की एक तरह से शान है। पिछले समय में इस कारखाने को चलाने में श्रमिकों को बराबर का भागीदार बनाया गया था और उसके पश्चात् राज्य सरकार ने तय किया था कि 20 करोड़ रूपये इस कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के लिये, सरकार दे। एक पूरा पैकेज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

था, और इस पैकेज के अन्तर्गत साढ़े चार करोड़ रूपये तत्कालीन राज्य सरकार ने जयपुर मैटल्स के प्रबंधकों को दे भी दिये। उस पैसे से जयपुर मैटल्स ने 3 करोड़ का व्यापार मलेशिया से किया। परन्तु वर्तमान के अन्दर जब परिस्थितियां बदलीं, तो अपने आपको जो सरकार श्रमिकों की हितैषी कहती थी, जो सरकार कहती थी हम न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाएंगे, हर हाथ को काम देंगे, अध्यक्ष महोदय, उस सरकार ने आते ही जो पैकेज पहले हुआ था, जिसकी एक किश्त हस्तांतरित कर दी गयी थी, उससे मुकर रही है। और आज उसी बात को कहने के लिये हजारों श्रमिक इस सर्वोच्च सदन का दरवाजा खटखटाने के लिये आए हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया हर फैसले को पूर्ववर्ती सरकार का फैसला, उचित और अनुचित, आप कृपया राजनीतिक धरातल से ऊपर उठ करके जो अच्छे फैसले हैं, समाज के किसी भी वर्ग के हित में हुए हैं, उनको लागू करें। मुख्यमंत्रीजी, आपके उस घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, जिस घोषणा पत्र में आपने हर हाथ को काम की बात कही थी, श्रमिकों के अधिकार की बात कही थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अविलम्ब आप सरकार को निर्देशित करें कि इस पूरे प्रकरण के अन्दर, इस मिल को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए सरकार का क्या सोच है, क्या विचार है, इसके बारे में वक्तव्य सरकार की तरफ से आना चाहिये। और आज विधान सभा के बाहर हजारों श्रमिक अपनी बात को कह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप निर्देश दें और उस पर सरकार का वक्तव्य आये।

श्री अध्यक्ष : विनियोग (संख्या-1) और विनियोग (संख्या-2) को विचारार्थ लिये जाने का प्रश्न सदन के सम्मुख है और वित्त मंत्रीजी ने इन दोनों विनियोग विधेयकों को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव भी रख दिया है। विचारार्थ की जो सैकण्ड स्टेज है, उसके ऊपर जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हो तो उस पर माननीय सदस्य बोला नहीं करते हैं।

पारित होने की जो स्टेज है उस वक्त जो सदस्य बोलना चाहें यहां तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि....

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वित्त विधेयक पर अमेंडमेंटस नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसको विचारार्थ लिये जाने की जो स्टेज है, उस पर ही बोलने की इजाजत दी जाये। क्योंकि वित्त विधेयक पर आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है और यह संभव भी नहीं था। अभी तक यह कांफिडेंसियल था, इसलिए हम उस पर अमेंडमेंट पेश भी नहीं कर सकते थे। इसलिए यदि आसन इजाजत दे तो इस पर पहले बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षित किया था कि बाहर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। लोग एक आशा के साथ इस प्रदर्शन में आते हैं कि हम जायेंगे, सर्वोच्च सदन पर जाकर अपनी बात कहेंगे, और सरकार उस पर आकर्षित होगी और सरकार अपना वक्तव्य देगी। अध्यक्ष महोदय, जो भी उसमें आये.... (व्यवधान),

श्री अध्यक्ष : अभी तो सदन की व्यवस्था है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ढाई हजार आदमी बाहर बैठे हैं। भूख के कगार पर हैं, स्थिति विकट होती जा रही है ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कई दफे सदन में यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो भी शिष्टमंडल आते हैं या प्रोशेसन आते हैं, उसमें अगर किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो वह बात कर लें और वह जाकर के अपने चैम्बर में कुछ लोगों को बुला लें और बात कर लें। लेकिन वहां आपको....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : दो हजार परिवारो. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह उनकी मर्जी पर है, मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री मदन दिलावर : दो हजार परिवारों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सवाल दो हजार लोगों के परिवार...

श्री अध्यक्ष : यह सदन की....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...प्रभावित हो रहे हैं....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सवाल यह है कि सरकार ने जो...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। राजस्थान की जनता ने बहुत बड़ा बहुमत दिया। तीन महीने के अंदर यह जो हालात हो रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिन्ताजनक है। तीन महीने में विधान सभा का मुख्य द्वार बंद करना पड़ा है यह शायद मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। इसके ऊपर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार रातों-रात प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। यह गंभीर मैटर है। कृपया कर मुख्यमंत्री जी को निर्देश दें।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, उनका प्रस्ताव भी है कि किस प्रकार से उसको चलाया जा सकता है। उन प्रस्तावों पर गौर करना चाहिए। उसको चलाना चाहिए, इसको बंद करने का यदि निर्णय होगा तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण होगा और 10 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे। 2 हजार जो वहां रोजगार पाने वाले लोग हैं उससे 10 हजार लोगों से भी अधिक लोग प्रभावित होगें। इस गंभीर मसले पर माननीय मुख्यमंत्री जी को या उद्योग मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार का इस बारे में वक्तव्य आना चाहिए...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह श्रमिकों की बहुत बड़ी चिन्ता का मामला है। सरकार को इसके बारे में वक्तव्य देकर लोगों को...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ... (व्यवधान) आप कौन हैं? अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो...।

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जयपुर मेटल्स की इस वक्त वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इस सम्बन्ध में उनका प्रतिनिधि मंडल सम्मानीय मुख्य मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और मुझसे मिले थे। यह बात भी सही है कि चुनाव के मौके पर पिछली सरकार ने 20 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया था और 20 करोड़ रुपये एकमुश्त न देकर के, उसमें से साढ़े चार करोड़ रुपये जयपुर मैटल्स को चलाने के लिए दिये थे।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल्स की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो पिछला कमिटमेंट उन्होंने वहां के प्रबन्धकों ने, सरकार के साथ किया था वह उसको अमलीजामा नहीं पहना सके। जयपुर मैटल्स की स्थिति एक दिन में खराब नहीं हुई है। मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि अगर शुरू में इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो आज यह दुःखद स्थिति पैदा नहीं होती। 1990 के अंदर एक हजार आदमी थे, जो बढ़ते-बढ़ते आज 1764 के ऊपर हैं। इनकी आवश्यकता नहीं थी। अननेसेसरी का रिक्रूटमेंट आप वहां करते चले गये। 700 आदमियों का भार जब इस फैक्ट्री के ऊपर बढ़ा दिया, और जो आर्डर्स मिलने थे एक्जीक्यूट करने के लिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह आर्डर्स जो हमको एग्जीक्यूट करने थे, काम मिलता, वह पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि दूसरी कंपनियों को दे दिये गये, कि आप इन आर्डर्स को एग्जीक्यूट कीजिये। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ग्रॉस मिसमेनेजमेंट रहा। मैंने इस संबंध में 2-3 अधिकारियों के खिलाफ तो पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी (व्यवधान) आप समझने की चेष्टा कीजिये। आपकी समझ के बाहर की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं, लेकिन आज जो सरकार की वित्तीय स्थिति है, मैंने वित्त मंत्री जी से भी दो बार चर्चा की जाकर के, लेकिन स्थिति यह है कि इस फैक्ट्री के ऊपर करीब 45 करोड़ की तो लाइबिलिटिज हैं। बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं। कोई फाइनेन्सियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज इस फैक्ट्री को चलायें तो कैसे चलायें। जैसे-तैसे करके बंद नहीं हुई है। हमने जनवरी माह तक का उनको वेतन चुका दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शीघ्र ही फरवरी के माह का वेतन भी उनको चुकाने

[redacted]

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जा रहे हैं। कोई वेतन भी चढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन आज स्थिति यह होती जा रही है कि पैसे का प्रबन्ध कहीं से नहीं हो रहा है और हमको कोई हिचक नहीं है, हम इस फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं अगर कोई, इसको प्राइवेटाइज भी करना पड़े। हमने विज्ञापन के लिए भी तैयारी कर ली है। हम शीघ्र ही इसके बारे में अखबारों के माध्यम से विज्ञापन देने जा रहे हैं। प्राइवेट पार्टीज को इन्वाइट करने जा रहे हैं। अगर वह इस फैक्ट्री को टेकओवर कर लें और किसी तरीके से चला सकें तो चलायें।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने कई समस्याएं हैं। जो यह मंदी का दौर चल रहा है, इसमें स्टेट के कई उपक्रम बंद पड़े हुए हैं। भीलवाड़ा के अंदर भी मेवाड़ टैक्सटाइल बंद पड़ी हुई है। वहां पैसे की मांग अलग आ रही है। कोटा के अंदर जे. के. बंद हुई। आज इतने अधिक धन की व्यवस्था करना सरकार के लिए संभव नहीं है। जो वित्तीय स्थिति है, उससे पूरा सदन और राजस्थान की जनता वाकिफ हैं। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा आखिरी वक्त तक यही प्रयत्न रहेगा कि किसी प्रकार से इस फैक्ट्री को हम चलायें। प्राइवेट माध्यम से हम चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने तो वित्त मंत्री से भी दो बार चर्चा की, लेकिन उन्होंने वित्तीय असमर्थता जाहिर की तो हाल-फिलहाल सरकारी स्तर के ऊपर कोई धन की प्राप्ति हो जाये, और प्रतिपक्ष के नेता से एक बात निवेदन करना चाहूंगा आपने चुनाव सर पर थे, इसलिए 20 करोड़ रुपये का पैकेज दे दिया। अगर आपने उस वक्त एकमुश्त 20 करोड़ रुपया दिया होता और रिट्रेंचमेंट के लिए कह दिया होता कि इसमें से 600-700 आदमियों का आज रिट्रेंचमेंट कर देते। लेकिन वहां तो चारागाह बना दिया। राजनीतिक चारागाह बना दिया उस फैक्ट्री को। राजनीतिक चारागाह बनाकर के आपने अनाप-शनाप भर्तिया की in seven years' time. And no attention was paid towards it. हुआ क्या वहां पर, ग्रॉस मिस्मैनेजमेंट, ग्रॉस इर्रेगुलरिटीज कोई देखभाल नहीं। और उस अच्छी-खासी चलती फैक्ट्री को इस हालत में लाकर के खड़ा कर दिया कि उसको चलाने में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से आपको अवगत कराना चाहूंगा।...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा :.....यह उचित नहीं है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : यह बात, वहां के श्रमिक माननीय मंत्री जी से मिले थे, और प्राइवेटाइजेशन करने की बात मंत्री जी ने कही है। यह वर्तमान परिस्थितियों में सही है, फैक्ट्री नहीं चल सकती। परन्तु उनकी आशंका यह है कि सवाई माधोपुर की फैक्ट्री जो आपने प्राइवेटाइजेशन की, वह प्राइवेटाइजेशन के नाम पर उसने ले भी ली और उसके बाद चलाया भी नहीं, फैक्ट्री लॉकआउट भी कर दी। श्रमिकों की छंटनी भी कर दी। जयपुर मैटल्स के पास जो वैल्यूएबल जमीन है, उसके ऊपर प्राइवेट पार्टीज की निगाह है। मंत्री जी आप उनके हितों की सुरक्षा करने का कोई बंदोबस्त

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करें तो प्राइवेटाइजेशन करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। वह भी इस बात को समझते हैं वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और सरकार के लिए संभव नहीं है कि इतने बड़े घाटे की पूर्ति करके इस फैक्ट्री को चलाया जाये। उनकी मुख्य आशंका यही है कि आने वाले समय में आप कोई क्लाज एग्रीमेन्ट में डालें। कोई ऐसा करें कि कम से कम वह वैल्यूएबल लैण्ड को नहीं खा जाये। जो सवाईमाधोपुर में घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसका एश्योरेंस आप हाउस को दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) एक मिनट, एक-एक करके अगर जवाब दूं तो बेहतर होगा, It will be better if I reply one by one. आपकी क्वेरीज जो हैं, आशंका जो हैं, सवाई माधोपुर के टर्मस एंड कंडिशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रारंभिक स्टेज के ऊपर, मेरे अपने स्तर से 'फाइल को अप्रूव किया कि इस बारे में प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में कोई आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। यह भी आपने सही कहा है कि हमें अपनी वैल्यूएबल प्रोपर्टी को सेफगार्ड करने का बंदोबस्त करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारे टर्म्स एण्ड कंडीशंस, ईश्वर करें कोई आ जाए, आज पार्टीज आ जाए तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे हमारी प्रोपर्टीज को चलाने के नाम पर, हमारी प्रोपर्टी को खुर्द-बुर्द न करें, उस पर स्वामित्व न जमा लें। इस बात का मैं सदन को आश्वासन, आपकी मार्फत देता हूं, श्रीमान।

श्री सुरेन्द्र व्यास : श्रमिकों के हितों की आप रक्षा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंशा तो सरकार की सामने आ गई। जितने भी उपक्रम हैं, चाहे जे. के. सिंथेटिक है, चाहे सवाईमाधोपुर की है और चाहे जयपुर मेटल है, सरकार इन सारे उपक्रमों को चलाने की स्थिति में नहीं है। पहले जो भी वक्तव्य संबंधित लोगों ने दिया है, वे चुनाव की दृष्टि से दिये होंगे। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, आप निजी क्षेत्र में सौंपने जा रहे हैं, परंतु श्रमिकों ने इस फैक्ट्री के साथ लम्बा समय व्यतीत किया है, जिनके जीविकोपार्जन का दूसरा साधन नहीं है। क्या इन सबको समायोजित करने का इस अनुबंध में बात डालेंगे या नहीं ? इतनी सी बात बता दें। क्या उन श्रमिकों को नौकरी में रहने देंगे या रिट्रेंच करेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जब सारी यूनियंस के श्रमिक, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी पार्टी एफिलिएशन, सी. पी. एम. सी. पी. आई., कांग्रेस, बी. जे. पी., इन यूनियनों से संबंधित प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिले थे। चर्चा हुई, बड़े अच्छे वातावरण में उनसे चर्चा हुई। मैंने भी उनको कहा, उन्होंने खुद कहा कि हां साहब, एक हजार से लेकर आज 1,700 कर दिये। यह बोझ है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हम जानते हैं। इसमें जांच की बात नहीं हैं वहां। इसमें जांच की बात कहां है ? मैंने उनसे भी कहा कि क्या आप महसूस करते हैं इतनी बड़ी स्ट्रेंथ से इस फैक्ट्री को कोई भी वायबल यूनिट की तरह चला सकता है? उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हां साहब, यह हुआ। हम तो मना करते थे, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था। उनके बोर्ड के तीन डाइरेक्टर हैं और उन्होंने कहा कि हम कहते थे, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था और मनमाने तरीके से भर्ती की जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में कोई प्राइवेट पार्टी आती है और उसको हम किन चीजों के लिए बाध्य कर सकेंगे, किनके लिए नहीं कर सकेंगे, यह तो उनके आने के पश्चात,डिस्कसन के पश्चात क्या स्थिति उभरेगी, आज की स्थिति के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्री महोदय, श्रमिक अपने लेवल पर पैकेज देकर कॉपरेटिव बेसिस पर इसको चलाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस बारे में मैंने निवेदन किया, मैंने अभी हाल-फिलहाल जो निर्णय लिया है उससे मैंने अवगत कराया है। आगे आपका एक सुझाव है इस पर क्या होगा, इस बारे में आप कॉपरेटिव की बात करेंगे ....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले से 64 प्रतिशत हिस्सा कॉपरेटिव का, श्रमिकों का है। और उस कॉपरेटिव के हिस्से को....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या आएगी धन की व्यवस्था की। वे कॉपरेटिव यूनियन भी बना लें, सोसायटी बना लें, उनके पास धन कहां से आएगा ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 200 करोड़ रूपये की स्थायी प्रोपर्टी जयपुर मैटल्स की है इसलिए प्राइवेटाइजेशन करने से पहले उस प्रोपर्टी का क्या होगा, उस सम्पत्ति का क्या होगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : कुछ हो तो सही पहले।

डा0 किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, अगर श्रमिक वायबल पैकेट कॉपरेटिव बेसिस पर चलाने का देते हैं तो क्या सरकार तैयार हो जाएगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, अभी उनकी तरफ से कोई पैकेज आया नहीं।

डा0 किरोड़ी लाल : आ जाए तो करेंगे क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आएगा तो उसके गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार करेंगे।

डा0 किरोड़ी लाल : ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिए, उसका गुणावगुण के आधार पर विचार करेंगे। यह तो मैं कह रहा हूं, आई एम नोट रिजेक्टिंग। गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। (व्यवधान)

[redacted]

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष जी, मजदूरों के हितो की सुरक्षा की गारण्टी नहीं देते तो फैक्ट्री चलाने का क्या मतलब रहेगा ? जो लाखों मजदूर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा ?

डा0 किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो प्रतिनिधि-मण्डल आया जिसमें ढाई-तीन हजार लोग हैं, आप उनके पास जाकर उनको थोड़ी इस बात की सांत्वना दे दें या प्रतिनिधिमण्डल को बात करने के लिए यहां बुला लें। इतनी सी व्यवस्था तो कर लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो तीन दफे मिल चुका हूं। Three times I have met them.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आज जो मिलने आये हैं, उस प्रतिनिधि-मण्डल से तो बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्योग मंत्रीजी और वित्त मंत्री जी बात करें और उनको आश्वस्त करें कि कॉपरेटिव में चलाने के लिए सरकार यदि कोई उचित प्रपोजल आता है तो तैयार है या नहीं। यहां जो जांच अधिकारियों के बारे में कहा है, कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन उन तीनो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कुछ नहीं हुई। यह भी मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बोर्ड ने तीन-तीन बार प्रस्ताव पास किए हैं लेकिन उनके खिलाफ एफ. आई. आर. लोज होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में जो डेलिगेशन आया है उनसे मिलें और उनको आश्वस्त करें, यही निवेदन है।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : आप पहले मिले क्या ? आपके पास पहले कई बार आए हैं। क्या पहली बार आ रहे हैं ? क्या इससे पहले कोई प्रतिनिधिमण्डल आया ही नहीं कभी ? पहले तो बराबर मिलते थे, नयी चर्चा शुरू कर दी है। (व्यवधान) आपसे बार-बार मिले थे। आपके लोग लाखों की भीड़ आई थी उसमें गये थे क्या ? आप तो कभी मिले ही नहीं, अब दूसरों को सलाह दे रहे हो। डबल स्टेण्डर्ड मत अपनाओ। खुद पालना कीजिए। अपने दिल में झांककर देखों कि आपने क्या किया है।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से प्रतिपक्ष के साथी श्रमिकों के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, सवाई माधोपुर में सीमेंट प्लांट के बारे में मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा माननीय भैरोसिंह जी की सरकार में सवाईमाधोपुर सीमेंट प्लांट के लिए मजदूरों को लेकर यहां आए। माननीय किरोड़ीलालजी के नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने यहां नंगे बदन धरना दिया। उस समय इनकी चिन्ता कहां गई थी। वहां के लोग आज भी दर-बदर भटक रहे हैं, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, नंगे बदन हैं। वहां की हालत दयनीय है। वहां सवाईमाधोपुर में चुनावी भाषण में माननीय भैरोसिंह जी ने कहा कि आप कांग्रेस की धुआं निकालो, मैं आपके सीमेंट प्लांट की धुआं निकाल दूंगा। आठ साल तक इनकी सरकार वहां रही, इन्होंने उन मजदूरों के साथ क्या अन्याय किया आठ साल तक इन्होंने क्या धुआं निकाला? आज भी वहां के मजदूर इनको बददुआएं दे रहे हैं जिसका

(श्री अशोक)

नतीजा है कि आज इस कोने में यहां विराजमान हैं।

श्री मदन दिलावार : आज भी वैसा ही करेंगे क्या ?

श्री अशोक (खण्डार) : वहां के मजदूर आज भी आपको, एक-एक शख्स को बददुआ दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : ऐसे ही घुमाओगे उनको ?

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में हजारों लोगों को लेकर ये आए। हमारे सवाईमाधोपुर सीमेंट प्लांट के मजदूर यहां पर नंगे बदन सड़कों पर घूमे और वहां मंत्रियों ने मिलने से इंकार किया। उनके साथ क्या अन्याय हुआ अध्यक्ष महोदय?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। दो हजार परिवारों के साथ, हजारों मजदूरों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जाएगा? सरकार के पास बात करने के लिए समय नहीं है।

श्री अशोक (खण्डार) : आज तीन महीने की सरकार के बीच में ये न्याय की बात करते है। सरकार इनके प्रति बिल्कुल निष्ठा रखती है, उनके प्रति न्याय रखती है, परन्तु हमारे साथ आपने आठ साल तक धोखा दिया, हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं ? आठ साल तक आपने हमारे साथ अन्याय किया, उसके बारे में आपने अपने मन में नहीं सोचा और आज आप यह बात कर रहे हैं, तीन महीने की बात कर रहे हैं। मात्र तीन महीने में आप बात कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उन मजदूरों के हत्यारे बनेंगे आप। क्या उनको आप मारेंगे?

श्री अशोक (खण्डार) : वहां आठ साल तक हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, वहां के मजदूरों की हालत आपकी नीतियो के कारण, आपकी मिलीभगत से वह फैक्ट्री बंद पड़ी थी, आपके शासन में हमारे साथ अन्याय हुआ। इसके बारे में आप अपने गिरेहबान में झांककर देखें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे कि उन मजदूरों की सुन ले बात तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : इस सदन की जो पूर्व मे व्यवस्था या परम्परा रही है, जब कभी भी कोई प्रोसेशन आता है तो आसन किसी भी मंत्री को या राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि वह जाकर उनसे मिले। यह उनके स्वंय पर निर्भर है कि कोई डेलिगेशन आता है कुछ लोगों का, तो कोई नम्बर फिक्स कर देते हैं और वे चेम्बर में जाकर मिल लेते हैं। यह परम्परा रही है और यह मान्यता भी रही है। मैं उस परम्परा और मान्यता को दोहराते हुए आसन की तरफ से कोई निर्देश नहीं दे सकता सरकार को कि आप जाइए और प्रोसेशन के अंदर जाकर वहां पर मिलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था। विपक्ष में हम भी रहे हैं, नारे लगाते थे तो हम कहते थे, भैरोंसिंह हाय-हाय, भैरोंसिंह हाय-हाय। लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि भैरोंसिंह मर गया, भैरोंसिंह मर गया। ये नीचे इस तरह के भद्दे नारे लगाते हैं कि अशोक गहलोत मर गया। फिर इनसे कौन मिलेगा ? अशोक गहलोत मर गया तो फिर मिलने का सवाल कहां पैदा होता है ? इतने घटिया नारे आज तक हमने नहीं सुने। इतने घटिया नारे लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परम्परा रही है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे अजमेर जिले में भी यह समस्या है। श्रमिकों की जो समस्या है वह सब जगह समान है। ब्यावर में तीन मिलें हैं, दो बंद हैं, एक एडवर्ड मिल और एक महालक्ष्मी मिल। कृष्णा मिल बंद होने जा रही है। किशनगढ़ में आदित्य मिल बंद हो चुकी है। विजयनगर में कपड़े की मिल बुरी हालत में है। यह श्रमिकों की समस्या राजस्थान भर की है। इसमें कोई कम्प्रीहेंसिव नीति बनायी जाए। अभी जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, अभी जो इण्डस्ट्री का रूख है, मंत्रीजी ने सही कहा है मैरिट्स पर देखा जाएगा कि कौन-कौनसी यूनिट वायबल है, कौन-कौनसी यूनिट वायबल नहीं है। उसका पूरे राजस्थान [illegible] में विचार कर लिया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : ये ब्यावर की कह रहे हैं, वे सवाईमाधोपुर की कह रहे हैं, तो कुछ तो वक्तव्य आ जाए कि चालू करेंगे या वाइंड-अप कर देंगे या मजदूरों को निकाल देंगे। हर मजदूर को, हर हाथ को काम देने की सरकार ने घोषणा की थी मेनिफेस्टो में, लेकिन मजदूर भूखे मर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए। कांग्रेस के विधायक मांग कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्य 100 दिन पूरे हुए हैं, यह सब आपका किया हुआ कबाड़ा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है। जब सदन चलता है तो चाहे मजदूर संघ हो या दूसरी कोई यूनियन हो अपने प्रत्यक्ष हित के लिए आते हैं। यह प्रजातंत्र के लिए शुभ चिन्ह है। इसका मतलब यह कि सर्वोच्च सदन में उनकी आस्था है। आते हैं, उन्हें आना चाहिए। नहीं आयेंगे, आस्था विहीन अगर सदन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्रोसेशन आया है बहुत अच्छी बात है। एक माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरसरी तौर पर सरकार ने अपनी बात भी सदन के समक्ष रखी। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि वाद-विवाद का विषय नहीं बनाया जाए। जो पूर्व में नीति निर्धारित है, उसके अनुसार प्रतिनिधि मण्डल आये और माननीय मंत्री जी से या मुख्य मंत्री जी से, जिनसे भी मिलना चाहे उनसे मिल ले। और यह कोई वाद-विवाद का विषय, अध्यक्ष महोदय, न

(श्री हरिसिंह)

बने। क्योंकि ऐसी परम्परा सदन की नहीं है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको यहां समाप्त करके सदन की जो आगे की कार्यवाही है, उस पर विचार करें।

डा0 किरोड़ी लाल : बीएड. बेरोजगार युवक बहुत बड़ी तादाद में खड़े हैं, वो भी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं अशोक गहलोत जी के। तो वह किसी को भेज दें या यहां बुला लें अशोक गहलोत जी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं, जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनसे तो मिल लें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मिलने के लिए मना नहीं किया। प्रोसेशन आते हैं, सब कुछ है। पहले भी आते रहे हैं, अच्छी परम्परा है। प्रजातंत्र के सर्वोच्च सदन में जनता की आस्था है। श्रमिक संगठनों की आस्था है, मैं अनुरोध कर चुका हूं। लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि इसे वाद-विवाद का विषय नहीं बनाया जाए, अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य सचेतक महोदय, आप तो सरकार से अनुरोध करो कि आपका प्रतिनिधि मंडल, जयपुर मैटल का, कई देर से आया हुआ है, तो आप जाकर के मिल लें। निवेदन इतना ही है कि उनकी जो बातें हैं, उनको सुनने में आपको कहां हर्ज है। 10 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री जी के चेम्बर में आया हुआ है तो मिलने में कहां एतराज है। नहीं मिलना चाहते तो खड़े होकर के मुख्य मंत्री जी यह कह दें कि हम मिलना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधिमण्डल पहले भी आया था इनके टाइम में। मुख्य सचेतक महोदय ने भी यहां की परम्पराओं का, जो अब तक होती आई हैं, उसका जिक्र करते हुए, कि यहां प्रतिनिधि मंडल आये हैं, मंत्रियों से मिलते रहे हैं, अब भी मिल सकते हैं। वहां जाने की कभी कोई परम्परा नहीं है। कभी माननीय भैरोंसिंह जी जाकर के मिले नहीं। हम भी इनके सामने रोते रहे पांच साल तक। यह कभी नहीं गये। भंवरलाल जी नहीं गये।

श्री अमराराम (धोद) : रामनारायण जी, यह केवल मजदूरो के लिए नहीं जाते। जैन मुनियों का आया तो मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता दोनो मिलने के लिए बाहर गये हैं । केवल मजदूरों और किसानों के लिए नहीं जाते। बाकी जैनियों के लिए सब यहां आंसू बहा रहे थे और मुख्य मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता बाहर जाकर गेट पर जाकर मिलकर के आये। भाषण भी दिये। केवल मजदूरों के और गरीबों के हितैषी नहीं है। इसलिए मिलने से यहां मना कर रहे हैं यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने खुद मुख्य मंत्री जी से उस समय बात की थी। मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया और मिलने तक नहीं गये। आज तो आपको सीमेंट फैक्ट्री की याद आ गई। मजदूर पुकार रहे हैं। उस

(श्री रामस्वरूप मीणा)

समय मैं पुकार रहा था मेरी टांग तोड़ दी, उस दिन नहीं बोले। शर्म आने की बात है आपको....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. वालों को विरोध करने का अधिकार है। यह तो विरोध ही करते रहेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया। जो बोलता था उसकी टांग तोड़ देते थे। आज तो याद आ रही है आपको सारी बातें, लांछन लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आये माननीय सदस्य को समझाइये। परम्परा का निर्वाह करते हुए मजदूरों से बात करनी है या नहीं, यह बतायें।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फैसला तो हो गया।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में राजस्थान की औद्योगिक पालिसियों को मजदूर विरोधी कहते हुए राजस्थान में इन्होंने मजदूरों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। उसी का कारण है कि राजस्थान की अधिकांश मिल आज बंद हैं। और पिछले दो तीन साल से पिछली सरकार ने बराबर सब मिलों को आश्वासन दिया कि हम चला रहे हैं। मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल आये और यूनियन के नेता आये, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि बार-बार असत्य आश्वासन देकर, एक भी मिल को या एक भी मजदूर के साथ इन्होंने सहानुभूति नहीं की और मिल को नहीं चलाया। लेकिन आज मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने मजदूर विरोधी कितनी ज्यादतियां की। आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम मजदूरों से बात करें। और उनकी सहानुभूति के लिए जो भी सरकार से संभव हो, जो भी हो सके उसको करने की आवश्यकता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फैसला तो हो गया है। सरकारी मुख्य सचेतक खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि आ जायें और मुख्य मंत्री व उद्योग मंत्री से मिल लें। बाई द वे उद्योग मंत्री ने मिलने से इंकार कर दिया तो सरकारी मुख्य सचेतक जी, आपके आदेश का क्या होगा? आपके भाषण का क्या होगा? आपने कहा है प्रतिनिधि मंडल आ जाये। बिलकुल यह कहा है आपने। प्रोसिडिंग निकलवा लें, आपने यह बात कही है कि प्रतिनिधि मंडल आ जाये मुख्य मंत्री के चैम्बर में और उद्योग मंत्री से मिल ले। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की भलाई की बजाय राजनीति शुरू हो गई। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजनीति से उठकर बातचीत की जानी चाहिए। ये भूखे, प्यासे लोग हैं, और यह समझें कि कांग्रेस और बी.जे.पी. के हैं, वहां बहुजन समाज के लोग भी हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज भी उनके पांच आदमी अन्दर आयें। हम मिलने को तैयार हैं। कौन मना कर रहा है मिलने से?

श्री जगत सिंह दायमा : लालटेन की बात नहीं है बहुजन समाज की बात हैं। गरीब लोग भी है उसमें लगे हुए...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा पहले भी मिले हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है। मिलना एक अलग बात है। मिलने को तो आज भी मिल लेंगे। बड़ा गम्भीर प्रश्न है। सारे मजदूरों का शोषण हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, कटौतियां हो रही हैं। फैक्ट्री बंद होने की हालत में हैं। सरकारी प्रशासन वहां भटक रहा है। आई.ए.एस. आफिसर हटा दिया जाता है। जमीने वहां बेच रहे हैं। फैक्ट्री को आखिर चलाना है या नहीं चलाना है? असली उद्देश्य यह है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष : सरकार का जो अभिमत है, सरकार के सामने जो बाधाएं हैं संसाधन की, उसका उल्लेख आलरेडी वो कर चुके हैं। यह आप नई बात नहीं कह रहे हैं। मिलना कोई चाहते हैं तो उन्होंने कह दिया मिलने के लिए तैयार हैं। शिष्टमंडल आ जाए। (व्यवधान) कौन जा जाए कौन नहीं, यह मुझे मालूम नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम तो मिल लिए, तभी तो आये हैं यहां।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फैक्ट्री बंद करने की सरकार सोच रही है इसके बजाए दारू की फैक्ट्रियां बंद करें जो गांवों को सड़ा रही हैं। उनकी मांग है हमारी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने ही चलाई है फैक्ट्रियां। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र, मेरे जिले में जितनी डिस्टीलरीज लगी हुई है उतनी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं हैं। और माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री किरोड़ी लाल : मैं आपको टोक नहीं रहा, माननीय सदस्य ने काका बोला, परसादी जी मेरे मामा लगते हैं और हरिसिंह जी मेरे बड़े भाई लगते हैं। मैं यही सम्बोधित करके बोलूं आगे से।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं पंजाबी में बोल रहा हूं, काका का मतलब भाई है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि अलवर जिले में जितनी भी शराब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आप देखिये कि वे गांवों के बिलकुल सटीक, बिलकुल नजदीक लगी हुई हैं और कम से कम 50 गांवों के व्यक्तियों का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि सांस लेना उनके लिए दूभर हो गया है। मक्खियां तो आप ऐसे पकड़ लो कि जैसे किसी पशु को पकड़ रहे हो। इतना बुरा हाल हो गया है। आप दिल्ली जाते होंगे तो आपको भी महसूस होता होगा कि वहां बुरी तरह से सड़ांध आती है। गांवों से अटैच शराब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, उनका जीना दूभर हो गया है। इन फैक्ट्रियों को

(श्री जगत सिंह दायमा)

तो चलायें, और वैसी फैक्ट्रियों को बंद करें। इसमें लाभ और हानि नहीं देखें। इसमें तो सारे काम मजदूर लोग कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है यहां पर। इसलिए उन फैक्ट्रियों को बंद करें और इनको चलायें किसी तरह से भी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : गुढ़ा से आने वाले (15.00 बजे) माननीय सदस्य ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि विचारार्थ स्टेज पर भी हम बोलना चाहते हैं। हमेशा इस सदन में विचारार्थ, क्लॉज बाई क्लॉज होता है, इसमें अमेंडमेंट हो नहीं सकता। पारित की जो स्टेज है, जिस वक्त पारित का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो मैं क्वेश्चन पुट-अप नहीं करूंगा, वह बाद में करूंगा। इसलिए उस स्टेज पर हमेशा ही बोलते रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ द बिल पर।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

अब प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) और राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पारित कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999

श्री चन्दमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, विनियोग संख्या 1 और 2 को पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। मैं सोचता हूं कि मुझे इस बात से कोई विरोध नहीं है लेकिन मैं इस बात को जरूर आज सदन के सामने, और आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस सरकार ने जिस मन्शा के आधार पर बार-बार यह प्रचारित किया कि यह सरकार बहुत कर्जदार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो गयी है, यह सरकार बिलकुल डूब जाएगी। यह-यह हमने किया और एक श्वेत पत्र के नाम से एक श्वेत पत्र जारी हुआ। यह श्वेत पत्र क्या होता है? इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में शंका हुई कि यह श्वेत पत्र ईमानदारी का पत्र है या श्वेत पत्र राजनीति के आवरण में बन्द करके उसको पेश करके राजस्थान की जनता के सामने हम क्या चीज रखना चाहते हैं। मैं इस विषय पर इसलिए बहुत अधिक नहीं जाना चाहता हूं पर मैं, चूंकि जिस विभाग में मैंने काम किया, उस शिक्षा विभाग के आंकड़ों को जिस चतुराई से पेश करने की कोशिश की, वह इस बात को साबित करती है कि सरकार के मन में कुछ मलीनता है। अगर हकीकत को रखना चाहते थे कि हमने क्या किया, इन्होंने 1990 से 1998 तक क्या कर दिया, उसको रखते तो कोई एतराज की बात नहीं थी। हमने 1990 से 1998 तक कुछ किया उसको भी रख देते तो मन में कुछ संतोष होता। लेकिन मुझे बहुत दुःख और अफसोस इस बात का है कि जहां ठीक लगा, जहां कहीं पुरानी सरकार को एक कोर्नर में खड़ा करने की स्थिति आयी, उनके आंकड़े देकर के व्हाइट पेपर में आपने पब्लिश कर दिया। लेकिन जहां राजस्थान के शिक्षा विभाग का सवाल आया उस शिक्षा विभाग की उन सारी उपलब्धियों को आपने नकार दिया। और यह कहने की कोशिश की कि हमने 1952 से लेकर 1990 तक यह-यह काम कर दिया और आपने एक स्कूलों की सूची भी इस तरह से रख दी कि हमने इतने स्कूल खोले। इतने प्राइमरी, इतने सैकण्डरी, इतने कॉलेज, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी खोली। सब कुछ की, लेकिन उसके आगे का जो कॉलम था उस कॉलम को आपने भरने की कोशिश नहीं की। क्योंकि वह आपके पक्ष में नहीं था। मुझे आज बहुत दुःख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 23 हजार का कर्जा आप जिसे कह रहे हो, उसमें अगर सबसे बड़ा भाग किसी का है तो, राजस्थान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने जिस प्रकार का अपना मन्तव्य तय करके खर्चा किया, वह यद्यपि उत्पादक तो नहीं है लेकिन वह आवश्यक है। जिस आवश्यकता को हम नकार करके चले इतने सालों तक, उसके परिणाम राजस्थान आज तक भुगत रहा है। हमने इस बात का प्रयास किया और मैं आंकड़ों से साबित करना चाहता हूं कि जिस दिन आपने राज छोड़ा था 1989-90 में, उस दिन राजस्थान की शिक्षा पर कुल बजट का 663 करोड़ रुपया खर्च होता था और आज शिक्षा पर जो खर्चा होता है, वह 2895 करोड़ रुपया है। यह चौगुना पैसा हमने किसके लिए बढ़ाया है? राजस्थान की उस अशिक्षा और अंगूठाछाप को मिटाने के लिए यह प्रयास किया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने शिक्षा पर व्यय किया वह केवल 270 करोड़ रुपया था और हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1040 करोड़ किया और नवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने अपना प्रस्ताव बनाया वह 2694 करोड़ रुपये का बनाया है। यह किसके लिए बनाया? इस अन्तर को रखने के पीछे हमारी मन्शा यह थी कि आखिर बालक पढ़ेगा, अशिक्षा का अगर यहां से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समापन होगा तभी राजस्थान तरक्की कर सकता है। आपने जो स्कूल खोले हैं, जिसको आपने यों आवरण में तह किया है, मैं चाहता हूं कि इसकी हकीकत को आप राजस्थान की जनता के बीच में जाने दें। इन 50 वर्षों में किसी ने शिक्षा को सबसे ज्यादा नकारा है, आने वाले बच्चे जो कल पैदा हुए, उनको स्कूल की व्यवस्था अगर किसी ने नहीं दी, उसका अगर किसी को दोषी मानूं तो आप पर उस दोष का मैं लांछन लगाता हूं। और इस कारण से लगाता हूं कि बड़े अच्छे आचरण में पेश किया कि आजादी के पहले सारे मिलाकर के 5200 स्कूल थे और उसके बाद 1990 तक, जिसमें 1977 से 1980 तक का हमारा भी आपने क्लब कर दिया, और क्लब करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में आज स्कूलों की संख्या हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की, वह 55437 है और जिस समय आपने 1990 में छोड़ा था उस समय सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की संख्या थी वह 33755 थी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : हमारी सरकार तो अभी तीन महीने से सत्ता में आयी है। आपने शिक्षा विभाग का जो भट्टा बिठाया है, ग्रामीण बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है, ग्रामीण बेरोजगार शिक्षकों को रोकने के लिए आपने षड्यंत्र रचा, उसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपसे घृणा करते हैं और घृणा करके आपको इस जगह बिठाया है। इसलिए शिक्षा विभाग का आपने भट्टा बिठाया है। (व्यवधान) हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोगों का खर्चा ग्रामीण पर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो यह सर्वोच्च सदन मुझे फांसी लगाना चाहे तो मैं सहर्ष तैयार हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जन प्रतिनिधि हूं। और जनप्रतिनिधि की हैसियत से यहां बोल रहा हूं। लेकिन मैं आंकड़ों से इस बात को साबित कर रहा हूं कि देश की आजादी के समय सारे राजस्थान में 5243 स्कूल थे, और आपने जब 1990 में छोड़ा, तब 33755 स्कूल कुल थे। सब मिलाकर के आपने कुल 28512 स्कूल खोले जिसमें हमारा 1977 से 1980 का पीरियड भी है और आज की तारीख में जब हमने यह छोड़ा है तो 52439 स्कूल छोड़े हैं। आपके 33755 निकाल दूं तो हमने 21682 स्कूल खोले।

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन यह स्कूल आपने बेचे कितने? मैट्रिक अगर खुलेगा तो तीन लाख में। पांच लाख रुपये. ...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आपके क्षेत्रों को पनाह देने के लिए...(व्यवधान) बाकी आपने कोई काम नहीं किये हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में स्कूल मुफ्त में खोले गये और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख रुपये मैट्रिक के लिए गये और पांच लाख रुपये वसूल किये गये 10+2 के लिए। तो शिक्षा को व्यापार किसने बनाया?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(व्यवधान) यह बी.जे.पी. की गवर्नमेंट है। इसने हिन्दुस्तान में पहली बार शिक्षा को और स्कूलों को नीलाम करने का काम किया (व्यवधान) और कहते हैं कि संख्या बढ़ी। (व्यवधान) तीन लाख में सैकण्डरी स्कूल खोले और पांच लाख में 10+2 खोले। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप बोल क्या रहे हो? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : शिक्षा को बेचा। तीन लाख रुपये में खोले हैं सैकण्डरी स्कूल और पांच लाख में आपने खोले हैं 10+2 स्कूल।

श्री रतनाराम चौधरी : 5-5 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये स्कूल खोलने के लिए आपने डोनेशन लिया। डोनेशन लेकर के आपने स्कूल खोले हैं। हमारी सरकार ने कभी डोनेशन नहीं लिया। एक स्कूल खोलने में भी डोनेशन नहीं लिया और आपने 4-4, 5-5, 3-3 लाख रुपये लेकर स्कूल खोला।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपका जब मौका आये तो आप इस बात को अच्छी तरह से कहें।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आप संख्या की बात कर रहे हो कि हमने संख्या बढ़ायी, तो आपने संख्या बढ़ायी है पैसे लेकर। शहरों में तो मुफ्त में खोले और गांवों में आपने स्कूल बेचे। (व्यवधान) बिहार तो अमर है। बिहार में आजमाइश करके आपने पहले देख लिया और अब फिर देख रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तो यह जानता हूं कि यह सर्वोच्च सदन है। (व्यवधान) मैं आंकड़ों के साथ रख रहा हूं। अगर उसमें कोई कमी-खामी हो तो आप इंगित करें। मैं अपने मन से कुछ नहीं बनाकर बोल रहा हूं। जो आंकड़े आज की तारीख में हैं उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी बात कह रहा हूं। हमने 21682 स्कूल खोले और आपने पूरे राजस्थान में 28512 स्कूल खोले।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप यह भी बता दो कि इसमें सरकारी कितने हैं? इनमें सरकारी कितने हैं और प्राईवेट कितने हैं? यह और खुलासा कर दें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, मैं दोनों की बता रहा हूं। मैं आज आपको जितने प्राथमिक विधालय थे, वह 30000 प्राथमिक विधालय आपके समय में थे, जो सरकारी थे और आज की तारीख में सरकारी विद्यालय 40000 हैं। 10000 प्राथमिक विधालय इस समय में खुले हैं।

यही नहीं, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय आपने 8627 बताये हैं इस व्हाइट पेपर में, उसमें जो देश की आजादी के पहले के हैं, उनको बाकी निकालने के बाद अगर 40 साल का भाग लगाऊं तो आपका प्रतिवर्ष जो प्राथमिक विद्यालय आपने खोले हैं, वह 197 स्कूल खोले हैं प्रतिवर्ष और हमने 5100 स्कूल खोले हैं इन 10 वर्षों के अन्दर। जिसका एवरेज 510 स्कूल प्रतिवर्ष मिडल स्कूल के रूप में आता है। हमने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोशिश की इस बात की कि बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलेगी। कम से कम, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विघालय तक यह कल का बच्चा तो अंगूठा छाप नहीं रहेगा....

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि उसमें कागजों में कितने खोले और सही में कुल कितने खोले हैं? केवल कागजी स्कूल बनकर रह गये आधे तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कल का बच्चा तो, हम कभी जायेंगे। यही नहीं, मुझे आश्चर्य इस बात का है, मैं इस बात को पहले ही (व्यवधान) एक भी कागज में नहीं खुला, आप रिकॉर्ड उठाकर आ जाइये और उसके बाद कोई कागज में खुला हो तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। जो दण्ड देना चाहें मुझे, मैं लेने का तैयार हूं। मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम हकीकत से दूर नहीं हों।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपको दण्ड खाने का बहुत शौक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह बहस का विषय नहीं है। यह बहस का विषय इसलिए बनाया, आपने इस व्हाइट पेपर के माध्यम से राजस्थान को यह दिखाने की कोशिश की कि...

श्री जगत सिंह दायमा : भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी, आपने स्कूल तो खोल दिये, ऐसा मानते हैं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया :....हम व्हाइट पेपर के माध्यम से हकीकत लाये हैं जबकि सच्चाई यह है...

श्री जगत सिंह दायमा : शिक्षा मंत्रीजी, आपने स्कूल खोले परन्तु उनमें टीचर्स कितने भेजे। एक-एक टीचर आठ स्कूलों में, दो-दो टीचर आठवीं तक स्कूल में। मैं बताऊं आपको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई नहीं, कोई सवाल नहीं। अगर कोई वहां से ट्रांसफर होकर चला गया, बाकी तो नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : वह तो भेड़-बकरी की तरह कर दिये आपने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी आपने 2781 बताये हैं इस व्हाइट पेपर में, उसमें से पुराने अगर निकाल देते हैं और इसके बाद 40 का भाग लगाते हैं तो 65 स्कूल प्रतिवर्ष के हिसाब से आपने 40 वर्षों में खोले हैं और हमने जो स्कूल खोले हैं, उसमे 341 स्कूल प्रतिवर्ष के रूप में हमने 10 वर्षों में खोले हैं।

यही नहीं, आपने कालेज के बारे में किस प्रकार से आंकड़े देकर उलझाने की कोशिश की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कालेज की दृष्टि से अगर कोई सबसे काला काल खण्ड माना जायेगा तो आपका काल खण्ड होगा। देश की आजादी के पहले 51 कालेज थे राजस्थान में। अब उसके बाद आपने उसकी संख्या को बढ़ाकर 163 ले गये, जिसमें केवल आपने 112 नये खोले। उस 112 में से हमारा 1977 से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1980 वाला समय भी हे। वह निकालने के बाद आपके खाते में केवल 95 कालेज हैं जिसमें राजकीय भी हैं और गैर राजकीय कालेज भी हैं। और अब आपने हमारे आंकड़े छिपा लिये। इसलिए छिपा लिये कि हमने केवल 10 वर्षों में 135 कालेज खोले हैं 135 कालेज और प्रतिशत का हिसाब लगाकर देखें तो आपने तो 2.8 कालेज प्रतिवर्ष के हिसाब से खोले और हमारा अगर एक वर्ष का औसत निकालें तो 13.5 कालेज प्रतिवर्ष के रूप में हमने खोले हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि हम किस आधार से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।

यही नहीं, श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सारे आंकड़े हैं कि मैंने इस राजनीति से दूर हटकर जो जिले शिक्षा की दृष्टि से और बच्चों की और महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़े जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्कूल खोली हैं। मैंने यह नहीं देखा कि यहां से कौन एम.एल.ए. जीतकर आया है, कौन नहीं जीतकर आया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर में केवल 1993 से लेकर 98 तक के बीच में 581 प्राइमरी स्कूल खोले जो अब तक का रिकार्ड है। हमने इस बात को कभी नहीं देखा, हमने इस बात को देखा, हमने इस बात का प्रयास किया कि...

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारे यहां एक भी स्कूल नहीं खोला। मैं हमेशा आपके पास आया। आपने बड़े प्यार से बात की पर स्कूल एक भी नहीं खोला। आप बता दें अगर खोला हो तो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमने इस बात की कोशिश की है कि...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने आपकी आर.एस.एस. की शाखाएं खोलने के लिये ये स्कूल खोले हैं, वह भी शिक्षक विहीन, जिसमें एक शिक्षक नहीं। अपने आर.एस.एस. के प्रचार के लिये ये स्कूल खोलीं और जिनका भी प्रतिशत जीरो रहा। आप खुद जानते हैं कि आपका एकमात्र उद्देश्य था कि, आपने आर.एस.एस. की पृष्ठभूमि में इन स्कूलों में शाखा लगाई। आपने बच्चों की ड्रेस खाकी नेकर और सफेद कमीज कर दी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आर.एस.एस. की शाखा तो हजारों से लाखों हो गई, क्यों घबराये हुए हो। (व्यवधान) हजारों लाखों की संख्या हो गई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए परमिट कर दिया। राजस्थान की भावी पीढ़ी आपको दोष देगी। आपने प्रगतिशील विचारधारा से राजस्थान के विद्यार्थियों को भटका दिया। आप दोषी हैं उस बात के लिए। आप सोचिये उस बात के लिए कि आपने आर.एस.एस. की फोर्सेज को स्कूलों में डवलप किया। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि इस व्हाइट पेपर के माध्यम से शिक्षा को जिस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया, मुझे उस पर एतराज था, इसलिए

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैंने अपनी बात को आंकड़ों से रखने की कोशिश की।

श्रीमान् जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने तय किया था कि 6400 स्कूल खोलेंगे, लेकिन आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में खोले कितने मात्र 4984 स्कूल खोले। जितने तय किये थे उतने नहीं खोले। और हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में तय कितने किये थे, 5394 स्कूल, और खोले कितने, 9323 स्कूल। यह हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है कि हम राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से उठाना चाहते हैं कि नहीं।

श्रीमान् यहीं नहीं, मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं कि साक्षरता के आंकड़े इस व्हाइट पेपर में देकर क्या दिखाना चाहा? आप उसके आधार पर क्या कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। आपने 40 साल तक राज किया, जो नौ प्रतिशत साक्षरता देश की आजादी के समय हमारी थी, उसको हम केवल 38.55 प्रतिशत तक लाये, अर्थात हमने 29 प्रतिशत साक्षरता इन 40 वर्षों में बढ़ाई थी। अगर उसका आप आंकड़ा निकालने का प्रयास करें कि आपने प्रतिवर्ष कितना किया तो .72 प्रतिशत प्रतिवर्ष साक्षरता बढ़ी आपकी इन 40 वर्षों में। श्रीमान् मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसकी अपेक्षा जो हमने साक्षरता का प्रयास किया स्कूल खोलने का शिक्षाकर्मी के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा से, यह मेरा सर्वे नहीं है। यह सर्वे है राष्ट्रीय सर्वे जो अभी हुआ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो हुआ है 1997 में, वह हमने नहीं कराया है, केन्द्र सरकार के द्वारा 1997 में हुआ। उसने जो आंकड़े निकाले हैं और उसमें जो उन्होंने कहा है कि राजस्थान हिन्दुस्तान का पहला राज्य है जहां 16.6 प्रतिशत अपनी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इसी क्रम से चलते रहे तो आने वाले 2001 में जब जनगणना होगी तब राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 60 प्रतिशत होगा। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। अगर आपको अच्छी बात सुनने में दर्द होता है...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कटारिया जी, अच्छा होगा अगर आप यह भी बता दें कि पिछले दो सालों में तीन लाख रुपये लेकर, सरकार में जमा कराकर कितने स्कूल खोले और दो लाख रुपये लेकर कितने खोले। कांग्रेस के राज में पैसा लेकर स्कूल खुली थी क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां खोली। आप लोगों ने भी खुलवाई। मतलब, वह खोली और आप लोगों ने ज्यादा खुलवाई।

श्री रतन लाल ताम्बी : शिक्षा को तो बेच दिया आपने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपके झुंझनूं में ज्यादा खोली, जहां सबसे ज्यादा एम.एल.ए. आपके यहां से आते हैं। उनको पूछो, उन्होंने खुलवाई तो क्यों खुलवाई?

श्री रतन लाल ताम्बी : अच्छा, आप तो यह बता दीजिये कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी स्कूल खोला क्या इन नौ सालों में? कहां खोला आपने?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं खोला।

श्री रतन लाल ताम्बी : जहां चाहा वहां खोल दिया मनमाने ढंग से। एक उदाहरण बताओ एक उदाहरण। आपने शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया आपने और पैसे ले लेकर के स्कूल खोले।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह कहीं पर खोले नहीं। इस बात को प्रचारित किया। मैंने राजनीति से ऊपर उठकर स्कूल खोले।

श्री रतन लाल ताम्बी : जो आधारभूत ढांचा था वह कांग्रेस के राज में ही बना, उस लाइन को आपने आगे बढ़ाया। आप लोगों ने उसमें क्या कर दिया? कुछ नहीं किया आपने उसमें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर मैंने स्कूल खोले...

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने एक-एक कांस्टीट्यूएन्सी में 18-18 स्कूल खोलीं सैकण्डरी स्कूल राजस्थान में, यह उदाहरण मेरे पास है, और हमारे यहां एक भी नहीं खोली। इतना भेदभाव करते थे आप। आपने राजनैतिक आधार पर शिक्षा को बना दिया। आप बातें ही करते हैं फालतू की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय, मैं आपको इस बात के लिए निमंत्रण देता हूं, चुनौती देता हूं अगर मैंने कोई विद्यालय राजनीति से प्रेरित होकर खोला है, उसके सारे आंकड़े उठाकर कांस्टीट्यूएन्सीवाइज अगर आप चाहेंगे तो मैं सदन में....

श्री रतन लाल ताम्बी : आप चुनौती क्या देंगे? राजस्थान की जनता ने चुनौती दे दी आपको इसी मामले को लेकर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं। जनता ने दे दी इसीलिए। मैं आपकी कृपा से नहीं आया हूं। जनता ने ही चुनकर भेजा है मुझे भी। अगर मैंने पाप किया है तो मुझे भी सजा मिल जाती। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने इस बात का प्रयास किया, मुझे इस बात का दुःख है... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाकी लोगों ने पाप किया था? बाकी लोग क्या सब पापी थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपनी सीट से बोलिये राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसका मतलब है पाप किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके 70 हारे हैं, सबने पाप किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 127 स्कूल खोले हैं, वे अभी तक भरे नहीं है। उन्होंने घर बैठकर पैसा लिया है, ऐसी संस्था चलती नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस व्हाइट पेपर में जिस बात का उल्लेख किया है इन्होंने–

"While the academic standard in the institutions of higher secondary and primary education deteriorated..."

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं नहीं समझ पाया कि कहां मैंने डिटेयोरेटेड कर दिया, कहां मैंने स्तर गिरा दिया। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम मेरे पास है। मैं आपको आंकड़ों से कह रहा हूं, आप अपना निकालकर देख लें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम इन पिछले वर्षों में कितना बढ़ा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम, जो 51 प्रतिशत 94 में था, वह पिछले साल 60 प्रतिशत हुआ। इसमें 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम, जो बोर्ड का पांच सालों में बढ़ा, 52 प्रतिशत से 68 प्रतिशत पर आया, 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, अगर हम लोगों का दृष्टिकोण केवल राजनीतिक बात करने का होगा, तब राजस्थान का भला तो नहीं कर सकते, अपना भला तो जरूर कर सकते हैं हम सब तो अमर हो जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं हम सब अमर हो जायेंगे। लेकिन हम राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। किसी भी बात को कहने के पहले उस बात की हकीकत को भी जरूर देखना चाहिए और उसके आधार पर आप बात कहें, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर मैंने गुनाह किया तो आप जो सजा दें, मैं लेने को तैयार हूं। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा प्रदेश आगे बढ़े, उसमें अगर मैं दण्डित हो सकता हूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। श्रीमन्, यही नहीं, केवल संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी जो सुधार हुआ है वह मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। सैकण्डरी में फर्स्ट डिवीजन से 12 प्रतिशत लड़के 94 में पास हुए। पिछले साल 21 प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। श्रीमन् जो 94 में 33 प्रतिशत लड़के सैकण्ड डिवीजन पास हुए सैकण्डरी के, वह पिछली बार 45.4 प्रतिशत बच्चे सैकण्ड डिवीजन से पास हुए। किस दृष्टि से हमने सुधार नहीं किया। सीनियर सैकण्डरी का फर्स्ट डिवीजन का पर्सेन्टेज...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : प्राइवेट बच्चे हैं उनमें ज्यादा और प्राइवेट स्कूलों के हैं। आप तो राजकीय बताइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मास्टरों की तो हड़ताल चल रही थी उस समय...

श्री रतन लाल ताम्बी : राजकीय बताइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : हैड कांस्टेबलों ने परीक्षा ली थी....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : बल्कि हालत यह हो गई है कि वहां सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाना ही पसन्द नहीं करते, यह हालत हो गई थी उसकी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यही नहीं, सीनियर सैकण्डरी स्कूल का परीक्षा परिणाम का पर्सेन्टेज...(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : क्या आपके ही जमाने में हुआ है यह सब?

एक माननीय सदस्य : पिछले आठ साल से जो शिक्षा का राजनीतिकरण हुआ है...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह 18 प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। सेकण्ड डिवीजन में 46 प्रतिशत था वह 49 प्रतिशत हुआ। हमने कहां स्तर को गिराया, कहां हमने इस शिक्षा को नीचे ले जाने का प्रयास किया। केवल शब्दों के आवरण से अगर मन को संतोष होता है तो आप जरूर करें, मुझे कोई एतराज नहीं। पर मैं अपने मन की पीड़ा जरूर कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का प्रयास सारे शिक्षक समुदाय ने...

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य के मन को पीड़ा है तो इस पीड़ा की आप अभिव्यक्ति दे चुके हैं, पिछले सत्र में यह के यह आंकड़े आपने दिये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, यह श्वेत पत्र में जिस प्रकार का वर्णन किया..

श्री अध्यक्ष : श्वेत पत्र के रेफरेंस में...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस श्वेत पत्र में जिस प्रकार का वर्णन करके शब्द लिखा है, उस शब्द के कारण से दे रहा हूं। इस श्वेत पत्र के माध्यम से राजस्थान को यह देने की कोशिश की कि हमने शिक्षा में कुछ नहीं किया। हमने शिक्षा को डुबोने का प्रयास किया, हमने शिक्षा का स्तर गिरा दिया, हमने वह कर दिया, यह जो चार्ज लगाये, उसके कारण से दे रहा हूं, बाकी मुझे कोई देने की आवश्यकता नहीं। यही नहीं, राजस्थान सबसे तकलीफ में अगर है तो बालिका शिक्षा की दृष्टि से है। राजस्थान आज भी हिन्दुस्तान में सबसे नीचे, 20 प्रतिशत हमारी साक्षरता है। हमने इस को बढ़ाने का प्रयास किया और उसकी दृष्टि से जितनी बालिकाओं को सुविधा दी जा सकती है, जो भी बच्ची सैकण्डरी स्कूल में फर्स्ट, यानि 75 प्रतिशत अंक लाती है, उसको हमने एक हजार रुपये की दो साल की स्कालरशिप दी, जिसमें हमने 22 लाख रुपये दिये। हमने मुफ्त किताबें दी, किसके लिए दीं। उस बच्ची को स्कूल में रोकने के लिए दीं। हमने उनके छात्रावास 25 जिला हैडक्वार्टर पर खोलकर साढ़े बारह करोड़ की स्वीकृति दी। किसके लिए दी, हम उस बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं। हमने एस.टी. सी. में 40 प्रतिशत लड़कियों का आरक्षण किया। किसके लिए किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हमने इस प्रकार यही नहीं, मैं आपको इन सब बातों से यह तय कर सकता हूं कि हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमारे से प्रयास हो सकता था, वह प्रयास हमने किया है। लेकिन आपने इस व्हाइट पेपर के माध्यम से हमारे काम को एक शब्द में आपने कहा कि हमने तो गिरा दिया, हमने तो जमीन में पहुंचा दिया। मैं नहीं समझ पाया अगर किसी तर्क के साथ कहते तो मैं आपकी बात को मान सकता था....

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय अध्यक्षजी, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा में स्कूल बहुत खोले हैं लेकिन मास्टर एक नहीं लगाया वहां पर। मिडिल स्कूलों के अन्दर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आप लगा देना, आपके वश में है।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : सिर्फ प्राइमरी स्टाफ ही काम कर रहा है आज भी, और घर बैठे तनख्वाह ले रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने निःशुल्क पाठ्य पुस्तके दी बच्चों को 53 करोड़ की। अब यह कर्जा नहीं होगा तो क्या होगा।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : नहीं साहब, आज भी मिडिल स्कूलों के अन्दर स्टाफ मौजूद नहीं है। वह आपके किए हुए, दिए हुए दिन हैं आज। आज यह स्थिति है शिक्षा विभाग की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : स्वाभाविक रूप से कर्जा होगा और हमने इस बात की कोशिश की थी कि कर्जा लेकर के भी कम से कम विद्यालय जरूर गांवों तक पहुंचे।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : ऐसे बहुत से गांव मैं बताऊं आपको, जहां मिडिल स्कूलों के अन्दर एक भी टीचर आपने नहीं लगाया। सिवाय जो प्राइमरी स्कूल का स्टाफ है, वहीं आज भी काम कर रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और इसलिए हमने कर्जा लिया तो हमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरह यह कह रहे हैं कि शिक्षकों के पद खाली हैं, मैं कह रहा हूं कि केवल व्याख्याता वर्ग ही एक ऐसा रहा जिसकी समस्या का समाधान उस समय नहीं, और आज भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसकी कुछ जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं को जब तक समाप्त करके इमरजेंसी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तब तक यह 2600 व्याख्याता के पद नहीं भरे जायेंगे। यह रोज की समस्या है क्योंकि कोई प्रमोशन लेना नहीं चाहता। इसके कारण से है, बाकी थर्ड ग्रेड और सेकण्ड ग्रेड में मेरे समय में अंतिम 31 तारीख के दिन मैंने प्रत्येक जिला अधिकारी से जीरो वेकेन्सी का चार्ट मंगा कर, मैंने उसको फुलफिल कराया था। यह है कि जिला परिषद् में और पंचायत राज की कुछ अपनी समस्या है। कोर्ट में कुछ केसेज हो जाने से वहां भर्ती नहीं हुई लेकिन बाकी शिक्षा विभाग में सेकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सेंट-पर-सेंट भर्ती हुई हर साल, जितनी वेकेन्सी थी।

यही नहीं श्रीमन्, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस आठ साल के पीरियड में हमने 39739 अध्यापकों को नियुक्ति दी जो अब तक का रिकार्ड है। यही नहीं, इसमें 15 हजार अध्यापिकाएं लगी हैं जो अब तक राजस्थान का सबसे बड़ा रिकार्ड है। महिलाएं आज टीचर्स बनी है ना, यह 15 हजार शिक्षिकाएं इसमें लगी हैं। मैं सोचता हूं हमने इस दृष्टि से काम करने की कोशिश की। मैंने इस बात का प्रयास किया कि जो अच्छा काम करता हो उस संस्था प्रधान को पुरस्कार मिलना चाहिए। पहली बार यह हुआ और स्वयं मुख्य मंत्रीजी अब की बार उस पुरस्कार समारोह में गये.....

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : यह श्वेत पत्र का एनालिसिस होने का सत्र है क्या। श्वेत पत्र का एनालिसिस कर रहे हैं माननीय सदस्य इतना लम्बा-चौड़ा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आज एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर आप यह लिखा लेना कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने घाटे में चले गये, इतने दीवालिया हो गये, यह हो गया। शिक्षा पर अगर दीवालिया भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

होना पड़े ना, तो होना पड़ेगा। अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए अगर घर-बार भी गिरवी रखना होगा तो रखना होगा। अगर हम अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं, इसलिए यह सवाल खड़ा हुआ। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि इस बेसिक आवश्यकता को आपने नजरंदाज किया जिसका फल आज राजस्थान भुगत रहा है शिक्षा की दृष्टि से।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : इन कार्यों का फल आपको क्या मिला, यह बता दें आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमें तो कुछ नहीं मिला, आपको मिला जो.... (व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय, हमने सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान को, जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दे राजस्थान में, पचास हजार रुपये का पुरस्कार दिया पिछले तीन सालों से। और जिस संस्था प्रधान ने तीन साल तक लगातार यह पुरस्कार प्राप्त किया, चाहे जिले पर, चाहे राजस्थान लेवल पर, और जिले में जो प्रथम परीक्षा परिणाम देता है सरकारी विद्यालय, उसको 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया। और जिसने लगातार तीन साल तक अपने विद्यालय को पुरस्कार दिलाया, उसको दस हजार रुपये व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में हमने इस बात को जगाने का प्रयास किया कि अच्छे संस्था प्रधान आगे आयें। और आज आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आज संस्था प्रधान रात्रि को अपने विद्यालयों में बच्चों को रखकर के कोचिंग क्लासेज चला कर के और केवल यही नहीं, जितने भी मेरिट के बच्चे आये हैं, आपको चार्ट देखकर आश्चर्य होगा कि बांसवाड़ा का अरथूना का बच्चा भी लगातार तीन साल से मेरिट में आ रहा है। बांसवाड़ा की एक लड़की, सारे के सारे सैकण्डरी स्कूल, इतने प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े-बड़े दिग्गज तो इतनी फीस लेकर चलाते हैं, लेकिन उनके बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया। पर बांसवाड़ा की सरकारी विद्यालय की मेरी एक बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त करके इस बात को प्रमाणित किया कि हमने स्तर को सुधारने का प्रयास किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि किसी भी बात का वर्णन किया जाय, कोई हर्जा नहीं। लेकिन हमने हमारी स्कूलों को सुधारने की कोशिश की। हमारे पास कोई फण्ड नहीं होता है। शिक्षा विभाग केवल तनख्वाह चुकाने का काम करता है। और जितना हमको बजट मिलता है उसका 98 प्रतिशत केवल तनख्वाह में चला जाता है, उसके खर्चे में चला जाता है। हमको विद्यालय को संवारने के लिए, उसके लिए कुछ नहीं मिलता। हमने कोशिश की भामाशाह को आमंत्रित करके सम्मानित करने की। हमने उन भामाशाहों को सम्मानित किया और पिछले चार सालों में हमने 669 भामाशाहों को सम्मानित करके 28 करोड़ 39 लाख रुपये प्राप्त किये। यह कैसे कहा जाता है कि हमने शिक्षा में कुछ नहीं किया, हमने भट्टा बैठा दिया, हमने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सोचता हूं अगर इस प्रकार का स्वभाव रख कर आप आलोचना-प्रत्यालोचना करेंगे, भाषण अच्छा हो सकता है, लोग उस पर बधाई दे सकते हैं, पर इससे राजस्थान की शिक्षा का भला नहीं हो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकता। अगर मेरे से शिक्षा में कोई कमी रह गई, कोई गलतियां रह गई, उसे आप सुधारो। उसको और अच्छा करने का प्रयास करें, मुझे इसमें प्रसन्नता होगी। मैं एक शिक्षक रहा हूं इसलिए मेरे मन की इच्छा है कि अगर आप देश बनाना चाहते हैं तो यह जो विद्या मंदिर में आने वाला बच्चा है इसको बना दो। दस-बीस साल के बाद भी हम इस भारत को और इस राजस्थान को सही दिशा पर ले आयेंगे। जब तक आदमी नहीं बनेगा, हमारी सब फैक्ट्रियां धराशाही हो जायेंगी, आज नहीं तो दस साल के बाद। लेकिन इंसान बनाया जाय, इस बात के लिए हमने प्रयास किये। लेकिन मैं सोचता हूं उसके बारे में कोई एक शब्द कहने के लिए भी तैयार नहीं हुआ और इस व्हाइट पेपर के माध्यम से एक चार्जशीट लगा दी हमारे पर। चार्जशीट नहीं, जो काम हमने शिक्षा विभाग में और शिक्षा क्षेत्र में किये, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, आप लाख पटक कर मर जाना, पाच साल में उसका आधा भी नहीं कर पाओगे, उसकी मैं गारंटी देता हूं। आज दिन तक कभी किसी ने यह कोशिश नहीं की कि पंचायत समिति वाइज स्कूल का मेपिंग किया जाय। एक कोने में चार सैकण्डरी स्कूल पास गये और दूसरा तीस किलोमीटर तक एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं आता है। यह राजनीतिकरण का अगर नक्शा देखा जाय न अपने पुराने किये हुए कर्मो का, तो वह नक्शे से बिंदु बताते हैं कि हमने किस आधार पर स्कूल खोला। हमने इसलिए एटलस बनाकर अपने सामने रखकर के प्रयास किया कि किस बच्चे को कितनी दूरी पर आना पड़ेगा उसको कोई स्कूल मिल जाए 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में जिसके कारण से उसकी शिक्षा हो सके। हो सकता है उसमें 5-10% हमने कोई कमी-खामी रखी होगी। हमने कोई 100% बढ़िया ही किया ऐसा मैं नहीं कहता हूं लेकिन 90% ईमानदारी से गांव की आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता और शिक्षा के विस्तार के लिए किया। लेकिन आपने इस व्हाइट पेपर के माध्यम से हमको लांछित करने का प्रयास किया। राजस्थान की शिक्षा का हमने बंटाधार कर दिया इसको प्रमाणित करने की कोशिश की। इससे मुझे थोड़ा एतराज है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कोई भी आलोचना करें तो दोनों चीजों को सामने रखकर करें कि आपने यह किया, हमने यह किया। हमने बिगाड़ा तो क्या बिगाड़ा? हमने बच्चों को क्या चीज पढ़ा दी? क्या गलत काम कर दिया?

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक बात आप भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं। 8 साल पूर्व जो छः हज़ार स्कूल कांग्रेस ने खोले थे, आपने एक कलम से बंद कर दिये। वह भी कह दें। वह शायद आप भूल रहे है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह चुनाव के दिनों में बिना कोई फाइनेंसियल स्वीकृति के, फाइनेंसियल स्वीकृति एक पैसे की नहीं और ऑर्डर निकाल करके चुनावों के दिनों में सबको बंदरबाट करके चले गये, इसलिए बंद किये। क्या इस बात को आप नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मानेंगे? यह बंदरबाट का सौदा थोड़े ही है। हमने एक भी स्कूल बंदरबाट जैसा किया हो तो बता दो। हमने सब स्कूल नियमित रूप से खोल करके दिये। हमने कोई बंदरबाट करने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आपके माध्यम से मैं सदन के वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस व्हाइट पेपर के माध्यम से मैंने तो अभी एक विभाग ही छेड़ा है बाकी लोग दूसरा छेड़ेंगे। यह व्हाइट पेपर नहीं है यह काला पेपर है। ईमानदारी को छिपा करके आंकड़ों को पेश करके आपने इस बात को साबित करने का प्रयास किया है, यह मैं आप पर चार्ज लगाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात विधेयक संख्या-2 पर ही सीमित रखना चाहूंगा और जहां तक सम्भव हो, इस विधेयक के माध्यम से जो खर्चा मांगा जा रहा है, वहीं तक अपनी बात सीमित रखूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने इन डिमांड्स का जिक्र हमारे सामने किया और करते वक्त उन्होंने एक स्पष्टीकरण कागज दिया है। उसमें आपने लिखा है कि निम्न विभागों के समक्ष व्यय के कुछ ऐसे अप्रत्याशित मामले और सामने आये हैं जिन्हें विधान सभा की स्वीकृति कराये जाने तक नहीं रोके रखा जा सकता है। और वे प्रस्ताव उस वक्त बजट बनाने तक हमारे सामने नहीं थे, अप्रत्याशित थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हमेशा से होती आयी हैं लेकिन उनकी एक सीमा होती है। आज माननीय वित्त मंत्री महोदय 31,86,44,45,000 रुपये की सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर आये हैं। ये तो वित्त मंत्री जी ही बतलायेंगे कि कुल बजट का कितना प्रतिशत यह बनता है, लेकिन यह बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला बजट जब बना तो दूरदर्शिता उसमें नहीं थी। जिन शब्दों के साथ, जिस हिसाब से उन्होंने वित्तीय प्रबन्ध की बात कही थी तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने और यह कहा था कि हम जो प्रावधान आज रख रहे हैं, अपने यहां साधन उपलब्ध करायेंगे और उनके माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ा होती है कि इतनी बड़ी यह रकम, जिसका बजट बनाते वक्त वे अन्दाजा ही नहीं लगा पाये और इतनी बड़ी रकम वे खर्च कर गये और आज हमको सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से इसकी स्वीकृति देनी पड़ रही है। जो डिमांड्स हमारे सामने रखी गई हैं उनमें जो संख्या दी गई है, उस जगह एक अरब इक्यावन करोड़, कहीं दो सौ पांच करोड़, कहीं एक सौ सात करोड़ रुपये, कहीं पर उससे भी अधिक मांगी जा रही है। फिर किस प्रकार का वित्तीय प्रबन्ध हम इसको सोच कर चलें। ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से हमसे रुपया चाह रहे हैं इसका कोई भी सदुपयोग नहीं हुआ। यह सब रुपया व्यर्थ में खर्च किया गया और आज राजस्थान की जनता को, यहां के टैक्स पेयर को, उन खामियों का दण्ड

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिया जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में लीजिये, अभी कटारिया साहब ने अपनी बात कही मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन हमको इस दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से निकलना पड़ेगा। जब दो भद्र महिलाएं लड़ती हैं तो कहती हैं कि तेरे पीहर वाले गन्दे हैं, मेरे पीहर वाले अच्छे हैं। दूसरी कहती है कि मेरे पीहर वाले अच्छे हैं, तेरे पीहर वाले गन्दे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने बात कही....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलाओं का उदाहरण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय, ये महिलाएं लड़ती हैं तभी ऐसा करती हैं क्या? पुरुष नहीं करते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य महिलाओं को अनादर की दृष्टि से देखते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और भद्र महिला शब्द मैंने प्रयोग किया। और उसमें यदि किसी को पीड़ा हो तो आप निकाल दीजिये, मुझे एतराज नहीं उसमें। लेकिन मैंने तो उदाहरण के रूप में....

श्री रामनारायण चौधरी : तो पुरुषों का नाम क्यों नहीं लिया आपने?

श्री शिवनाथ सिंह : पुरुषों के कोई पीहर नहीं होता है महिलाओं के पीहर होता है। तो कटारिया साहब ने यह नक्शा पेश करने की चेष्टा की कि हमारी सरकार ने 8 साल में वह काम किया जो हमारी पिछली सरकार 40 साल में नहीं कर पायी। यह तुलना का विषय नहीं है। किस व्यक्ति के हाथ में राज आता है, किस पार्टी के हाथ राज आता है और अपने समय में वे क्या करते हैं, इसका वर्णन तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इस तुलनात्मक विश्लेषण में हम लगे रहेंगे तो कहीं भी कोई किनारा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देते वक्त हमको स्पष्टीकरण दें, हमारा ज्ञानवर्द्धन करें, कि इतनी बड़ी रकम जिन कारणों से जो आप उस वक्त, बजट बनाते वक्त नहीं देख पाये थे, ऐसे कौन से अप्रत्याशित कारण थे जिनकी वजह से इतना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों में इस राजस्थान में जो ग्रामीण विकास की एजेंसिया हैं, पंचायत राज की एजेंसियां हैं, उनमें जो गिरावट आई है उसको हमें सोचना पड़ेगा। ग्रामीण विकास के साथ डी. आर. डी. ए. के माध्यम से होते थे। एक गवर्निंग काउंसिल बनी हुई थी। यह सब रुपया उसमें खर्च हुआ है। लेकिन गवर्निंग काउंसिल के किसी भी सदस्य को इसमें माननीय सांसद भी हैं, माननीय विधायक भी हैं, कांफीडेंस में नहीं लिया जाता था, न उनको बतलाया जाता था और उस वक्त के कलेक्टर्स जो डी. आर. डी. ए. प्रमुख हुआ करते थे, अपनी मर्जी से चाहे जितना रुपया सैंक्शन कर दिया, खर्च कर दिया। और आज हमसे कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से हमको इस रुपये की पूर्ति करें।

(श्री शिवनाथ सिंह)

यही पंचायत राज संस्थाओं का मामला है। पंचायत राज संस्थाओं के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह पिछले साल में जिस वर्ष के लिए डिमांड्स पेश की जा रही है, नहीं कर पाए। पंचायत राज का एक ढांचा कभी था और उसमें ग्रामीणों की सहभागिता थी। पंचायत के लोगों की सहभागिता थी वह सब बिलकुल बन्द कर दिया गया। पंचायत के अधिकार खत्म, पंचायत समिति के अधिकार खत्म और जिला परिषद के अधिकार भी खत्म। किसी भी प्रधान को, जिला प्रमुख और सरपंच को कोई अधिकार नहीं था। पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक मालिक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी मालिक और जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मालिक। आज वर्तमान सरकार ने जो घोषणा की है कि हम पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देंगे, लेकिन यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत भ्रामक वातावरण है। आज डी. आर. डी. ए. का प्रमुख जिला परिषद के प्रमुख को बनाया गया है। अधिकार उसको कुछ भी नहीं है। मीटिंग प्रेसाइड कर ली, और जब उसको अधिकार नहीं हैं कि कौनसी योजना स्वीकृत हो, कौनसी योजना में धन लगे, यदि उसका प्रबन्ध नहीं होता है तो यही अगले साल के लिए व्यवस्था आने वाली है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स के माध्यम से आप हमसे रुपये मांगेंगे। इसलिए इस सरकार को, जो आज हमारी सरकार है जो कमीटेड है ग्रामीण विकास के लिए, उसको इसमें सोचना चाहिए और यह पहले वाली गलती अब नहीं होने पाए, इस बात की भी चेष्टा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सी डिमांड्स करीब 50 डिमांड्स के लिए रुपया मांगा गया है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए कुछ डिमांड्स के प्रति विचार रखना चाहता हूं। सड़कों का मामला है, पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से बहुत सा रुपया राजस्थान का खर्च हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पैसा नहीं लगा। सब रुपया 6 लाइन, 8 लाइन, 20 लाइन में खर्च हो गया और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें आज इस प्रकार की हालत में हैं कि वहां कोई चल नहीं सकता। खड्डे पड़े हुए हैं। जो रास्ते थे, उनको खत्म कर दिया गया।

यही पेयजल की व्यवस्था है। पेयजल के नाम पर आज भी आपने 500 करोड़ से अधिक का रुपया मांगा लेकिन एक भी गांव में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। किसी भी शहर में हम यह नहीं कह सकते कि लोगों को हम शुद्ध जल दे रहे हैं। कहीं सीवरेज लाइन टूटी हुई है, कहीं पाइप लाइन टूटी हुई है। इतना रुपया गया कहां और आप इस रुपये को हमसे मांग क्यों रहे हो जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी तरह से दूसरी व्यवस्थाएं है। वन विभाग के लिये आपने बहुत बड़ी रकम मांगी। आज सुबह वन मंत्री जी कह रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूं वह भी मैं सही नहीं मान रहा हूं। इतना गबन, भयंकर भ्रष्टाचार इन मामलों में हुआ है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस साल के बजट में इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा करें ताकि साल के अंत में इतनी बड़ी धनराशि सप्ली-

(श्री शिवनाथ सिंह)

मेंट्री डिमाण्ड के माध्यम से आपको मांगनी पड़े। और यह जो धन खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हो, इसको भी हमें देखना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पारण के समय कुछ अधिक बोलने का नहीं रहता लेकिन बहुत बड़ी सप्लीमेंट्री ग्रांट वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखी है इसमें इनका कोई दोष नहीं है। यह सारा पूर्व की सरकार के पूर्व वित्त मंत्री का है। उन्होंने एस्टीमेट कम आंके, यह उनकी भूल थी। खर्चा ज्यादा हुआ। मैं वर्तमान वित्त मंत्री और वर्तमान सरकार पर कोई दोषारोपण नहीं करता लेकिन एक बात मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारी सरकार आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी तीन पार्टियों का शासन राजस्थान में रहा। और आज सौभाग्य से कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस के आज 200 विधान सभा सदस्यों में से 153 सदस्य हैं। मान्यवर, मैं एक क्लेरिफिकेशन आपके मार्फत सरकार से चाहता हूं कि आज हमारे गांवों में रहने वाले गरीब बच्चे, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके यहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। सिंगल फेस लाइन भी उनको नहीं है और शहरों में 24 घंटे बिजली है। गांवों में सिंगल फेस, वह भी 4 घंटे के लिये। हमने इस बात का प्रयत्न किया कि गांवों के बच्चों की परीक्षाओं के समय बिजली की व्यवस्था शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक की जाये और सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिजली दी जाये ताकि बच्चे पढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर में गिरावट, अध्यापकों की कमी, इस नजरिये से तो गांव वाले बरबाद हो ही रहे हैं। गांवों में अध्यापक नहीं है, वह बात अलग है लेकिन मैं कहता हूं अध्यापक होने न होने के बावजूद खुद अपने प्रयत्न से जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वह क्या पढ़े परीक्षा के दिनों में? राशन-तेल मिलता नहीं, बिजली सरकार देती नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांव के बच्चों के लिये बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बच्चे पढ़ नहीं सकते। राशन-तेल का इंतजाम नहीं है। लड़के बरबाद हो रहे है। उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यह हमारे यहां बिजली की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा ढिंढोरा पीटा पहले पंचायती राज का। जितनी भी आपकी ग्राम पंचायतें हैं यह सब राजकीय पंचायतें हैं। गांवों में पंचायतें थीं, परम्परागत पंचायतें, और आज भी हैं। आज भी किसी भी गांव में चले जाइए। अगर कोई विवाद खड़ा जो जाये और कोई प्रभावित पक्ष अगर किसी आदमी को जाकर पूछेगा कि तुम्हारे गांव में मुखिया कौन-कौन है, बोले बात क्या है, कि यह मामला उलझ गया। गांव का कोई भी व्यक्ति बता देगा कि फलाना है, फलाना

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। पांच आदमियों के नाम गिना देंगे और वे इकट्ठे होकर फैसला कर देंगे। वह फैसला पूरे गांव को मान्य होगा और समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज के पंचायती राज के पंच, सरपंच और प्रधान यह जनता की आन्तरिक भावना का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, इनमें किसी में जान नहीं है। पंचायतें है लेकिन इनमें जान नहीं है। मंदिर है लेकिन मंदिर की मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी पंचायतों में प्राण नहीं है, उसमें लोगों की भावनाएं नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का पंचायती राज कायम करवाइये, उसके लिए आप हमारे से और रुपये ले लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी प्रभावित रहे हैं। आप भी डी.आर.डी.ए. के मेम्बर थे। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो एक नम्बर पर विराजते थे। इनके पक्ष के और सब कह-कह कर थक गये थे कि विधायकों का, एम.पीज. का प्रधानों का डी.आर.डी.ए. में कोई शेयर नहीं है। करोड़ों रुपये खर्च हुए। आज भी डी. आर.डी.ए. की मीटिंग हुई थी झुंझुनूं में। मैं तो उसमें नहीं जा सका लेकिन मान्यवर, 200 करोड़ रुपये का डी.आर.डी.ए. में बजट पेश हुआ। किसी एक माननीय सदस्य ने पूछ लिया कि 200 करोड़ आयेंगे कहां से, आपने क्या रखा है, कि साहब यह तो पांच साल के लिये रख रहे हैं। पांच साल का बनाने का हमारा काम है क्या, आप तो एक साल का बनाओ। 200 करोड़ का बजट रख दिया, मतलब क्या है? उसको पास करवा लेंगे, पास करवाने के बाद एक सिस्टम बना रखा है। उसमें से कामों को चूज कौन करेगा, कलक्टर और पी.डी.। प्रमुख को बैठा दिया एक डेमोक्रेटिक हैड बनाकर। अभी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह तनख्वाह भी अपनी ड्रा नहीं कर सकता। वह भी सी.ओ. देगा जब पार पड़ेगी। ऐसे डी.आर.डी.ए., जिला परिषद्, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति हैं।

तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पंचायती राज का बिल लाये थे। मैंने कहा था कि यह सारा बिल आपका चुराया हुआ है। इसके पीछे जो आइडिया है, वह किसी दूसरे का था। आप बड़े होशियार हैं। उसको सबसे पहले राजस्थान में लाकर इण्ट्रोड्यूस किया था इस विधान सभा में। सारी राजीव गांधी की रिसर्च थी और सारे देश में घूम-घूम कर प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से मिलकर के एक मूल रूप लाकर पेश किया था। दुर्भाग्य है वह चले गये, उनके जमाने में पास नहीं हुआ, उनके बाद में हुआ। लेकिन उसके भी प्राण निकाल दिये। जब प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय की पार्टी के सहयोग से दिल्ली में वह पंचायती राज एक्ट पास हुआ, तो उसकी भी जान निकाल दी। जैसे कम्प्रोमाइज से वह पास हुआ तो वह कम्प्रोमाइज ऐसा ही हुआ जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। अशिक्षित महिला-पुरुष सबको आपने प्रधान, प्रमुख, पंच, सरपंच सब बनाया। मान्यवर, लेकिन सरकार ने उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। पंचायती राज का श्रीगणेश स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, आप उस समय नागौर में थे, उस समय पंचायती राज की जो एक स्प्रिट थी, वह स्प्रिट आज इतना सब कुछ होने के बाद भी हम महसूस नहीं करते हैं कि पंचायती राज भी कोई और हम उसके अंग हैं। प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, प्रधानों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। इसी तरह से पांच साल पूरे कर दिये। पंचायती राज का एक ढांचा खड़ा कर दिया। अब वित्त मंत्री जी उसकी पूर्ति के लिये मांग कर रहे हैं, यह तो औपचारिकता है। हम आपको कोई दोष नहीं देते हैं क्योंकि दोष तो सारा उनके ऊपर था, वह अपना ले गये और आपको ऋणी कर गये। आपके लिये तो आगे है। आगे जो बजट पेश करेंगे, उसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी आइद होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव होता है, हमें नियमित नहीं मिलती। हमको सिंगल फेस मिलती है। शहर के अन्दर दिन भर मिलती है, हमारे बच्चे बिजली से वंचित हैं, रोशनी से वंचित हैं। आप अध्यक्ष महोदय, वहां रात को दिन भर तो जाने दीजिये, कुछ घंटों के लिए परीक्षाओं के दिनों में हमारे बच्चों के लिए रोशनी का तो इंतजाम करवाइये। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

डॉ. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उसमें बिजली की असमानता की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं। हम किसान हैं। बिजली की असमानता का प्रश्न भी उठा था लेकिन उसके बारे में, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी और इन्होंने पंचायतों को और जिला परिषदों को जो अधिकार देने वाला मामला है, केवल रबर की मोहर जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसी रबर की मोहर आपका राज आने के बाद में कांग्रेस का राज आने के बाद में, जिला प्रमुख केवल रबर की मोहर रह गया, जिला प्रमुख को कोई अधिकार नहीं दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सूचना दी थी मालपुरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कल के मैच के फर्जी टिकटों के बारे में, जिससे कोई गलतफहमी नहीं रहे। जो अखबार में, महानगर टाइम्स में तीन दिन पहले खबर छपी थी कि फर्जी टिकट पकड़े गये, वैसे भी कायम हुआ है उस बात में कोई दम नहीं है। वह निराधार और असत्य बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में परम्परा रही है कि समाचार पत्र के आधार पर कोई बहस यहां नहीं उठे। इससे पूर्व के तमाम डिस्टीगुइस्ड स्पीकर्स ने यह व्यवस्था दी है कि समाचार पत्र का निष्कर्ष बहस का आधार नहीं हो। उस समाचार के अन्दर जान डालने के लिए आर्थेटिसिटी सम्बन्धित विधायक की होगी, उन्हें यह कहना होगा कि मेरी पर्सनल

(श्री रामनारायण चौधरी)

जानकारी के आधार पर मैं यह सब कह रहा हूं। और अखबार पढ़ देने से, अखबार के आधार पर सदन का जो समय जाया होता है और फिर बाद में जैसा माननीय गृह मंत्री कहते हैं वैसी स्थिति आती है। तो समाचार पत्र के आधार पर, मान्यवर, आप कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि आगे के लिए हमारे लिए गाइडलाइन रहे। समाचार पत्र आज मीडिया है। मीडिया पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन मीडिया अपने कई तरीके से लिखते हैं उसका भी एक इन्टरेस्ट होता है, मीडिया के भी वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं और हमारे भी इन्टरेस्ट हैं। लेकिन सदन के अन्दर कोई बात, इस ऑगस्ट हाउस के अन्दर कोई बात आ जाय तो, मान्यवर, जैसे पहले पूर्व के अन्दर व्यवस्थाएं रही हैं, उन व्यवस्थाओं को नजरिये में रखते हुए माननीय सदस्य को भी यह आथेंटिसिटी पर रखनी चाहिए अपनी मोहर, यह समाचार तो हुआ है लेकिन मैंने पर्सनल जानकारी की है, ऐसी स्थिति आज है इसलिए इसको मैं उठा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को गलतफहमी हुई है। मैंने समाचार पत्र का रेफरेंस दिया ही नहीं है। आप मेरा मोशन देख लें। नहीं, मंत्री जी दे रहे हैं अब। मैंने समाचार का कहीं उल्लेख नहीं किया। मैंने सिर्फ यह उल्लेख किया कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जायेगी, जरूरत से ज्यादा टिकट इश्यू हो गये, फर्जी टिकट छपे हैं। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, समाचार का कुछ भी नहीं लिखा है। जो मुझे जानकारी है। अब मैं बड़े स्पेसिफिकली दो क्वेश्चन आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं। स्टेडियम की कैपेसिटी 24 हजार है। क्या यह सही है कि 39,700 टिकट छापे गये? क्या यह सही है कि उनमें से 16,000 टिकट जब्त किये? कैपेसिटी से ज्यादा जब टिकट छाप देंगे, कितने हजार पास इश्यू हुए हैं तो यह सब जो मूल आशंका है, कंसर्ड एम.एल.एज. के पास अलग बात है, मैंने तो कभी आग्रह नहीं किया कि आप एम.एल.एज. को पास दें। वह अलग बात है। टीटेलिटी के अन्दर कितने पास इश्यू किये गये और कुल जो टिकट इश्यू हुए हैं वह मिलाकर और पासेज मिलाकर 24,000 को क्रोस करते हैं या नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी बात हे। कैपेसिटी 24,000 से ज्यादा की नहीं है स्टेडियम की, और पुलिस ने 16,000 जब्त किये हैं या नहीं किये हैं। यह मूल सवाल है। नहीं, नहीं, आप तो खैर, बिना सोचे समझे बोलते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, फर्जी टिकट का मामला यहां उठाया गया था। मैंने उस प्रकरण की जांच की कि फर्जी टिकट कोई छपे तो पुलिस ने पकड़े। मैंने यहां...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, फर्जी टिकट का जो मामला है, इन्होंने फर्जी टिकट का मामला नहीं उठाया था। इन्होंने कैपेसिटी के बारे में बात की थी। यह तो मैंने खुद आसन की तरफ से कहा था। मैंने भी खुद अखबार में पढ़ा है कि इस तरह से 16,000 टिकट, जिनके नम्बर नहीं लगे हुए

(श्री अध्यक्ष)

थे और जो ऐसी चीजें हो गयीं, तब सूचना पुलिस को मिली। तो उन्होंने उनको जब्त कर लिया। बाकी वह एक रेफरेंस आया था। इसलिए गृह विभाग में कोई ऐसा केस रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, सर।

श्री अध्यक्ष : यह बात मैंने उस वक्त आपको पूछी थी आसन की तरफ से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई केस कायम नहीं हुआ है। बाकी इसके बारे में...

श्री अध्यक्ष : आप जो बात कह रहे हैं, आप तो कैपेसिटी की बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके लिए खेल मंत्री सक्षम हैं, वह जवाब देंगे। वह मुझसे सम्बन्धित नहीं है, श्रीमान्।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, लॉ-एण्ड-ऑर्डर की रेस्पांसिबिलिटी हैं। अगर भीड़ अनियंत्रित हो गयी तो यह पुलिस का कर्तव्य है। 24 हजार की कैपेसिटी से ज्यादा आपने कितने पासेज इश्यू किये हैं, कितने ज्यादा टिकट इश्यू किये हैं, यह बताइये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I have not issued any pass.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आपने नहीं किये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गृह विभाग का काम नहीं है पासेज इत्यादि इश्यू करने का, श्रीमान् (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पासेज की और दूसरे इसके प्रभारी मंत्री जो खेल मंत्री हैं, लेकिन आप यह कह रहे हैं कि अगर वहां लॉ-एण्ड-आर्डर की कोई समस्या खड़ी हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं, आपने जो कहा है, मैं वापस लेता हूं मेरे शब्द। आपके लिए वह नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि लॉ-एण्ड-आर्डर की प्राब्लम खड़ी होगी।

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन जो है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्चुअली में वहां काउड हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का क्वेश्चन यह है, एंटिसिपेटेड एप्रिहेंसन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें ग्राउण्ड की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मेरे ही ग्राउंड्स है।

श्री अध्यक्ष : यह एंटिसिपेटेड एप्रिहेंसन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Speaker, Sir apprehension is based on the valid grounds.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बड़ी गम्भीर बात है और निश्चित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तौर पर आपने जो सवाल उठाया है 24 हजार की कैपेसिटी के विरूद्ध 39 हजार टिकट जो जारी कर दिये गये और इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो छात्रों को रियायती दरों पर टिकट बेचने का काम चालू किया है, वह अलग है। उसमें 7 हजार 5 सौ टिकट अलग दिये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाय कि जितनी कैपेसिटी है उससे दुगुने तिगुने लोग चले जायं और वहां कोई कानून व्यवस्था ऐसी हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, आप स्मरण करेंगे (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यही मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, हम छात्रों को वंचित नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अगर छात्र ही खेल नहीं देखेगा तो कौन देखेगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम छात्रों को वंचित करना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ऐसी कोई बात तो नहीं आये कल को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वंचित करना नहीं चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : और क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वंचित करना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि उनको भी अलग से रियायती दरों पर टिकट बेचकर दिये, ठीक दिये। लेकिन टोटल संख्या जोड़कर 50 हजार के लगभग हो जायेगी पासेज की, विद्यार्थियों के टिकटों की और आपने जो टिकट जारी किये। 24 हजार की कैपेसिटी, अध्यक्ष महोदय, 50 हजार तो लाइन में लग जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, कलकत्ता में फुटबाल के मैच में इस तरह का वीभत्स काण्ड हुआ था जिसके अन्दर लोग ज्यादा चले गये थे, छोटी बात नहीं है, इसलिए इस पर गृह मंत्री जी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह गृह मंत्रालय का काम नहीं, पासेज कितने इश्यु हुए, कितने इश्यु नहीं हुए। खेलमंत्री जी आप भी वक्तव्य दें, कहीं जिम्मेवारी है? आपने जाकर पिच के निरीक्षण में फोटों तो खिचा ली परन्तु कल दूसरा कोई दृश्य नहीं हो जाय। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप करवा मत देना। यह जो भूमिका निभा रहे हैं आप ऐसा मालूम होता है कि इस भूमिका के पीछे कोई दिमाग काम कर रहा है। कमाल है आपका।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच है। अगर कोई दूसरा देश होता तो बात दूसरी होती। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो एप्रिहेंस पर कोई फील नहीं करता। एप्रिहेंसान पर तो काम चल जायेगा देश का (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इण्डिया और पाकिस्तान का मैच है, और जयपुर बदनाम नहीं हो जाय, राजस्थान बदनाम नहीं हो जाय। (व्यवधान) राजस्थान गवर्नमेंट बदनाम नहीं हो जाय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको कदम कदम पर मौके मिलेंगे। (व्यवधान) क्या एप्रिहेंसन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय तो कहते हैं। यह इस बात को गलत इन्टरप्रेट नहीं करें। विद्यार्थियों को रियायती दरों पर टिकट मिलें इसका तो हम स्वागत करते हैं परन्तु आप 24 हजार के टिकट की कैपेसिटी के खिलाफ 52 हजार टिकट बेचते हैं। क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है इस मैच को। जयपुर के, राजस्थान के नाम पर धब्बा नहीं लगे हमको चिन्ता इस बात की है।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई खेल को आर्गेनाइज कर भी रहा होगा। आर्गेनाइजर की जिम्मेदारी भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो हमारी भी जिम्मेवारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन गैर-जिम्मेदार है क्या? यहां मुद्दा उठा रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानकारी ले रहे हैं, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। आप खेल मंत्री नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको तो ऐतराज यह हो रहा है कि स्टूडेंट्स को रियायती टिकट क्यों दें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं, नहीं यह बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, गलत बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आर्गेनाइजर का क्या काम है ? सरकार लॉ-एण्ड-आर्डर मेंटेन करेगी। यहां राजस्थान की राजधानी है, डी. जी. है, चीफ मिनिस्टर है, यहां होम सेक्रेटरी है, सब व्यवस्था करेंगे। आप एप्रिहेंसन कर रहे हो। एप्रिहेंसन तो इस बात का भी है कि नैक्स्ट कदम पर आम आदमी खत्म हो जाय तो आदमी चलना बन्द कर देगा। एप्रिहेंसन तो इस बात का भी है कि कदम रखते ही आदमी मर भी सकता है। इसका मतलब चलेगा नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता इतने वरिष्ठ सदस्य है, मैंने यह नहीं कहा है कि जो एप्रिहेंससन ....(व्यवधान).... माननीय रामस्वरूपजी की बीमारी आपको क्यो लग गयी, आप तो बहुत सीनियर हो (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार बनी है। हमें फिक्र है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हो जाय कि इण्डिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप इतना लाइटली मत लीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : यह रामस्वरूप जी और रामनारायण जी....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप थोड़ी कृपा करना बस। आप कृपा करना बस। (व्यवधान) हमें फिक्र आपकी ही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप गम्भीरता से ले लेंगे बस...(व्यवधान) हमें तो खुशी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी सहयोगी शिवसेना ने बम्बई में क्या किया, आप पता कर लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बम्बई की बात क्यों करें, यहां तो अपन अपनी बात करें।

डा. किरोड़ी लाल : रामस्वरूप जी की बीमारी रामनारायण तक पहुंच गयी इसलिए जल्दी वक्तव्य दिला दें, नहीं तो गड़बड़ हो जायेगा।

(16.00 बजे)

डॉ. चन्द्रभान : मैं गांव की बिजली की बात कर रहा हूं, सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इश्यू दूसरा है। डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। There is no politics in it. आपके विभाग की तो हम प्रशंसा करते हैं कि 16 हजार टिकट, अगर उन्होंने जब्त किये हैं तो ठीक किया है। माननीय रामनारायणजी केपैसिटी से गलत समझ रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह नहीं कह रहे हैं कि 16 हजार जब्त नहीं किये हैं। कहां कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर नहीं किये हैं तो करना चाहिए। अगर कैपेसिटी से ज्यादा इश्यू हुए हैं तो। क्योंकि इण्टरनेशनल मैच को एक आदमी भी मिस करने वाला नहीं है। जिसके हाथ पास लगेगा, टिकट लगेगा, वह जरूर जाएगा, बिना टिकट के भी जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, जो मैंने सूचना प्राप्त की, आपके माध्यम से ऐसा लगा, जो आपने फरमाया कि मैंने भी अखबार में देखा था। इस आशय की खबर, तो मैंने इसकी जानकारी ली। मैंने कहा, अगर वह प्रॉब्लम हो गयी, फर्जी टिकट छपकर बाजार में बिक गये, then it is going to create a lot of problems. तो मैंने जानकारी ली कि क्या कोई केस कायम हुआ है, आपने किसी को गिरफ्तार किया या कोई फर्जी टिकट बरामद हुए, श्रीमान् महानगर टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसमें यह था कि सुभाष चौक थाने में केस कायम हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह मेरा आधार नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

उससे रिलेटेड जो बात आयी, वह बात सही है। पुलिस इस बात का पूरा प्रिकॉशन ले रही है कि स्टेडियम की जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोग उसमें प्रवेश नहीं हों। यह बात ध्यान में रखी गयी है, नम्बर एक; पुलिस का पूरा माकूल बन्दोबस्त किया गया है, नम्बर दो। और तीसरी बात जो मैंने पूर्व में निवेदन की है, मेरे सामने आने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाले माननीय सदस्यो से कि इस मैच को शांतिपूर्ण होने दीजिएगा, यह आप कृपा करियेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट.... (व्यवधान)....राजेन्द्रजी, राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैच शांतिपूर्ण हो...(व्यवधान)....इस बात को गृह मंत्रीजी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि हम इस मैच को शांतिपूर्ण होने दें। क्या हम मैच के विरोधी है ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, राजेन्द्रजी। (व्यवधान) प्लीज ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम सबकी मंशा यह है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, आप बड़े धीर और गम्भीर हैं। आप ऐसा मत कहिये। यह एक अंतरराष्ट्रीय मैच है। इस मैच के साक्षी आप, हम, जयपुर और राजस्थान है तो आपने यह हमें कैसे कह दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे तो आपसे सहयोग की बात कह रहे थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं आपसे। (व्यवधान) मैंने आपसे सहयोग की बात की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि पुलिस कैपेसिटी से ज्यादा आदमियों को एण्टर नहीं होने देगी। अब सिचुएशन यह खड़ी होगी कि अगर टिकट जयादा हुए तो, इसका मतलब कि अधिक लोग, जो टिकट लेकर आएंगे उनको पुलिस रोकेगी। अब यह बात तो खेल मंत्रीजी बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपकी तरफ से तो आश्वस्त हैं कि पुलिस सक्रिय है। लेकिन वह भी एक बड़ी अनफार्च्यूनेट सिंचुएशन किएट होगी कि टोटेलिटीके अन्दर पासेज और टिकट मिलाकर के कैपेसिटी से ज्यादा इश्यू हुए हो तो ... यह निश्चित रूप से खबर है कि बहुत ज्यादा टिकट्स इश्यू हुए हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने आप लोगों को जो रिक्वेस्ट की, आपके घटक ने और आपकी सरकार ने मुंबई में पिचेज डेमेज किये हैं। इनोसेंट साउण्ड मत करो, और उसमें आपके गृह मंत्रीजी रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो कहा, वह सही कहा है (व्यवधान)...

मास्टर भंवरलाल (युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, टिकट छपना अलग चीज है लेकिन टिकट और पास समेत 25 हजार से ज्यादा नहीं बिके हैं। इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 25 हजार से ज्यादा टिकट वितरित नहीं किये गये हैं और मैच बड़े शानदार तरीके से होगा। पुलिस की शानदार व्यवस्था होगी, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ज्यादा बांटें हों तो प्रवेश मत देना।

मास्टर भंवरलाल : नहीं बांटें गये हैं, नहीं बांटें गये हैं। यह मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, मैं स्वयं देख रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिन्ता प्रकट की और कल भी यह सवाल उठा था तथा मैंने इसका जवाब भी दिया था। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिन्ता प्रकट की है और पूरा सदन ही चिन्तित है कि अभी विद्यार्थियों के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में घरेलू विद्युत की सप्लाई यदि व्यवस्थित नहीं हो तो बच्चों की पढ़ाई में उसका विपरीत असर पड़ेगा। मैंने कल भी यह बात स्पष्ट की थी कि यह बात सही है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू विद्युत की सप्लाई में असमानता है। जितने भी शहरी इलाके हैं वहां 24 घण्टे सप्लाई दी जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में चूंकि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक दोनों तरह के कनेक्शन की एक लाइन है और फिलहाल राज्य विद्युत मण्डल एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को 8-8 घण्टे की पारी से 3 पारियों में विद्युत उपलब्ध कराता है इसलिए कहना चाहिए कि हर गांव में 8 घण्टे तो थ्री-फेस सप्लाई बिजली की होती है।

अब दूसरा सवाल उठता है, जो अभी रामनारायणजी ने भी कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा कि दिन में सप्लाई हो। लेकिन यदि शाम के वक्त सप्लाई नहीं होती है तो घरेलू कार्य में भी दिक्कत आती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए हमने एक व्यवस्था की है। यह बात तो ठीक है कि विद्युत की जो उपलब्धता है और जो हमारे पास विद्युत तंत्र है उसमें हम गांवों में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीक-आवर्स होते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके लिये, और 24 अवर्स यदि सप्लाई करते हैं तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा पावर चाहिए। कुल मिलाकर के करीब 400-450 मेगावाट ज्यादा बिजली की जरूरत है और फिर तंत्र भी अलग चाहिए। लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार हम नहीं काटते हैं तो नॉदर्न ग्रिड से ही काट दिया जाता है। इसलिए मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि आज की परिस्थितियों में हम गांवों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हमने एक व्यवस्था की है कि 8 घण्टे तो सप्लाई मिलेगी ही। इसके साथ में बच्चों के इम्तिहान भी हैं, घरेलू कार्य भी हैं। इसके लिये नियमित रूप से शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक हर गांव में, हर घर वाले को बिजली मिलेगी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि नई सरकार जो कहती है, वह करती है। हमने किसानों को 8 घण्टे रोजाना बिजली दी और हर गांव वाले को हर घर वाले को शाम 6 बजे से 10 तक जरूर बिजली देंगे।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल आपने कहा था कि राजस्थान में कहीं पर भी किसानों के विद्युत कनेक्शन नहीं काटे गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री कन्हैया लाल)

अकेले बस्सी तहसील में 353 विद्युत कनेक्शन काटे गये हैं। (व्यवधान) 353 कनेक्शन काटकर उनके मीटर उतार लिये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसे आदेश प्रसारित कर दें कि, इस समय वर्तमान में आपके अप्रेल में मात्र एक-एक महीने का बकाया है, ज्यादा महीनों का बकाया भी नहीं है।

डा. चन्द्रभान : कर दिये।

श्री कन्हैया लाल : नहीं, नहीं किये, अभी 353 विद्युत कनेक्शन कटे पड़े हैं।

डा. चन्द्रभान : राज्य विद्युत मण्डल से कल की तारीख में आदेश प्रसारित हो गये। किसी भी किसान के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

श्री कन्हैया लाल : उनको वापस जुड़ाया जाए।

डा. चन्द्रभान : यदि काटा गया है तो आप उसका नाम दीजिए, मैं कल ही उसका कनेक्शन जुड़वा दूंगा।

श्री कन्हैया लाल : 353 कनेक्शन अकेले ए. ईएन. ऑफिस, बस्सी में आज तक कटे पड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1968 में आप फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे और इस महान सदन के अन्दर गांवों में और शहरों में चीनी के वितरण में जो बड़ा भेदभाव था, उसका प्रश्न यहां तय हुआ था। आप मंत्री थे। आपके जमाने के अन्दर यह प्रसारित हुआ था, शहर और देहात के अन्दर, ग्रामीण इलाकों में चीनी के वितरण में असमानता नहीं होगी। उसके बाद में बराबर चीनी गांवों में वैसी मिलती है जैसी शहरों में मिलती है। वह असमानता दूर हो गयी।

मैं यह नहीं कहता हूं कि जयपुर के बराबर गांवों के अन्दर आप बिजली कर दें। मैं आपकी मार्फत, इस सदन की मार्फत केवल यह चाहता हूं कि इतनी भारी असमानता बिजली की गांवों के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है कि 6 से 10 बजे तक आप करेंगे लेकिन मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे क्योंकि केरोसिन तेल नहीं है। आज हमारे बच्चे हैं, जो आधार हैं हमारे समाज का, ग्रामीण जीवन का आधार आज हमारी औलाद हैं। वह लड़के और लड़कियां हैं। वह पढ़ रहे हैं। इन परीक्षाओं के अन्दर उनको रोशनी नहीं मिलेगी तो परीक्षाओं में वे क्या करके आएंगे, रोकर के आएंगे। उनका भाग्य फूट जाएगा। उनका साल बर्बाद हो जाएगा। यह मेरा निवेदन था। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत एक विनम्र अनुरोध था।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, शाम के वक्त तो नियमित रूप से कर देंगे और सुबह के वक्त भी देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, बहुत बड़े क्षेत्र में रबी की फसल पक गयी है। कई जगह पर कट भी रही है। इसलिए एग्रीकल्चर कंज़्यूमर्स को जो आप बिजली दे रहे थे, आप सिर्फ यह देखिये कि इम्तिहान के अभी दिन हैं.

(श्री अध्यक्ष)

तारीख आप करीब-करीब इन सबकी ले लीजिये। आपने यह भी कहा है कि दस बजे तक हम देंगे। जिस क्षेत्र में एग्रीकल्चर लोड कम हो गया है उसमें आप एक फेज पर भी दे दें। डोमेस्टिक का आज छह से दस बजे तक है। इसको थोड़ा-बहुत आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है, तो विद्यार्थियों को यह परेशानी नहीं होगी।

डा. चन्द्रभान : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, रात को ग्यारह बजे तक, बारह बजे तक करने का प्रयास करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, खेड़ली कांड में एक लड़का गम्भीर रूप से घायल हुआ था जिसकी पीठ में गोली लगी और भागते-भागते की पीठ में एक गोली लगायी थी, वह लड़का गम्भीर रूप से एस. एम. एस. में भर्ती था। उसको यहां पर बहस होने से पहले, सरकार का जवाब देने से पहले, मेरे पास सूचना मिली है कि उसको एक घण्टे पहले जबरन सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी कर दी है। उसकी छुट्टी तो मत होने दो स्पीकर साहब, वह तो अभी गम्भीर है। अभी वह पूर्णतः स्वस्थ ही नहीं हुआ है और उसकी एस. एम. एस. से छुट्टी कर डाली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये।

श्री मदन दिलावर : गोली भी मार दी और चिकित्सा भी नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का अत्याचार कहीं नहीं हुआ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप उसकी चिकित्सा की व्यवस्था तो करवाओ, मैं आपको पक्की सूचना दे रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, गोलियों से उसको भून दिया। इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती हुआ तो इलाज नहीं होने दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बनवारीलाल बैरवा सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है।

श्री मदन दिलावर : जबरदस्ती उसकी छुट्टी की जा रही है। इस प्रकार का अत्याचार कभी भी राजस्थान में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी कुछ करने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। कोई खास प्रश्न है?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अनुपूरक अनुदान मांगों पर दो मिनट लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो भर्ती है, उसकी जबरदस्ती छुट्टी तो नहीं हो। एस. एम. एस. में बनवारीलाल बैरवा शिड्यूल्ड कास्ट का भर्ती है, उसको जबरदस्ती छुट्टी नहीं देकर के सवाई मानसिंह अस्पताल से तो नहीं भगायें। उसका इलाज तो पूरा होना चाहिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मानवता से जुड़ा प्रश्न है। गम्भीर रूप से लड़का घायल है, उसको जबरदस्ती

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

से निकाला जा रहा है। जबरदस्ती से निकाला जा रहा है। कम से कम उसका इलाज होना चाहिये। व्यवस्था दिलाइये, मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गृह मंत्रीजी ने कहा था कि इसकी जानकारी करके शाम को ही जवाब देंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : एक शिड्यूल्ड कास्ट का है, उसको गोली लगी है, उसको जबरन छुट्टी दी जा रही है। आप कोई व्यवस्था तो करवा दो। उसको जबरन छुट्टी दी जा रही है। पक्की सूचना दे रहा हूं, उसको जबरदस्ती छुट्टी देकर के सवाई मानसिंह अस्पताल से निकाला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कम से कम इस पर व्यवस्था तो दिलवाइये। व्यवस्था का प्रश्न है। उसको जबरदस्ती छुट्टी दे दी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर व्यवस्था दिलवाइये। गृह मंत्रीजी से स्पष्टीकरण दिलाइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गृह मंत्रीजी से स्पष्टीकरण दिलाइये।

श्री मदन **दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, आप बहुत उदार दिल के हैं। गरीबों के प्रति आपकी काफी संवेदना रही है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या यह खेड़ली पर स्टेटमैंट आ रहा है?

श्री अध्यक्ष : कोई भी चाहे, (व्यवधान) चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे सवर्ण कास्ट का हो, (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे सवर्ण कास्ट का हो, वह अण्डर ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है तो चिकित्सा मंत्रीजी उसका, गृह मंत्रीजी का सम्बन्ध चिकित्सा से नहीं है, चिकित्सा मंत्रीजी, हास्पिटल में मालूम कर लें और उसकी स्थिति देख लें कि वास्तव में हास्पिटल में उसको रखना चाहिये था, सीरियस है क्या अभी तक और सीरियस नहीं है और वह जाना चाहता है तो बात दूसरी है।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की जो मांग है, उन पर मैं स्वायत्त शासन विभाग और खनिज विभाग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर मैं अपनी राय देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ने भी पैसे मांगे, अनुपूरक अनुदान मांग मांगी है। मैं आपकी मार्फत सरकार से पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में जो चुंगी समाप्त आपने कर दी, जो अतिरिक्त भार आप पर 800 करोड़ रुपये का सरकार पर पड़ रहा है, जो वसूली होती थी, उसके लोसेज आपको हो रहे हैं, इससे न तो उपभोक्ताओं को कुछ मिला राजस्थान में चुंगी समाप्त करने से और न दलितों को, न शोषित को और न गरीब को कुछ मिला है।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माननीय बैदजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां एक भी माननीय सदस्य मुझे एग्जाम्पल के बतौर बता दें कि चुंगी समाप्त होने के बाद जिन-जिन मदों पर, जितने-जितने प्रतिशत चुंगी थी, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कि चीनी की बोरी, चीनी पर दो प्रतिशत आक्ट्राय थी। और कोई किसान, गरीब या उपभोक्ता अगर चीनी खरीदने गया तो किसी व्यापारी ने यह कहकर 1470 रुपये में चीनी की बोरी नहीं दी कि नगरपालिका ने आक्ट्राय, राजस्थान सरकार ने चुंगी समाप्त कर दी है, इसलिए जो चीनी हम आपको 1500 रुपये में दे रहे थे वह हम आपको 1470 रुपये में देने को तैयार हैं। स्वायत्त शासन विभाग का जो स्टाफ है, वह कहीं पर एस. डी. ओज. ने ले रखा हे और कहीं पर तहसीलदार ने अपने यहां पर लगा रखा है। यह जो आपने चुंगी समाप्ति की घोषणा की, इनका तो वेस्टेड इण्ट्रेस्ट था। अध्यक्ष महोदय, एक दुकानदार, फुटकर व्यापारी है और चार बी. जे. पी. के झंडे, कमल का फूल, इनका तो चुंगी समाप्त करने का काम वाजिब था। आप कहो? या तो राजस्थान के वित्तीय हितों को देखकर के चुंगी समाप्त करनी चाहिये थी कि आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो, या चुंगी समाप्त करने से पहले आपको पोलिटिकल नफा-नुकसान देखना चाहिये था। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने चुंगी समाप्त कर दी। चुनाव से तुरन्त पहले इनके तो वेस्टेड इण्ट्रेस्ट थे कि इनके एक-एक फुटकर व्यापारी की जो दुकान है, वह भारतीय जनता पार्टी का रूटीन का कार्यालय है, जो आने वाले भोले-भाले लोगों को बहकाकर के केवल कमल के फूल की बड़ाई करने का काम करता है। तो वह आपका राजनीतिक मकसद भी हल नहीं हुआ। और माननीय वित्त मंत्रीजी, अतिरिक्त भार जो चुंगी का आपके पास आना था आप रोज +++ कि साढ़े तैईस हजार करोड़ रुपये कर्ज में डुबो दिया। क्यों न 700-800 करोड़ रुपये की आक्ट्राय जो आप वसूल करते थे, उनको क्यों नहीं दुबारा चुंगी व्यवस्था आप लागू कर दें, आने वाले बजट में। आपको न तो राजस्थान के हितों में, राजस्थान के विकास में कोई चुंगी समाप्ति का फायदा मिला, न उपभोक्ता को जो मदद पहुंचनी चाहिये थी, उपभोक्ता को जो रियायत पहुंचनी चाहिये थी, चुंगी समाप्त करने के बाद उनकी रेट दो प्रतिशत, एक प्रतिशत, तीन प्रतिशत, जो भी आक्ट्राय की दरें थीं, किसी फुटकर व्यापारी ने या किसी थोक व्यापारी ने आम उपभोक्ता को उसका कोई रिलेक्सेशन नहीं दिया। तो न तो आपके उपभोक्ता को कुछ मिला और न आपकी सरकार को कोई आर्थिक फायदा हुआ। कंगाली में सरकार जा रही है। आपका दिवालिया निकलने जा रहा है राजस्थान गवर्नमैंट का, और आप दाता बन गये। इनका तो माना जा सकता है कि इनकी एक-एक दुकान, जो बी. जे. पी. की है, वह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कार्यालय के रूप में दुकान एक और झंडे चार, मिसाल के तौर पर किसी कस्बे में अगर किसी व्यपारियों की दुकान हो सौ, और वोट हो पांच सौ, और उस कस्बे में दस हजार वोट दूर हो तो यह प्रचार और प्रसार का बवण्डर का और पोलिटिकल बवण्डर का काम करते हैं वे फुटकर व्यापारी, जिनको इन्होंने फायदा दिया। तो इनके द्वारा चुंगी में छूट दिया जाना तो वाजिब बात थी लेकिन आपने क्यों दी? आप क्यों नुकसान उठा रहे हैं? आपने न उपभोक्ता को मदद पहुंचायी और न आपको पोलिटिकल फायदा, पोलिटिकल दृष्टिकोण से किया जाता है कि सत्ता में आ जाएंगे, राज हमारे पास आ जाएगा। आपको सत्ता में न कभी आने देने की इन्होंने कोशिश की और अपनी भरसक कोशिश के बाद आप चाहे इनको कितना भी दूध पिला लो आपको सत्ता में कभी समर्थन भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप जो यह अनुपूरक अनुदान की मांग ला रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग पर, मेरी आपसे यह पुरजोर अपील है कि आत्मघाती कदम जो बी. जे. पी. ने उठाया है, चुंगी पुनः लगाने का आप काम करें ताकि आपको सोर्सेज मिलें।

अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग पर मेरी राय है। 7 मई, 1992 का भारत सरकार का वन और पर्यावरण विभाग का एक्सट्रा ओर्डनरी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 12.12.1996 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ कि जिसको हिन्दुस्तान का फोरेस्ट डिपार्टमेंट फोरेस्ट मानता है, चाहे वह राजस्व के लेखा में राजस्व जमाबंदी में हो, चाहे गिरदावरी में हो, चाहे राजस्व का कोई भी रिकार्ड हो। यहां तक सुप्रीम कोर्ट का आब्जर्वेशन आया, अध्यक्ष महोदय, अगर उसमें कोई भी इन्द्राज हो लेकिन अगर फोरेस्ट उसको फोरेस्ट मानता है, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट मानता है, तो उसको फोरेस्ट ही माना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे कई हजार केसेज पिछले डेढ़ साल से भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग में और खनिज विभाग में पड़े हुए हैं एन. ओ. सी. के लिए। ई. एम. पी. जिन फाइलों में, जिनकी ई. एम. पी. फाइल बनाकर के पेश कर दिये हैं, राजस्थान के पर्यावरण विभाग के, जिनको एन. ओ. सी. जारी कर दी है, राजस्थान के वन विभाग ने जिनको एन. ओ. सी. दे दी है, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने जिनकी सिफारिश कर दी है, उनकी आज डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से फाइलें भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग में अटकी पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन खानों के बंद होने से केवल सरकार को नुकसान हुआ है। जो बंद की थी खान 7 मई, 1992 के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, और 12.12.96 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा उन पर खनन कार्य, 90 प्रतिशत खानों पर हो रहा है। नुकसान हो रहा है, वह क्या हो रहा है, जो रायल्टी का पैसा आना था, राजस्थान सरकार के पास, वह रायल्टी का पैसा खत्म हो गया है, वरना तो वन विभाग की सांठ-गांठ से या ज़बरदस्ती

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दादागिरी से नब्बे फीसदी खानें चल रही हैं। तो नुकसान किसका होगा? आप किस बात के लिये अनुपूरक अनुदान मांगे वन विभाग में मांग रहे हैं? अगर आपका जरा-सा भी प्रयास हो, राजस्थान सरकार जरा-सी भी संजीदा हो, तो मैं सलाह देता हूं कि भारत सरकार के वन ओर पर्यावरण विभाग से आप सलाह कीजिये। उनसे बात कीजिये और जो फाइलों का अम्बार, चूंकि पूरे हिन्दुस्तान पर यह 7 मई, 1992 और 12 दिसम्बर, 1996 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हुआ था, वहां कमरे के कमरे भर गये, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप भारत सरकार को खुश करें। आप उनको सलाह दें कि हमारे राजस्थान की जितनी फाइलें हैं, उनको कैम्प करें। राजस्थान में कैम्प करें और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको रिमूव राजस्थान अपने स्तर पर कराये, जिससे आपकी जो रायल्टी डूब रही है, या जो आपकी खाने बन्द हैं, और बन्द तो कागजों में हैं लेकिन हकीकत में वह खानें चल रही हैं। तो राजस्थान सरकार को रायल्टी से बहुत बड़ी राशि खनिज विभाग से मिल सकती है। यह मांगे रखने की जरूरत नहीं थी। आपने जो कारण गिनाये कि फारेस्ट में हम इसलिए अनुपूरक अनुदान मांग रहे हैं और स्वायत्त शासन में इसलिए मांग रहे हैं, यह दोनों निराधार हैं। मैं चाहूंगा कि चुंगी भी लागू हो स्वायत्त शासन विभाग में, क्योंकि किसी को कोई फायदा नहीं हुआ और इन फाइलों को जितनी जल्दी निपटा लेंगे, भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग से कहकर राजस्थान में कैम्प करा लें तो आपको रायल्टी के रूप में बहुत बड़ी राशि मिल सकती है जिससे आपका आर्थिक संकट इन विभागों में काफी सीमा तक हल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक नम्बर-1 और 2 पर जो बहस हुई उसके बारे में कुछ मेरे साथियों ने माकूल जवाब दे दिये। ऊर्जा मंत्रीजी ने बिजली के बारे में बताया तथा दूसरी बातों में भी काफी बातचीत हुई। मैं गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वित्त सम्बन्धी कुछ प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनका एतराज इस बात का था कि 3,186 करोड़ 44 लाख 45 हजार रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगे मांगी गयी हैं, जो बहुत ज्यादा है। जो यह दर्शाता है कि बजट बनाते वक्त ठीक सावधानी नहीं बरती गयी, इस वास्ते यह ज्यादा खर्चा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस राशि में से 2,272 करोड़ 22 लाख 79 हजार रुपये तो चार्ज्ड अमाउंट के हैं जिस पर बहस तो हो सकती है। लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। यह चार्ज्ड अमाउंट है। यह चार्ज्ड अमाउंट इस वास्ते है कि 2,272 करोड़ 30 लाख रुपये में से 2,145.01 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक से जो वेज एण्ड मींस एडवांस लिया गया था, वेज एण्ड मींस एडवांस लेते हैं उसके लिये तो हमको सदन की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जो उसका पेमेंट करते हैं, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। मान लीजिये वेज एण्ड मींस

(श्री चन्दनमल बैद)

एडवांस हमने 7 दिन के लिये लिया और सात दिन के बाद हमने पेमेंट कर दिया तो वह पेमेंट जो कर दिया। वह तो बराबर पेमेंट होता रहता है। आज लिया, सात दिन के बाद पेमेंट किया। फिर दस दिन के बाद लिया, फिर पन्द्रह दिन के बाद में पेमेंट किया। फिर तीस दिन के बाद लिया, फिर दस दिन के बाद में पेमेंट किया। जो पैसा लेते हैं उसके लिये तो सदन से अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पैसा पेमेंट करते हैं, वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते करीब 100 करोड़ रुपये किया, कभी 200 करोड़ रुपये किया, कभी 300 करोड़ रुपये किया। तो वह इकट्ठे होकर के 2,145.01 करोड़ हो गये। एक तरह की बुक एण्ट्री है। पैसा लिया रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक को वापस पेमेंट किया। जैसे कोई बणिया हुदायती लेता है और दे देता है। किसी दूसरे दुकानदार से उसने कहा कि मुझे पांच हजार रुपये दे दो, उसने पांच हजार रुपये दे दिये। तीन दिन बाद उसको पेमेंट कर दिया। तो वह एक तरह का हुदायती है, जो हम रिजर्व बैंक से लेते हैं। इसको हम वेज एण्ड मींस एडवांस कहते हैं। यह 2,145. 01 करोड़ रुपये तो इस तरह का वेज एण्ड मींस एडवांस के पेटे जो रिजर्व बैंक से हम पैसा लेते हैं, उनको देते रहे हैं, उस पेमेंट के लिये हम सदन की अनुमति ले रहे हैं। उस वेज एण्ड मींस एडवांस पर जो ब्याज होता है, उस ब्याज के लिये भी हमने आपसे, 26 करोड़ 17 लाख रुपये की सदन से मांग की है। यह 3,186 करोड़ में से 2,272 करोड़ 23 लाख रुपये तो एक तरीके से चार्ज्ड अमाउंट है जिसके लिये सिवाय ब्याज के दूसरा कोई खर्चा नहीं है।

इसके अलावा योजना और गैर-योजना मद में जो खर्चा हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। किसी कार्य हेतु बिजली उपलब्ध कराने के लिये 46 करोड़ 8 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। एनर्जी मिनिस्टर साहब कहेंगे सात घण्टे से आठ घण्टे बिजली दी तो एक करोड़ रुपये रोजाना का खर्चा है। आपने मांग की थी तो वह कुल मिलाकर 96.8 लाख रुपये का खर्चा हमें आपको देना पड़ा। वह हम उसमें मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह किसानों के फायदे के लिये ही काम हुआ है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : हमने किसानों को दे दी बिजली।

श्री चन्दनमल बैद : आपने किसानों को दिया, पैसा तो हमने आपको दिया। दूसरी बात इसमें बुक एण्ट्रीज कुछ ज्यादा है। मैं बताऊं आपको बुक एण्ट्रीज हैं....

श्री जगमाल सिंह यादव : सरकार में भी मतभेद है क्या? आसन को सम्बोधित करें।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से ही बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कैलेमिटी रिलीफ फण्ड के जो पैसे हमारे पास आते हैं, हम उनको कंसोलिडेटेड फण्ड में जमा करा देते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसा निकालने के लिये हमको सदन से अनुमति लेनी

(श्री चन्दनमल बैद)

पड़ती है। पैसा तो कंसोलिडेटेड फण्ड में जमा हो गया लेकिन जो पैसा हमने सूखा राहत कार्यों के लिये लगाया, या बाढ़ राहत कार्यो के लिये हमने पैसा खर्च किया, उसके लिये हमको अनुमति लेनी पड़ती है। शुरू में हमको यह पता नहीं था जब बजट बनाया कि सूखा पड़ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अब सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गयी तो वह पैसा हमको कंसोलिडेटेड रिलीफ फण्ड से निकालना पड़ा, जो कि जमा था कंसोलिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया में या राजस्थान में। उसको हमें निकालना पड़ा। उनमें सूखा राहत कार्यों के लिये 157.09 और बाढ़ राहत कार्यों के लिये 48.17 करोड़ रुपये हमें निकालने पड़े। इसी तरीके से पेयजल के भुगतान के लिये जो बिजली का खर्चा ज्यादा आया, क्योंकि बिजली की रेट बढ़ गयी। जब बिजली की रेट बढ़ गयी तो बिजली का खर्चा भी ज्यादा आया। बिजली का खर्चा ज्यादा आने से यह रुपये लेकर हमें पी. एच. ई. डी. को देने पड़े। उसको यह खर्चा हमको बताना पड़ा।

सिंचाई योजना पर 59 करोड़ 21 लाख रूपये का खर्चा हमने दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, वह खर्चा इस बात का दिखाया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम इरिगेशन पर करते हैं, उसके ब्याज का समायोजन अपने अकाउंट्स में हम करते हैं। मान लीजिये हमने 100 करोड़ रूपये इरिगेशन स्कीम पर खर्च किये तो उसका जो ब्याज होगा, वह ब्याज हम अपने अकाउंट्स में जमा करेंगे। यह बुक एण्ट्री है। न हमको उनसे लेना है, न देना है। लेकिन यह अकाउंटिंग के तरीके हैं। इस वास्ते हमने जो इरिगेशन पर खर्च किया, वह कैपिटल अकाउंट है और जो हमने पैसा लगाया है उसका ब्याज है। वह ब्याज हमको अपने खाते में जमा कराना पड़ता है। इस वास्ते वह ब्याज हमने जमा किया तो वह कंसोलिडेटेड फण्ड में से निकाला। एक अकाउंट में जमा किया दूसरे अकाउंट में से निकाला। तो उस कंसोलिडेटेड फण्ड में से निकालना पड़ा और हमारे दूसरे अकाउंट में हमको जमा करना पड़ा। इसके लिये हमको अनुमति लेनी पड़ती है। बहुत से पैसे जो इसमें हैं, बहुत-सी रकम जो इसमें हैं वह बुक एण्ट्रीज की है। उस वास्ते यह खर्चा इतना ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन कुछ बुक एण्ट्रीज ऐसी हैं, जिसके लिये सदन की अनुमति हमको लेनी पड़ती है। इस वास्ते यह अनुमति लेने के लिये हम आपके सामने हाजिर हुए हैं।

नगर पालिकाओं के बारे में माननीय सदस्य, जो तिजारा से आते हैं, उन्होंने कहा ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : सरकार के निर्विभाग मंत्री हैं जगमाल सिंहजी।

श्री चन्दनमल बैद : अब जो कुछ भी होंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे लिये तो माननीय सदस्य हैं। उन्होंने चुंगी के बारे में कुछ बात कही। चुंगी समाप्त हो गयी। अब उसको हम वापस लागू करें, ऐसा इनका कहना था। जिस सरकार ने चुंगी समाप्त की, उसी सरकार ने 12 पर्सेंट

(श्री चन्दनमल बैद)

सैल्स टैक्स पर सरचार्ज लगा दिया। तो करीब-करीब चुंगी से हमारा जो नुकसान हुआ, वह 70 से 75 पर्सेंट हमको उससे वसूल होने लग गया।

लेकिन चूंकि चीनी पर, कपड़े पर, तम्बाकू पर सैल्स टैक्स नहीं लगता है क्योंकि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी उस पर लगती है, इस वास्ते उस पर सैल्स टैक्स नहीं लग सकता। जिस चीज पर सैल्स टैक्स नहीं लगता उस पर सरचार्ज नहीं लग सकता। तो कपड़े पर, चीनी पर, देश में निर्मित चीनी पर विदेशी चीनी पर तो सैल्स टैक्स लगता है, लेकिन देश में निर्मित चीनी पर सैल्स टैक्स नहीं लगता। और तम्बाकू पर भी सैल्स टैक्स नहीं लगता। इस वास्ते इन चीजों पर सैल्स टैक्स नहीं लगता है तो सरचार्ज भी नहीं लगा। यह माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जो पैसा चीनी, कपड़ा और तम्बाकू पर आकट्राय नहीं लगने से बचा, वह कस्टमर को पास आन नहीं हुआ। होना चाहिये था। ईमानदारी की बात है यह। लेकिन कस्टमर को पास आन वह नहीं हुआ। तो हम सोच रहे हैं, बहुत गम्भीरता से कि किस तरीके से हमने दूसरी चीजो पर 12 परसेंट सरचार्ज लगाया है हम क्या कोई ऐसा तरीका कर सकते हैं जिससे इन लोगों पर भी, जिन पर कि ओक्ट्राय नहीं लगती है और कस्टमर को जो फायदा था वह पास आन नहीं हुआ और व्यापारियो की जेबो मे चला गया। उस पैसे को क्या हम किसी तरीके से सरकार के हित में, राज हित के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यह सोचने की बात है। सोच रहे हैं, गम्भीरता से सोचेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। अभी सोच रहा हूं, सोचा कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 12 परसेंट सरचार्ज लगाया है।

अनेक माननीय सदस्य : अभी बता रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : वह गांवों की जनता से भी सैल्स टैक्स के रूप मे चार्ज करते हैं और वह शहरों पर खर्च करते हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ....(व्यवधान) हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन गांवों से वसूल किया हुआ सैल्स टैक्स गांवों के लिए दिया जाय, ग्राम पंचायतों के लिए दिया जाय। गांव और शहरों के लिए भेद (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : और गांवों पर सैल्स टैक्स लगवा दिया।

श्री केसाराम चौधरी : पैसा वसूल गांवों में किया जाय और शहरों में लगाया जाय, यह कतई मन्जूर नहीं होगा।

श्री मोहन लाल मोदी : मन्जूर नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुछ ग्राम पंचायतें ....

श्री मोहन लाल मोदी : यह पूर्व सरकार के कारनामे हैं, शहरों को रियायत दी और गांवों से पैसा वसूल किया।

श्री मदन दिलावर : अब छुड़वा दो।

श्री मोहन लाल मोदी : अब समझ में आ गया।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये। कुछ ग्राम पंचायतों ने भी ऑक्ट्राय लगा रखी थी, और गांवों के जो लोग हैं, वो सामान तो अपना शहर से ही ले जाते हैं। तो शहर में ऑक्ट्राय लगने के बाद ही यहां से सामान जाता है। इस वास्ते यह भ्रम भी अपने को कम पालना चाहिये कि गांव वालों के ऑक्ट्राय नहीं लगती थी। गांव वालों के भी ऑक्ट्राय लगती थी। यदि जयपुर से कोई माल ले जाता था तो मेरे पास, जयपुर के व्यापारी के पास जो माल आया है, उस पर तो ऑक्ट्राय लग गयी। ऑक्ट्राय लगने के बाद ही तो वह यहां से माल ले जाता था। तो आम तौर पर तो ऐसा ही होता था। और कुछ बड़े गांव जो थे, ग्राम पंचायते थी, जो सीधे माल मंगाते थे, उन्होंने ऑक्ट्राय भी लगा रखी थी। और ऑक्ट्राय का पुनर्भरण उनको कर रहे हैं आप। तो यह जो हम वहम पाल रहे हैं कि ऑक्ट्राय के समाप्त होने के बाद जो सरचार्ज़ लगा है, वह गांव वालों पर लग गया है। गांव वालों पर नहीं लगा तो सब पर ही है, वह तो कमोडिटीज पर लगा है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : किसी में नहीं लगती थी। आज मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, अब मैं यहां कोई भी चीज खरीदूंगा तो 12 परसेंट सरचार्ज देना पड़ेगा नहीं तो मैं मेरे गांव ले जाता था, वहां पर मुझे चुंगी थोड़े चुकानी पड़ती थी। बिना चुंगी के ले जाता था। अब मेरे पर भी भार पड़ गया है। यह लग रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर में कोई माल आता था तो चुंगी लगती थी। आप यहां से जो माल ले जाते थे, वह चुंगी लगा हुआ माल ले जाते थे। वहीं जो 12 परसेंट सरचार्ज लगा है वह शहर में लगा है। तो पहले चुंगी लगा हुआ माल ले जाते थे अब सरचार्ज लगा हुआ माल ले जाते हैं। बात तो एक ही है।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, एक ही कैसे हुई बात ?

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल एक ही है।

श्री मोहन लाल मोदी : ग्राम पंचायतें कभी भी यह टैक्स नहीं लेती थीं। ग्राम पंचायतो पर कोई भी ऑक्ट्राय नहीं ली जाती थी। कहां लगती थी ? नगरपालिकाएं लेती थीं, ग्राम पंचायते नहीं लेती थीं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, मैं अब आपको कितनी बार समझाऊ कि ग्राम पंचायतों का जो माल खपता था, वह आम तौर पर शहरों से जाता था। शहरों में ऑक्ट्राय लगती थी। तो जो शहरों से माल जाता था वह शहरों में ऑक्ट्राय लगा हुआ माल जाता था। अब शहरों से जो माल जाता है ऑक्ट्राय समाप्त होने के बाद सरचार्ज लगा हुआ माल जाता है। बात तो एक ही है। मैं समझता हूं शायद व्यापारी होने के नाते आप इस बात को समझ गये होंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी बात तो समझ गये लेकिन यह जो ऑक्ट्राय कम हुई, व्यापारियों ने ऑक्ट्राय कम कर के और गांव वालों को नहीं दी। वह तो उसी हिसाब से गांव वालों को मिलती रही।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के क्षेत्र में, जब वो शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा की हुई उपलब्धियों का बहुत बड़ा जिक्र किया। श्वेत पत्र का भी बड़ा जिक्र किया उन्होंने। श्वेत पत्र के किसी भी आंकड़े पर अगर किसी को कोई एतराज हो, कोई यह कहे कि यह आंकड़े गलत हैं, तो उसको तो मैं ठीक करने के लिए तैयार हूं। कोई आंकड़ा गलत नहीं है। सब आंकड़े वहीं है, आपके द्वारा जो किताबें प्रकाशित की गयी थी उनसे वह आंकड़े लिये गये हैं। (व्यवधान) एक मिनट सुनिये।

श्री मदन दिलावर : जनता को भ्रमित किया है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये। एट्थ फाइव इयर प्लान में चाहे आपने प्रकाशित किया हो, चाहे नाइन्थ फाइव इयर प्लान में आपने प्रकाशित किया हो, जो आपने आंकड़े प्रकाशित किये थे उन्ही आंकड़ो के आधार पर श्वेत पत्र बना है। अब उस श्वेत पत्र के बनने से आपको कोई पीड़ा हुई है तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है। अब बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। और कह रहे थे मैंने कोई गल्ती की है तो जनता मुझे सजा दे दे। जनता ने सजा दे ही दी आपको। हम और क्या सजा दें आपको? कोई हम आपको फांसी तो दे नहीं सकते, जेल तो भेज नहीं सकते। सजा यह ही दी कि आप हाउस में यहां तक बैठे हुए थे, आज वो हाउस में यहां तक सिमट गये। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। प्रजातंत्र में तो यही सजा होती है। हम गलती करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, आपने गलती की तो आपको सजा मिली।

आपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा। आपने यह प्रचार किया कि 27 हजार 650 करोड़ रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना आप लाये हैं और इतना विकास करेंगे, इतना विकास आपने किया है। अगर जनता आपके विकास को मान लेती और जनता यह मान लेती कि आपने 12 हजार करोड़ रुपये में इतना बड़ा विकास किया है और अब 27 हजार करोड़ का आप जो प्लान लाये हैं उसका इतना विकास करेंगे। यह बात अगर जनता मान लेती तो, माननीय सदस्य, आपकी यह हालत नहीं होती। इस वास्ते श्वेत पत्र पर आप अगर बहस करना चाहते हैं तो खूब मौका मिलेगा आपको। 26 तारीख को मैं बजट पेश करूंगा। 27, 28, 29 व 30 को छुट्टी रहेगी। चार दिन तक आपको अध्ययन करने का पूरा मौका मिलेगा, उसके बाद आप जितने भी सवाल इसके बारे में उठायेंगे, मैं इस बात के लिए मुस्तैद रहूंगा कि आपके जितने भी सवाल उठेंगे उनका मैं जवाब दूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से और आपके मार्फत सदन से निवेदन

(श्री चन्दनमल बैद)

करता हूं कि यह एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या-1) और एप्रोप्रिएशन बिल (संख्या-2) को पारित करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 को पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 को पारित किया गया।

अलवर जिले के खेरलीगंज में एक विवाहिता के अपहरण की घटना तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

अलवर जिले के खेरली गांव में विवाहिता का अपहरण व पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21.1.1999 को श्री रामसिंह पुत्र जूथाराम मीणा, निवासी चैनपुरा थाना खेरली ने थाना खेरली पर आकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 21.1.1999 को करीब एक बजे मेरे भाई राम खिलाड़ी की लड़की काली, उंम्र 18 साल जो अपने कुएं से चारा लेकर करीब ढाई बजे घर पर वापस आ रही थी, को रास्ते में बिरज्या के खेत के पास से 2 व्यक्ति जबरन पकड़ कर ले गये। आस-पास के कई आदमियों व चारा लाने वाली औरतों ने लड़कीं काली को फूलसिंह पुत्र राधाकिशन मीणा ग्राम धुणी का नंगला व उसके एक अन्य साथी के द्वारा जबरन ले जाते हुए देखा।

लड़की काली की लखन पुत्र रंगलाल मीणा, निवासी अलीपुर के साथ करीब एक साल पहले शादी की गयी थी। फूल सिंह का भाई लाखराम की हमारे गांव की कैलाशी पुत्री छमुरा से शादी हुई थी।

(16.40 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

पर सम्बन्ध खराब होने के कारण कैलाशी को दूसरी जगह बैठा दिया था। इसी रंजिश से हमारी लड़की को डरा-धमकाकर जबरन उठाकर ले गये। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 15/99 धारा 366, 363 आई. पी. सी. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण वृत्ताधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज द्वारा किया गया। अनुसंधान हेतु अधिकारियों की एक विशेष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

टीम गठित की गयी। दौराने अनुसंधान एफ. आई. आर. के नामजद अभियुक्त फूलसिंह मीणा से विस्तृत जांच पड़ताल की गयी परन्तु अपहृता का कोई पता नहीं चला। अपहृता की बरामदगी करने एवं उसकी सूचना देने वाले को चार हजार रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की गयी। अपहृता की बरामदगी हेतु अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों के विभिन्न स्थानों पर जाकर सघन तलाशी ली गयी। राज्य से बाहर दिल्ली एवं मथुरा में भी विभिन्न स्थानों पर तलाश करने हेतु विशेष दल भेजे गये। परन्तु अथक प्रयासों के बावजूद भी अपहृता एवं अभिुक्तों का पता नहीं चला। अपहृता काली उर्फ उर्मिला के बरामद न होने के विरोध में दिनांक 22.2.99 को जन संघर्ष समिति, खेरली द्वारा बन्द रखा गया एवं दिनांक 25.2.99 को हाई-वे, जहां पर रेल्वे को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा इस दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखी गयी। दिनांक 6.3.99 को डाक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक ने कस्बा खेरली में स्थित पंचायती मन्दिर पर मीणा समाज के लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया। जिसमें करीबन 1500-2000 लोग शामिल हुए। इस सभा में उन्होंने घोषणा की कि या तो 12.3.99 तक काली को बरामद कर लिया जावे नहीं तो दिनांक 13.3.99 को थाना खेरली पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह सूचना अभी प्राप्त हुई कि 12.3.99 को काली की ससुराल अलीपुर थाना बांदीकुई में मीणा समाज के लोगों ने मीटिंग कर यह निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति के पास जो भी हथियार हो, वह साथ लेकर डा. किरोड़ी लाल मीणा की 13.3.99 की मीटिंग में उनके बुलावे पर खेरली चलें।

उपरोक्त तथ्य व इन्टेलीजेंस की सूचना को देखते हुए दिनांक 13.3.99 को एहतियात के तौर पर आने वाले व्यक्तियों के हथियार इत्यादि की चैकिंग हेतु हनुमान मन्दिर के पास समूची फाटक पर उप अधीक्षक, पुलिस, वृत्त लक्ष्मणगढ़ पुलिस बल के साथ चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान लगभग तीन बजे अचानक डा. किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में मुख्य बाजार, खेरली व रेल्वे लाइन होकर लगभग 500-600 लोगों की उग्र भीड़ समूची फाटक पर पहुंची और पुलिस जाप्ते पर भारी पथराव शुरू कर दिया। वे नारे लगाने लगे कि लक्ष्मणगढ़ डी.वाई. एस. पी. लड़की बरामद नहीं होने दे रहा है। इसे जान से खतम कर दो, इसे मार दो। उप अधीक्षक, पुलसि द्वारा भीड़ को चेतावनी दी गयी मगर भीड़ ज्यादा उत्तेजित हो गयी और पथराव तेज कर दिया। पुलिस जाप्ते को तीनों ओर से घेर लिया और हिंसा पर उतारू हो गयी जिसके कारण वृत्ताधिकारी, ड्राइवर और गनमैन व 14 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गये। बलवाइयों ने वृत्ताधिकारी की जिप्सी को तोड़फोड़ किया तथा उसकी तेल की टंकी को आग लगाने का प्रयास किया। बलवाइयों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने चेतावनी देकर गैस के दो शैल छोड़े लेकिन हवा के विपरीत रुख के कारण उनका असर नहीं हुआ तथा पथराव जारी रहा। इसके पश्चात् बलवाइयों को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तितर-बितर करने के बाद चेतावनी देकर पुलिस ने नौ हवाई फायर किये किन्तु फिर भी बलवाइयों की उग्रता में कोई कमी नहीं आयी। वृत्ताधिकारी व अन्य फोर्स बलवाइयों से घिर गयी तब वृत्ताधिकारी ने अपनी जान तथा जाप्ते की जान की रक्षा हेतु उनके अनुसंधान पर 38 बोर रिवाल्वर से छः फायर करवाये। पुलिसकर्मियों ने घटना स्थल के नजदीक हनुमान मन्दिर में घुसकर जान बचाने की कोशिश की परन्तु बलवाइयों ने मन्दिर पर भी पथराव जारी रखा। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण महोदय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ के अतिरिक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे जिन्होंने बलवाइयों को खदेड़ा और मौके पर 23 बलवाइयों को पकड़ा घायल पुलिसकर्मियों एवं घायल व्यक्ति अस्पताल के लिए रवाना किये गये जिसे डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जिनका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 48/99 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336, 307, 342 भारतीय दण्ड संहिता व 3 पी. डी., पी. पी. एक्ट्स के अन्तर्गत थाना खरेली में दर्ज किये गये जिसका अनुसंधान सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा किया जा रहा है। अपहृता काली के अपहरण के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग संख्या 15/99 धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता थाना खेरली के अनुसंधान के आदेश सी.आई.डी. (सी.बी.) से कराये जाने के दिये जा चुके हैं। इस घटना की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से करवाने के आदेश भी दिये गये हैं। दिनांक 13.3.99 को कस्बा खेरली में पुलिस फायरिंग में मृतक व्यक्ति के परिजनों को एक लाख रुपये एवं गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय सभापति जी, काली बाई का अपहरण हुआ। जैसा कि गृह मंत्रीजी ने बताया कि 21.1.99 को और फूलसिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसको इन्होंने इंटेरोगेशन के लिए थाने में बुलाया है और इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हमें अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। लड़की को उठाकर ले जाने की चेतावनी भी इन्होंने अपने हवाले में दी है कि लड़की को उठाकर ले जायेंगे और एक पत्र पुलिस को दिया है जिसका हवाला माननीय गृह मंत्रीजी ने नहीं दिया है। लेकिन एक लाखराम नाम का व्यक्ति, जो गवाई के नगला का है, जिस फूलसिंह को पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, उसका भाई है यह। उसने लड़की के अपहरण के बाद में एक पत्र लिखा है। 25.1.99 का पत्र है और उस पत्र में उसने लिखा है कि काम तो तुमने कर दिया लेकिन थोड़ा-सा काम गलत हो गया कि इस वाले केस में गरीब की लड़की उठ गयी। यह पत्र लाखराम द्वारा लिखा गया और यह पत्र पुलिस के रिकार्ड पर है। जब ऐसा पत्र लाखराम का पुलिस के रिकार्ड पर है तो पुलिस ने क्यों नहीं लाखराम को पूछने की दिशा बनायी, और मुलजिम को गिरफ्तार करने की कार्यवाही क्यों नहीं की? इसके बाद सभापति महोदय, विवाहिता के अपहरण को लेकर 22.2.99 को एक संघर्ष समिति जो 21 सदस्यों

(डा. किरोड़ी लाल)

की बनी थी, उन्होंने एक बड़ी सभा वहां मण्डी में की, मण्डी के बाजार को बन्द किया। मण्डी बन्द हुई, बाजार बन्द हुए, सारे प्रतिष्ठान सफलतापूर्वक बन्द रहे। और सभापति महोदय, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सोमेश्वर अग्रवाल वहां के पूर्व चेयरमैन नगरपालिका के हैं, जो कांग्रेस (आई) के बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वह उसके संयोजक हैं और वर्तमान में जो कांग्रेस (आई) के वहां पर चेयरमैन हैं वेद प्रकाश अग्रवाल। वे भी इसके सह संयोजक हैं और वहां के पूर्व प्रधान श्रवण मीणा जो कठूमर से कांग्रेस (आई) के प्रधान रहे हैं, ये इसमें सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे 21 लोगों की संघर्ष समिति, जिसमें 70 प्रतिशत कांग्रेस के भाइयों ने सहयोग लिया है, उन्होंने 22 तारीख को जाकर थाने में इस बात की चेतावनी दे डाली कि या तो लड़की बरामद हो जानी चाहिए वरना 25 तारीख को हम रेल रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे।

सभापति महोदय, हमने एक बात अखबार में पढ़ी। दूसरे भाई भी उस बात को कहेंगे कि इसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं। सभापति महोदय, राजनीतिक तूल का मामला नहीं है। इसमें कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन, कांग्रेस के वर्तमान चेयरमैन जो नगरपालिका, खरेली के हैं, वे संघर्ष समिति में ज्ञापन दे रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसके बाद में भी सरकार कह रही है कि डा. किरोड़ी लाल चला गया, भारतीय जनता पार्टी घुस गयी, विपक्षी दल के नेता चले गये। इन्होंने ऐसा रूप दे दिया कि इसका राजनीतिकरण कर दिया। सभापति महोदय, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हम तो अपराधी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और उस बेटी को जिसको उठाकर ले गये, उसको दो महीना हो गया। आज तक उसकी मां चिल्ला रही है। वह बेटी आज तक नहीं आ सकी। और बेटी के बदले यहां की सरकार ने क्या दिया है, कांग्रेस की सरकार ने पुलिस वालों के हाथ मे लाइसेंस पकड़ा दिया है व्यक्तियों को मारने का। ये बन्दूके थामों और जो इसमें आओ, उसको मारेगा। कांग्रेस के सामने कोई आवाज उठाये अपहरण की, बलात्कार की उठाये, लूट-पाट की उठाये तो उसको गोली दाग दो और मार दो। यह कांड आपके खेड़ली ने सुना है।

सभापति महोदय, इसके बाद प्रशासन ने इस बात की कोशिश की, 25.2.98 को जो रेल रोकेंगे, तो पुलिस ने वहां इन संघर्ष करने वालों से बात की कि कृपया कुछ दिन का समय और दे दो, और यह रेल मत रोको। यह संघर्ष समिति उनके आश्वासन के बाद मान गयी। उन्होंने रेल नहीं रोकी और आश्वासन के बाद जब लड़की नहीं आयी तो मैं वहां पर गया। मैंने वहां जाकर एक सभा की। उस सभा में जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा है पन्द्रह सौ-दो हजार लोग थे। सभापति महोदय, उसमें दस बारह हजार की पब्लिक इकट्ठी थी। और वह कोई मीणा समाज की अकेले की मीटिंग नहीं थी। उसमें सारे मंडी के लोग थे और जैसा कि इसको जाति की

(डा. किरोड़ी लाल)

ओर कार्नर करके ले जा रहे हैं, वह भी नहीं है। जब इक्कीस लोगों की संघर्ष समिति बनी है उसमें सत्तर प्रतिशत सभी भाई हैं। जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिये भी हैं। सभी समाज के लोग हैं जो समाज कंटकों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। और जनता से मांग करना चाहते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी ने तो यह कहा है ना कि मीणा समाज के लोग इकट्ठे हुए, डाक्टर किरोड़ी लाल ने सम्बोधन किया, मैं गया हूं 6 तारीख को। और वहां 6 तारीख को दस बारह हजार से कम जनता नहीं थी। जनता ने मेरे से आग्रह किया कि सरकार का ध्यान आकर्षण करो, सरकार से कहो। मैं कहकर आया था वहां पर एडिशनल एस. पी. थे, पुलिस के दूसरे अधिकारी थे। सी. आई. डी. वालों ने वीडियो कैसेट भी करा रखी थी पूरे भाषणों की, और जनता की वीडियो कैसेट करायी है। वीडियो कैसेट में मेरी हाइट दर्ज है, मेरा भाषण दर्ज है, सब कुछ चाल चलन दर्ज है किधर जा रहा हूं।

सभापति महोदय, मैंने मेरे भाषणों में उस दिन यह कहा था कि अभी छह सात दिन का समय हम पुलिस को देना चाहते हैं, लेकिन आज अभी आधा घंटे का धरना हम थाने पर, पूरी की पूरी जनता देगी। लेकिन उस स्थिति में देगी, सारी जनता के सामने चलने के लिए तैयार हूं। अगर थाने के सामने पत्ता भी हिल गया, किसी ने उफ भी कह दिया, तो डाक्टर किरोड़ीलाल आगे आपके संघर्ष में इस आन्दोलन में शामिल नहीं होगा। मैं आपका आन्दोलन छोड़कर चला जाऊंगा। सभापति महोदय, आप वह वीडियो कैसेट मंगा सकते हैं जो मैंने भाषणो में बोला है। अखबारो में यह आया है कि डाक्टर किरोड़ीलाल ने भड़काउं भाषण दिये। आप ही सभापति महोदय कहोगे अगर भड़काऊ भाषण की एक भी बात आपको वीडियो कैसेट में मिल गयी, तो डाक्टर किरोड़ीलाल अपने दोनो हाथ आपके सामने कर देगा। आप यही हथकड़ी मंगा लेना और मेरे हाथो में हथकड़ी डाल देना। मैं तैयार हूं अगर मैंने कानून को हाथ में लिया हो तो। मैं थाने पर गया। थाने पर जाकर हम केवल आधा घंटे बैठे। आप थाने वालो से पूछो। रपट रोजनामचे में डाली है, पांच छह जने वहां पर गये थे। आध घंटे बैठकर आये थे। शांतिपूर्ण बैठकर आये थे लेकिन कागज लिखकर आये थे, आपकी कांग्रेस की सरकार को यह लिखकर देकर आये थे कि अब लड़की नहीं आयी तो मैं 13 तारीख को आऊंगा। बारह तारीख तक अगर लड़की नहीं मिली तो मैं 13 तारीख को भूख हड़ताल करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, समय बढ़वाइये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आधा घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आज की कार्यवाही का समय आधे घंटे बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसी भी क्या कंजूसी, गृह मन्त्री जी जवाब दे दें, हम यहां प्रश्न पूछ लें तब तक के लिए तो समय बढ़ाओ।

एक माननीय सदस्य : और बढ़ जाएगा।

शासकीय वक्तव्य

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं उस दिन थाने पर अपना ज्ञापन देकर आ गया था। शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करके आ गया। और मैं थानेदार जी को लिखकर देकर आया हूं, श्रीमान थानेदार साहब, थाना खेडली, अपहृत बालिका उर्मिला उर्फ काली को बरामद किये जाने बाबत् उपर्युक्त बालिका को बदमाश बड़ी बेरहमी से दिंनाक 21.1.99 को उठाकर ले गये। वह इस क्षेत्र का जघन्य अपराध है जिसके कारण क्षेत्र की समूची जनता पूरी तरह से उद्वेलित है। पुलिस ने क्या प्रयास किये इसकी जानकारी अभी तक जनता को नहीं दी गयी तथा अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आये इससे भारी असन्तोष एवं आक्रोष व्याप्त है। आज करीबन दस बारह हजार की आम सभा मे मैंने घोषणा की है कि या तो 12.3.99 को उक्त महिला को बरामद कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाय, नहीं तो मैं स्वंय अकेला 13.3.99 को थाना खेड़ली पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा।

जन भावनाओ का ध्यान रखते हुए तथा घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैंने यह फैसला किया। यह मैंने 6.3.99 को लिखा है। एडिशनल एस. पी. अलवर की इसमें रिसीट है। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि आंख मीचकर चला गया और कोई नोटिस नहीं दिया और जाकर भड़काउं भाषण दे डाले जिससे भीड़ उग्र हो गयी। सभापति महोदय, हमने पुलिस को सहयोग किया। आप डी. आई. जी. से पूछ सकते हैं, आप थानेदार से पूछ सकते हैं। हमने उनको जाकर कहा कि जिस जिस इलाके में लड़की मिल सकती है, हमारे लोग आपका साथ देंगे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मानपुर थाने के चार पांच गांवों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो जंगलात हैं, उन जंगलात में पता लगा कि लड़की यहां पर ऊपर है। बदमाशान उसको लेकर वहां पर चले गये और आस पास के गांवो से लोग खाना लाकर ऊपर खाना पहुंचाते हैं। मैंने इसके लिए पंचायत समिति सिकराय के प्रधान रामप्रसाद मीणा को, पच्चू मीणा को, और तीन चार और हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया कि आप पुलिस को सहयोग दो। भरतपुर के डी. आई. जी. इसके गवाह हैं। भरतपुर के डी. आई. जी. साहब के साथ में रामप्रसाद प्रधान और हमारे चार पांच कार्यकर्ता जंगलो, बीहड़ो में लड़की को ढुंढवाने के लिए पुलिस को सहयोग देते फिरे। उनके कपड़े फट गये। बीहड़ो में जा जाकर लड़की को ढूंढने में सहयोग दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया?

(डा. किरोड़ी लाल)

जिस दिन 13 तारीख को घटना हुई, जिन्होंने सात दिन तक पुलिस के साथ नंगे, भूखे घूमकर वहां सहयोग दिया लड़की को बरामद करने में, उनको आज जेल के सींखचों में डाल दिया। अलवर की जेल में रामप्रसाद प्रधान पांच सात लोगों के साथ पड़ा हुआ है।

हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी का हमने बहुत बार पढ़ा है, व्यक्तिगत रूप से तो मैंने कभी सुना नहीं, यह कहते हैं कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा। अलवर की जेल में जन प्रतिनिधि पड़े हैं, समाज के पंच पटेल पड़े हैं, प्रधान पड़ा है पंचायत समिति का, जिसने सात दिन तक पुलिस को सहयोग दिया लड़की बरामद कराने में। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं ऐसा असम्मान तो मत करो। ऐसा अपमान तो इन लोगों का मत करो। सभापति महोदय, हम वहां चले गये। थाने पर मैं पहुंचा और थाने पर पहुंचकर मैंने भूख हड़ताल चालू की। थाने के नीचे जमीन पर बैठ गया। शुरू-शुरू में साठ सत्तर आदमी थे। धीरे धीरे कुछ लोग बढ़ते गये और पौनें तीन, तीन बजे के आस पास मेरे को कुछ लोगों ने सूचना दी कि समूची का जो रेल्वे फाटक है, उस रेल्वे फाटक पर पुलिस ने बल पूर्वक जो आपके पास यहां भूख हड़ताल पर बैठना चाहते हैं उनको रोक लिया।

अब सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यह साक्षात लोकतंत्र की हत्या नहीं है ? एक जिस बहन का अपहरण हुआ और जिस बहन के अपहरण का पता अब तक नहीं लग पाया और लोग क्रान्तिवादी तरीके पर चलकर भूख हड़ताल करके थाने पर बैठना चाहते हैं, उनको पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने रोका। यह कहते हैं-बड़े उग्र नारे लगाये गये। सभपति महोदय, आप पता कर लेना थाने से समूची फाटक की दूरी है एक किलोमीटर। और उस पूरी एक किलो मीटर की दूरी मे पूरा बाजार है। और उस बाजार में होकर, हमारे पांच सौ-छह सौ लोगों की एफ. आई. आर. में भीड़ बता रहे हैं, गृह मन्त्री जी 500-600 लोगों को लेकर मैं गया। एक पत्ता तक नहीं हिला। किसी दुकानदार के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ। रास्ते में पुलिस खड़ी थी यत्र तत्र। लेकिन पुलिस के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां समूची फाटक पर पहुंचते ही हमने ऐसा कौनसा उग्रवाद फैला दिया जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में जब हम वहां पर पहुंचे तो इन्होंने कहा कि भड़काऊ नारे लगा रहे थे। क्या भारत माता की जय बोलना भड़काऊ नारा है, क्या डाक्टर किरोड़ीलाल जिन्दाबाद लगाना भड़काऊ नारा है ? क्या अशोक गहलोत जिन्दाबाद लगाना भड़काऊ नारा है ? क्या भैरोसिंह शेखावत जिन्दाबाद लगाना भड़काऊ नारा है ? नारे इन्होंने एफ. आई. आर. में लिख रखे हैं। अगर यह नारे भड़काऊ नारे हैं तो डाक्टर किरोड़ीलाल भारत माता की जय के नाम पर आज इस सदन में हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार है।

(17.00 बजे)

(डा. किरोड़ी लाल)

सभापति महोदय, इब इन्होंने वहां क्या किया? यह कहते हैं कि भारी भीड़ वहां पर पहुंची। शुरू-शुरू में तो इन्होंने एफ. आई. आर को मेनिपुलेट करने की कोशिश की कि हम गये, रेल की पटरियों को उखाड़ दिया, रेल को रोक लिया। रेल की प्रोपर्टी का भारी नुक्सान कर डाला। सभापति महोदय, आप रेल का रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं रेल सही समय पर पहुंची। और इन्होंने क्या कबाड़ा किया? रेल आने के 45 मिनट पहले खारिज करके निर्दोष लोगों को मार डाला। और वह कौन है? एक रमेश सिंह नाई का बेटा जो खेत मे मजदूरी करके आता है, अपनी परीक्षा का आइडेंटिटी कार्ड लेकर आ रहा था। 24 तारीख से परीक्षा होने वाली थी। आपके राज मे बण्डल लुट गये, पेपर आउट हो गये। उसके गोली मारी और गोली कहां मारी ? यह कहते हैं हमने गोली आत्मरक्षा में मारी। वह 10 वीं में पढ़ने वाला लड़का इन पर हमला कर रहा था। उसे गोली रामसिंह जांगिड़ का मकान है, जो घटना स्थल है उससे ढाई सौ मीटर दूर है, वहां जाकर डी वाई. एस. पी. के गनमैन ने जाकर वहां पर मारा। एकदम निर्दोष व्यक्ति की मकान मे जाकर पुलिस ने हत्या की। एक लड़का जिसके बारे में मैंने अभी बीच में उठाया बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा के तो सभापति महोदय सामने पेट में गोली मारी और बचकर भागने लगा तो पीठ में गोली मारी और उसको उठाने लगे तो पुलिस ने उठाने नहीं दिया। दो लड़के उसको उठा कर लाये। उठा कर लक्ष्मणगढ़ ले गये, अलवर ले गये और पुलिस ने जब सहयोग नहीं किया तो यहां पर सवाई मानसिंह अस्पताल में लेकर आये। मैंने आपको आज सूचना दी सदन में कि उसको जबदरस्ती वहां से डिस्चार्ज कर दिया, भगा दिया कि मामला विधान सभा में उठा है, उसको छुट्टी करो। उसका इलाज भी पूरा नहीं हुआ और ऐसी घातक स्थिति से यहां से उसको डिस्चार्ज कर दिया है अब इस पुलिस ने क्या कबाड़ा किया वहां पर, वहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पुलिस ने जो-जो अत्याचार, पुलिस की चोट, कहते हैं भारी भीड़ आयी, भड़काऊ नारे लगे और पुलिस पर पत्थर फैंके। सभापति महोदय आप सारा रिकार्ड मंगा कर देख लें। सारी सिम्पल इंजरी, माना कोई छुट-पुट घटना हो गयी होगी। उसकी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऐसी कोई गम्भीर चोट पुलिस के किसी कर्मचारी के नहीं लगी। अगर कोई गम्भीर चोट कर्मचारी के लगी है तो आप डाक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, एम. एल. सी. मंगा कर देख लो कि किसी के किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है। और उन्होंने क्या किया? गोली की तो गोली चलाई। गोली से लोगों को घायल किया और घायल करने के बाद में लोगों को, बाजार में घुस गये। सभापति महोदय, और बाजार में से छोटा बच्चा मिला तो, बड़ा मिला तो, औरत मिली तो, दुकानदार मिला तो, किसी आदमी को उन्होंने छोड़ा नहीं। लाठियों से मारा पीटा। कइयो के पैर तोड़ डाले, कईयो के सिर फोड़ डाले, किसी का हाथ तोड़ डाला। किसी की जंजीर झपट लाये और सभापति महोदय इन्होंने मुलजिम कौन बनाया, मुलजिम किसको बनाया....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के नेता और विपक्ष के नेता को तो अनुमति है और वित्त मंत्रीजी को भी है। यह नई व्यवस्था आपने अलाउ कर दी है क्या पानी पीना और बाहर से पानी लाना हाउस में अलाउ है क्या? अलाउड है तो ठीक है सबको अनुमति दें। नहीं तो इसको देखिये कि कौन तो ग्लास से पानी लाया, किसकी अनुमति से लाया और किसने बगैर आपकी अनुमति से पानी पीया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्लास फैंक दे तो फिर....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, पानी का मसला तो इतना गम्भीर लगा और एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, उसका अभी तक होश ही नहीं है (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं गलती कर रहा हूं पानी पी रहा हूं। यह गलती है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह पब्लिक का खून पी गये और पानी पीने पर ही आपत्ति कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उसका उत्तर गृह मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी दे देंगे लेकिन (व्यवधान) यह हाउस नियमों से चलेगा। सभापति जी, आप इसको नियमों से चलवायें।

श्री सभापति : आप ठीक कहते हैं। यह सदन नियमों से चलता है और सदन के अन्दर पानी लाया जाना जरूरी हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही आ सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बिलकुल।

श्री सभापति : अब अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है कि ली है यह मुझे जानकारी में नहीं है लेकिन....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपकी अनुमति तो ली ही नहीं। आप चेयर पर विराजे हैं। आपने अनुमति दी क्या ?

श्री सभापति : नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर आप बैठे हैं। क्या आपकी अनुमति ली गयी थी?

श्री सभापति : विधान सभा के सदन के मालिक स्पीकर हैं वह वहां बैठे बैठे भी अनुमति दे सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, आसन पर हो और माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी अनुमति नहीं ली।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है...

श्री मदन दिलावर : आसन पैरो पर है।

डा. किरोड़ी लाल : इतना सीरियर मामला है और आप उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं।

श्री सभापति : डाइल्यूट नहीं है। इनका पाइन्ट आफ आर्डर है। कोई डाइल्यूशन नहीं है ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य का....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Let us not have a debate on it.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Why not ?

श्री विजेयेन्द्रपाल सिंह : We cann't have a debate on it because we are already having a discussion on..... (interruptions) ....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : You have your debate as much as possible, but rules are rules....(interruptions) V. P. Singhji, rules are rules.

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने, आपका पाइन्ट आफ आर्डर वैलिड है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि सदन के अन्दर बिना अनुमति के पानी का ग्लास नहीं लाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय आपने तो जो रूलिंग दी वह तो सही है लेकिन यह बात सही है कि इनका गला बैठ गया था और गला बैठने पर इन्होंने कहा कि मुझे पानी की आवश्यकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कांच का ग्लास क्यों मंगवाया यह तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरे ग्लास में पिला देते। गला तो पहले ही बैठ रहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाहर जाकर पी सकते थे माननीय सदस्य पानी तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री सभापति : व्यवस्थाएं जो होती हैं वह भविष्य में ध्यान रखने के लिए ही होती है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने नोट ले लिया। पाइन्ट आफ आर्डर पर जो व्यवस्था दी है उन्होंने बहुत सीरियसली नोट ले लिया।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि पुलिस ने बताया कि हम मरे होते, मारे जाते। चारो तरफ से पब्लिक ने घेर लिया। इसलिए हमने गोली चलाई इसमें सात लोगों की एम. एल. सी. है और सात लोगों के सिम्पल चोट है। ऐसी कोई ग्रिवियसहर्ट नहीं हुई जिसके कारण पुलिस को गोली चलाने की वहां पर कार्यवाही करनी चाहिए थी और पब्लिक के साथ में क्या हुआ? एक आदमी तो मौके पर ही मारा गया। एक मुरारीलाल नाम के व्यक्ति के पीठ में लगी, पेट में लगी और उसको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

श्री सभापति : यह तो आप रिपीट कर रहे हैं। माननीय सदस्य आप यह तो रिपीट कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : रिपीट नहीं कर रहा हूं। एक मानसिंह नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से मारा वह अब तक अलवर की

(डा. किरोड़ी लाल)

अस्पताल में भर्ती है। साधूराम नाम के व्यक्ति का पैर तोड़ दिया। रामकिशोर पुत्र श्री भौंरी लाल निवासी आपरहेड़ा जो थाना टोडाभीम में पड़ता है, उसके पुलिस ने गोली मारी जिसके कारण हाथ टूट गया और वह अलवर जेल की सींखचों में बन्द है। हाथ का तो हाथ टूट गया। उसका इलाज नहीं होने दिया और वह अलवर की जेल में बन्द पड़ा है और बाकी का इन्होंने क्या किया, एक यहां का जयपुर का ड्राइवर गया था असलम खेड़ली में गया था किसी काम से। उसकी गाड़ी को थाने में खड़ा कर रखा है और असलम को यह कहा कि तुमने हमला किया है उस असलम को उठाकर, अलवर की जेल की सींखचों में बांध रखा है। अब क्या असलम भी उस लड़की के मामले में वहां हथियार लेकर गया था? और सभापति महोदय, क्या किया एक लड़के को गिरफ्तार किया जो सातवीं क्लास में पढ़ता है और उसकी तेरह साल की उम्र है। और वह जेल के सींखचों में बंद है। एक लड़का दसवीं क्लास में पढ़ता है जिसकी 24 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, उसको बन्द कर रखा है। सभापति महोदय, इसमें 6 आदमी ऐसे हैं जिनकी 65 से 70 साल की उम्र है और जो लाठी लेकर चलते हैं। उनके बारे में कहा कि यह घातक हथियार लेकर आये और यह हमको मार रहे थे। अगर इनकी लाठी, जिस सहारे से यह चलते हैं उस लाठी को नहीं झपटते तो हमारे डीवाई.एस.पी. सारी पुलिस को जान से मार देते। ऐसी इन्होंने गिरफ्तारियां की। स्कूल का 13 साल का बच्चा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पीकर बोलने के बाद में विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है।

डा. किरोड़ी लाल : आपको ऐसा ही लग रहा होगा। आप भी जाकर आये थे। आपकी विश्वसनीयता कैसी है। आप दोनों तीनों गये थे। आपको पता होगा कि कितनी गम्भीर हालत है। हरिसिंहजी, इसको इतने हल्के हाथ से मत लो। 5 आदमी जो 65-70 साल के थे-उनको गिरफ्तार किया और डेढ़ सौ आदमियों की लिस्ट यह है जिनको बुरी तरह से मारा जिनकी पुलिस की चोटें, और भाग गये पुलिस के डर के मारे, पुलिस की दहशत के मारे। क्योंकि उस खेड़ली को छावनी बना डाला था। और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है 48/99

श्री सभापति : समाप्त करें अब।

डा. किरोड़ी लाल : मैं समाप्त कर रहा हूं बस दो मिनट की बात और है। इसलिए करवाया कि मैंने भड़काया है। सभापति महोदय मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं दो बार उस मौके पर गया हूं। दोनों बार पुलिस ने वीडियो कैसेट तैयार करवायी है। पूरे सदन से मेरी अपील है कि दोनों बार के वीडियो कैसेट में अगर मेरा भड़काऊ भाषण हो और एक भी व्यक्ति के हाथ में पुलिस उस वीडियो कैसेट के द्वारा हथियार बता दे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल यहीं हथकड़ी लगवाने के लिए तैयार है। मैं सार्वजनिक रूप से आपके बीच में सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाउस में हथकड़ी लग नहीं सकती इसलिए बार-बार कह रहे हो......(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप इस बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत : आपके ऊपर एक केस लगा तो आपको पता चल गया। 8 साल से हमारे ऊपर असत्य केस लगे जब तो पता नहीं चला आपको। मेरे ऊपर खुद के ऊपर लगाया है। मेरे ऊपर खुद के ऊपर चल रहा है असत्य केस।

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं माननीय सदस्य। प्लीज कन्टीन्यू रखें। आप खत्म करें। आप सम्पन्न करो अपने भाषण को। सब बात आ गयी माननीय किरोड़ी लाल जी। बहुत कह दिया आपने

डॉ. किरोड़ी लाल : नहीं अभी मेरा बाकी है... पुलिस ने यह बात बतायी कि भीड़ आने से पहले आसूं गैस के गोले छोड़े भीड़ की तरफ। भीड़ जब आसूं गैस से भी कण्ट्रोल नहीं हुई तो हमने हवाई फायर किया और वह हवाई फायर से जब कण्ट्रोल नहीं हुई तो हमने पैरों में गोली मारी। और जब पैरों में भी गोली से कण्ट्रोल नहीं हुई तो हमने छाती और पेट में गोली मार डाली। सभापति महोदय, आप इनके रिकॉर्ड को देखो। इन्होंने एक भी अश्रु गैस का गोला नहीं चलाया और एक भी हवाई फायर नहीं किया। इन्होंने तो निर्दोष लोगों के घर में जा जा करके मारा है। इसका प्रमाण खेड़ली में मौजूद है। आप किसी एजेंसी से जांच करा दें। आप एजेंसी से जांच करायेंगे तब ही काम चलेगा, वरना परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा बहुमत लेकर बैठे हैं, इन्होने प्रेस कांफ्रेंस में कह दिया कि भा.ज.पा. का विधायक डॉ. किरोड़ी लाल दोषी है। मैं दोषी हूं, इन्होंने तो दोष करार दे दिया। तो पुलिस उसमें क्या करेगी और उसमें कोर्ट क्या करेगा? यहां मेरे को फांसी के तख्ते पर लटकवा दें मुख्य मंत्रीजी तो ठीक रहेगा। क्योंकि इन्होंने यह प्रेस कांफ्रेंस में कह दिया बिना किसी जांच किये कि डॉ. किरोड़ी लाल दोषी है। इसने जनता को भड़का दिया। जनता को भड़काऊ भाषण दिये। मैं मुख्यमंत्रीजी से यह आशा नहीं करता था कि मुख्यमंत्रीजी ने शायद...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : डॉ. किरोड़ी लाल का इतिहास इस तरह का रहा है जहां भी यह जाते हैं, दंगे फसाद कराते रहे हैं। इन पर कितने आज तक मुकदमें चल रहे हैं। कितने इन पर आरोप लगे हैं, गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि कृपया वह सदन में बतायें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अब समाप्त करें माननीय सदस्य। आप समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बीच में माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैंने तो मामले उठाये थे ग़रीब के, मजदूर के, नारी उत्पीड़न के, लूट के, डकैती के, ऐसे उठाये हैं। मैंने ऐसे नहीं उठाये किसी बहन बेटी को उठाकर ले गये और सदन में यहां बैठ करके ऐसे मामले मैंने नहीं उठाये.... (व्यवधान)

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : उस समय मीणा भी आपके साथ थे। उस समय कांग्रेस सड़कों के ऊपर आन्दोलन कर रही थी।

(श्री कय्यूम खान)

बार-बार आपसे मांग कर रही थी। उस समय हत्यारे आपकी कोठियों के अन्दर पनाह लेकर बैठे हुए थे, मधुकर टंडन, और गिरफ्तारी का सुराग नहीं मिला..(व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : और थानागाजी में रामस्वरूप कांड आपने सुना है। रामस्वरूप कांड के भी आप ही जन्मदाता हो। और आपके पूरे लोगों ने घास की रोटियां खायी हैं। पुलिस ने तो छावनी बना दी पूरे इलाके को। अब तो देखने की स्थिति नहीं है। लोग मिलते नहीं हैं गांव के अन्दर और एक महीने तक लोग पहाड़ों में चढ़े रहे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो सकती है आपकी?

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को ही हरिजन महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की और जब उसके घर वाले बचाने पहुंचे, तो उसके ससुर की हत्या कर दी गयी, और जो मंत्रीजी का क्षेत्र है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय किरोड़ी लालजी, मेरे क्षेत्र में गामड़ी गांव के गूजर की लड़की का अपहरण एक मीणा ने किया। उस पर आपका पूरा संरक्षण था और गूजर वाले आपसे मिले। उसका क्या हुआ? छह महीने बाद वह लड़की बरामद हुई। आपको मालूम है कि नहीं? पूरे सदन को पता है, आपके क्षेत्र से वह लड़की गायब हुई थी।

डॉ. किरोड़ी लाल : कौनसी बात कर रहे हैं आप? कौनसी बात कर रहे हैं आप।

श्री आर. पी. शर्मा : गामड़ी गांव भरतपुर तहसील की लड़की, गूजर की लड़की। और जो लड़का पोलीटैक्निक कॉलेज में, आपका भतीजा चुनाव लड़ा था उसने अपहरण किया था। उसको छह या नो महीने रखा, उसका क्या हुआ? उस पर पूरा वरदहस्त आपका ही था। यह छिपा हुआ नहीं है किसी से। आप बात करते हैं भावना की, आपने भड़काऊ बात की है इसमें दो राय नहीं है और जांच चल रही है इस बात के लिये तैयार रहिये आप... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं यह समझ रहा हूं खेड़ली पर बहस नहीं होगी...(व्यवधान) बाकायदा कंस्ट्रेटेड इशू है और यह कोई बढ़िया परम्परा भी नहीं है कि कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहे तो उसको बीच में इस तरह से रोक दिया जाए। जहां पोलिटिकल बात हो तो रोकाटोकी भी होती है। गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है। पीड़ित पक्ष माननीय सदस्य हैं। तो वह अगर अपनी बात कह रहा है तो आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ऐसी परम्परा नहीं डालनी चाहिये कि आप माननीय सदस्यों को भी हूट करने लग रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एफ. आई. आर. में यह कहा गया....

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो तराजू इनके हाथ में है, लालटेन भी है। प्रकाश भी दिखायेंगे और यह बात भी सही कहेंगे. ..(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह शांति बनाये रखें। आपसे अनुरोध है माननीय सदस्य, आप अपने भाषण को समाप्त करें। बहुत समय ले लिया। समय आधा घंटा बढ़ाया है। बहुत समय ले लिया। अब आप कन्क्लूड करें अपने भाषण को।

डा. किरोड़ी लाल : कनक्लूड ही कर रहा हूं। सभापति महोदय, इसमें कहा है पुलिस ने कि हम 10.30 बजे वहां तैनात थे। समूची फाटक पर हम हथियारबंद लोगों को चैक कर रहे थे। बसवा के बांदीकुई क्षेत्र में मीटिंग हुई थी कि डा. किरोड़ी लाल वहां धरने पर बैठा है, हथियार लेकर चलो। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 10.30 बजे से 3.00 बजे तक पब्लिक को वहां पर रोका है, चैक किया है। क्या पुलिस ने वहां पर एक भी लाठी, गंडासा, बन्दूक हथियार बरामद किया है? एक भी नहीं किया और 3.00 बजे जब मैं वहां पर गया, तब सारे के सारे हथियार आ गये। पत्थर आ गये, बारह बोर आ गयी, लाठी आ गयी, फरसा आ गया, पता नहीं कहां से आ गया? ऐसी मनगढंत कहानी, पुलिस ने मनगढंत मुकदमा दर्ज करने तक राजनीतिक द्वेष भाव से हमारे लोगों को फंसाने के लिये और मेरे पर मुकदमा लगाने के लिये एक एफ. आई. आर. दर्ज की है। लेकिन मुकदमों से मैं नहीं घबराता। सभापति महोदय, मुकदमा लग जाने के बाद भी मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी भावना समझें। वह बेटी आ जानी चाहिये। हमको तो चाहे जेल के सींखचों में डाल दो, लेकिन वह बेटी आ जानी चाहिये। और वह गरीब का बेटा, जिसकी छाती में आपके राज में पुलिस ने गोली दागी है। और पुलिस के अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिये। यह नहीं चल सकता कि मर्जी आए जिसको हथियार पकड़ा दिया, वह मर्जी आए जिस पर गोली चला दे। यह नहीं चल सकता। सभापति महोदय, यह तसल्ली के लिए, यह गरीब परिवार के लिए, एक लाख रुपया देकर आया हूं। हम मांग करते हैं सदन में उस गरीब परिवार के भरण-पोषण के लिये कम से कम पांच लाख रुपये दिये जाने चाहिये और उसके बड़े बच्चे को बेरोजगार हो, तो सरकार की तरफ से उसको नौकरी दी जानी चाहिये। जो गंभीर रूप से घायल हो गये उनको कम से कम पचास हजार की सरकार मदद करे, उनको आर्थिक सहायता दे, इलाज कराये। और जिन लोगों ने पुलिस को सहयोग दिया है, पुलिस को सहयोग देकर लड़की को पकड़वाने में मदद की है, उनको जेल के सींखचों में डालना चाहिये। जिन बच्चों की परीक्षा होने वाली है उनको जेल के सींखचों में डाल रखा है। और जो पंच, पटेल, जन प्रतिनिधि अन्दर बन्द कर रखे हैं, जिनका पथराव से कोई लेना-देना नहीं है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिये। वरना मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह महिला, उस बच्ची की मां जयपुर में घूम रही है। रो-रोकर कह रही है मेरी बेटी को लाओ। मेरी बेटी नहीं आयी तो मैं दस दिन में आत्मदाह कर लूंगी, मर जाऊंगी, मैं यहां से जिन्दा जाने वाली नहीं हूं। यह मामला अत्यन्त संवदेनशील है

(डा. किरोड़ी लाल)

माननीय मुख्य मंत्रीजी। आप इस पर गौर करेंगे और गौर करके फौरी कार्यवाही करेंगे। कोरी कार्यवाही कराके बच्ची को बरामद करेंगे। मुलजिम आपके सामने हैं। मुलजिम नामजद हैं। मुलजिम के भाई ने पत्र लिखा है वह रेकार्ड पर है। मेडिकल आपके सामने है, वीडियो केसिट आपके सामने है और सब कुछ रिकार्ड आपके सामने है। डा. किरोड़ी लाल दोषी है तो गिरफ्तारी देने के लिए बैठा है लेकिन आप रिकार्ड देखो, इतना ही आपके चरणों में निवेदन है।

श्री जगत सिंह दायमा : वहां की पुलिस, खेड़ली की पुलिस तो बरामद कर नहीं सकती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, खेड़ली की पुलिस बिलकुल निर्दयी है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा जिला है। अगर मैं इस बारे में बात नहीं कहूं तो कैसे बात बनेगी। इसलिये...(व्यवधान) मैं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं। मेरा व्यक्ति मरा है, मीणा है, जो एक तरह से पिछड़े वर्ग का है। नाई है वह पिछड़े वर्ग का है। इनके कुछ होता है तो मुझे तो दर्द होता है। इसलिए मैं बिलकुल निष्पक्ष बात कहना चाहता हूं, इसमें मजाक की बात नहीं है मुख्य मंत्री महोदय, वहां का थाना ही बेकार है। वहां इससे पहले भी जब बी. जे.पी. का शासन था उस वक्त डकैत वहां पर आ गये थे। डकैत वहां पर आये उन्होंने सूचना दी थाने को। वह थाना बाद में आया तब तक डकैत चले गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य नहीं-नहीं, आप नये इश्यू पैदा मत करिये। आप यहां पर नये इश्यू पैदा कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यह कहना चाहता हूं, मैं पुलिस की बात बताना चाहता हूं कि वहां इतनी निकम्मी पुलिस है इसके बारे में बताऊंगा।

श्री सभापति : यह आपको आगे मौका मिल जायेगा। इस घटना पर....

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मौका तो है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पुलिस इतनी निकम्मी है, पहले डकैती पड़ी हमारी बहन सुशीला मारी गयी। वह डकैतों से जूझ रही है पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। पुलिस वाले आये, देखकर वापस चले गये। वही पुलिस वाले, उसमें थानेदार जरूर बदला है। बाकी वही के वही कर्मचारी वहां पर पुलिस में हैं। उन लोगों को वहां से बदला जाये और यह जो जांच चल रही है, अगर उस महिला को बरामद करना ही चाहते हो तो किसी योग्य थानेदार को या किसी अधिकारी को, दूसरे व्यक्ति को उसकी जांच दो। वह जरूर बरामद कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। और यह जो कर्म हुआ है गोली का, इसको टाला जा सकता था। मुख्य मंत्री महोदय आज आप सत्ता में बैठे हो। आप हमारी रक्षा के लिए बैठे हो न कि इसलिए कि मन चाहे जो सोच ले पुलिस, और गोली चला कर मार दे। इसके लिए बहुत पहले उपचार

(श्री जगत सिंह दायमा)

करना चाहिए। हम लोगों ने, पहले यहां गोलियां चली। जैन मुनि कांड के ऊपर। हमने बी.जे.पी. को नहीं छोड़ा। हम सदन में नहीं थे। भाई जगमाल सिंह जी और हम बाहर थे। हमने कहा कि इस तरीके से मारे गये हैं, गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी। अगर आपके समय में भी ऐसा हो रहा है, तो कोई रीति-नीति आपकी जब तक चेंज नहीं होगी इस बारे में, जैसा बी.जे.पी. के समय में चल रहा था ऐसा ही आपके समय में चल रहा है तो आखिर लोगों को क्या राहत मिली आपके शासन को बदलने की? इसलिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए, धन्यवाद।

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय ने मुझे पुकार लिया है।

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, डा. किरोड़ी लाल जी ने जिन तथ्यों को सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उन तथ्यों को वापस रिपीट नहीं करना चाहता। मैं तो कुछ पाइंटेड सवाल माननीय गृह मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एफ. आई. आर. दर्ज करायी, एफ. आई. आर. नम्बर 48/99 और यह दर्ज कराई है मामनसिंह नाम के पुलिस के अधिकारी ने, और वह मामन सिंह कर रहे हैं कि आज दिनांक 13.3.99 को समय 9.45 ए.एम. वास्ते कानून व्यवस्था ड्यूटी लक्ष्मणगढ़ से खेड़ली पहुंचा और खेड़ली में समूची गेट पर उनकी ड्यूटी लगायी गयी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 9.45 पर समूची गेट को रोक लिया गया और यह खुद एफ.आई.आर. में कहते हैं कि मण्डावर की तरफ से 1.00 पी.एम. पर मीणा समाज के लोग ट्रेक्टर, ट्राली, मेटाडोर, जुगाड़ में नारेबाजी करते हुए खेड़ली पहुंचने लगे। ऐहतियात के तौर पर आने वाले लोगों की हथियार वगैरह के सम्बन्ध में चैकिंग कर रहे थे। मतलब 9.45 से 1.00 बजे, 3.00 बजे की घटना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जामा तलाशी हुई है। कितने लोगों की जामा तलाशी हुई है? जामा तलाशी में कौन-कौनसे वीपन किस-किस से जब्त किये। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके कहा कि पुलिस के पास सूचना थी, एफ. आई. आर. में लिखा हुआ है कि मीणा समाज के लोगों ने बैठक करके यह कहा है कि हथियार के साथ जाना है। अगर पुलिस के पास यह सूचना थी तो आपने समूची गेट और दूसरी जगह पर क्यों नहीं सक्षम अधिकारी को, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को या दूसरे अधिकारी को तैनात किया? मैं यह पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी, कि किसके आदेश से गोली चली?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्या गोली चलाने का आदेश देने वाला सक्षम अधिकारी वहां था? एफ.आई.आर. में कहा गया है कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलायी गयी।

मैं गृह मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि आत्मरक्षा के नाम पर चली गोली से पहले पुलिस के किस-किस कर्मचारी, अधिकारी के क्या-क्या चोटें आयी। आप सदन के पटल पर सारी जानकारी रखें। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने निहत्थे लोगों पर जो गोली चलायी। एक भी गोली कमर के नीचे के हिस्से में लगी नहीं है। एफ. आई.आर. में कहा है कि मंदिर में चले गये। वस्तुस्थिति यह है कि, मैं भी घटनास्थल पर जाकर आया हूं। उस मंदिर के अंदर खाने बने हुए हैं हवा के लिए। वहां खड़े होकर के निशाना बांध-बांधकर गोली चलायी गयी है। यह घटना जब होती है, उससे पहले डा. किरोड़ी लाल उस घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर चले जाते हैं इसलिए कि कहीं कोई अशांति नहीं हो जाये। मुकदमें में मुख्य मुलजिम किरोड़ी लाल को बनाया जाता है।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मृतक रमेश सैन, इसकी शिनाख्त इसके परिजनों से कब करवाई? क्या आवश्यकता थी कि मृतक को, खेड़ली में रैफरल अस्पताल है, आप लक्ष्मणगढ़ ले जाते हो। और लक्ष्मणगढ़ ले जाकर के पुलिस के पहरे में उसका आप दाह-संस्कार करवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी कि यह अफवाह फैलायी गयी कि रेल रोकी। आपने प्रोपर्टी डेमेज एक्ट के अंदर भी धारा लगायी है। सरकारी सम्पत्ति, आपने यह लिखा है कि पथराव हुआ। अब उस जिप्सी के अलावा कौन-कौनसी सरकारी सम्पत्ति पर क्या-क्या नुकसान हुआ यह भी आप बतायें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंदोलन चला 21.1.99 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई। मैं दो मिनट में बात खत्म करता हूं। 22.2.99 को खेड़ली के कांग्रेसजनों ने आंदोलन को अपने हाथ में लिया। तब तक कोई चिंता नहीं थी, कोई बात नहीं थी और इस आंदोलन में 6.3. को ज्यों ही किरोड़ी लालजी मीटिंग करने पहुंचते हैं, और पुलिस को नोटिस देकर आते हैं, तबसे षड्यंत्र का ताना-बाना बुनना चालू हो जाता है।

सभापति महोदय, इस सरकार के अभी दूध के दांत नहीं टूटे। कानून व्यवस्था के नाम पर, महिला उत्पीड़न के नाम पर कई बार हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगने वाली सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात आ गयी थी गृह मंत्री जी, कि गोली चलती है, निर्दोष व्यक्ति मरता है। जीवन और मृत्य से जूझता है। मुख्य मंत्री जी को समय नहीं है। आप को भी समय नहीं है। कोई कुशल क्षेम नहीं। आप जाकर के जायजा तो लेते कि कितने लोगों को कितनी चोटे आयी हैं। मैं समझता हूं यह सरकार की बानगी है और गृह मंत्री जी यह तोड़-मरोड़कर के तथ्य प्रस्तुत करके आप जन-प्रतिनिधि को फंसाना चाहते हैं। क्या कसूर था प्रधान, सिकराय का? उसकी इतनी बुरी पिटाई हुई है। वह पुलिस की मदद करने गया था। 13 साल के बच्चे को आप जेल के सींखचों के पीछे डालते हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, राजस्थान की जनता पर अन्याय का चक्र अभी प्रारंभ हुआ है परन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें तो आती-जाती रहती हैं। क्या हुआ था आप 1985 में आये थे ना बहुत बड़ी संख्या में। 1990 में क्या हुआ? सरकार अजर-अमर नहीं होती है। मुख्य मंत्रीजी, संवदेनशीलता की बात कहना नहीं, संवेदनशीलता दिखाओ तब मालूम पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच आप सी.बी.आई. से करवायें वरना तो आपने वक्तव्य दे दिया, गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया कि डा. किरोड़ी लाल दोषी है। इस एजेन्सी से हमे कोई न्याय मिलने का विश्वास नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) अब माननीय सदस्य कह रहे हैं आठ साल, मीणा जी, आठ साल में अगर हमने नहीं किया....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :...जांच तो नहीं करवायी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसकी सजा हमने भुगत ली। उप मुख्य सचेतक जी आप जो कहना चाहते हो, मैं समझ रहा हूं। अगर आठ साल के अंदर हमने नहीं किया तो जनता ने हमें सामने बैठा दिया ना.... (व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सी.बी.आई. से जांच हो और मरहूम को 5 लाख का मुआवजा मिले।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, कांग्रेस के जमाने में एम्फोर्ट के मामले में हमने मुख्य मंत्री जी से, सारे राजस्थान की कांग्रेस ने आंदोलन करके उसकी सी.बी.आई. से जांच की मांग करते रहे। मुख्य मंत्री जी भैरोंसिंह जी, जो आप विरोधी दल के नेता हैं वह टस से मस नहीं हुए। और छोटी सी बात को सी.बी.आई. से जांच कराने की बात करते हो।

डा. किरोड़ी लाल : छोटी सी बात है. ..(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : कितने करोड़ रुपये खा गये आपके आदमी....(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : इसको छोटी सी बात मानते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : ठहरिये, ठहरिये। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मुझे बैठा दिया था। छोटी पार्टियों का आप ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा?

श्री सभापति : हां, बोलें, बोलें, लेकिन आप लंबा नहीं करना।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, गृहमंत्री का स्टेटमेंट आया। अब तक सदन की परंपरा यह रही है कि कोई माननीय सदस्य जो सदन का है, अगर वह ग्रीवएंश पक्ष है तो बात संजीदगी से सुनी जाये। और यह भी छूट नहीं होनी चाहिए कि माननीय सदस्य, जो इस सदन का है अगर वह गलत काम करता है, कानून को तोड़ता है तो उसे कोई विशेष अधिकार कानून तोड़ने का नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं।

सभापति महोदय, गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया, उसमें एक बात तो एडमिटेड फैक्ट है कि जिस विवाहिता, अपहर्ता जो हुई है, जिसका अपहरण हुआ है, इस कांड की जो सारी जड़ है वह है पुलिस की निष्क्रियता। तीन महीने तक जिसकी बहन और बेटी का अपहरण हो जाये। आप तो बात यह कहते हो कि वहां कानून तोड़ दिया। अगर किसी स्वाभिमानी आदमी की बहू, बेटी और बहन का अपहरण हो जाये तो वह कानून को बला-ए-ताक रख देगा और जो कुछ वह कर सकता है वह करेगा। हम कानून से केवल यह अपेक्षा करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि कानून का सम्मान हो। लेकिन कानून से यह अपेक्षा रखते हैं कि कानून हमारे हितों को, हमारे राइट्स को सुरक्षित रखे। मैं गृह मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि तीन महीने अपहरण को हो गये। प्रेस की सुर्खियों में यह कांड जबरदस्त उठ रहा था। यह जो अपहर्ता लड़की थी यह बरामद करने का काम अगर अलवर पुलिस समय रहते कर लेती तो ना तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ता और ना यह कांड होता चाहे ये दोषी हैं या दूसरे दोषी हैं।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बाअदब अर्ज करता हूं कि आप अनुभव में हमसे ज्यादा हैं। पद में, आपको भगवान ने सम्मान दिया है और काबलियत थी, ऐफिसिऐंसी थी इसलिए आज राजस्थान का राज कर रहे हैं, आज राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। लेकिन आपके अधीन और गवर्नमेंट के अधीन आपकी कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही हों तो सरकार को बचना चाहिए। जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन न हो जाए और चालान, चार्जशीट तथा ब्रीफ न बन जाए और चार्जशीट जब तक अदालत में पेश न हो जाए, तब तक जिम्मेदार आदमी को, और खासकर उस आदमी को जिसके अधीन कोई एजेन्सी काम कर रही हो, स्टेटमेंट के मामले में, जब तक पूरा नतीजा न आ जाए तब तक अपना बयान देने से बचना चाहिए। जैसा किरोड़ीलाल जी ने कहा मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। 21 तारीख को माननीय सदस्य ने यह कहा जो आपने कोट किया है तो मैं यह स्वस्थ परम्परा नहीं मानता। चूंकि आपके अधीन पुलिस अधिकारी हैं, एस.पी. आपका है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एडिशनल एस.पी. आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने जो जांच अलवर के अतिरिक्त जिलाधीश को दी है, वह भी आपका सरकारी कर्मचारी है। जब मुख्यमंत्री यह भाषा बोलेंगे और मुख्यमंत्री

(श्री जगमाल सिंह यादव)

का यह प्रेस में बयान छपेगा कि किरोड़ी लाल दोषी है। तो चाहे किरोड़ी लाल दोषी हो या नहीं हो, लेकिन आपके अधीनस्थ जो भी जांच करने वाली एजेंसी है, वह उसको दोषी करार देगी, क्योंकि उनको नौकरी करनी है। इस मामले में मुख्य मंत्रीजी को, जिम्मेदार आदमी को, मेरी अपनी राय है हो सकता है आप सत्ता पक्ष के लोग सहमत न हों, सोच-समझकर स्टेटमैंट देना चाहिए अगर ऐसा स्टेटमैंट दिया हो तो। (व्यवधान) नहीं दिया हो तो बहुत जिम्मेदारी की बात है, लेकिन अगर स्टेटमैंट दिया है तो मेरी राय है।

श्री सभापति : आप किस आधार पर कह रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : अखबार में आया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने बयान दिया है गृह मंत्रीजी कि रेल रोकी। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने प्लेटफार्म पर रेल भी रोकी है। अगर कोई आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलता है, रेल के सामने धरना भी दिया जाता है तो यह तो गांधीजी ने ही सिखाया था, आप लोगों ने ही सिखाया था। अगर रेल रोक दी तो वह कोई हिसंक आंदोलन नहीं हुआ। कई मुद्दे इसमें है। माननीय गृह मंत्रीजी, आपने कहा कि किरोड़ी लाल ने ग्राम अलीपुर, जो थाना बांदीकुई में है, उमें यह घोषणा की और भड़काऊ भाषण दिया कि आप लोग खेड़ली आओ। आप अगर गये भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बांदीकुई थाने में क्या इस मामले की रिपोर्ट दर्ज है या रोजनामचे में कोई एंट्री पुलिस में डाली है। आप लोग यह कहते है कि किरोड़ीलाल के आह्वान पर भीड़ अस्त्र और शस्त्र लेकर आयी, हमको यह शंका थी। आपने एक की जांच कर ली, दो आदमियों की जांच कर ली, 20 की जांच कर ली, अगर किसी के पास कोई वैपन नहीं था तो जब आंदोलन के लिए लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे तो आपको आंदोलन में गंतव्य स्थान तक लोगों को पुलिस को रोकना नहीं चाहिए था। जब पुलिस को यह सेटिसफेक्शन हो गया कि इनके पास हथियार नहीं है तो आग में घी डालने का काम तो अलवर की पुलिस ने किया। अगर उनको नहीं रोकते और शांतिपूर्ण आंदोलन होता तथा भाषण में या सभा में कोई गड़बड़ी होती तो किरोड़ी लाल जिम्मेदार माना जाता या सभा करने वाले लोग माने जाते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले में बहुत ज्यादा तनाव नहीं रहना चाहिए। अलबत्ता राजनीतिज्ञ की परिभाषा यही है कि सच्चा पोलिटिशियन वह है जो दूसरे पोलिटिशियन की चिता को गरम देखना चाहता हो और सच्चा अधिकारी आई.ए.एस. और ब्यूरोक्रेट्स वह है कि अगर आंच में जल भी रहा हो और करप्शन में डूब भी रहा है तो उसको करप्शन से बचा लो। अलबत्ता तो यही हमारे बहुत हितैषी बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स। अगर हमने छोटे-छोटे राजनैतिक मतभेदों के होते हुए, अगर किरोड़ी लाल दोषी है तो किरोड़ी लाल को बरी करने का या किरोड़ी लाल को जो सजा कानून के प्रावधानों के तहत मिलनी चाहिए, वह मिलनी चाहिए। और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

अगर किरोड़ी लाल निर्दोष है तो गृह मंत्रीजी, आपके पास वीडियो टेप भी है, वीडियो कैसेट भी है, आप देख लीजिए। वीडियो कैसेट को चालू करके देख लीजिए। अगर यह बात पुलिस पर छोड़ेंगे, एनोनिमिटी की तरह से करेंगे तो मेरी राय में लोकतंत्र के लिए उचित रास्ता नहीं होगा। हमारे वैसे ही बहुत दुश्मन होते हैं। पोलिटिशन को किसी न किसी स्टेज पर संजीदा विचार करके फैसला लेना चाहिए, यही मेरा अर्ज है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह बताएं कि माननीय मुख्य मंत्री ने इनको अभियुक्त समझा है क्या मीटिंग में?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, बहुत प्रश्न आ चुके हैं।

श्री सभापति : माननीय होम मिनिस्टर साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, यहां पर बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री रमेश खींची (कठूमर) : माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं सदन को अवगम कराना चाहता हूं आज के छह-साढ़े छह साल पहले....(व्यवधान) मैं इस केस के बारे में पृष्ठभूमि बता रहा हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : मैं इस केस की पूरी पृष्ठभूमि बता रहा हूं।

श्री सभापति : आप क्या बोल रहे हैं?

श्री परसादी लाल : ये वहां के लोकन एम. एल. ए. हैं।

श्री रमेश खींची : पृष्ठभूमि बता रहा हूं। अपहरण हुआ, यह लड़की जो गायब हुई (व्यवधान) मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं इस केस की।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह बताना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : मैं इस केस की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस केस की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूं कि यह अपहरण हुआ, क्या वह लड़की चली गई या गायब हो गई। मैं उसके बारे में आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं और इसकी जब पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तब यह जानकारी होगी और जब वह लड़की आएगी उससे पता लगेगा कि उसका अपहरण हुआ या वह चली गई या गायब हुई।

आज के छह-साढ़े छह साल पहले कैलाशी पुत्री जमूरा मीणा नाम की लड़की जो चैनपुरा की है, उसकी धूनी नंगला, जो नदबई के पास है वहां शादी हुई थी। धूनी के नंगला और चैनपुरा वाले परिवारों के आपसी जो रिश्ते के संबंध थे वे खराब हो गए, बिगड़ गए, इसके कारण उस लड़की को दूसरी जगह अलवर बैठा दिया था। इससे उन चैनपुरा वालों में और धुनी के नंगला वालों में आपस में बिगड़ाव था। उस टकराव के कारण लाखन नाम के,

(श्री रमेश खींची)

जहां वह कैलाशी ब्याही थी उस परिवार के लड़के ने चैनपुरा वालों से कहा था, अपनी ग्रामीण भाषा में कहा था कि "हाड़ का बदला हाड़ से लेंगे"। यानी लड़की, जो आपने दूसरी जगह बैठा दी है हम निश्चित रूप से चैनपुरा से लड़की उठायेंगे। इस बात को लेकर इस परिवार के और चैनपुरा वालों के दिमाग में थी कि इस लड़की को फूलसिंह ले जा सकता है। एफ.आई.आर. 21.1.99 को हुई। 21.1.99 के बाद पुलिस आधा घण्टे के बाद चैनपुरा गई। सारी तफ्तीश करके आई, मौका मुआयना करके आई। उसके बाद 22 तारीख को लोगों को पता लगा और उसकी पूरी जानकारी की गई। जहां-जहां जिन जगहों पर उन्होंने बताया, संदेह प्रकट किया, उस नन्दू नामक लड़का, जो शराबी थी, शराब पी रखी थी, उस रास्ते से जिससे लड़की को भगाया गया था, उसकी सहेली उसके साथ गई थी, उसको यह बताया गया था कि इस रास्ते से वह लड़की जा सकती है तो वहां नन्दू नाम का एक आदमी मिला। उसने यह बताया कि फूलसिंह नाम का व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बिठाकर ले गया। पुलिस ने उसी लाइन से तफ्तीश की, जहां तक वे जा सकते थे, धुनी के नंगला तक गए, जहां-जहां उनके स्थान जो बताए, शेंडोली का जो रास्ता बताया या अन्य कोई जगह जहां-जहां बताई उन जगहों पर पुलिस ने तलाश की। उसके बाद इनके परिवारजन मेरे से मिले, हमारे कांग्रेसजनों से मिले, उनसे अपनी बात कही। पुलिस अधिकारी से कहा कि इसकी जांच निष्पक्ष की जाए, जो भी अपहरणकर्ता है उसको तुरन्त पकड़ा जाए। समय-समय पर इनके परिवारजनों ने जो-जो बातें कहीं वे बातें बराबर हम मानते रहे। लेकिन माननीय सदस्य श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यह प्रकरण एक राजनैतिक मुद्दा बनाकर इसलिए पेश किया कि वह लड़की अलीपुर हिंगनौदा, जो दौसा संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन गांवों में इनको घुसने नहीं दिया गया था इसलिए ये चाहते थे कि इसको एक राजनैतिक रूप बनाऊं और उन लोगों को मेरी तरफ जोड़ूं। उस रूप को लेकर इन्होंने उन लोगों से कहा कि अगर बारह पंचायतों के लोग मेरे पास आएंगे तो मैं निश्चित रूप से सलाह करूंगा और लड़की को बरामद करने के लिए चेष्टा करूंगा। वहां तक तो ठीक था। इन्होंने 6 तारीख को खेड़ली में एक आमसभा की, दो-तीन हजार आदमी इकट्ठे हुए। इन्होंने उस लड़की के बारे में कम बोला और सरकार की खिलाफत की तथा संवेदनशील सरकार, पारदर्शिता सरकार, पता नहीं क्या-क्या बातें इन्होंने कही। लड़की के बारे में बहुत कम बोले, कुछ नहीं कह पाये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप क्या चाहते थे? (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : क्या होना था। पब्लिक को भड़काया सरकार के खिलाफ। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य। (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत गम्भीर मंसला है।

श्री सभापति : आप सबकी बात सबने ध्यानपूर्वक सुनी है। ये माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात को आप कहने दीजिए, बीच में आप बाधा न डालें। वे अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं। वे अपनी बात कह रहे हैं। आपने अपनीबात कह दी, वे अब अपनी बात कहेंगे माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, हकीकत सामने आ रही है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप बार-बार खड़े होते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह-बहुत गम्भीर मामला है। आप बार-बार काहे को खड़े होते हैं।

एक माननीय सदस्य : घटना के दूसरे पहलुओं को नहीं देखा जाए माननीय सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : आप सभापति महोदय इनके सदस्यों को ताड़ना दीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सदस्य कभी उस क्षेत्र में गये नहीं। मैं भी अलवर जिले का हूं। तीन महीने तक लड़की गायब हो गई और माननीय सदस्य क्षेत्र में गये नहीं।

श्री रमेश खींची : जिस तरह से इन्होंने सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण पब्लिक में दिए....(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को जाना जरूरी नहीं है। इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है, गये या नहीं गये, यह कोई मतलब नहीं रखता। (व्यवधान) ये अपनी जानकारी के आधार पर यह बात कह रहे हैं।

श्री रमेश खींची (कठूमर) : जहां सरकार की बात करते हैं ये कि सरकार कितनी संवेदनशील थी, आपके भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने काण्ड हुए, कितनी बातें हुई? आज तक मुख्य मंत्रीजी, जहां मैं समझता हूं कभी भी इस तरहं से नहीं कहा गया जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी हर अधिकारी से छोटे से छोटे अधिकारियों को अपने पी. ए. के माध्यम से कहा कि लड़की के बारे में यह कहे कि तुरन्त उस लड़की को बरामद कराएं। (व्यवधान) आप लोग इस तरह से इतने पेन्स नहीं लेते। अधिकारियों से हम लोग मिले, और इन तीन महीनों में 90 स्थानों पर पुलिस ने छापे मारे। 196 लोगों से सम्पर्क किया, लड़की के बारे में पूरी जानकारी की जाए। भीलवाड़ा जाना था, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तक जाते। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वक्ता महोदय, आप अपने भाषण को देर तक मत कहें... (व्यवधान) आपस में चर्चा नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप इन्हें बोलने दीजिए। हकीकत सदन के सामने आने दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुबह से शाम तक आप ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मजाक उड़ाना चाहते हैं इस मैटर की, आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : इन्हें बिठाइये इनकी बात सुन ली गई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गम्भीरता से नहीं ले रहे। मजाक बनाना चाहते हैं इस मैटर की। शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पुलिस की वकालत कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को मार दिया (व्यवधान) लड़की को ले गये उसकी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आपके पास कहां से आये ये दिन? इतने दिन आप.... (व्यवधान) पुलिस की बात कर रहे हैं आपको पोजीशन बता दी और आप कह रहे हैं सरकार के बारे में (व्यवधान) आपकी सरकार के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही हैं, आप कह रहे हैं पुलिस बहुत अच्छी है। (व्यवधान) पुलिस अच्छी है तो घर ले जाएं पुलिस को। घर ले जायें। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : पुलिस तो बी. जे. पी के राज वाली है। यह पुलिस बी. जे. पी. के राज में लगी हुई थी, वही तो है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगा है, और यह गलत आरोप है। हम किरोड़ी लाल जी के साथ हैं इस मामले में। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : सुनने का भी तो रखो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वाक आऊट, मैं जब जाऊंगा जब मेरे को खुद वाक आऊट कर दोगे। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं।

श्री रमेश खींची (कठूमर) : सभापति महोदय,....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पुलिस की लेंग्वेज मत बोलो। पहले-पहले जीतकर आये हो। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर) : तफ्तीश के बारे में जानकारी बता रहा हूं, क्या-क्या कार्यवाही की गई अब तक? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पुलिस बहुत अच्छी है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, आप मंत्री हैं। आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात उनके ऊपर क्यों लादना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, पुलिस की बड़ाई कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो पुलिस की बड़ाई नहीं की जाये? पुलिस ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर) : माननीय सदस्य, किरोड़ीलाल जी ने बताया कि 22.2.99 को खेड़ली में एक मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस जन भी सम्मिलित हुए। बात सही थी कि कांग्रेस जन इकट्ठे हुए। मीणा समाज की एक मीटिंग थी। हमारे कांग्रेस जन जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं वो गये थे। बात इस बात की थी। कोई आन्दोलन चलाने की बात नहीं थी, बात किसी रेल रोको आन्दोलन की नहीं थी, किसी चक्का जाम की बात नहीं थी। बात इस बात की थी कि समय बहुत हो गया लड़की बरामद नहीं हुई। बात यह थी कि तफ्तीश में जो शिथिलता है....

श्री सभापति : आप भाषण देते समय इधर निगाह रखें, उधर उनसे आंख मत मिलाओ।

श्री रमेश खींची (कठूमर) : तफ्तीश में जो शिथिलता है, समाज में बात यह आई आप इस तफ्तीश से संतुष्ट हैं या नहीं? अगर तफ्तीश से संतुष्ट नहीं हैं, किसी अधिकारी को बदला जाए मीटिंग इस बात की थी। समाज ने तय किया कि डीवाई. एस. पी. लक्ष्मणगढ़, इस काण्ड से संबंधित हैं। वो उसके पड़ौसी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उसमें शिथिलता बरत रहे हैं। इसलिए उस डीवाई. एस. पी. के सुपरवीजन में यह तफ्तीश नहीं रहनी चाहिए। समाज में इस बात की तय हो गई थी। हमने उसके सुपरवीजन से हटवाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया। एस. पी. साहब से, इन सबसे निवेदन करने के बाद उनके सुपरवीजन से वह तफ्तीश दूसरे अधिकारियों को दे दी। जिस तरह से उनके परिवारजनों ने बताया, उनकी तफ्तीश इन अधिकारियों से कराई जाए। प्यारेलाल जी मीणा वहां के जो एस. आई. हैं, सब इन्सपेक्टर हैं, उनको जांच दे दी गई। उसके साथ हजारी लाल जी मीणा लगवाये थे, गुलाबसिंह जी लगवाये थे, पूरणमल जी मीणा डीवाई. एस. पी. राजगढ़ से लगवाये थे। हर अधिकारी और प्रभारी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार एडिशनल एस. पी. अलवर को उसमें लगाया था।

इस तरह से चैनपुरा नाम से अलग से एक थाना खुल गया था जिसकी तफ्तीश बड़ी ताबड़तोड़ से, बहुत ढंग से उस तफ्तीश को कराया जा रहा है। और फूलसिंह नाम का आदमी डेढ़-दो महीनों से बराबर, 10-15 दिन में उससे पूरी कड़ाई के साथ तफ्तीश की गई थी। उस तफ्तीश में कहीं भी कोई शिथिलता नहीं बरती गई, न ही किसी तरह का पक्षपात उस तफ्तीश में किया गया था। फिर भी इन्होंने 6 तारीख को मीटिंग की, उसमें भड़काऊ भाषण दिये। उससे पब्लिक में रोष इस बात का पैदा हुआ, इन्होंने ऐलान किया मैं शांतिपूर्वक पुलिस थाने पर धरना दूंगा। बारह बजे पुलिस थाना गये। पुलिस थाना जाने के

(श्री रमेश खींची)

बाद यह पेड़ के नीचे खड़े हो गये थे। डेढ़ सौ-दो सौ आदमी इनके साथ आये थे। इन्होंने पानी पिया जाते ही लोगों से बातें कीं। इनके साथ जो वहां का हिस्ट्रीसीटर है, वह आज भी इनके साथ है। पुलिस का हिस्ट्रसीटर है, वह आदमी इनके साथ था। इन्होंने प्रेस वाले थे उसका नाम है रामसुखा मीणा। उस आदमी के साथ प्रेस वाले आये। प्रेस वालों ने इनसे बयान लिये। प्रेस वालों से इन्होंने यह कहा कि लड़की 10 बार आयेगी। अभी आगे का कार्यक्रम देखना आप। आप अपने कैमरे खोल लीजिए। मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। और उस विधायक को भी उठाऊंगा यहां से। इस तरह से इन्होंने प्रेस के सामने बयान किये। ये लोग समूची फाटक के सीधे इन्होंने, पुलिस ने, प्रशासन के अधिकारियों ने इनसे आगे का कार्यक्रम पूछा, अगला कार्यक्रम क्या है? इन्होंने अपना कार्यक्रम बताया कि 15-20 दिन बाद में मीटिंग करूंगा। इस समय तो कुछ लोग अभी इकट्ठे हुए नहीं हैं, और मेरे लोग बाहर से आने वाले थे वह भी नहीं आये। इन्होंने सीधा उस समय घण्टे आधे घण्टे बात की। उन्होंने कहा कि मैं एक सभा करूंगा। यह सभा न करके सीधे समूची फाटक गये और इनका प्रोग्राम यही था कि रेल का समय होने वाला था। उन्होंने कहा, रेल रोकूंगा और दंगा भड़काऊंगा। इस बात का अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। दौसा क्षेत्र के लोग आ चुके थे। पुलिस ने उनको नहीं रोका, पुलिस ने कोई इस तरह की बात नहीं की। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा। उसके बाद इन्होंने पब्लिक को कहा, चला दीजिए पत्थर। पब्लिक ने पत्थर चलाये। पूरी तरह से पथराव हुआ। हो सकता है उसके बाद जीवन रक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई हो।

श्री जगत सिंह दायमा : यह बहुत अच्छा हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको गृह मंत्री बना दीजिए....(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : इस बात को कहा कि पुलिस ने अन्दर मन्दिर में छिपकर गोली चलाई, बिल्कुल गलत है। जहां इन्होंने कहा, माननीय राठौड़ साहब ने कहा, किरोड़ी जी एक किलोमीटर दूर चले गये थे, यह छिपकर भागे थे। फिर लोगों को भड़काया इन्होंने। फिर मीटिंग का अगला कार्यक्रम तय करना है, पुलिस के साथ क्या करना है यह कार्यक्रम तय करने के लिए कुछ दूरी पर गये। सिगनल इन्होंने तोड़ दिया। पब्लिक ने भी सिगनल तोड़ दिया। रेल रोकने का कार्यक्रम पहले था लेकिन रेल 45 मिनट लेट हो गई थी इस कारण से वह रुकी नहीं और इनका कार्यक्रम विफल हो गया। मैं स्वयं उस लड़की के बारे में सदन से भी अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं। मुझे स्वयं को भी दुःख है। पूरे मीणा समाज की हम इज्जत करते हैं, उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लड़की आनी चाहिए लेकिन जो काण्ड हुआ है, जो पब्लिक में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिये हैं, पब्लिक को जो उकसाया है उसके जिम्मेदार

(श्री रमेश खींची)

माननीय किरोड़ी जी हैं और जिस निर्दोष लड़के की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक ने मेरे पर आरोप लगाया है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आरोप लगाये हैं इन पर, उसके बारे में बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, जिस लड़की का अपहरण हुआ है वह मेरे क्षेत्र की बहू है और भाजपा के किरोड़ी लाल जी मीणा ने बार-बार वहां मीटिंग की है। इसलिए मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान). वह लड़की काली उर्फ उर्मिला मेरे क्षेत्र की बहू है। उसकी शादी ग्राम अलीपुर हिंगोटा तहसील बसवा निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में हुई है। इसलिए मेरे से सम्बन्धित मामला है और मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इनके क्षेत्र की बहू है साहब।

श्री सभापति : दो मिनट शैलेन्द्र जी। दो मिनट बैठ जाएं।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सभापति जी, ये तो सुबह से ही बोल रहे हैं इसी बात को। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप क्या कहोगे?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य रमेश जी खींची ने एक बात कही है कि मैंने भड़काऊ भाषण दिये। इस बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सी. आई. डी. और जिला प्रशासन की वीडियो कैसेट है। (व्यवधान)

श्री सभापति : उनकी नजर में, उनकी दृष्टि में आपका भाषण भड़काऊ हो सकता है। आप क्यों भड़कते हो?

डा. किरोड़ी लाल : एक बात उन्होंने यह भी कही है कि डाक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाषणों में यह कहा या अपने समर्थकों को यह कहा कि वहां के विधायक रमेश खींची को उठवा कर ले जाऊंगा। ऐसा मैंने माननीय सदस्य महोदय, कहीं नहीं कहा और मेरा रिकार्ड पर कहीं हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा।

श्री रमेश खींची : प्रेस में कहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लड़की काली उर्फ उर्मिला मीणा है इसकी शादी लखन मीणा निवासी अलीपुर हिंगोटा के साथ आज से दो साल पहले हुई थी और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बहू है। इसका जब अपहरण हुआ तो उस स्थिति

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

में मेरे मीणा भाइयों में आक्रोश था। उन्होंने मीटिंग की थी, माननीय सदस्य किरोड़ीलाल जी मीणा वहां आये भी थे और आपने सम्पर्क साधा था। मेरा निवेदन यह है, मेरी भी यह मांग है कि काली उर्फ उर्मिला मीणा, जो कि अलीपुर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बहू है उसकी राजस्थान की पुलिस जल्दी से जल्दी बरामदगी करे। किन्तु माननीय सभापति महोदय, यह जो पवित्र सदन है, यह एक विधायक को अपनी बात कहने का तो मौका दे सकता है, लेकिन एफ. आई. आर. में नामजद व्यक्ति को सफाई का मौका इस सदन के द्वारा नहीं मिल सकता है। एक मुल्जिम, एक जगह अपने पर एफ. आई. आर. में आरोप लगे हैं, उनको दूध का धुला साबित करने का मंच नहीं बना सकता है। मात्र एक संवैधानिक सीमा है। उसी में रहकर अपनी बात कह सकता है। आज मेरे पर कोई आरोप लगता है और मैं शैलेन्द्र जोशी उस आरोप को रिवर्ट और रिफ्यूट करता हूं जबकि मैं एफ. आई. आर. में नाजमद हूं, तो मैं समझता हूं कि यह सदन का गलत उपयोग होगा और सदन का एक तरह से गलत तौर पर सहारा लेना होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : एफ. आई. आर. में नाम होने से क्या कोई व्यक्ति मुल्जिम हो जाता है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : When I am accused I should not use.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका कानूनी संरक्षण चाहूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम पुलिस की एफ. आई. आर. में है तो उसकी अपनी सारी सफाई यदि न्यायालय में चालान पेश होता है तो वहां देनी पड़ेगी और वह सब यहीं पर ही दे दें, पूरे राजस्थान को दूध का धुला साबित इस सदन में ही एक मुल्जिम कर दे यह सदन इस काम के लिए नहीं लिया जा सकता है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, यहां नहीं कहें तो कहां कहें ?

(17.55 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट और बोलूंगा। मेरा एक निवेदन है कि यह मीटिंग जो कि धुनी के नंगला में होनी चाहिए थी क्योंकि वहां के लोगों पर आरोप है कि वह काली को ले गये, उसके बजाय खेड़ली में करने का कोई औचित्य नहीं था। खेड़ली वाले तो लेकर नहीं गये थे उस लड़की को। जहां के अपहरणकर्ता लेकर गये थे वहां पर कोई मीटिंग नहीं की गयी, वहां पर कोई नहीं गया, क्यों? क्योंकि इसका अल्टीरियर मोटिव था। इसका मोटिव उस लड़की काली मीणा, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बहू है, को वापस बरामद करना नहीं था बल्कि एक राजनीतिक आधारभूमि तैयार करना था, जिससे कि एक षड़यंत्र रचाया जा सके।

मेरा यह भी निवेदन करना है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में जो कहा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गया है वह गलत है। उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही थी। आपने आपत्ति की है, आप इसका पोलिटिकल मोटिव ले रहे हैं। आप अपने आपको दूध का धुला साबित कर रहे हैं।

अन्त में, गृह मंत्रीजी से मेरे दो सवाल हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, यह बतायें कि इस सदन में जितने भी विधायक बैठे हैं उनमें से कौनसे ऐसे विधायक हैं जिन पर राजस्थान की पुलिस ने आज तक 18 चालान पेश किये हैं ? इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि आज हमारे विपक्ष के नेता शेखावत साहब भी बैठे हैं, आठवीं विधान सभा में जब माननीय सदस्य विधायक थे उस समय मण्डावर के थानेदार पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने माननीय सदस्य पर गोली चलायी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 32 के 32 एम. एल. ए. थाने पर गये, चार दिन तक थाने पर रहे और उसके बाद जब जांच हुई तो यह मालूम पड़ा कि माननीय सदस्य द्वारा जो आरोप लगाया गया था वह बेबुनियाद था, बिल्कुल निराधार था। तो जो 32 एम. एल. ए. पहले गये वह आरोप निराधार था और अब ये 33 एम. एल. ए. गये हैं। मेरा यह कहना है कि इसका कोई औचित्य नहीं था। लड़की की जांच होती। यदि यह लोग धुनी के नंगला जाते उसकी बजाय खेड़ली मे जाकर जिस तरीके से एक अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाये और अनियंत्रित भीड़ ने रेल की एक किलोमीटर रोड़ी जो कि छोटे-छोटे पत्थर होते हैं उनका उपयोग करके स्टोन थ्रोइंग की और यह सारी स्थिति उपजाई। यह किसने कराई ?

अन्त में, मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए और लड़की को बरामद किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मंत्री जी जवाब दें तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : अनुमति है, बढ़ा दिया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले सम्माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने इस खेड़ली के अपहरण कांड और गोली कांड के बारे में अपने-अपने तरीके से अपने-अपने विचार रखें हैं। लेकिन जो हकीकत सामने थी, जो अपने पक्ष की बात थी वह तो कह गये और जो सूट नहीं करती थी उस बात को ओमिट कर गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे मामले को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहले तो इसका अपहरण हुआ। अपहरण के अन्दर आरोप यह है कि पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही नहीं की और बरामदगी की कोई चेष्टा नहीं की। दूसरा हिस्सा है उसकी परिणति गोलीकांड में हुई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिसको इस रूप में लेना पड़ेगा, यह मेरी सदन के सामने गुजारिश है।

(18.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. 21 तारीख को शाम को साढ़े चार बजे दर्ज होती है, रफली एट फोर थर्टी। पुलिस मौके पर आधे घण्टे में पहुंचती है, तफ्तीश होती है। एफ. आई. आर का आधार जो था कि उस गांव की एक लड़की है और जिस मुल्जिम को नामजद किया गया है उसके भाई से विवाह हुआ था। उस महिला को कहीं और दे दिया गया और उसकी अनबन थी। फिर उसके बाद उस आधार पर कि इसने हमको धमकी दी है, पत्र लिखा है और यही ऐसा काम कर सकता है तो उसको नामजद कर दिया। ....

पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की। जैसा कि कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि तफ्तीश बदली गई। सी.ओ. बदला गया। और दूसरा, इनिशियल स्टेज पर, छोटे लेवल पर टीम बनाई गई। उसके बाद जब बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके ऊपर और कहा कि एडिशनल एस. पी. के स्तर के ऊपर टीम बनाई गई और चारों तरफ गई, दिल्ली भी गई। जहां-जहां से उन्हें कहीं से सुराग लोगों ने दिया, चारों तरफ पुलिस ने सिंसियरली पूरे एफर्ट्स किये क्यों कि किसी का कोई लामा नहीं था। गरीब घर की लड़की थी, बरामद हो जाये। टेंशन भी पुलिस के ऊपर बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था। इधर से मैं रोज बात कर रहा था एस. पी. से मेरे विभाग मिलने के बाद I was in constant touch with the S. P.

हर दूसरे-तीसरे रोज एस. पी. से बात करता कि भाई, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है, कुछ तो करो। कुछ करो, पता लगाओ। लेकिन कभी कभी अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेज के सोल्यूशन सही नहीं हो पाते हैं inspite of the best efforts of the police there are 101 instances. कि आप पूरी कोशिश में जम जायें, इमानदारी से भी लगे रहें, फिर उसके बाद भी पुलिस को सफलता हाथ में नहीं लगी और वह महिला बरामद नहीं हो पाई। और हमारे सम्माननीय सदस्य बीच में थे। अब मैं कोई इनको साधु तो कह नहीं सकता। यह भी राजनीति में है, हम भी राजनीति में हैं। इन्होंने राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा की। इनके भाषण में, अखबार मैं पढ़-पढ़कर बता सकता हूं अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि इन्होंने हथियार लाने की बात हुई थी। कहीं तो ये महाभारत, हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं अखबार, 'प्रशासन सख्ती बरतता तो टल सकता था खेड़ली का हादसा' एक नहीं, मेरे पास अनेक कटिंग हैं। इधर तो हम लिनिएन्सी, कि हम एक्यूज हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि पुलिस को सूचना थी कि हथियार लेकर लोग आ रहे हैं और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर समय रहते पुलिस एक्शन लेती तो यह वारदात नहीं होती। इंटेलीजेंस ब्राच की हमको रिपोर्ट मिली। अब आप उसको भी कह देंगे कि आई. बी. के हमारे जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कांस्टेबिल्स थे जिन्होंने वायरलैस पर यह सूचना दी, यह एंट्री है वायरलैस की, यह नहीं है कि कोई मुंह-जबानी हो। वायरलैस सैट से आई, हर वायरलैस मैसेज की एंट्री होती है श्रीमान हमारे यहां। उन्होंने सूचना दी कि अलीपुर गांव के अन्दर मीटिंग हुई है, जिसमें कि श्री किरोड़ी लाल जी मीणा का संदेशा आया है कि अपन को हथियार लेकर वहां पहुंचना है। इंटेलीजेंस की रिपोर्ट है, इन्होंने.....मैं पढ़कर सुनाऊं अगर अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा हो तो। यह भी आपने, कहीं तो महाभारत बनेगा। डाक्टर मीणा ने कहा कि अब महाभारत शुरू हो गया है। महाभारत में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, हिंसा हुई थी (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप?

डा. किरोड़ी लाल : जब द्रोपदी का अपहरण हुआ तभी चीरहरण हुआ है। महाभारत भी होगा अगर लड़की बरामद नहीं हुई वहां। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक करोड़ देवी-देवता हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय.... आप कृपया शांत रहें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात कर रहे हैं। इन्होंने वहां कहा कि हथियार लेकर आना है। अब शुरूआत कैसे होती है अध्यक्ष महोदय। मैं ब्रीफली आपको और सदन को बताना चाहूंगा। जैसा कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वहां इकट्ठे हुए 13 तारीख को। वहां पर सामने बैठे आदमी कम नजर आये इनको कि आदमी तो आये नहीं। हमारे पास सूचना थी कि लोग आने वाले हैं। समूची फाटक जो है, जैसे रेल्वे क्रोसिंग। चारो तरफ से लोग आयेंगे तय यह हुआ। पुलिस ने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से तय किया कि वहां पिकेट, 25-30 आदमी की फोर्स वहां पर डाल दी जाये जिससे कि लोग वहां आयें और उनसे कहा जाये कि वहां से थाना एक किलोमीटर दूर है, कि आप पैदल चले जाइये थाने के अन्दर। अपने ट्रेक्टर यहीं लगा दीजिये, तलाशी भी हो जायेगी, और हथियार की सूचना थी। वहां लोगों की रोकाथामी शुरू हो गई कि लगाइये, लगाइये ट्रेक्टर और पैदल जाइये (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से एक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी आप बैठ जाइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अगर आपको वहां पर पता था तो वहां पर कितने आदमियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आपने कहा कि दस हजार आदमी थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने आपकी बात सुनी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अगर आपको वहां पर पता था कि हथियार लेकर वहां लोग आ रहे हैं, कितने आदमियो की ड्यूटी लगाई थी वहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह भी बताऊंगा। वह भी आपको एक्सप्लेन करेंगे।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि आपके संग लोगों के लाठिया थी, फरसे थे, इनको तो आप छोड़ दीजिये यहीं पर और आप जाइये। ट्रोली लगी हुई थी। .....

डा. किरोड़ी लाल : वहां पर एक भी लाठी-फरसा नहीं था, गृह मंत्रीजी गलत बयानी कर रहे हैं। एक पर भी लाठी फरसा नहीं था। वीडियो कैसेट सदन में ले आइये। अगर एक पर भी लाठी फरसा मिल जाये तो आप जो कहें वह हम करने को तैयार है। गलत बयानी कर रहे हैं गृह मंत्रीजी। एक पर भी लाठी फरसा नहीं था.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गृह मंत्रीजी की तो गलत बयानी करने की आदत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

श्री आर. पी. शर्मा :.....और वह एडमिट हुआ। प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराया। जाकर के देख लो उसको, और वह उस दिन मौजूद था। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप गृह मंत्री बन गये क्या, आप गृह मंत्री हो क्या। आप गृह मंत्री हो क्या। गृह मंत्रीजी को जवाब देने दो, आप गृह मंत्री बन गये क्या। लड़की को तो बरामद नहीं किया। +++ कर रहे हो यहां। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जब अपनी बात कही, मैंने उसको शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना। सरकार के ऊपर उल्टा आरोप के ऊपर आरोप लगाये। मैंने एक दफा भी बीच में खड़े होकर उनको टोका नहीं और किसी को भी नहीं टोका मैंने, सबकी बात सुनता रहा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो डिबेट तो बेमानी हो जायेगी, मतलब नहीं रहेगा उसका। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमने तो टोका नहीं है, बंदूक की गोली टोकी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां उनको रोका गया और कहा कि आपके पास जो भी है, इनके पास है, उसको इस ट्रोली में छोड़ जाइये। एक आदमी छोड़ जाइये और जाइये यहां से, पैदल चले जाइये। इनके पास वहां खड़े हुए थाने के सामने, किसी ने जाकर इनको सूचना दी कि पुलिस आने नहीं दे रही है क्योंकि घोषणा तो कर देते हैं कि, घोषणा थी कि एक लाख आदमी इकट्ठा करेंगे। 50 हजार महिला, एक लाख पुरूष। लम्बी चौड़ी बाते तो कर देते हैं। खैर, वह आदमी आ रहे थे, उनको रोका। वहां से इनके पास तब तक 250-300 आदमी इकट्ठा हो चुकें थे। ये उन सब आदमियों को लेकर बाजार में होकर आ गये और भीड़ जो रूकी खड़ी हुई थी, जो कि ट्रेक्टरों को ले जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। वह ट्रेक्टरों को ले जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी क्योंकि ट्रेक्टर ले जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने मना किया कि हम ट्रेक्टर ले जाने नहीं देंगे क्योंकि रास्ता थाने का,

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, थाना भीड़ भरे बाजार के अन्दर होकर है। बड़ी नैरो लेन है और उसके अन्दर होकर ट्रेक्टर निकलेंगे तो ट्रेफिक रूकेगा तो तरह तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। तो आप पैदल चले जाइये, ट्रेक्टरों को यहीं छोड़ जाइये। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, यह फोटोग्राफी है मेरे पास, इतना जबरदस्त पथराव किया है अध्यक्ष महोदय कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब अध्यक्ष महोदय, फोटो तो मुझे खींचनी थी। यह पड़ी हुई है सब यहां पर। पहले तो, पास्ट में होता था तो फोटो मिलती नहीं थी और साधन नहीं थे। अब तो हर चीज की फोटोग्राफी हो जाती है। आपके सामने मैं आपको दिखा दूंगा अध्यक्ष महोदय, भंयकर पथराव किया और जीप डेमेज की और लोगों को इंजर्ड किया। ये कहते हैं कि किसी को ग्रिवियस इंजरी नहीं है। I will read out the medical report sir.

डा. जसवन्त सिंह यादव : फिर तो गृह मंत्रीजी, इसमें डाक्टर किरोड़ी की भी फोटो होगी पत्थर फेंकते हुए की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसकी, किसकी?

डा. जसवन्त सिंह यादव : आपकी उन फोटों में ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं नहीं, यह बाद में फोटोग्राफी हुई है जसवन्त सिंह जी ... अध्यक्ष महोदय ....

डा. जसवन्त सिंह यादव : बात है पुलिस की बर्बरता की। पुलिस ने निर्दोष लोगों को मार दिया, किसी के घर के चिराग को बुझा दिया और....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह फोटोग्राफी उस किस्म की नहीं है। जिस फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं आप यहां पर यह फोटोग्राफी उस किस्म की नहीं है...

डा. जसवन्त सिंह यादव :...... और आप पुलिस को बचा रहे हो उनको दोष देने की बजाय। आप डाक्टर किरोड़ी के खिलाफ हैं, जनता के खिलाफ हैं। आप डाक्टर किरोड़ी को फांसी चढ़ा दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। It is not a vedio photography.

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, वह फोटो भी तो होगा। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गृह मंत्री, पुलिस ने अगर तलाशी लेकर उनके .... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मन्दिर के अन्दर पत्थर पड़े हुए हैं, बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...... आपको पता था कि इतने सारे लोग आयेंगें, पत्थर फेकेंगे (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर इसलिए हो जाता है, आप भी राजनीति में है, हम भी राजनीति में हैं ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप बैठ जाइये कृपया। अब आप बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजनीति में आप भी हैं, हम भी हैं और इसमें कितने भी बलात्कार हों, अपहरण के मामले हो, हम शांतिपूर्वक आन्दोलन करें और आप ऐसा मैसेज देंगे पूरे राजस्थान के अन्दर कि कोई भी राजनेता जाकर खड़ा नहीं हो सकेगा और आन्दोलन नहीं कर सकेगा, ऐसा आप मैसेज मत दीजिये यहां से। आप यहां पर, पुलिस वाले भी हमें ऐसे ही फंसायेंगे (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप तशरीफ रखिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास है। शांतिपूर्वक आन्दोलन करने का हरेक को अधिकार है। हर कोई कर सकता है। हमने किये हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था लेकर अपने हाथ में, लोगों को भड़का करके, सरकारी प्रोपर्टी को नष्ट करके, पुलिस के ऊपर पथराव करने का इनको कोई अधिकार नहीं दे सकता है। और आप यह कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर कितने कैसेज कायम रहे हैं। इनकी पार्टी के राज्य में इनके ऊपर कैसेज कायम हुए हैं। इनका पुराना रिकार्ड इस किस्म का रहा है। यह तो, इनके खिलाफ तो केसेज ड्राप करके अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) इनके खिलाफ तो कैसेज ड्राप किये गये इसलिए इनके हौसले बुलन्द हो गये। अगर वे केसेज ड्राप नहीं होते तो इनके हौसले बुलन्द नहीं होते (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गृह मंत्रीजी, आपको तो डकैतो से बचाया है हम लोगों ने,.... (व्यवधान).....आपसे तो बहुत अच्छा रिकार्ड है।

डा. किरोड़ी लाल : आपके रिकार्ड से अच्छा मेरा रिकार्ड है, अध्यक्ष महोदय। मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, डकैतों से लोगों को छुड़ाया है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : डकैत उठा कर ले गये उनको मैंने छुड़ाया है आप लोगों से ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह मदन दिलावर साहब भी बोल रहे हैं इनके खिलाफ थी कितने केसेज हैं वह भी बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् 84 के अन्दर, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है इन बातों को कहने की, मुझे नहीं कहना इन बातों को, मैं नहीं कहना चाहता हूं इन बातों को, मुझे नहीं कहना इन बातों को...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कितने का खून पिओगे, कितनों के साथ बलात्कार कराओगे, कितनो का अपहरण करवाओगे....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठहरिये, व्यवस्था का प्रश्न है। हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष, आप आसन पर नहीं थे; सभापतिजी थे, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल वेलिड पाइंट रखा था। एक सीमा तक बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यह एक एक्यूज्ड हैं। यहां पर बिल्कुल डिबेट पोलिटिकल हो रही है....(व्यवधान) ठहरिये आप, इश्यू सिर्फ यह है कि फायरिंग जस्टिफाइड थी या नहीं थी। पुलिस के पास अगर पर्याप्त सूचना उपलब्ध थी, एंटिसिपेशन था कि उपद्रव होने वाला है, हथियार आने वाले हैं। इन्होंने क्या प्रिवेन्टिव एक्शन लिये ? मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। इन्होंने तो कह दिया, मैं यह भी माननीय सदस्य से क्षमा चाहते हुए कहता हूं कि इनको अपनी सदस्यता का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि इनके खिलाफ इतने केसेज थे। डिबेट किरोड़ी लाल मीणा पर नहीं हो रही है, डिबेट सिर्फ इस इश्यू पर हो रही है कि वहां पर प्रिवेन्टिव एक्शन पुलिस ने लिए या नहीं लिए, फायरिंग जस्टिफाइड थी या नहीं थी। क्योंकि अगर एंटिसिपेटेड क्राउड. ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : किरोड़ी लाल मीणा इस प्रकरण की पृष्ठभूमि है। माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लालजी इसकी पृष्ठभूमि है इस प्रकरण की।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पाइंट आफ आर्डर क्या है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पांइट आफ आर्डर है। यह डिबेट डाइवर्ट हो गई थी साहब। डिबेट डाइवर्ट हो गई, माननीय सदस्य भी नहीं करेंगे ....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, डाइवर्ट होने का जो है No point of order can be raised. A point of order shall relate to the interpretation of enforcement of these rules of such Articles of the constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker.

अब यह इनका स्टेटमेंट हो रहा है, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह बात अलग है। आप वह प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कोई भी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट डाइवर्ट हो गई न, यही हो गया न । इश्यू रेलीगेट हो गया साहब।

श्री अध्यक्ष : कोई इंटरप्रिटेशन सवाल ही नहीं है, उनका स्टेटमेंट हो रहा है ....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में किसानो पर, गरीबों पर, मजदूरो पर,

(डा. किरोड़ी लाल)

महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उनके खिलाफ मैंने आन्दोलन छेड़ा। आप तो मेरे को हिस्ट्रीशीटर बनाना चाहते हैं डकैतो को शरण देकर ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप इन्हें स्टेटमेंट देने दीजिए। गृह मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख हुआ, यह मैं नहीं बताना चाहता, उनको ही मालुम है, मेरे पास है, अध्यक्ष महोदय, राजनीति की लड़ाई राजनीति के हिसाब से लड़ी जाती है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मेरे बहुत से साथियों की मान्यता नहीं होगी। इनके ऊपर आपको भी मालूम है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय को भी सब चीज मालूम है और सब को मालूम है, उन बातों को दोहराने से होगा क्या, पूरा राजस्थान जानता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि वहां पर ऐसे हालात पैदा कर दिये, इतना भंयकर पथराज हुआ और एक स्टेज के ऊपर तो उस थानेदार को पकड़ लिया कि ले चलो, तुझे ट्रेन के सामने कटवा देंगे। उन्होंने कहा कि रेल देर से आयेगी, कि निकाल लो जिप्सी में से पेट्रोल, जला दें, उस डी. वाई. एस. पी. को।

श्री मदन दिलावर : +++ की भी सीमा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I have got अध्यक्ष महोदय, बयान है उसका मेरे पास। और अध्यक्ष महोदय, यह सब हुआ गलतफहमी से। यह मारना चाहते थे पुराने डी. वाई. एस. पी. को। उसने लिया दो दिल पहले चार्ज वहां पर, रामदेव ने। इनका शक भी था कि भूपसिंह हमारी लड़की को बरामद होने नहीं दे रहा है। वह दूसरा आदमी था। उन्होंने कहा पकड़ लो लक्ष्मणगढ़ का सी. ओ. यही है, पकड़ लो, पकड़ लो इसको। हकीकत है यह और उसके ऊपर टूट पड़े। यह चौमू से गया था अभी, थोड़े दिन पहले सर्किल आफिसर ने वहां चार्ज लिया था, यह सबको मालूम है और उसके ऊपर टूट पड़े। वह तो ईश्वर की कृपा से बच गया। क्योंकि हमारे सम्माननीय विधायकजी का समर्थन था, मौके पर थे। अगर यह रोकते वहां पर, भीड़ को जब उन्होंने देखा कि मामला बिगड़ा है तो वहां से खिसक लिए।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो कतई नहीं खिसका, पच्चीस हजार की मीटिंग करके आया हूं, विपक्षी दल के नेता गये हैं, पच्चीस हजार लोगों को इकट्ठा करके भाषण देकर आये हैं, +++ मत होओ, +++ (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर उसके बाद वह दौड़ कर मंदिर के अन्दर गया, हनुमान जी का मन्दिर। हनुमानजी के मंदिर में चला गया। वहां पर पथराव हुआ है, अगर आप देखें मैं आपको पेश कर दूंगा अभी आपके चैम्बर में फोटो। (व्यवधान) अन्दर के फोटो हैं, अन्दर के

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फोटो कोई बना नहीं लिये, कोई एक पत्थर नहीं है, एक पत्थर डालकर वहां फोटो खींच लेगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, दुख है मुझे, नहीं होना चाहिए, गोलीकांड नहीं होना चाहिए। आपके राज में भी हुए।

एक माननीय सदस्य : शास्त्री नगर गोलीकांड।

श्री मदन दिलावर : इसीलिए आपने मारा उसको....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके एक शास्त्री नगर नहीं है...Number of firings have taken place. यहां पर केजुअल्टी हुई है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं यह नहीं कर रहा क्यों कि इनके में हुए तो हमारे में भी इतने ही होंगे। कोई काम्पीटीशन नहीं है हमारा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो अहिंसा में विश्वास करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत सीरियसली और गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं कि हम तो फायरिंग, मेरी पर्सनल, मुझे 67 में....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने एक बात कही है कि डीवाई. एस. पी. को जबरन उठाकर तेल पटक के जलाना चाहते थे तो इन्होंने कोई एफ. आई. आर. दर्ज की है ? उठाने वाले कौन थे, तेल निकालने वाले कौन थे और उसको जबरन जलाने वाले कौन थे और उनको क्या अब तक गिरफ्तार किया ? ऐसे नहीं चलेगा, सदन को गुमराह करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अब बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बैठ रहा हूं लेकिन यह गुमराह कर रहे हैं। अगर इस ढंग की कोई घटना हुई है, डीवाई. एस. पी. को उठाने की, तो आप बतायें किन्होंने उठाया, कौन तेल की पीपी लाया, किसने आग लगाई, उन अपराधियों के नाम तो बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जरा शांत रहें कृपया। बैठें अब आप। अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. लाज कुनिन्दा दूसरा....

डा. चन्द्रभान : इनका क्या स्वार्थ है गुमाराह करने में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एफ. आई. आर. लॉज किसी और ने की, यह आदमी सेमी कांशियस,प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी इसके, तमाम यहां पर फट गया था, चोट लग गई उसके। यह यहां क्या, अर्द्ध बेहोशी की हालत के अन्दर था मंदिर के अन्दर। पीछे से फोर्स, ए.डी.एम. आया, एस.डी.एम. आया, और फोर्स आई। उसने आकर के इन उपद्रवियों को खदेड़ा वहां से, इसको निकाला और निकाल कर ले गये। यह तो पता चला, इसको तो अस्पताल ले जाया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अब पुलिस थोड़े ही बैठी रहती कि वहीं आये, वहीं एफ.आई.आर. लॉज करे। एफ. आई.आर. तो कोई प्रत्यक्षदर्शी....

डा. किरोड़ी लाल : जिनके गोली लगी उनको वहीं छोड़ गये। उनको मरने दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किरोड़ी लालजी, आप जरा विश्राम करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, असत्य बयान कर रहे हैं। बड़ी निर्लज्जता के साथ इस सारे के सारे मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय गृह मंत्रीजी। मैं वहां होकर के आया हूं, बिलकुल असत्य बात कहकर यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं।

श्री पदसादी लाल : दिलावरजी के केस हों तो निकालो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं एफ. आई. आर., 161 के बयान तो बाद में ही होंगे अध्यक्ष महोदय, आप कानून जानते हैं, आप वकील रहे हैं, 161 के बयान तो विटनेसेज के बाद में ही लिये जायेंगे। जब उसके बयान लिये गये तो उसने पूरा किस्सा नेरेट किया। और अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारियों को इस मामले में यों नहीं घसीटना चाहता, किसी राज्य के लगे हुए हों और किसी जमाने में, अच्छा अधिकारी अच्छा ही अधिकारी होता है। मैंने एस.पी. से पूछा, पंकज कुमार सिंह से, Who was S.P. there to whom we have recently posted to Kota. He is a good Officer.

मैंने कहा पंकजजी, सही बात बताइयेगा, एस.पी. साहब, हुआ क्या। जो कुछ मैंने आपको कहा है उन्होंने वैसी की वैसी ही मुझे न्यूज दी। Why should he tell lie? अब मैं उसको राजनीतिक रूप देना चाहूं कि साहब आई.बी. में भी आपके लगे अफसर बैठे हैं। वह एस.पी. भी आपका लगाया हुआ था। इन बातों को कहने से कोई तंत नहीं है लेकिन अफसर की एक प्रतिष्ठा होती है, अफसर के बारे में एक शोहरत होती है अफसर की...

डा. किरोड़ी लाल : इसीलिए आपने हटा दिया दिखता है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने कोई पनिशमेंट नहीं दिया उसको। We have not given him any punishment. He is a good Officer. मैं बात पूरी कर लूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उस लड़की की बरामदगी के सम्बन्ध में या मीटिंग के सम्बन्ध में जिक्र नहीं करना चाहता। आपसे तीन सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि इस बात की सी.आई.डी. ने खबर दी थी कि लोग हथियार लेकर आये हैं। आपने क्या खेड़ली में धारा 144 लगाई थी? नं-1, दूसरा आपने कहा कि गोलिया चलीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोली मंदिर से चली या मंदिर के बाहर से चली अगर मंदिर से गोलिया चली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो छत पर से चलाई थी या मंदिर के चौक में से चलाई थी या मंदिर का जो कमरा है उसकी दीवार में से चलाई थी। इन बातों का जवाब दे दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने यह तय किया कि इनको एग्रीवेट मत करिये। इनको फाटक के पास ही रोक दीजिये। निहत्थे लोग जा सकते हैं इससे कोई असुविधा नहीं होगी। समूचे फाटक के ऊपर जहां ये हादसा हुआ है, उस रेलवे क्रासिंग के ऊपर एक पुलिस पिकेट लगभग 25-30 आदमियों का पोस्ट कर दिया जाए, नं-1 अब आप कहेंगे कि आपने धारा 144 प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पहले ही क्यों नहीं लगाई वहां पर। उसके दोनों पहलू थे। आप रोकते तो अननेसेसरी उसको पीसफुल डिमोंसट्रेशन के लिए आप इन्वाइट करते ट्रबल को, कि धारा 144 लगा है। धारा 144 का उल्लंघन होता उस सूरत में भी लाठीचार्ज होता या और झगड़ा होता।

अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कही, बड़ा पाइटेंड क्वेश्चन है कि फायरिंग बाहर से हुई या मंदिर से? फायरिंग सारी बाहर से हुई। मंदिर के भीतर से कोई फायरिंग नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप जो सूचना दे रहे हैं मैं भी वहां गया था। मैंने भी पुलिस अधिकारियों से बात की थी। पहले उस मोखे पर गया। मोखे पर जाने के बाद मैने पुलिस अधिकारियों से बात की कि आपने गोली कहां से चलाई तो कहा कि जो हवाई फायर किये, वे मंदिर के अंदर चौक से किये। 9 गोलियां चलाई थीं। दूसरा मैंने कहा कि रिवाल्वर से फायर किया वह कहां से किया? तो बताया कि जो मोखे थे उनमें से किया। मोखों की ऊंचाई मेरे बराबर है। मैं उस मोखे में खड़ा रह कर मोखे के पास खड़ा रहा कर...

श्री हरिसिंह (महुवा) : ज्यादा है आपसे। तीन फीट ऊपर। तीन सीढ़िया हैं और तीन सीढ़ियों के ऊपर फिर आप खड़े होंगे तो इतनी ऊंची है वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं आप तो ऊपर छत की बात कर रहे हैं, मैं छत की नहीं कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं-नहीं मोखे पर मैं भी होकर आया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये मोखे हैं तीन वे मोखे मैंने देखे हैं। मोखे देखने के बाद अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत हथियार चलाने का और रिवाल्वर चलाने का मुझे भी ज्ञान है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप तो पुलिस में रहे हुए हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां है थोड़ा। हां इसमें कोई दो राय नहीं मैंने रिवाल्वर भी चलाई है मैंने बंदूकें भी चलाई हैं ये सब कुछ है। मैंने उस समय पूछा कि मोखों से आप रिवाल्वर चलाकर जिसमें पूरा हाथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं आता उससे आप उस ऊंचाई से नीचे वाले आदमी को कैसे मार सकते हैं। एक सीधा क्वेश्चन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये बाहर से कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये मैं जो कह रहा हूं ये बात जो अब ये कह रहे हैं वे दूसरी बात कह रहे हैं। उस समय तक पुलिस लगातार यह कह रही थी कि हमने मंदिर से गोलिया चलाई। मंदिर से गोली चलाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमने हवाई फायर जो किये हैं। मंदिर से किये हैं। उनकी भी समझ में आ गई। मैंने इतना भी पूछा था कि हवाई फायर आपने सीधे किये और हवाई फायर सीधे ऊपर करके बंदूक आप चलाओगे तो हवाई फायर का कोई मतलब ही नहीं है। हवाई फायर का यह इम्प्रेशन हो कि गोलियां चल रही हैं, भगो वहां से। और लगे भी नहीं। वह तो है हवाई फायर। यो ऊंचा करके शादी में जिस तरह से बंदूकें छोड़ते हैं उस तरह से यदि आप बंदूक छोड़ेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि उन गोलियों से तो आदमी मर नहीं सकता फिर कहने लगे कि रिवाल्वर से चलाई। रिवाल्वर से चलाई तो मैंने पूछा कि छत के ऊपर से चलाई या छत के नीचे से चलाई। तो कहा कि छत के ऊपर से नहीं चलाई ऊपर जाते तो पत्थर आते इसलिए हम ऊपर गये नहीं। इतना तो हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि मोखों से गोलियां चलाई तो अब आप प्रद्युम्न सिंह जी मेरी बात का भरोसा करें या नहीं करें, उनके रिकार्ड में अब बदल दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, उनके रिकार्ड में यह बात थी कि हमने गोली इन मोखों से चलाई...(व्यवधान)....मोखों से चलाने की बात अगर आप कन्वींस हो जाएं, आप खुद देख लीजिये। देखने के बाद यदि आप कन्वींस हो जाएं कि मोखों से चलाकर कोई हाथी के ऊंट के या कोई और बहुत लम्बा-चौड़ा 8 फुट का आदमी हो तो उसके तो लग सकती है, लेकिन इन लोगों के गोलियां नहीं लग सकतीं। अब ये गोलियां कैसे लगीं ये समझ में नहीं आता। अब दो ही जगह से गोली चली और उन दोनों में हवाई फायर हुए। एक उन मोखों से गोली चलाई उससे आदमी के नहीं लग सकती। फैक्ट यह है कि जिस समय यह सारा झगड़ा हो रहा था, उस समय बाहर से गोली चलाई। और बाहर से गोली चलाकर लोगों को मारा गया। यह है तथ्य। अब आप जो कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि हां अंदर से नहीं लग सकती। आपने उस सारी बात को अवाइड कर दिया। तीसरी बात आपको मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक भी टियर गैस सैल वहां नहीं चला। टियर गैस पार्टी तो जिस समय ये जहां वो जुलूस निकालने के लिए बैठे थे थाने पर, पूरी टियर गैस पार्टी वहीं थी। उस टियर गैस पार्टी में जो टियर गैस चलाने वाले थे वे अलग हैं। आपने एफ. आई. आर. में या जो स्टेटमेंट दिया है उस एफ.आई.आर. में एक कांस्टेबिल का नाम बता दो जिसके पास टियर गैस सैल थी और टियर गैस सैल का वह एक्सपर्ट था वह टियर गैस सैल चला सकता है। न तो टियर गैस सैल चली, वार्निश के बारे में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिस्प्यूट हो सकता है, वार्निश दी या नहीं दी। लेकिन गोली बाहर से चली और आज तक इम्प्रेशन यह दिया कि हमने हवाई फायर किये और जो मोखे से गोली चली उससे चोट लगी। मोखों से लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये गोली कैसे लगी है यह रहस्य बना हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि गोली मंदिर के फाटक के पास खड़े रहकर बाहर रहकर उन्होंने गोली चलाई है। हवाई फायर भी वहीं से किये हैं और वहीं से रिवाल्वर चलाई है और उसके कारण से मौतें हुई हैं इसलिए आप इस गोली चलाने की घटना के बारे में अगर कोई स्पष्टीकरण कर सकें तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास जानकारी है वह बाहर से गोली चलाने की है...(व्यवधान)... मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है जो मैंने मौखिक रूप से भी पूछा और रिकार्ड के ऊपर भी जो चीज है वह बाहर से गोली चलाने की है। बड़ा स्वाभाविक है पिट रहा है आदमी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह समझ गया मैं। वह नहीं कहता कि गोली चलाने की आवश्यकता थी या नहीं। वह एक दूसरा सवाल है। सवाल यह है कि गोली चली कहां से। आप यह तय करिये कि बाहर से चली है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां बाहर से चली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक पुलिस का और सरकार का स्टेटमेंट यह रहा है कि मंदिर से हमने गोलियां चलाई हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार का स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई जगह है, हम आपको दिखा देंगे। मैं आपको बता दूंगा। मैं अब नाम लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैंने काफी पुलिस वालों से पूछा है कि गोली कहां से चली तो उन्होंने यह बताया कि...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा फिर मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज तो न वहां कलेक्टर है न एस.पी. है We have asked the A.D.M. to hold the impartial enquiry and send the report.

महोदय पर मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कहीं गफलत है, इसके अन्दर लैप्स है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है तो I can assure the House through you.

हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे क्योंकि यह शुरूआत है। कहीं यह न समझ बैठे कोई कि यह शुरूआत है। कहीं यह न समझ बैठे कि कोई कि हम पुलिस वालों के कृत्यों को डिफेन्ड करने के लिए यहां सरकार में बैठे हुए हैं। यह बिलकुल साफ बात है। ...(व्यवधान)...यह बहुत साफ बात मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये गोलियां चली तो किसके आदेश से चली?. ..(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल :....(व्यवधान) सरकार ने गोलियां चलाई हैं निहत्थे लोगों पर गोलियां चला कर हत्या की है।....(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो पाइंटेड सवाल हमने किये थे....(व्यवधान)...

श्री मदन दिलवार : बच्चों को मारा है. ..(व्यवधान)..हत्यारों को गिरफ्तार करो।...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल :...(व्यवधान)... गिरफ्तार हो जाना चाहिए। सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए...(व्यवधान)...जन प्रतिनिधियों को बंद कर दिया उनके खिलाफ कार्यवाही...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : ओनली मेनिपुलेशन है एक भी सवाल का जवाब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान) यह डिबेट अधूरी रह गई, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, हम गृह मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक 26 मार्च, 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.31 बजे शुक्रवार दिनांक 26.3.99 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 की प्रति) एनेक्चर-1

RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY : BIKANER

Advertisement No. 1/95 Dated : 25.07.1995

Applications on prescribed form are invited for the following posts on regular basis for the tenure as mentioned against each in the University. The applications form etc. can be obtained from the office of the Registrar, Rajasthan Agricultural University, Bikaner on payment of Rs. 10/- through Demand Draft payable to the Controller, Rajasthan Agricultural University, Bikaner alongwith a self addressed envelop of 27 x 12 cms. size bearing postal stamp of Rs. 9/- only upto 24.8.95 completed application form in all respect alongwith attested copies of certificate must reach the REGISTRAR, RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY, BIKANER on or before 30.8.1995.

Name of post 1	No. of post 2	Tenure 3
FACULTY OF AGRICULTURE		
1. DEAN Agriculture College	Three	3 years which can be extended for another 3 years.
2. DIRECTOR (RESTTRCK) Agriculture	One	5 years which can be extendede for another 5 years.
3. DIRECTOR EXTENSION Education	One	5 years which can be extended for another 5 years.
FACULTY OF HOME SCIENCE		
4. DEAN Home Science College	Two	3 years which can be extended for another 3 years.
FACULTY OF VETY. & ANIMAL SCIENCE		
5. DEAN College of Vety. & Animal Science	One	3 years which can be extended for another 3 years.

	1	2	3
6.	DIRECTOR (RESEARCH) Directorate of Vety. & Animal Science	One	5 years which can be extended for another 5 years.
FACULTY OF AGRIL. ENGINEERING			
7.	DEAN College of Technology & Agri. Engg.	One	3 years which can be extended for another 3 years
OTHERS			
8.	DEAN Post Graduate Studies	One	-do-
9.	DEAN Student welfare	One	-do-
10.	DIRECTOR PLANING & MONITORING	One	5 years which can be extended for another 5 years
	PAY SCALE : for the post NO. 1 to 10 (Rs. 4500-150-5700-200-7300) plus usual allovances		

A. APPLICATIONS FOR

DEAN OF AGRICULTURE COLLEGE/DIRECTOR (RESEARCH) AGRICULTURE DIRECTOR & TENSION EDUCATION/ DEAN HOM SCIENCE/ DEAN VETY. & ANIMAL SCIENCE/DIRECTOR VETY. & ANIMAL SCIENCE/DEAN COLLEGE OF TECHNOLOGY & AGRIL. ENGINEERING.

ESSENTIAL :

1. Good Master's degree with good academic record and minimumof 15 years experience in teaching/research/extension in institution of University standard in the relovant field of Agriculture/Home Science/Vety. & Animal Science/ Agril. Engineering. Specialised Knowledge in one or more specified Field with experience in guiding research.

2. Professional/Scientific work of outstanding merit with Docorate degree.

3. Atleast 2 years experience as a professor or an equivalent post.

B. QUALIFICATIONS FOR :

DEAN, POST GRADUTES STUDIES

ESSENTIAL :

1. Good Master's degree with good academic record and minimum of 15 years experience in teaching/research/extension in Institution of Univer sity standerd in the relevant field of Agriculture/Home Science/Vety. & Animal Science/Agri. Engineering/Specialised Knowledge in one or more specified field with experience in guiding research.

2. Professional/Scientific work of outstanding merit with Doctorate degree.

3. Atleast 2 years experience as a professor or an equivelent post.

DESSIRADE

Requtation for initiative, leadership and ability to orgenise,coordinate and supervise Teaching & Research activities in different disciplines.

C. QUALIFICATIONS FOR :

DEAN, STUDENT WELFARE

ESSENTIAL :

1. Good master's degree with Good academic record and minimum of 15 years experience in teaching/reserach/extension in institution of univer sity standard in the faculty of Agriculture/Veterinary & Animal science/ Dairy science/Home science/Agricultural Engineearing.

2. Atleast 10 years experience of working in a college/university in a responsible position, particularly in relation to management of students Hostels and Organising university games and sports and extra curricular activites.

DESIRABLE :

Knowledge of Rajasthani Language/Dialect & Culture.

D. QUALIFICATIONS FOR :

DIRECTOR PLANNING & MONITORING

ESSENTIAL :

1. Good Master's degree with good academic record and minimum of 15 years experience in teaching/research/extension in Institution of University standard. Specialised Knowledge in one or more specified. Field with experience in guiding research.
2. Professional scienctific work of outstanding merit with Dectorate Degree.
3. Atleast 2 years experience as a professor or an equivalent post.

   (Appropriate field is defined to include ph.D./Master's degree in major area in any branch of Agriculture/Veterinary & Animal Science/Home Science/Dairy Science/Agricultural Engineering).

DESIREBLE :

Experiecne, Monitoring, Planning and ovaluation.

E. GENERAL KOTE :

1. Number of post(s) may be increased of decreased.
2. Application forms received after the expiry of the last date will not be entertained.
3. 16;posts would be reserved for Schedulad caste 12;for Scheduled Tribes, and 21; for Backward Classes, subject to general suitability.
4. A higher start in the grade may be considered for exceptionally qualified candidate based on their academic achivement & personal interview.
5. The University reserves the rights not to fill up post(s) advertised.

Sd/-

REGISTRAR

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-27 की प्रति एवं विवरण)

the period for which the issue of the permit has been so restrained; or

(ii) as a result of the suspension by a Court or other competent authority of the permit of any vehicle in respect of that route or area. There is no transport vehicle of the same class with a valid permit in respect of that route or area, or there is no adequate number of such vehicles in respect of that route or area. for a period not exceeding the period of such suspencsion :

Provided that the number of trasport vehicles in respect of which temporary permits are so granted shall not exceed the number of vehicles in respect of which the issue of the permits have been restrained or, as the case may be, the permit has been suspended.

88. Validation of pernmits for use outside region in which granted. :- (1) Except as may be otherwise prescribed , a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall not be valid in any other region. unless the permit has been countersingned by the Regional Transport Authority of that other region and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned:

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State, shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned:

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are stuate within the same state, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect ot that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersingned by the

State transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State :

Provided also that :-

(a) Where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defecne; and

(b) any such permit shall be valid in that other State not withstanding that such permit has not been countersingned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a permit granted or countersigned by a State Transport Authority shall be valid in the whole State or in such regions within the State as may be specified in the permit.

(3) A Regional Transport Authority when countersiging the permit may attach to the permit any condition which it might have imposed if it had granted the permit and may likewise vary any condition attached to the permit by the authority by which the permit was granted.

(4) The provisions of this Chapter relating to the grant, revocation and suspension of pernits shall apply to the grant, revocation and suspension of counter signatures of permits :

Provided that it shall not be necessary to follow the procedure laid down in section 80 for the grant of counter signatures of permits, where the permits granted in any one State are requured to be countersigned by theState Transport Authority of another State or by the Regional Transport Authority concerned as a result of any agreement arrived at between the States after complying with the requirements of sub-section (5)

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of

each route or area, shall be published by each ofthe Statee Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less that thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of counter signature of permits, be published by each of.the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and Regional Transport Authority concerned shall give effect to it.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-sections. (1), a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under section 87 to be valid in another region or State with the concurrence, given generally or gor the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other region or of the State Transport Authority of that other State, as the case may be.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to any rules that may be made under this Act by the Central Government, the Regional Transport Authority of any one region or, as the case may be, the State Transport Authority, may for the convenience of the public. [1][grnat a special permit to any public service vehicle including any vehicle coverd] by a permit issued under section 72 (including a reserve stage carriage) or under section 74 or under subsection (9) of this section for carrying a passenger or passengers for hire or reward under a contract, express or implied, for the use of the vehicle as a whole without stopping to pick up or set down along the line of ruote passengers not included in the contract, and in every case where such special permit is granted, the Regional Transport Authority assign to the vehicle, for display thereon, a special distinguishing mark in the form and manner specified by the Central government and such special permit shall be valid in any other region or State

1. Subs by Act 54 of 1994 for grant a special permit in relction to a vehicle covered.

without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of the State Transport Authority of the other State, as the case may be.

(9) Notwithstanding anything containded in sub-section (1) but subject to any rules may be made by the Central Government under sub-section (14) any State Transport Authority may, for the purpose of promoting tourism, grant permits in respect of tourist vehicles valid for the whole of India, or in such contiguous States not being less that three in number including the State in which the permit is issued as may be specified in such permit in accordance with the choice indicated in the application and the provisions of sections 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 [clause (d) of sub-section (1) of section 87 and section 89] shall, as far as may be, apply in relation to such permits.

[2][X X X]

(11) The following shall be conditions of every permit granted under sub-section (9), namely :-

(i) every motor vehicle in respect of which such permit is granted shall conform to such description, requirement regarding the seating capacity, standards of comforts, amenities and other matters, as the Central Government may specify in this behalf:

(ii) every such motor vehicle shall be driven by a person having such qualifications and satisfying such conditions as may be specified by the Central government; and

(iii) such other conditions as may be prescribed by the Central Government.

(12) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but, subject to the rules that may be made by the Central Govenment under sub-section (14) the appropriate authority may, for the purpose of encouraging long distance inter-State road transport, grant in a State, national permits in respect of goods carriages and the provisions of sections 69, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 [clause (d) of sub-section (1) of section 87 and section 89] shall, as far as may be, apply to or in relation to the grant of national permits.

---

1. Subs. by Act 54 of 1994 "O and 89".
2. Sub-Section (10) amitted by Act 54 of 1994
3. Subs by Act 54 of 1994 for "O and 89".

परिशिष्ट-"ख"

टयूरिस्ट व अस्थाई स्पेशल अनुज्ञापत्र का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	अस्थायी स्पेशल अनुज्ञापत्र 88 (8)	टयूरिस्ट अनुज्ञापत्र 88 (9)
1	2	3	4
		(दिसम्बर, 98 तक)	
1.	उदयपुर	2984	71
2.	राजसमन्द	1429	14
3.	चित्तौड़गढ़	2167	4
4.	बांसवाड़ा	488	11
5.	डूंगरपुर	2533	17
6.	जोधपुर	3620	262
7.	जैसलमेर	67	11
8.	सिरोही	559	12
9.	बाड़मेर	446	17
10.	जालौर	613	13
11.	पाली	1049	19
12.	बीकानेर	3728	11
13.	हनुमानगढ़	3019	2
14.	चूरू	203	–
15.	श्रीगंगानगर	3081	7
16.	जयपुर	2726	121
17.	दौसा	1332	–

1	2	3	4
18.	सवाईमाधोपुर	350	–
19.	करौली	90	–
20.	सीकर	1820	12
21.	झुन्झुनूं	1355	1
22.	अजमेर	4445	8
23.	टोंक	859	–
24.	भीलवाड़ा	1705	–
25.	नागौर	373	27
26.	कोटा	4784	6
27.	झालावाड़	624	–
28.	बारां	555	–
29.	बूंदी	271	–
30.	रामगंजमण्डी (जिला परिवहन कार्यालय)	653	2
31.	अलवर	1996	2
32.	भरतपुर	645	22
33.	धोलपुर	1592	36
34.	कोटपूतली (जिला परिवहन कार्यालय)	388	–

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-28 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में किये गये वृक्षारोपरण का ग्राम पंचायत वार विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	खोदे गये खड्डे/रोपित किये गये पौधों की संख्या (लाखों में)
1.	बिलड़ी	0.55
2.	करजी	0.98
3.	तलवाड़ा	0.35
4.	पनासीबड़ी	0.65
5.	झरनियां	0.40
6.	बारी	0.35
7.	नाल	0.35
8.	दानपुर	0.30
9.	कडेलिया एवं कुण्डल	0.35
10.	बेंडवी झरी	0.35
11.	उपला घण्टाला (खैरडाबरा)	0.30
12.	कुशलपुरा	0.65
13.	कोटड़ा	0.70
14.	बरोड़ा	0.35
15.	खैरडाबरा	0.55
16.	गणाऊ	1.02
17.	वीरपुरा	0.90
18.	बलड़ीपाड़ा	0.35
19.	बारीगामा	0.35
	योग	9.80

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों का भू-आवंटन प्रकरण

29. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकार सरकार द्वारा सक्षम घोषित किये गए हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(2) श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलो के सक्षम घोषित भूमिहीन काश्तकारों को क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण में भूमि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उनकी प्राथमिकता कैसे तय की जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

(3) श्री गंगानगर जिले में भूमि आवंटन किन-किन श्रेणी के काश्तकारों को किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में, भूतपूर्व जागीरदारों, गाड़िया लुहारों पोंगबांध विस्थापितो, कृषि स्नातकों एवं अन्य भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो कब ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। गंगानगर के इंगानप क्षेत्र में आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा भूमिहीन काश्तकार सक्षम घोषित किये गये थे, जिनकी संख्या उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार लगभग 48,210 है।

(2) आवंटन नियम 1975 के नियम 7 के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित है। अभी तक जैसलमेर जिले के भूमिहीनों को ही उनकी प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाना शेष है। अतः गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलो के भूमिहीन सक्षम काश्तकारों को भूमि आवंटन का मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) गंगानगर जिले में भूमि आवंटन भूमिहीन काश्तकारो, पोंगबांध विस्थापितो, भूतपूर्व जागीरदारो, भूतपूर्व सैनिको एवं उनके आश्रितों कृषि स्नातको व भाखड़ा भूमिहीन श्रेणी के काश्तकारों को किया गया है।

(4) यह सही है कि गंगानगर जिले में विभिन्न श्रेणी के काश्तकारों को भूमि का आवंटन किया गया था। श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न श्रेणियों के काश्तकारों की सूचिया अल्प समय में तैयार किया जाना संभव नहीं है।

रायपुर (रोलवाड़ा) में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

30. **डा. रतन लाल** (सहाड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(डा. रतनलाल)

(1) क्या विधि विभाग के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 7.10.89 क्रमांक प. 1/3/न्याय के आधार पर तुरन्त प्रभाव से मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर जिला भीलवाड़ा के अतिरिक्त कैम्प कोर्ट का स्थान रायपुर भीलवाड़ा 5 दिन के लिए निर्धारित किया गया था ?

(2) क्या उक्त अधिसूचना के बाद रायपुर (भीलवाड़ा) कैम्प कोर्ट हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा बीस हजार रुपये स्वीकृत किये गये व इस आधार पर सामग्री-क्रय भी कर ली गई ?

(3) क्या सरकार सिविल न्यायाधीश 'वरिष्ठ खण्ड' एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर (भीलवाड़ा) में दीवानी, फौजदारी व अन्य विचाराधीन प्रकरणों की अधिक संख्या को देखते हुए रायपुर तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 7.10.89 के द्वारा मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर जिला भीलवाड़ा का अतिरिक्त बैक का स्थान माह में 5 दिवस के लिए रायपुर (भीलवाड़ा) के लिए निर्धारित किया था।

(2) यह सही है कि अधिसूचना के पश्चात् रायपुर कैम्प कोर्ट हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय ने आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही कर ली होगी परन्तु इसके बाद न्यायालय कैम्प कोर्ट के लिए भवन उपलब्ध न हो पाने की वजह से वर्तमान में गंगापुर मजिस्ट्रेट का कैम्प कोर्ट रायपुर मे स्थगित किया हुआ है।

(3) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ-खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर (भीलवाड़ा) में 2460 प्रकरण लम्बित है।

रायपुर तहसील से सम्बन्धित 607 प्रकरण वर्तमान में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ-खण्ड) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के न्यायालय में चल रहे हैं करेड़ा क्षेत्र से सम्बन्धित 630 प्रकरण मुन्सिफ न्यायालय माण्डल के समक्ष लम्बित हैं। इस प्रकार रायपुर व करेड़ा को जोड़कर 1237 प्रकरण हो जाते हैं। राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार नये ए. सी. जे. एम. न्यायालय के लिए 1200-1500 प्रकरण व नये मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर खोला जा सकता है।

राज्य सरकार मा. उच्च न्यायालय का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं न्यायालय भवन व अधिकारी के निवास हेतु समुचित व्यवस्था होने पर विचार करती है तथा उच्च न्यायालय की अनुशंषा प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले 30 न्यायालयो में रायपुर (भीलवाड़ा) में नवीन मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जा सकता है।

जिला गंगानगर का सड़क मरम्मत प्रकरण

31. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, रावतसर, पल्लु व सरदार-शहर को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(2) संगरिया से अबोहर सड़क का निर्माण कब हुआ ? उक्त सड़क की मरम्मत अब तक कितनी बार की गई है ?

(3) क्या वर्तमान में उक्त सड़क की हालत अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती है ? क्या सरकार इस सड़क को चौड़ा करने व मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार संगरिया से सादुलशहर सड़क को चौड़ा करने व उसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यो ?

(5) उधम सिंह चौंक संगरिया से बस स्टेण्ड संगरिया की सडक की मरम्मत कब-कब की गई ? क्या उक्त सड़क की हालत खराब होने से वाहनों को भारी क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, रावतसर, पल्लू व सरदारशहर सड़क राज्य उच्च मार्ग संख्या 36 एवं राज्य उच्च मार्ग संख्या 7ए का भाग है, जिसकी कुल लम्बाई 207 किमी. है, जिसमें से रावतसर, हनुमानगढ़ के बीच 8 किमी. एवं गंगानगर-हनुमानगढ़ के बीच 35 किमी., कुल 43 किमी. लम्बाई का रख-रखाव ग्रेफ (जी. आर. इ. एफ.) द्वारा किया जाता है। यह सड़क सीमित संसाधनों के कारण, समय पर नवीनीकरण न होने एवं यातायात के बढ़ते दबाव से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क के सरदारशहर, पल्लु के बीच 10 किमी. (किमी. 93/0 से 103/0) पर नवीनीकरण का कार्य रख-रखाव मद से प्रगति पर है, जिसे माह जून, 99 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे। इस सड़क के पल्लू हनुमानगढ़ के बीच 22 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य इस वर्ष में पूरा किया जा चुका है। वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 54 किमी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य 223.50 लाख लागत के एवं गैर योजनामद में 18 किमी. में नवीनीकरण कार्य 51.00 लाख की प्रगति के प्रस्तावित किये गये हैं, शेष लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य समय-समय पर आवश्कतानुसार किया जायेगा।

(2) संगरिया से अबोहर सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में पूर्ण हुआ। इसकी कुल लम्बाई 18.900 किमी. है। सड़क की मरम्मत एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे हर साल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है। उपरोक्त सड़क पर नवीनीकरण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का कार्य अलग-अलग किमी. में क्रमशः वर्ष 1986 में किमी. 6/0-80/(2 किमी.) वर्ष 1987 में किमी. 13/0-15/0(2 किमी.) वर्ष 1988 में किमी. 0/0-2/0 एवं 9/0-11/0 (4 किमी.) वर्ष 1992 में किमी. 16/0-18/0 (2 किमी.) वर्ष 1993 में किमी. 6/0-9/0 एवं 14/0-18/0 (7 किमी.) एवं वर्ष 1995 में किमी. 3/0-5/0 (2 किमी.) में करवाया गया।

(3) सड़क की मरम्मत बजट प्रावधानों के अन्तर्गत हर साल करवाई जाती है। साधारण मरम्मत, पेच रिपेयर का कार्य माह अप्रेल, मई, 1999 में करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1999-2000 में किमी. 0/0-2/0 व 7/0 से 14/0 में नवीनीकरण कार्य 13.50 लाख रुपये की लागत के प्रस्तावित है। सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमित संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित नहीं हैं।

(4) संगरिया से सादूलशहर सड़क की लम्बाई 32 किमी. है वर्तमान में किमी. 0/0 से 10/0 व किमी. 28/0 से 32/0 की चौड़ाई 5.50 मीटर है, सीमित संसाधनों के कारण अभी सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साधारण मरम्मत, पेच रिपेयर का कार्य समय-समय पर बजट प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है, अप्रेल, मई में मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। एवं किमी. 1/0 से 2/0 व 6/0 से 8/0 (3 किमी.) लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य वर्ष 1999-2000 में 7.50 लाख रुपये लागत का प्रस्तावित है।

(5) साधारण मरम्मत के अन्तर्गत पेच मरम्मत कार्य समय-समय पर बजट प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर करवाया जाता है किन्तु यह सड़क शहर का भाग होने व बाजार में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जगह-जगह पानी भरने से क्षतिग्रस्त होती है, जिससे वाहनों को क्षति पहुंचने से इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्ष 1999-2000 में इस सड़क के मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु 6.50 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

ब्यावर का प्रस्तावित खेल स्टेडियम

32. डॉ. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ब्यावर शहर में खेल स्टेडियम बनाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या यह सही है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार अब इस शहर को यह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। ब्यावर शहर में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने तथा स्टेडियम निर्माण हेतु भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्टेडियम निर्माण बाबत विचार किया जा सकेगा।

जिला डूंगरपुर में संचालित आश्रम विद्यालय

33. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले में कितने आश्रम विद्यालय चलाये जा रहे हैं? उक्त आश्रम विद्यालयों में कितने छात्र भर्ती हैं? मय कक्षा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आश्रम विद्यालयों में खाने पीने की सामग्री के अलावा बिस्तर, कपड़े किस हिसाब से दिये जाते हैं?

(3) क्या उक्त आश्रम विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव के लिये कोई राशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस प्रकार।

(4) क्या उक्त छात्रावासों में बिजली पानी के लिये कोई राशि की वार्षिक स्वीकृति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कब?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से डूंगरपुर में 35 आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, वर्तमान में इन आश्रम छात्रावासों में 2175 छात्रों की क्षमता के विरुद्ध 1997 छात्र-छात्रा भर्ती है, आश्रम छात्रावास/कक्षावार प्रवेशित छात्र/छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग के माध्यम से कोई आश्रम विद्यालय संचालित नहीं किया जा रहा है, आश्रम छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को पंलग, चद्दर, कम्बल, गद्दा एवं तकिया आदि की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवायी जाती है, सामान आश्रम छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को पोशाक हेतु रु. 376/–, दो अण्डरवियर, 2 बनियान, एक तौलिया, 1 जोड़ी जूते, चप्पले एवं मोजे, तेल, साबुन, स्कूल फीस, स्टेशनरी, छात्राओं को कंघा, रिबन आदि सामग्री हेतु रु. 426/– प्रति वर्ष तथा दो वर्ष में एक बार ऊनी जर्सी हेतु 55/– व्यय किया जाता है, प्रतिभावान आश्रम छात्रों को उपरोक्त सामग्री हेतु रु. 1485/– नगद दिये जाते हैं।

(3) आश्रम छात्रावासों के भवन के रख-रखाव हेतु 5000/– स्वीकृत हैं।

(4) जी हां, आश्रम छात्रावासों में बिजली, पानी आदि के लिए 50 छात्रों के छात्रावास हेतु 8000/– रु. एवं 100 छात्रों के छात्रावास हेतु 10,000/– रु. प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष की दर से राशि स्वीकृत की गई है।

परिशिष्ट-1

सामान्य परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर (राज.)

क्र.सं.	नाम छात्रावास	छात्र क्षमता	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	कक्षा-9	कक्षा-10	कक्षा-11	कक्षा-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	तलैया	100	—	6	5	41	24	16	—	—	—	—	92
2.	रघुनाथपुरा	100	—	—	—	31	14	9	13	13	—	—	80
3.	कन्या बिच्छीवाड़ा	100	1	1	5	15	15	7	11	6	4	5	70
4.	डूंका	100	—	—	—	29	16	19	19	14	—	—	97
5.	कन्या सिमलवाड़ा	100	—	—	—	14	9	16	10	21	14	16	100
6.	कन्या डूगरपुर	100	—	—	—	11	4	12	21	11	15	15	89
7.	माडा	100	1	3	3	29	16	16	14	13	—	—	95
8.	रीछा	100	—	—	—	30	23	18	18	6	—	—	95
9.	सुराता	100	—	9	3	20	15	11	25	17	—	—	100
10.	बालक आबरी	100	—	—	—	15	10	7	10	21	14	17	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	कन्या ओबरी	100	—	—	1	25	19	16	14	10	11	3	99
12.	नोखन	50	—	5	19	12	8	6	—	—	—	—	50
13.	बडगांव	50	—	4	5	14	12	10	—	—	—	—	45
14.	प्रतिभावान डूंगरपुर	50	—	—	—	—	—	—	22	7	7	11	47
15.	बिच्छीवाड़ा	50	—	—	—	3	3	—	15	10	10	9	50
16.	पचालासा छोटा	50	7	10	6	3	7	3	5	5	—	—	46
17.	चित्रकूट	50	—	5	6	17	6	10	3	3	—	—	50
18.	मालचौंकी	50	1	5	9	13	9	9	—	—	—	—	46
19.	कहारी	50	1	2	4	16	14	8	—	—	—	—	45
20.	रास्तापाल	50	1	3	4	9	5	8	9	2	—	6	47
21.	पुंजपुर	50	2	8	7	13	3	5	4	4	—	—	46
22.	फलोज	50	—	—	—	11	8	5	5	3	7	11	50
23.	भिलूड़ा	50	—	1	2	6	11	1	4	1	9	5	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	रामगढ़	50	1	3	—	4	—	3	11	7	8	3	40
25.	ठाकरडा	50	—	—	—	9	1	2	6	9	2	1	30
26.	पीठ	50	—	—	—	10	7	3	7	10	4	9	50
27.	पाडवा	50	6	5	9	10	3	2	—	3	—	—	38
28.	देवलपाल	25	—	—	—	6	5	1	4	5	—	—	21
29.	गामली अहाड	25	—	—	—	9	3	4	6	2	—	—	24
30.	चुण्डावाडा	25	—	—	—	6	4	—	12	3	—	—	25
31.	गन्धवापाल	25	—	—	—	5	3	7	4	2	—	—	21
32.	आसपुर	25	—	—	1	5	2	1	—	2	5	9	25
33.	निठालवा	25	—	—	—	6	2	3	1	4	9	—	25
34.	झलाप	25	—	—	—	8	5	3	5	4	—	—	25
35.	बालक सिमलवाड़ा	100	—	—	—	13	7	6	41	9	15	9	100
	योग	2175	21	70	89	468	293	247	319	227	134	129	1997

पंचायत समिति छबड़ा के इन्दिरा आवासों का भुगतान प्रकरण

34. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति छबड़ा में वर्ष 1995-96 में इन्दिरा आवासों का भुगतान केम्प लगाकर किया गया था? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(2) उक्त भुगतान चैक द्वारा नहीं करने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति छबड़ा में वर्ष 1995-96 में इन्दिरा आवासों की प्रथम किश्त का भुगतान हेतु प्रधान पंचायत समिति छबड़ा ने दिनांक 2.1.96 को विकास अधिकारी पंचायत समिति छबड़ा को कैम्प आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये थे, जिसकी अनुपालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति छबड़ा ने उनके पत्रांक 1218-19 दिनांक 2.1.96 से परिपत्र जारी कर पंचायत मुख्यालय क्रमशः मूण्डला, पाली, छबड़ा (पं. सं. मु.) चौकी मोतीपुरा स्टेशन एवं कोटड़ापार में दिनांक 5.1.96, 8.1.96, 9.1.96, 10.1.96 एवं 14.1.96 को कैम्प आयोजित किये गये।

(2) उक्त भुगतान चैकों से नहीं किया जाकर नकद राशि का भुगतान प्रधान पंचायत समिति छबड़ा द्वारा पंचायतों में कैम्प निश्चित कर लेने तथा कैम्पों में ही लाभार्थियों को नकद भुगतान करने सम्बन्धित दिये गये आदेशों अनुसार सम्बन्धित पंचायतों के सरपंच/पंचायत समिति सदस्य के समक्ष प्रधान महोदय द्वारा नकद भुगतान किया गया था।

तारांकित प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

राज्य के डार्क जोन क्षेत्र

36. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में "डार्क जोन" कुल काबिल काश्त भूमि का कितना प्रतिशत है?

(2) प्रत्येक जिले में कितना भू-भाग "डार्क जोन" से प्रभावित है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) "डार्क जोन" वाले इलाके में नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने से गरीबों को भू जल उपलब्ध कराने की योजनाओं पर क्या असर पड़ा है जबकि पैसे वाले भू-जल का दोहन धड़ल्ले से कर रहे है?

(4) राज्य सरकार "डार्क जोन" क्षेत्र में रहने वाले गरीब कृषकों को भू-जल हेतु ऋण उपलब्ध कराने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है?

(5) डार्क जोन से ग्रसित इलाकों को ग्रीन जोन में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? यदि पुनः सर्वे हुआ

(श्री गोविन्द सिंह)

है तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में डार्क जोन कुल काबिल काश्त भूमि का 27.70 प्रतिशत है।

(2) प्रत्येक जिले में डार्कजोन से प्रभावित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट अ में दिया गया है।

(3) डार्क जोन क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा भूजल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं बनाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा भूजल दोहन को धड़ल्ले से रोकने के लिए अधिनियम का प्रारूप बनाने पर विचार कर रही है।

(4) वर्तमान में ऐसा सम्भव नहीं है।

(5) राज्य के समस्त जिलों का प्रतिवर्ष सर्वे कर प्रत्येक तीन वर्ष में भूजल आंकलन किया जाता है। पुनः सर्वे पूर्ण हो गया है। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

परिशिष्ट-'अ'

जिलेवार डार्क जोन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	जिला क्षेत्रफल	कुल जलधारक इकाई क्षेत्र वर्ग कि.मी.	डार्क जोन वर्ग कि.मी.
1	2	3	4
1.	अजमेर	7446.76	1005.70
2.	अलवर	6843.84	4752.56
3.	बाड़मेर	12951.14	3482.56
4.	भरतपुर	3412.52	1345.30
5.	भीलवाड़ा	9354.85	659.57
6.	बूंदी	4240.18	101.78
7.	चित्तौड़गढ़	8277.87	2095.29
8.	चूरू	6440.34	1159.25
9.	दौसा	3085.61	1616.54
10.	जयपुर	9978.76	6912.55

1	2	3	4
11.	जैसलमेर	8718.64	4417.99
12.	जालौर	8128.10	6442.99
13.	झुन्झूनूं	5273.69	4382.59
14.	जोधपुर	16606.52	5660.35
15.	कोटा	5123.17	855.30
16.	करौली	3902.42	1027.41
17.	नागौर	15106.37	9105.37
18.	पाली	7362.54	4144.41
19.	सवाईमाधोपुर	4325.63	498.92
20.	सीकर	7263.46	6227.78
21.	सिरोही	4075.70	185.93
			66100.14

जिला चूरू का निगम बस सेवा प्रकरण

37. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में वर्तमान में निर्धारित कमीशन पर पथ परिवहन निगम की टिकट बेचने के कितने एजेन्ट किस-किस जिले में कार्यरत हैं तथा चूरू जिला मुख्यालय पर कितने एजेन्ट कब-कब थे?

(2) चूरू आगार में कितने वाहन चालक व परिचालक के पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

(3) चूरू आगार अन्तर्गत कितनी ग्रामीण सेवाएं कितने चक्र संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1997-98 में चूरू आगार के अन्तर्गत वाहन रख-रखाव पर प्रतिमाह कितनी राशि व्यय की गई?

(5) उक्त आगार अन्तर्गत ग्रामीण सेवा चूरू से भालेरी, दुधवाखारा, व खण्डवा कब से संचालित है तथा कितने चक्र व कितना यात्री भार आ रहा है?

(6) उक्त आगार में कुल कितनी बसें किस-किस मॉडल की संचालित हैं? सूची

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार बेडे को बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में निर्धारित कमीशन पर यात्रियों को यात्री टिकिट निर्गम करने के लिए परिवहन निगम में कार्यरत बुकिंग एजेन्टों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है। पूर्व में चूरू जिला मुख्यालय पर कार्यरत बुकिंग एजेन्टों की सूची, अवधि दर्शाते हुए, परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(2) चूरू आगार में वर्तमान में चालक/परिचालकों के क्रमशः 88, 88 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में क्रमश 4 चालक 5 परिचालक के पद रिक्त है। यह पद माह दिसम्बर, 98 से रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को अन्य आगारों से चालक/परिचालकों का स्थानान्तरण कर भरने की कार्यवाही की जाती रही है।

(3) चूरू आगार द्वारा वर्तमान में ग्रामीण सेवाओं के रूप में केवल एक सेवा एवं 6 एकल परिचक्र चूरू-दुधावा खारा मार्ग पर संचालित किये जा रहे हैं।

(4) वर्ष 97-98 के दौरान चूरू आगार के अन्तर्गत वाहन रख-रखाव पर प्रतिमाह औसतन 6.02 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(5) चूरू आगार द्वारा चूरू से भालेरी मार्ग पर दैनिक 8 एकल परिचक्र दिनांक 1 अक्टूबर, 97 से चूरू से दूधवाखारा मार्ग पर 6 एकल परिचक्र दिनांक 1 अप्रेल, 97 से तथा चूरू से खण्डवा मार्ग पर 2 एकल परिचक्र दिनांक 1 अप्रेल, 97 से ग्रामीण सेवा के रूप में संचालित किये गये थे। वर्तमान में केवल चूरू से दूधवाखारा मार्ग पर ही 6 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं जिनका औसत यात्रीभार 45 प्रतिशत आ रहा है। शेष दोनों मार्गों पर संचालन अनार्थिक रहने के कारण क्रमशः माह नवम्बर, 98 से एवं जनवरी, 99 से संचालन बंद कर दिया गया। इन दोनों मार्गों की सेवाओं को बन्द करने के पूर्व 3 माह की अवधि में क्रमशः 26 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत औसत यात्रीभार एवं क्रमश रु. 3.38 एवं 4.70 औसत आय प्रति कि.मी. उपलब्ध हुई जबकि आगार की संचालन लागत 11/– रुपये प्रति कि.मी. से अधिक है।

(6) चूरू आगार को कुल 63 वाहन आवंटित हैं जिनकी मॉडलवार सूची निम्नानुसार है :–

वर्ष	संख्या
1991	2
1992	15
1994	11
1996	7
1997	17
1998	11

चूरू आगार को संचालन हेतु वर्तमान में दैनिक 56 अनुसूचित सेवाएं आवंटित हैं। जिनके संचालन हेतु 59 वाहनों की आवश्यकता हैं। जबकि वर्तमान में इस आगार में 63 वाहनें उपलब्ध है। अतः वर्तमान में आगार के वाहन बेड़े में वृद्धि का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

परिवहन निगम में निर्धारित कमीशन पर कार्यरत बुकिंग एजेन्टों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	बुकिंग एजेन्टों की संख्या
1.	जयपुर	148
2.	दौसा	42
3.	भीलवाड़ा	15
4.	नागौर	2
5.	अजमेर	64
6.	जालौर	14
7.	पाली	9
8.	बाड़मेर	35
9.	जोधपुर	33
10.	सिरोही	10
11.	बीकानेर	27
12.	चूरू	22
13.	गंगानगर	24
14.	हनुमानगढ़	29
15.	सीकर	12
16.	झुन्झुनूं	25
17.	भरतपुर	4
18.	अलवर	24
19.	कोटा	30
20.	झालवाड़	18
21.	बून्दी	13
22.	बारां	21
23.	टोंक	20
24.	चित्तौड़गढ़	22
25.	डूंगरपुर	8
26.	उदयपुर	29
27.	धौलपुर	21
28.	करौली	18
29.	बांसवाड़ा	14

परिशिष्ट-2

चूरू जिला मुख्यालय पर समय-समय पर कार्यरत रहे बुकिंग एजेन्टों की सूची

क्र.सं. 1	नाम एजेन्ट 2	स्थान 3	अवधि 4
1.	श्री प्रताप सिंह पुत्र तेजसिंह	चूरू कलेक्ट्रेट	1995 से 8.8.97 8.8.97 से 15.1.99 तक
2.	श्री अमरसिंह पुत्र गंगासिंह	धर्म स्तूप राजगढ़ साइड	25.8.92 से 31.12.97 1.1.98 से 15.1.99 तक
3.	श्री गिरधारीलाल पुत्र श्री नवलकिशोर	चूरू पंखा पलासर मार्ग	7.4.98 से 15.1.99 तक
4.	श्री चन्द्रभान चोटिया पुत्र श्री परसाराम	चूरू पंखा रतनगढ़ मार्ग	5.8.94 से 4.8.97 5.8.97 से 15.1.99 तक
5.	श्री योगेश कुमार पुत्र नारायण प्रसाद	रात्रि पारी चूरू सिटी	18.1.94 से 17.7.97 18.7.97 से 15.1.99 तक
6.	श्री विजेन्द्र कुमार जाट पुत्र मोहनलाल	धांधु गांव	5.10.94 से 5.10.95
7.	श्री सुरेश कुमार/भंवरलाल	चूरू पंखा सरदारशहर साइड	24.6.95 आदेश संख्या 502 दिनांक 30.1.96 द्वारा एजेन्सी समाप्त
8.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल	पुराना बस स्टेण्ड चूरू	अक्टूबर, 96 से 19.6.97 तक
9.	श्री लक्ष्मीकांत चोटिया पुत्र मंगतूराम	चूरू पंखा भालेरा मार्ग	16.8.94 से 19.6.97 तक

1	2	3	4
10.	श्री विश्वनाथ शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा	झरिया मोरी चलरोई मार्ग	12.4.94 से 19.6.97 तक
11.	श्री सरवरखां पुत्र हसन खां	धर्म स्तूप चूरू झुन्झुनूं मार्ग	21.8.97 से 3.11.97 तक
12.	श्री अनिल प्रकाश पुत्र भंवरलाल	चूरू स्थित झुन्झुनूं मार्ग	4.6.94 से 3.6.97 तक

ईटावा व खातोली में वृक्षारोपण हेतु आवंटित राशि

38. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 से 1998 तक ईटावा व खातोली में वृक्षारोपण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत राशि का कार्य अभी तक नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इटावा एवं खातोली में वृक्षारोपण हेतु वर्ष 96-97 के लिए 56.275 लाख रुपये तथा वर्ष 97-98 के लिये 47.704 लाख रु. की राशि के कार्य दिनांक 7.1.97 को स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) खातोली में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 415 हैक्टेयर में स्वीकृत वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है। इटावा क्षेत्र में इसी योजना के अधीन स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से राशि का प्रथम हस्तान्तरण जुलाई, 98 में होने से वृक्षारोपण कार्य पूर्ण नहीं कराये जा सका। इसमें विभाग के किसी अधिकारी का दोष नहीं है।

(3) जी हां। स्वीकृत वृक्षारोपण कार्यों को आगामी वर्षा ऋतु में पूर्ण कराया जायेगा।

(राज्य मंत्री, वन)

खातोली एवं इटावा क्षेत्र के वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 96-97 एवं 97-98 में स्वीकृत राशि का विवरण :–

क्र.सं.	नाम रेंज	स्वीकृत कार्यों की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर्स	वर्षवार स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
				1996-97	1997-98	योग
1.	खातोली	14	415	23.425	16.423	39.848
2.	इटावा	15	246.5	32.850	31.281	64.131
		29	661.5	56.275	47.704	103.979

ग्राम खारड़ी (पचपदरा) की गौचर भूमि पर अतिक्रमण

39. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम खारड़ी तहसील परचदरा (बाड़मेर) की खसरा नम्बर 347 किस्म गौचर में किन-किन व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गौचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का कब्जा हटाने हेतु अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा (बाड़मेर) की ख.नं. 347 किस्म गोचर में 6 व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा है। सूची की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मुकदमें दर्ज किये जाकर कार्यवाही विचाराधीन है। शीघ्र ही बेदखली के आदेश पारित कर बेदखल किया जायेगा। पूर्व में श्री ईस खां पुत्र मुरोद खां को सिविल कारावास की सजा दी गई है, जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है।

परिशिष्ट-'क'

ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा के ख.नं. 347 मीन के अनधिकृत कब्जों के विचाराधीन प्रकरण

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी मय वाकियास कोमियास	अतिक्रमित रकबा	
		बीघा	बिस्वा
1.	इसे खां पुत्र श्री मरीद खां मुसलमान	9	5
2.	वादे खां पुत्र श्री मुरीद खां मुसलमान	1	5
3.	लाखें खां पुत्र श्री वादे खां मुसलमान	1	5
4.	नैन नाथ पुत्र श्री मीठूनाथ जोगी	1	5
5.	पापड़नाथ पुत्र श्री मीठूनाथ जोगी	1	–
6.	रेन्जर, वन विभाग, बालोतरा	24	–

राज्य की सड़क नीति में परिवर्तन

40. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) एवं **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने राज्य में कोई सड़क नीति बनाई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? गत सरकार ने किस नीति के तहत सड़कों का निर्माण करवाया था?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क विकास नीति की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़क नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गत सरकार ने सड़क विकास नीति 1994 के तहत सड़कों का निर्माण करवाया था।

(सड़क विकास नीति की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या-41

(स्थगित)

ग्राम हींगी (कोटा) के आवासीय विद्यालय का निर्माण

42. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में सरकार

(श्री मदन दिलावर)

द्वारा आवासीय विद्यालय खोलने/निर्माण करने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा। उक्त कार्य हेतु अब तक क्या-क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं?

(2) आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु 1 दिसम्बर, 1998 के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आवासीय विद्यालय के. एफ. डब्ल्यू. (जर्मनी) बाह्य सहायतान्तर्गत "राजस्थान में वंचित वर्गों हेतु आवासीय विद्यालय" परियोजना के तहत स्थापित किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य के. एफ. डब्ल्यू. से प्रथम राशि प्राप्त होने तथा तत्पश्चात् निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रियाएं पूर्ण किए जाने उपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

के. एफ. डब्ल्यू. से प्रथम राशि की प्राप्ति के. एफ. डब्ल्यू. एवं राजस्थान सरकार के मध्य परियोजना हेतु किये गये "पृथक समझौता" के अन्तर्गत के. एफ. डब्ल्यू. कोषों की भुगतान प्रक्रिया के अनुसार परियोजना के लिए नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा लागत अनुमान तैयार किये जाकर सत्यापन किये जाने उपरान्त के. एफ. डब्ल्यू. को प्रेषित करने पर ही राशि प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है।

(2) परियोजना क्रियान्वयन हेतु के. एफ. डब्ल्यू. एवं राजस्थान सरकार के मध्य किये गये "पृथक समझौते" के अन्तर्गत परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जाना है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार द्वारा के. एफ. डब्ल्यू. को अधिकृत किया गया है, जिसके तहत प्रक्रिया विभिन्न चरणों में सम्पादित की जाकर प्रत्येक चरण की कार्यवाही का अनुमोदन/स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा किये जाने उपरान्त ही अग्रिम चरण की क्रियान्विती प्रारम्भ की जाती है। सलाहकार नियुक्ति प्रक्रिया अब अन्तिम चरण पर है, जिसके तहत के. एफ. डब्ल्यू. से प्राप्त ``Negotiated Draft for awarding the Consulting Contract to German Consultancy Firm `Hass Consult" पर राज्य सरकार द्वारा अवलोकन किया जाकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे राज्य सरकार की ओर से अधिकृत के. एफ. डब्ल्यू. एवं Hass Consult के बीच सलाहकार समझौता किया जावेगा तथा जिसके फलस्वरूप सलाहकार की नियुक्ति शीघ्र होगी। सलाहकार द्वारा सेवाएें प्रारम्भ किये जाने पर लागत अनुमान तैयार किये जाकर सत्यापित किये जाने उपरान्त के. एफ. डब्ल्यू. को प्रषित किये जावेंगे तथा तदनुपरान्त ही के. एफ. डब्ल्यू. से प्रथम राशि प्राप्त हो सकेगी।

ग्राम आभानेरी (दौसा) के कार्यों की गुणवत्ता की जांच

43. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम आभानेरी में वर्ष 1995 से 10 मार्च, 1999 तक कौन-कौन से कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई एवं जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बांदीकुई के ग्राम आभानेरी में वर्ष 1995 से 10 मार्च, 1999 तक निम्न कार्यों पर उनके सामने अंकित राशि व्यय की गई :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	व्यय राशि
1.	सीमेंट सड़क निर्माण सरस्वती मंदिर से रामजीलाल के मकान तक आभानेरी	जवाहर रोजगार योजना	28.9.95	40,575.00
2.	एक कमरा निर्माण प्राथमिक शाला शेखपुरा	जवाहर रोजगार योजना	4.3.98	66,137.00
3.	दो कमरा निर्माण प्राथमिक शाला झांझा का बास आभानेरी	सुनिश्चित रोजगार योजना	20.12.95	1,07,912.00
4.	एक कमरा निर्माण प्राथमिक शाला ढाणी हरिजन, आभानेरी	सुनिश्चित रोजगार योजना	7.2.96	54,980.00

(2) उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच निम्न अधिकारियों द्वारा की गई :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अधिकारियों द्वारा निरीक्षण व दिनांक
1	2	3
1.	सीमेंट सड़क निर्माण सरस्वती मंदिर से रामजीलाल के मकान तक आभानेरी	कनिष्ठ अभियन्ता एवं विकास अधिकारी दिनांक 11.4.97

(पंचायती राज मंत्री)

1	2	3
2.	एक कमरा निर्माण प्राथमिक शाला शेखपुरा	कनिष्ठ अभियन्ता एवं विकास अधिकारी दिनांक 22.2.99
3.	दो कमरा निर्माण प्राथमिक शाला झांझा का बास, आभानेरी	सहायक अभियन्ता, डी. आर. डी. ए. दिनांक 28.3.97
4.	एक कमरा निर्माण प्राथमिक शाला ढाणी हरिजन, आभानेरी	कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता डी. आर. डी. ए. दिनांक 28.3.97

उक्त निर्माण कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

जिला राजसमन्द मुख्यालय का प्रस्तावित चिकित्सालय

44. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला राजसमन्द मुख्यालय पर जिला स्तरीय चिकित्सालय खोला गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय अभी तक भी नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं. 9 (18)/राज/ग्रुप-1/91-III दिनांक 31.3.91 के द्वारा राजसमन्द को जिला घोषित किया गया। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 1992-93 में जिला चिकित्सालय, राजसमन्द को 30 से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया गया एवं वित्तीय वर्ष 1993-94 में जिला चिकित्सालय राजसमन्द को 50 से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया गया।

(2) प्रश्न का उत्तर भाग 1 में उपलब्ध है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन

45. **श्री गुरमीत सिंह कुन्नर** (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिये कई कदम

(कृषि मंत्री)

उठाये जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्न हैं :–

1. क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम में कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकी विधियों की जानकारी देने हेतु गन्ना फसल के प्रदर्शन पर 2500 रुपये की सहायता 0.5 प्रति हैक्टेयर क्षेत्र के लिए दी जाती है।

2. इन्टिग्रेड पेस्ट मैनेजमैंट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति 0.5 हैक्टेयर प्रदर्शन कार्य हेतु रुपये 2500/– का अनुदान दिया जाता है।

3. कृषकों को वैज्ञानिक विधि की उन्नत खेती करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. कृषकों को बैल से चलने वाला भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यंत्रों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1500/– रुपये प्रति यंत्र तथा ट्रेक्टर चलित यंत्रों पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 10000/– रुपये प्रति यंत्र अनुदान दिया जाता है।

5. बून्द बून्द सिंचाई संयंत्र लगाने हेतु प्रति संयंत्र लागत का 50% या अधिकतम 25000/– का अनुदान उपलब्ध है।

6. कृषि विश्वविद्यालय या गन्ना मिल्स को टिश्यू कल्चर इकाई की स्थापना के लिए 500000/– रुपये का अनुदान देय है।

7. गन्ना फसल में कीट रोग नियंत्रण हेतु बायो-पेस्टिसाइड इकाई की स्थापना के लिए कृषि विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं को 500000/– रुपये प्रति संस्था अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

8. हीट ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना के लिये रोग नियंत्रित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु गन्ना उत्पादक मिल्स को 200000/– रुपये प्रति संयंत्र अनुदान देय है।

उपरोक्त के अलावा कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख 8 गन्ना उत्पादक जिलों में ईनाम, अधिकतम गन्ना उत्पादन करने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कृषकों को क्रमशः 30000/– रुपये, 25000/– रुपये एवं 20000/– रुपये ईनाम देय है।

गंगापुर सिटी का बस स्टेण्ड प्रकरण

46. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर में पथ परिवहन निगम बस स्टेण्ड एक निजी जमीन पर कायम है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या सरकार का उक्त बस स्टेण्ड को वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बस स्टेण्ड की भूमि का किराया अदा किया जाता है? यदि हां, तो प्रतिमाह कितना?

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

(4) क्या सरकार गंगापुर सिटी में नया बस स्टेण्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गंगापुर सिटी का बस स्टेण्ड दिनांक 15.8.91 से निजी भूमि पर संचालित हो रहा है क्योंकि बस स्टेण्ड के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि किराये पर ली गई है।

(2) जी हां। बस स्टेण्ड हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर बस स्टेण्ड स्थानान्तरित करना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। रु. 7000/– प्रतिमाह।

(4) जी हां। उपयुक्त स्थल उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला बांसवाड़ा की वन भूमि का नियमन

47. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में वन विभाग की भूमि पर वर्ष 1981 से पूर्व के कब्जे भूमिहीन किसानों के हो रहे हैं? रेन्ज एवं भूमि कृषकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आदेशानुसार भूमिहीनों के फार्म तैयार कर राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भूमिहीन कृषकों की कब्जाशुदा भूमि नियमित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा जिले में दिनांक 1.7.80 से पूर्व के आदिवासी कृषकों द्वारा किये हुये पाये गये वन भूमि के कब्जों का रेंज, भूमि एवं कृषकवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश पं. (18)/वन/90 दिनांक 27.4.91 की अनुपालना में बांसवाड़ा जिले के आदिवासी कृषकों के नियमन हेतु भेजे गये प्रस्तावों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) आदिवासी कृषकों के द्वारा किये गये वन भूमि पर दिनांक 1.7.80 से पूर्व के कब्जों का सरकार नियमन कराने का विचार रखती है। प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं जिन पर स्वीकृति प्राप्त होना अपेक्षित है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर की भूमि की फिटिंग दुरुस्ती

48. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व रियासत जैसलमेर में कोई राजस्व भू-अभिलेख लिखित में अंकित नहीं था तथा आजादी के बाद पूर्व रियासत के जिलों में नये भू-अभिलेख तैयार किये गये? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अकाल प्रभावित क्षेत्र में खेती कभी-कभी ही होती थी व किसान को पूरा सीमा ज्ञान नहीं होता था?

(3) क्या सह सही है कि उक्त जिलों के नहरी क्षेत्र में चकबन्दी के कार्यक्रम में रकबे की फीटिंग दुरुस्ती कई जगह सही नहीं होने पर पुनः पुनर्विचार कर रकबे की सही फिटिंग की गई व कुछ किसानों के अभी भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है? यदि हां, तो ऐसे किसानों की भूमि का गांव, तहसील व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अनपढ़, पिछड़े वर्ग के किसानों की समस्या को देखते हुए उसके रिकॉर्ड में अंकित भूमि के पड़ौसी खसरे में परिवर्तन करने के निर्देश के स्थान पर गांव की रोही में फिटिंग दुरुस्ती मौके पर अधिकारियों की कमेटी के कैम्प लगा कर करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पूर्व रियासत जैसलमेर के जिला जैसलमेर में "खालसा" के ग्रामों में राजस्व अभिलेख लिखित में तैयार किया जाता था, जैसा कि वर्तमान "ढालबांछ" में प्रतिवर्ष रुपये 4/– की दर से "मौकात" की मांग कायम हुई है, जो काश्तकारों के नाम दर्ज है। रिज्यूम जागीर के ग्रामों में अभिलेख अंकित नहीं था। आजादी के बाद पूर्व रियासत जैसलमेर में खालसा एवं जागीर के ग्रामकों का समरी (SUMMARY SETTLEMENT) बंदोबस्त वर्ष 1955-56 में करवाया गया था तथा पर्चा खतौनी समरी व खसरा बन्दोबस्त समरी तैयार करवाया गया। इन्हीं ग्रामों का नियमित बन्दोबस्त वर्ष 1965-66 में प्रारम्भ होकर 1971-72 से लागू हुआ है, जो वर्तमान में चल रहा है।

जिला बीकानेर में पूर्व रियासत जैसलमेर ग्रामों का कोई राजस्व भू-अभिलेख रियासत के समय लिखित में नहीं था। सम्वत् 2012 से 2014 समरी बन्दोबस्त का अभिलेख सेटलमेंट विभाग ने तैयार किया था। तत्पश्चात् संवत् 2017 वर्ष 1961 में नियमित भू-प्रबन्ध द्वारा बन्दोबस्त कर अभिलेख तैयार किया गया। कॉलोनी घोषित ग्रामों का उपनिवेशन विभाग ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार पैमायश कर रिकॉर्ड एवं सर्वे खसरा आदि तैयार किया।

(2) यह सही है कि पूर्व रियासत बीकानेर के क्षेत्र जैसलमेर के ग्राम अकाल प्रभावित

(उपनिवेशन मंत्री)

क्षेत्र घोषित होते रहे हैं। क्षेत्र में खेती कम एवं कभी-कभी होती थी। इसके अलावा रेतीला इलाका होने के कारण किसानों को सीमाज्ञान पूर्णरूप से नहीं हो पाता था।

(3) उपनिवेशन विभाग, सेटलमेंट विभाग के द्वारा की गई पैमाइश तथा रेकॉर्ड के आधार पर रेकॉर्ड तैयार करता है। तत्पश्चात् चक प्लान आने पर काश्तकारों की भूमि को चकबन्दी के अन्तर्गत फिटिंग करता है। सेटलमेंट की पैमाइश के आधार पर तैयार किये गये अभिलेख व मौका स्थिति में भिन्नता होने की संभावना हो सकती है। परियोजना क्षेत्र के कदीमी काश्तकारों की कब्जे की भूमि के अभिलेख में भिन्नता होने पर तथा किये, मुरब्बेवार, फिटिंग वास्तविक कब्जे के अनुसार सही न होने की स्थिति में समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। उन निर्देशों के अनुसार फिटिंग दुरुस्ती के प्रकरण निपटाये जा रहे हैं। विभाग के पास वर्तमान में फिटिंग दुरुस्ती के 10 मामले दर्ज हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) फिटिंग दुरुस्ती के प्रकरण विभाग के द्वारा जारी निर्देशों व प्रक्रिया अनुसार समय-समय पर निस्तारण किया जाता है।

परिशिष्ट-'क'

फिटिंग दुरुस्ती के दर्ज मामलों का विवरण :–

1. रामकंवर, आनन्द कंवर, चैन कंवर पि. सज्जनसिंह, जयसिंह, श्यामसिंह पि. करणीसिंह भाटी सा. चक ग्राम बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. गोमती पुत्री राजूराम विश्नोई चक ग्राम गोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. मोडाराम पुत्र ओमाराम मेघवाल चक ग्राम गोडू तह. कोलायत जिला बीकानेर।
4. पुरखाराम पुत्र अजाराम मेघवाल चक ग्राम मोडू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. बिरमाराम पुत्र ओमाराम मेघवाल चक ग्राम गोडू तह. कोलायत जिला बीकानेर
6. फूमा बेवा गोरधनराम विश्नोई चक ग्राम गोडू तह. कोलायत जिला बीकानेर।
7. भीखाराम, भैराराम, बींजाराम, बांछा, सीमारी पि. सांवताराम विश्नोई ग्राम चक गजेवाला तह. कोलायत जिला बीकानेर।
8. रामजस पुत्र लाखाराम वगैरह विश्नोई ग्राम चक गोडू तह. कोलायत जिला बीकानेर।
9. देवारमा पुत्र लुम्बाराम विश्नोई ग्राम चक गोडू तह. कोलायत जिला बीकानेर।
10. बीरबल, रामस्वरूप, मनसुख, शान्ति गैनी पि. लालूराम, मु. रेशी बेवाह लालूराम विश्नोई सा. माणकासर चक ग्राम मांडयात तह. कोलायत जिला बीकानेर।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड डीडवाना के निर्माण कार्यों का ठेका प्रकरण

49. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड डीडवाना में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में सोनी इंजिनियरिंग लाडनूं को कुछ निर्माण कार्यों का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो कब-कब, कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य का ठेका दिया गया? दिये गये ठेकों का विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें। 1. ठेका देने की तारीख 2. सड़क का नाम 3. अनुमानित राशि 4. कार्य पूरा करने की अवधि 5. अरनेस्ट मनी राशि 6. प्रफोरमेन्स गारन्टी राशि 7. कालम 5 व 6 की राशि जमा कराने की तारीख।

(2) क्या उक्त फर्म ने निर्धारित अवधि में कार्य पूरा किया? यदि हां, तो कौन-कौन सा तथा नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में विभाग ने कोई कार्यवाही की है?

(3) क्या उक्त फर्म के विरुद्ध कार्य समय पर नहीं करने के कारण कोई पैनल्टी की गई? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिए कब-कब कितनी-कितनी पैनेल्टी नियमानुसार करनी चाहिये थी और कितनी-कितनी किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त फर्म को अभी भी कोई कार्य दे रखा है जिसको अब किया जाना है? यदि हां, तो कौन-कौन सा जो कब-कब पूरा करना है? विवरण प्रश्न के भाग 1 (एक) में वर्णित तालिका में सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जसवन्तगढ़ से डाबडी तहसील लाडनूं की सड़क पर डामरीकरण का कार्य इसी फर्म ने किया है? यदि हां, तो कब तथा इसको कितनी राशि का कब भुगतान किया गया? इस सड़क की तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त सड़क की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार लम्बाई व चौड़ाई क्या थी तथा मौके पर लम्बाई चौड़ाई क्या है और डामर की मोटाई कितनी है? ठेकेदार को ठेका देकर जो एग्रीमेन्ट किया उसकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त फर्म के कार्य से संतुष्ट है? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या की जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड डीडवाना में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में मैसर्स सोनी इंजीनियर्स, लाडनूं को कोई निर्माण कार्य नहीं दिया गया था।

(2) जी नहीं, विभाग द्वारा उक्त फर्म को वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कोई निर्माण कार्य आवंटित नहीं किया गया। अतः

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उक्त फर्म को वर्ष 96-97 में तीन पैकेजों का कार्य आवंटित किया गया था। उक्त फर्म द्वारा तीनों पैकेजों में किये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. पैकेज अनुबंध 104/96-97 :– यह कार्य मैसर्स सोनी इंजीनियर्स द्वारा शुरू नहीं किया अतः फर्म के विरुद्ध अनुबंध राशि 11,25,646/– रु. पर 2% की पेनल्टी रु. 22513/– लगाकर वसूल कर ली गई है एवं कार्य को फर्म से विदड्रा कर लिया गया है।

2. पैकेज अनुबंध 107/96-97 एवं 96/96-97 : उक्त फर्म द्वारा कार्य धीमी प्रगति पर है। अतः फर्म के विरुद्ध अधिशाषी अभियंता द्वारा अनुबंध की धाराओं के तहत x-2/1 एवं x-2/2 नोटिस कार्य की प्रगति अनुबंध के अनुसार करने हेतु जारी किये जा चुके है। विभाग एवं फर्म के मध्य हुये अनुबंध/नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) जी हां। वर्तमान में मैसर्स सोनी इंजीनियर्स लाडनूं को उपखण्ड, लाडनूं तथा उपखंड डीडवाना के दो पैकेज के कार्य वर्ष 1996-97 में आवंटित किये गये है। जिनका संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार अंकित है।

(5) जी हां, जसवंतगढ़ से डाबड़ी सड़क के कि.मी. 0/0 से 2/745 तक डामरीकरण का कार्य मैसर्स सोनी इंजिनियर्स लाडनूं द्वारा माह 9/98 में किया गया है जो कि आवंटित कार्य रु. 332465.00 का था। उपरोक्त कार्य पर किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:–

कि.मी. 0/0 से 2/745 तक द्वारा सोनी इंजिनियर्स, लाडनूं

	माह	राशि
क–प्रथम रनिंग बिल	3/97	40407.00
ख–द्वितीय रनिंग बिल	7/97	73760.00
ग–तृतीय रनिंग बिल	8/97	33726.00
घ–चतुर्थ रनिंग बिल	5/98	16423.00
ड–पंचम रनिंग बिल	7/98	58106.00
च–छठा रनिंग बिल	9/98	116998.00
	कुल	339920.00

इस सड़क की तकनीकी स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति परिशिष्ट "ग" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(6) उक्त सड़क की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार लम्बाई 3.0 किमी. व चौड़ाई 3.75 मीटर थी। मौके पर निर्मित सड़क की लम्बाई 2.745 किमी. व औसत चौड़ाई 3.75 मीटर है। डामर की औसत मोटाई 20 मि.मी. है। ठेकेदार व विभाग के मध्य हुये अनुबंध की प्रति परिशिष्ट "घ" में संलग्न है।

(7) जी नहीं। फर्म के द्वारा अनुबंध के अनुसार समय पर कार्य नहीं करने के लिये

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

फर्म के खिलाफ निम्नानुसार कार्यवाही की गई :–

1. अनुबंध 104/96-97 के कार्य मैसर्स सोनी इंजिनियर्स द्वारा शुरू नहीं किया जाने पर फर्म के विरूद्ध अनुबंध राशि 11,25,646/– पर 2% की पैनल्टी रु. 22513/– लगाकर वसूल कर ली गई है एवं कार्य को फर्म से विदड्रा कर लिया गया है।

2. पैकेज अनुबंध 107/96-97 एवं अनुबंध 96/96-97 के कार्यों की प्रगति फर्म द्वारा धीमी रखने पर अधिशाषी अभियंता द्वारा अनुबंध की धाराओं के तहत x-2/1 एवं x-2/2 नोटिस कार्य की प्रगति अनुबंध के अनुसार करने हेतु जारी किये गये। इसके अलावा कार्य पूर्ण होने पर अंतिम समयावधि प्रकरण स्वीकृति के समय गुण व अवगुणों के आधार पर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकास सहकारी निगम का ऋण/अनुदान प्रकरण

50. डॉ. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लाभ की योजना के संचालन हेतु चैनेलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है?

(2) यदि हां, तो गत दो वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को भी स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध करायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.3.98 को ही राज्य गारंटी प्रदान की गयी है।

(3) प्रदत्त राज्य गारंटी अनुसार राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहाकरी निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार हेतु वर्ष 1998-99 से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

शेष (पेंडिंग) रहे प्रकरणों की स्थिति

दावे		प्रार्थना–पत्र		सीलिंग केस		इजराय		145 सी.आर.पी.सी.		विशेष विवरण
वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या	
1		2		3		4		5		6
1985	10	1985	—	1985	15	1985	—	1985	—	
1986	2	1986	—	1986	—	1986	1	1986	—	
1987	11	1987	—	1987	2	1987	1	1987	—	
1988	9	1988	—	1988	—	1988	4	1988	—	
1989	5	1989	—	1989	—	1989	5	1989	—	
1990	13	1990	—	1990	—	1990	9	1990	1	
1991	16	1991	7	1991	—	1991	5	1991	3	
1992	30	1992	6	1992	1	1992	6	1992	3	

1		2		3		4		5		6
1993	50	1993	11	1993	2	1993	5	1993	—	
1994	63	1994	28	1994	1	1994	8	1994	—	
1995	81	1995	29	1995	—	1995	5	1995	—	
1996	60	1996	33	1996	—	1996	9	1996	—	
1997	100	1997	44	1997	—	1997	9	1997	—	
1998	90	1998	55	1998	—	1998	15	1998	1	
1999	21	1999	13	1999	—	1999	—	1999	—	
योग	561	योग	226	योग	21	योग	82	योग	8	

सहायक कलेक्टर,
अटरू

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-47 की सूचना)

परिशिष्ट-क

विभाग के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 व 13 ए के तहत सामान्य व विशेष श्रेणी में भूमि का आवंटन दिया जाता है। इन नियमों के तहत सामान्य व विशेष आवंटियों को उपनिवेशन विभाग व सी.ए.डी. विभाग द्वारा निम्न रियायतें दी जाती है :–

(क) उपनिवेशन विभाग की रियायतें

(1) सामान्य आवंटितियों से जिला जैसलमेर के आवंटितियों के लिये आवंटित भूमि की कीमत 20 तथा अन्य उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटितियों से आवंटित भूमि की कीमत 16 वार्षिक किश्तों में वसूल की जाती है।

(2) सामान्य आवंटिति यदि एक मुश्त रकम जमा करवाना चाहता है तो उसे कुल कीमत में 25% छूट दी जाती है।

(3) विशेष आवंटिति से आवंटित भूमि की कीमत चार वार्षिक किश्तों में वसूल की जाती है।

(4) विशेष आवंटिति यदि आवंटित भूमि की पूरी कीमत एक मुश्त जमा करवाता है तो उसे 15% छूट दी जाती है।

(5) विशेष आवंटिति को सीलिंग सीमा तक भूमि का आवंटन किया जाता है।

(6) सामान्य आवंटितियों को ज़िला बीकानेर के लिये कमाण्ड भूमि आवंटन होने की सूरत में पानी नहीं लगने के दो वर्ष पश्चात् तथा पानी लगने से जो भी पहले हो, किश्ते वसूल की जाती है।

(ख) सी. ए. डी. विभाग की रियायतें

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सामान्य आवंटिति को भूमि समतलीकरण हेतु सामान्य कृषक को 6000/– रुपये एवं अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों को 8000/– रुपये का तीन किश्तों में अनुदान दिया जाता है। एक हैक्टर के लिए 3 हजार रुपये व अधिकतम 2 हैक्टयर तक 6000-8000 रु. तक का अनुदान दिया जाता है। अनु. जाति/अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिये प्रति हैक्टेयर

4,000/– रु. तथा अधिकतम 8,000/– रु. 2 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान दिया जाता है। प्रथम किश्त आवंटिति को बसने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 1200/– रुपये तथा वित्तीय किश्त आवंटिति द्वारा जमीन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 2800/– रुपये तथा अन्तिम तीसरी किश्त 4,000/– रु. पूर्ण स्थापित (बसने पर) होने पर एक हैक्टेयर के लिये दी जाती है।

विशेष आवंटिति को कोई अनुदान देय नहीं है। यह अनुदान परियोजना निदेशक. एस.एच. एण्ड एम., सि. क्षे. वि. इगांना, बीकानेर द्वारा वितरित किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में आवंटिति को भूमि विकास हेतु 5,000/– रु. का ऋण ब्याज मुक्त दो किश्तों में 2500-2500 रुपये दिये जाते हैं, जो दो वर्ष पश्चात् चार सामान्य किश्तों में वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-53 की सूची एवं विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

तहसील चौहटन में स्वीकृत डामर कार्यों की सूची

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का सन्दर्भ	कार्य पूर्ण/अपूर्ण	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	ठेकेदारों के विरुद्ध लगाई गई अंतरिम शास्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	सैड़वा जानपालिया	17	1123/24.3.94	कार्य पूर्ण	–	–
2.	सिहानिया फागलिया बैढ़िया	10	94/24.1.95 441/24.8.98	–"–	–	–
3.	चौहटन बाखासर से सारला	05	1123/24.3.94	–"–	–	–
4.	सम्पर्क सड़क भोजासरिया	06	772–98/3.1.97	–"–	–	–
5.	इसरोल से चौहटन	15	1489–93/23.10.97	–"–	–	–
6.	सम्पर्क सड़क गुमाने का तला	10	1902–03/24.2.98	–"–	–	–
7.	सम्पर्क सड़क आकल	02	441–43/24.8.98	–"–	–	–
8.	कैलनौर से नवापुरा	07	1123/23.3.94	–"–	–	–
9.	नयापुरा के.के.डी.	07	1123/23.3.94	–"–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
10.	सम्पर्क सड़क गंगासरा	10	93 / 29.5.93	कार्य पूर्ण	–	–
			114 / 13.5.94	–"–	–	–
11.	सम्पर्क सड़क भलीसर	09	114 / 13.5.94	–"–	–	–
12.	धोरीमना साता से ओगाला	05	114 / 13.5.94	–"–	–	–
13.	धोरीमना साता से गौड़ा	23	114 / 13.5.94	–"–	–	–
14.	चौहटन बाखासर से शौभालादर्श	09	114 / 13.5.94	–"–	–	–
15.	धोरीमना साता रोड	06	84 / 14.5.94	–"–	–	–
16.	सम्पर्क सड़क रतासर	05	164 / 7.6.95	–"–	–	–
17.	सम्पर्क सड़क सारला	08	164 / 7.6.95	–"–	–	–
18.	जालबेरी से सोनड़ी	06	164 / 7.6.95	–"–	–	–
19.	साबड़ीकलां से सरूप का तला	05	95 / 5.1.96	–"–	–	–
20.	देदूसर से नवातला जेतमाल	07	164 / 7.6.95	–"–	–	–
21.	सम्पर्क सड़क कैकड़	06	164 / 7.6.95	–"–	–	–
22.	बाखासर से बावरवाला होदी	07	164 / 7.6.95	–"–	–	–
23.	सम्पर्क सड़क जानपालिया	05	95 / 5.1.96	–"–	–	–
24.	समे की ढाणी गंगासरा फागलिया	10	93 / 29.5.93	–"–	–	–
25.	चौहटन कैलनोर से समेलों का तला	08	209 / 13.6.95	–"–	–	–
26.	चौहटन बाखासर से नवापुरा	05	209 / 13.6.95	–"–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
27.	सम्पर्क सड़क मिठाड़ाऊ	10	209/13.6.95	कार्य पूर्ण	—	—
28.	सम्पर्क सड़क अरटी	03	95/30.12.96	—"—	—	—
29.	सम्पर्क सड़क बूठ राठोड़ान	04	95/30.12.96	—"—	—	—
30.	चौहटन से सरूप का तला	14	96/5.1.96	—"—	—	—
31.	एम.आर. से बी.टी. चौहटनबाई पास	4	441—43/24.8.98	कार्य आवंटन की प्रक्रिया में है	3/2000	—
32.	जी.आर. से बी.टी. बिसारणिया फाटा से भलीसर	15	441—43/24.8.98	कार्य प्रगति पर है	12/99	—
33.	जी.आर. से बी.टी. कुम्हारों का टिब्बा से रमजान की गफन	08	441—43/24.8.98	—"—	12/99	—
34.	बोर्डर से सामानान्तरण बी.टी. सड़क निर्माण बाखासर से बी.पी. नं. 921	09	441—43/24.8.98	कार्य आवंटन की प्रक्रिया में है	3/2000	—
35.	5 बी.टी. बी.के.डी. से के.के.डी.	07	357—62/2.9.96	कार्य प्रगति पर है	5/99	पत्रांक 20377-79 दिनांक 10.12.98 से 0.25 प्रतिशत शास्ति
36.	बी.टी.एस.के.पी. से बी.के.डी.	07	357—62/2.9.96	—"—	5/99	पत्रांक 20384-86 दिनांक 10.12.98 से 0.25 प्रतिशत शास्ति

1	2	3	4	5	6	7
37.	चौहटन बाखासर से सम्पर्क सड़क कारटिया 0/0 से 10/0	10	164/7.6.95	कार्य प्रगति पर है	5/99	पत्रांक 4563 दिनांक 27.11.98 द्वारा 1 प्रतिशत शास्ति
38.	इटादा से गौहेड़ का तला वाया बीजांसर	15	1587/13.5.95	–"–	5/99	पत्रांक 4551 दिनांक 27.11.98 द्वारा 0.50 प्रतिशत शास्ति
39.	चौहटन बाखासर से सम्पर्क सड़क कारटिया 10/0 से 13/0	03	2298/22.10.96	–"–	5/99	पत्रांक 4555 दिनांक 27.11.98 द्वारा 1 प्रतिशत शास्ति
40.	बावरवाला होदी से बारवाला गांव	2.5	2298/22.10.96	–"–	5/99	पत्रांक 4559 दिनांक 27.11.98 द्वारा 0.50 प्रतिशत शास्ति
41.	चौहटन बाखासर से सम्पर्क सड़क सारला	06	70/5.1.96	–"–	12/99	पत्रांक 4571 दिनांक 27.11.98 द्वारा 0.50 प्रतिशत शास्ति
42.	रामसर बीजराड़ धनऊ से बूठ राठोड़ान	02	96/26.9.96	–"–	5/99	पत्रांक 1904 दिनांक 19.8.98 द्वारा 2 प्रतिशत शास्ति व पत्रांक 4566 दिनांक 27.11.98 द्वारा 0.50 प्रतिशत शास्ति

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-63 का विवरण एवं सूची)

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 98-99 में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन उद्योगों की सूची जिन्हें मण्डल से स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की है, वे निम्न प्रकार है तथा उन पर मुख्य शर्तें अधिरोपित की गई उनके सामने उल्लेखित है :–

1. **मै. सरस्वती स्पिन डाई :–** इस उद्योग को उच्छिष्ठ (प्रदूषित जल) को मण्डल मानकों (स्ट्रीम स्टैण्डर्ड) तक उपचार संयंत्र में उपचारित करने के पश्चात् ही रीको ट्रेन में निस्त्रावित (प्रवाहित) करने की शर्त के साथ स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की गई है।

2. **मै. एक्सीलेन्ट आर्टस्टोन :–** इस उद्योग को पर्याप्त आकार के सेटर्लिंग टैंक एवं स्लज ड्राईग बैड स्थापित करने एवं शून्य निस्त्राव (प्रवाह) की शर्त के साथ स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की गयी है।

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	उद्योग का नाम	उल्लंघन का प्रकार	की गयी कार्यवाही
1.	मै. बजरंग इण्डस्ट्रीज	बिना सम्मति के उद्योग संचालन	मार्च माह में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2.	मै. स्टील ग्रिप इण्डस्ट्रीज	तदैव	दिनांक 15.3.99 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3.	मै. राज. पेपर इण्डस्ट्रीज	तदैव	दिनांक 13.5.98 को नोटिस जारी किया गया है।
4.	मै. इण्डोमेक्स केमिकल इण्डस्ट्रीज	पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं अपनाने के कारण	दिनांक 1.9.97 को नोटिस दिया गया।
5.	मै. साहू इण्डस्ट्रीज	तदैव	सम्मति दिनांक 13.1.97 को निरस्त
6.	मै. ओम इण्डस्ट्रीज	तदैव	सम्मति दिनांक 15.9.98 को निरस्त
7.	मै. महावीर केमिकल इण्डस्ट्रीज	तदैव	सम्मति दिनांक 30.8.97 को निरस्त
8.	मै. श्री तिरूपति इण्डस्ट्रीज	तदैव	सम्मति दिनांक 20.6.98 को निरस्त
9.	मै. ईमेज क्रियेशन	तदैव	सम्मति दिनांक 17.3.99 को निरस्त
10.	मै. खण्डेलवाल केमिकल्स	तदैव	दिनांक 17.3.99 को नोटिस दिया गया।
11.	मै. एस. एस. एन्टरप्राइजेज	तदैव	सम्मति 17.3.99 को निरस्त
12.	मै. माहेश्वरी पेट्रोकेम	तदैव	दिनांक 17.3.99 को नोटिस दिया गया
13.	मै. जयपुर बोटलिंग कम्पनी	तदैव	परिवाद अन्तर्गत धारा 43, 44 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33 में न्यायालय में लम्बित है।
14.	मै. ओटोलाइट (इ.) लि.	पूर्व सम्मति शर्तों की पालना नहीं करने के कारण	सम्मति दिनांक 26.2.99 को निरस्त
15.	मै. बजरंग वायर इण्डस्ट्रीज	तदैव	सम्मति दिनांक 23.1.99 को निरस्त

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-65 का विवरण)

परिशिष्ट-1

गत पांच वर्षों में (1993-94 से 1997-98 तक) की अवधि में विभिन्न आगारों को आवंटित बसों का विवरण

क्र.सं.	आगार का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजयमेरू	33	9	14	9	12
2.	अजमेर	66	19	17	8	12
3.	अनूपगढ़	30	25	8	8	12
4.	बारां	14	20	5	8	6
5.	बीकानेर	33	17	21	15	15
6.	बून्दी	33	13	10	10	12
7.	गंगानगर	41	22	22	16	15
8.	हनुमानगढ़	39	23	17	15	12
9.	झालावाड़	25	16	6	10	8
10.	कोटा	26	18	14	14	21
11.	सरदारशहर	29	17	13	8	6
12.	टोंक	27	20	14	13	11
13.	अलवर	39	10	9	12	14
14. 15.	भरतपुर लोहागढ़	–	18	5	12	12
16.	डीलक्स	29	7	55	26	23

1	2	3	4	5	6	7
17.	धौलपुर	26	20	10	9	10
18.	हिण्डौन	36	10	10	8	9
19.	दौसा (जवाहरनगर)	32	14	12	6	6
20.	जयपुर	61	27	28	32	32
21.	कोटपुतली	35	11	6	13	11
22.	मत्यनगर	38	21	6	15	12
23.	तिजारा	19	5	10	7	5
24.	सांगानेर	22	20	5	—	—
25.	विद्याधरनगर	47	20	—	—	—
26.	वैशालीनगर	28	24	5	7	6
27.	झालानाडूंगरी	—	—	—	4	4
28.	ब्यावर	14	15	26	24	11
29.	भीलवाड़ा	20	14	12	22	11
30.	चूरू	—	—	2	16	8
31.	आबूरोड़	8	17	10	12	10
32.	बांसवाड़ा	10	4	18	12	10
33.	बाड़मेर	14	20	11	21	16
34.	चित्तौडगढ़	20	23	17	22	12
35.	डूंगरपुर	30	19	9	12	12
36.	फालना	6	9	12	7	10
37.	जालौर	17	16	10	13	12

1	2	3	4	5	6	7
38.	झुन्झुनूं	15	27	11	18	10
39.	जोधपुर	16	20	26	36	30
40.	खेतड़ी	14	14	10	11	10
41.	नागौर	16	17	17	10	16
42.	फलौदी	13	4	11	9	10
43.	सीकर	23	28	11	27	20
44.	सिरोही	10	15	8	10	12
45.	उदयपुर	21	24	20	22	22
46.	पाली	—	—	—	—	8
		1123	720	572	600	548

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का विवरण)

परिशिष्ट-1

जयपुर से करौली एवं करौली से जयपुर मार्ग पर संचालित साधारण बस सेवाओं की समय सारिणी

जयपुर करौली मार्ग

0500	वाया लालसोट	(सिंधी कैम्प से)
0630	वाया सिकन्दरा-नादोती गंगापुर	(सिन्धी कैम्प से)
0700	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प से)
0830	वाया गंगापुर	(सिन्धी कैम्प से)
0915	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प से)
1000	वाया लालसोट-गंगापुर	(सिन्धी कैम्प से)
1200	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प से)
1215	वाया सिकन्दरा-गंगापुर	(घाटगेट से)
1245	वाया बालाजी	(सिन्धी कैम्प से)
1415	वाया लालसोट	(घाटगेट से)
1700	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प से)
1730	वाया गंगापुर	(घाटगेट से)

करौली-जयपुर मार्ग

0500	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प तक)
0615	वाया गंगापुर-लालसोट	(घाटगेट तक)
0900	वाया गंगापुर-सिकन्दरा	(घाटगेट तक)
0915	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प तक)
0945	वाया बालाजी 'टोडाभीम'	(सिन्धी कैम्प तक)
1015	वाया गंगापुर-लालसोट	(घाटगेट तक)
1100	वाया गंगापुर-लालसोट	(घाटगेट तक)
1230	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प तक)
1300	वाया गंगापुर-लालसोट	(सिन्धी कैम्प तक)
1400	वाया महुवा	(सिन्धी कैम्प तक)
1600	वाया गंगापुर-लालसोट	(सिन्धी कैम्प तक)
1730	वाया नादोती-सिकन्दरा	(सिन्धी कैम्प तक)

परिशिष्ट-2

जयपुर करौली मार्ग में निम्न चार मार्ग है

1. जयपुर से लालसोट वाया जीतावाला, पालावाला, बस्सी, तूंगा, देवगांव, पचार।
2. लालसोट से गंगापुर वाया मण्डावरी, पिपलाई।
3. गंगापुर से गेरई वाया सलेमपुर।
4. करौली से गेरई वाया बरखेड़ा नदी, मामचारी, करसाई, आलपुर।

पर निम्न वाहनों को अनुज्ञापत्र जारी है :–

क्र.सं.	वाहन सं.	अनुज्ञापत्र संख्या	वैधता
1.	एमपी 07/एफ–0443	2470	8.3.2000
2.	आरजे25पी 0316	3047	18.3.2001
3.	आरजे25/पी 0336	3848	18.9.2001
4.	आरजे25/पी–0332	3943	25.10.2001
5.	आरजे25/पी–0326	3935	4.10.2001
6.	आरजे25/पी 0335	3985	21.11.2001
7.	आरजे34/पी 4553	4133	9.1.2002
8.	आरजे25/पी 0313	230	1.7.2002
9.	आरजे25/पी 0397	472	16.10.2002
10.	आरजे25/पी 0324	626	19.1.2003
11.	सीपीएच–7798	2091	24.3.99
12.	आरएनपी–2421	2142	18.5.99
13.	आरजे34पी 0022	4302	21.3.2002
14.	आरजे14सी 6461	13	10.4.2002
15.	आरजे14पी 6201	4207	28.2.2002
16.	एमपी07बी 9812	2830	15.1.2001

परिशिष्ट-3

जयपुर से करौली मार्ग पर निम्न समय पर सेवाएं संचालित है :–

जयपुर से प्रस्थान	करौली से प्रस्थान
7.00 एएम	1.00 पीएम
9.10 एएम	3.05 पीएम
4.10 एएम	6.05
3.15 पीएम	9.45 एएम
6.10 पीएम	10.40 एएम
3.45 पीएम	7.30 एएम
12.00 नून	5.30 एएम
12.45 पीएम	6.40 एम
11.20 एएम	4.50
6.25 एएम	30.45 पीएम
5.35 एएम	1.45 पीएम
7.10 पीएम	12.00
5.20 पीएम	9.05
12.45 पीएम	5.15 एएम
10.30 एएम	11.55 एएम
6.50 एएम	1.05 एएम

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-67 का विवरण)

विभिन्न वर्षों में जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

		1995-96		1996-97		1997-98		1998	
समाचार पत्र का नाम		सेमी.	राशि	सेमी	राशि	सेमी.	राशि	सेमी.	राशि
दैनिक नवज्योति									
नवज्योति	जयपुर	44313	2002947.60	65043	3148081.20	64067	3017555.70	19424	1402412.80
नवज्योति	अजमेर	59643	2964257.10	55480	2613108.00	18090	913545.00	11331	572215.50
नवज्योति	कोटा	15834	614359.20	19724	777125.60	13040	513776.00	9863	676601.80
दैनिक भास्कर									
भास्कर	जयपुर	0	0	0	0.00	12626	2015109.60	20228	3754316.80
पंजाब केसरी	दिल्ली	17968	3431888	16610	348134	10866	2448109.8	6839	1545614
दैनिक जागरण	दिल्ली	6128	276985.6	15888	748324.8	12858	696903.6	7123	386066.6
ऑब्जरवर, अंग्रेजी	दिल्ली	0	0	0	0	400	21252	200	103700

नोट : 1. चूंकि डी. ए. वी. पी. की दरें वर्ष जुलाई-जून रहती है अतः उपरोक्त वर्ष में दिया गया विवरण भी जुलाई-जून का है।

2. राजकीय विज्ञापन निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा जारी किये जाते है परन्तु उनका भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः उपरोक्त दर्शित विवरण अनुमानित है।

3. दैनिक पंजाब केसरी, जालन्धर व दैनिक जागरण, कानपुर समाचार पत्रों को निदेशालय द्वारा नगण्य विज्ञापन जारी होने के कारण इनका योग समाचार पत्रों के दिल्ली संस्करणों में शामिल है।

परिशिष्ट-11

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

द्वितीय प्रतिवेदन

कार्य सलाकार समिति की बैठक दिनांक 22 मार्च, 1999 को मध्याह्न पश्चात् 12.40 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 23 मार्च, 1999 से 26 मार्च, 1999 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :–

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999	:	1. अतिरेक मांगे वर्ष 1991-92 एवं अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1998-99 पर मुखबंद कर मतदान एवं पारण। 2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1999 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 गुरूवार, दिनांक 25 मार्च, 1999	:	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 1999	:	1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999-2000 का उपस्थापन। 2. वर्ष 1999-2000 के लिये आंशिक लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण का प्रस्तुतीकरण। 3. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण। 4. लेखानुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 मार्च, 1999

परसराम मदेरणा
पदेन, सभापति

नोट :– 1. प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित किये जाने तक कृपया गोपनीय रखें।